खण्ड-256, अंक-9
गुरूवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1887
(8 अप्रैल, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..८९५–८९९
प्रश्नोत्तर	..८९९–९२७
प्रदेश के प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	९२७
आश्वासन समिति का दूसरा विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	९२८
विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी स्पष्टीकरण	९२८
जौनपुर जिले के ग्राम शाहपुर-खेता सराय में कुछ व्यापारियों द्वारा हुण्डी का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..९२९–९३०
११ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	..९३०–९३१
कतिपय विषय	..९३१–९३२
राज्य मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	..९३२–९६२
चकबन्दी से बची ग्राम सभा की भूमि को वितरित करने में बरती गयी अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	..९६२–९८१
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापित किया गया)	९८१
नत्थियां	..९८२–१०५५

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कमलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खैमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरबरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री

जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद ,श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महवीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री

शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुन्रेद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ अप्रैल, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गौरी बाजार केन यूनियन से खाद वितरण

**१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में गौरीबाजार चीनी मिल जोन की गन्ना समिति के पास आज एक छटांक खाद नहीं है? गन्ना बोने के सीजन में इस हद तक खाद न होने के कारण जो विषम हालत गन्ना उत्पादन के सम्बन्ध में आई है इसके लिए कौन-सा तत्काल कदम उठा कर १०–१५ दिनों के अन्दर खाद की व्यवस्था की जा रही है?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

गौरी बाजार केन यूनियन के पास १–४–६५ को ३५४ क्विन्टल फॉस्फेटिलाइजर तथा १७ क्विन्टल स्टेरामील, १६३ क्विन्टल सुपरफास्फेट और १४७ क्विन्टल खली की खाद स्टाक

[डाक्टर सीताराम[
में बी। फिर भी उक्त यूनियन को तीन वैगन कैस्टर केक १५-४-६५ तक भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं जिसके शीघ्र पहुंचने की आशा है तथा अन्य उर्वरकों की शीघ्र पूर्ति हेतु आदेश भेजे जा चुके हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जितनी खाद १-४-६५ को गौरी बजार केन यूनियन के पास थी वह यह कह कर नहीं दी जा रही थी कि इस समय स्टाक में नहीं है? यदि नहीं, तो क्या १-३-६५ से २-४-६५ तक कितनी खाद किसानों को दी गयी यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

प्रतिदिन कितनी खाद दी गयी इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इस यूनियन ने जो रिपोर्ट भेजी हे उसके मुताबिक उसने जनवरी, १९६५ से मार्च, १९६५ तक ९९४ क्विन्टल फर्टिलाइजर, २३४ क्विन्टल स्टेरामील तथा ७०६ क्विन्टल खली की खाद बांटी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

८-४-६४ तक पिछले सीजन में कुल कितनी खाद बांटी गयी तथा इस साल कितनी बांटी गयी है? यह इस लिए जानना चाहता हूं कि यह पता लग सके कि वहां खाद बांटी गयी है या नहीं?

डाक्टर सीताराम—

अभी प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है कि जनवरी से लेकर मार्च, १९६५ तक कितनी खाद बांटी गयी। लेकिन ८ अप्रैल, १९६४ से आज तक कितनी खाद बांटी गयी इसका ब्योरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतना, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से बतला सकता हूं कि इस साल १९३० मन कुल खाद बांटी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गौरी बाजार चीनी मिल जोन में कुल कितनी खाद की जरूरत थी और इस वक्त उस के पास कितनी खाद है?

डाक्टर सीताराम—

पार साल, १९६४-६५ में ८,००० क्विन्टल फर्टिलाइजर, १,६८० क्विन्टल स्टेरामील और ७१२ क्विन्टल खली की खाद बांटने का लक्ष्य बनाया गया था। वर्ष के अन्दर २,८७२ क्विन्टल फर्टिलाइजर, ५५६ क्विन्टल स्टेरामील, तथा ६६८ क्विन्टल खली की खाद प्राप्त हुई और ३,९३० क्विन्टल फर्टिलाइजर, ५३९ क्विन्टल स्टेरा मील, तथा १,०६९ क्विन्टल खली की खाद बांटी गयी है। अप्रैल, १९६५ तक कितनी खाद बांटी गयी यह पहले बता दिया गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मन्त्री जी ने १-४-६४ या १-४-६५ तक के फर्टिलाइजर के आंकड़े दिये हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मार्च के महीने में कुल कितनी खाद का वितरण हुआ है? अगर प्रतिदिन का नहीं बता सकते हैं तो एक महीने का ही बता दीजिये?

डाक्टर सीताराम—

मार्च के वितरण का अलग से आंकड़ा नहीं है, जनवरी से मार्च तक का है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अभी तक गन्ना और चीनी की स्थिति को देखते हुए जितना आप के पास सामान मुहैया है उसको इस प्रकार से काम में लायेंगे गन्ना विकास के सम्बन्ध में कि किसानों को किसी किस्म की दिक्कत खाद के बारे में न रहे ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आप गौरी बाजार के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

जी हां।

डाक्टर सीताराम---

जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक में उत्तर दे रहा हूं। उस यूनियन के द्वारा जो भी खाद बांटी गयी है वह पूर्णरूपेण बांटी गयी है, कोई शिकायत किसी काश्तकार से प्राप्त नहीं हुई है और अब भी खाद स्टाक में काफी बाकी है। इसके अलावा १ हजार मन खली की खाद के लिए केन कमश्निर ने आदेश दे दिया है और ५६ मैट्रिक टन स्टेरामील भेजने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। अब गौरी बाजार यूनियन के पास किसी किस्म की चाहे केमिकल या आर्गनिक मैन्योर की कमी नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि १५-४-६५ तक जो खाद भेजने का आदेश हुआ है तो वह कब हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---

इसी मार्च के महीने में आदेश गये हैं कि अप्रैल से दी जाय और खास कर अलाभकर के लिए ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पीलीभीत में डी० सी० कन्या पाठशाला को सहायता

*१---श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला पकड़िया, शहर पीलीभीत में जो डी० सी० पुस्तकालय तथा डी० सी० कन्या पाठशाला गैर रजिस्टर्ड संस्थायें थीं उनको कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गयी और उन के पास कुल कितना सामान, सरकारी फर्नीचर, किताबें इत्यादि हैं ?

डाक्टर सीताराम---

१९५१-५२ से १९६२-६३ तक डी० सी० कन्या पाठशाला को कुल ८,२२७ रुपये ५० पैसा तथा डी० सी० पुस्तकालय को ४,१३४ रुपये की सहायता दी गयी। संस्थायें बन्द होने के कारण फर्नीचर व किताबों आदि का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

*२---श्री पातीराम अहरवार (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि यह दोनों संस्थायें क्यों बन्द कर दी गयीं और सरकार ने इनका सामान अपने कब्जे में ले लिया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

इस नीति के अन्तर्गत गैर रजिस्टर्ड संस्थायें जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रबन्धित हों और इन संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध हस्तान्तरित न करने की वजह से इनका अनुदान बन्द कर दिया गया जिस के फलस्वरूप यह संस्थायें बन्द हो गयीं।

जी नहीं। प्रबन्धकों द्वारा चार्ज न दिये जाने के कारण।

*३—श्री पातीराम अहरवार (अनुपस्थित)—

अब यह संस्थायें बन्द हैं या चल रही हैं? यदि चल रही है, तो किस प्रकार किनके प्रबन्ध में चल रही हैं?

डाक्टर सीताराम—

अब यह संस्थायें बन्द हैं। प्रश्न नहीं उठता।

देवगढ़ में जैन मन्दिरों की सुरक्षा

*४—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अभी कुछ दिन पूर्व झांसी जिले के ऐतिहासिक देवगढ़ जैन मन्दिरों से मूर्तियों के कलापूर्ण तथा शिरों की चोरी के बाद उन मन्दिरों–मूर्तियों की सुरक्षा के लिए उसकी ओर से कौन उपाय किये गये हैं?

डाक्टर सीताराम—

देवगढ़ में एक पुलिस चौकी जैन मन्दिरों की सुरक्षा हेतु स्थापित कर दी गयी है। जैन मन्दिर कमेटी की ओर से नियुक्त किये गये पुजारी व चौकीदार मूर्तियों व मन्दिरों की विशेष देख भाल व सुरक्षा किया करते हैं। पुलिस चौकी पर नियुक्त कर्मचारिगण को आदेश है कि वह पुजारी व चौकीदार की हर समय आवश्यकता पड़ने पर पूरी पूरी सहायता करें।

जौनपुर जिले में लघु उद्योग प्रसार पर व्यय

*५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद में लघु उद्योग प्रसार योजनानुसार लघु उद्योगों के विकास हेतु १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२, और १९६२–६३, में प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ तथा उसमें प्रत्येक वर्ष कितने धन की रिकवरी की आज्ञा दी गयी तथा प्रत्येक वर्ष कितना धन रिकवरी द्वारा वसूल हुआ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८२ पर।)

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में जो लगभग ७,५६,५९,००० रुपये का अनुदान पहुंच गया है उसमें से केवल ३,८६ लाख रुपये यानी ५० प्रतिशत का ही उपयोग हुआ है, तो किस कारण से इतना रुपया दिया गया और ५० प्रतिशत से कम का उपयोग लघु उद्योगों में हुआ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वैसे तो कारण वही बता सकते हैं जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कितना

किया है यह स्थिति मेरे पास है ।

श्री जगन्नाथ राव---

पिछले आंकड़े जो मंत्री जी ने दिये उन में ३,८६,५८४ के रिकवरी आर्डर्स दिये, लेकिन १,०३,००० रुपये की वसूली हो पाई यानी ३३ परसेंट रिकवरी नहीं हो पाई, तो क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि क्या कुछ ऐसे राजनीतिक लोग है जिनके कारण से यह रुपया अनुचित ढंग से उपयोग हो रहा हैं या क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करती है कि रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, लेकिन कभी-कभी लोग कचहरियों में चले जाते हैं, या कुछ टाइम ले लेते हैं जिस से कि विलम्ब हो जाता है। वैसे हम प्रयत्न यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिस-यूटिलाइजेशन का एक कारण यह भी है कि रा मैटीरियल न मिलने के कारण लोग उस रुपये का इस्तेमाल नहीं कर पाते ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह बात भी काफी हद तक सही है कि रा-मैटीरियल न होने के कारण वे रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर पाते ।

आजमगढ़ से 'राष्ट्रदूत' के सम्पादक का शिकायती-पत्र

*६---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला से प्रकाशित होने वाले पत्र "राष्ट्रदूत" के सम्पादक का दिनांक २३ दिसम्बर, १९६४ को एक शिकायत-पत्र राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आजमगढ़ के जिलाधीश के विरुद्ध प्राप्त हुआ है जिसमें उपरोक्त पत्र के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने, उसे नियमित समन न देने आदि की गम्भीर शिकायतें की गयी है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है उसका विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां । जांच करने के उपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्पादक ने कौन-कौन से आरोप लगाये हैं तथा जो जांच की गयी वह किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जो आरोप थे उनमें एक यह भी था कि उनको विज्ञापन उनके अखबार में छापने के लिये नहीं दिया जाता है । यह अरोप निराधार था । बात यह थी कि इन लोगों को एक शपथ-नामा भर कर देना होता है जिनको विज्ञापन दिये जाते हैं । इन सम्पादक महोदय ने वह शपथ-नामा नहीं भरा । इसकी जांच कमिश्नर महोदय ने की थी ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

जहां तक विज्ञापन का प्रश्न है, आपने कहा कि सम्पादक ने शपथनामा नहीं दिया । उस पत्र के सम्पादक का कहना है कि शपथनामा एक बार देना चाहिये और वह उन्होंने दे दिया था । लेकिन चूंकि जब इधर खाद्य-संकट पैदा हुआ, उस दौरान में उस अखबार ने खाद्य-व्यवस्था की सख्त आलोचना की और बहुत से उनके कामों की भी आलोचना की इस कारण उस अखबार को समन मिलते रहे । लेकिन, क्या इस साल इस अखबार को केवल उसी आधार पर विज्ञापन नहीं दिया गया ? आप इसकी जांच करायेंगे ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

इसकी जांच कराई गई और पता चला कि यह बात सही नहीं है । उन्होंने पहली बार शपथनामा दिया पर वह सही नहीं था । उनसे दोबारा कहा गया, उन्होंने फिर नहीं दिया। वे निरन्तर कहते रहे पर उन्होंने शपथनामा नहीं दिया। प्रेस रजिस्ट्रार के यहां वह बात ठीक नहीं मानी जाती ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस राष्ट्रदूत के सम्पादक महोदय का नाम क्या है और इस कार्य के पूर्व वे कौन-सा कार्य करते रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इनका नाम शीतलप्रसाद त्रिपाठी है । ये पहले पुलिस में कान्स्टेबुल थे और वहां से निकाल दिये गये थे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इनका कुछ सर्कुलेशन नहीं है । दिखावे के लिये यह रजिस्ट्रेशन फर्जी बना दिया गया है और तिस पर वे चाहते हैं कि उनको विज्ञापन दिया जाय और वे नाराज होकर इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो राय की बात है ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि आदरणीय सदन में भ्रम हो गया है कि यह पत्र फर्जी है तो क्या आप इस पत्र की दो तीन साल की पुरानी फाईलें मंगवाकर देखेंगे और देखने के बाद क्या उनको निरन्तर विज्ञापन दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

विज्ञापन देने के सम्बन्ध में तो इन्होंने बता दिया है ।

कर्ण प्रयाग–ग्वालदम मोटर मार्ग में अधयाप्त भूमि का मुआवजा

७--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले में कर्ण प्रयाग-ग्वालदम मोटर सड़क के निर्माण में ग्राम कुलसारी, लोल्टी-थराली तलवाड़ी आदि की जमीनें ली गयी हैं ? उपरोक्त ग्रामों से सम्बन्धित क्षति ग्रस्त ग्रामीणों के द्वारा अनेकों बार शासन ने विभिन्न उच्च स्तरों को प्रार्थना-पत्रों के दिये जाने पर भी उन ग्रामीणोंको जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है और यह कार्य क्यों रुका पड़ा है ? क्या सरकार अब अविलम्ब जांच करवा कर उन गरीब ग्रामीणों को, जिनकी जमीनें ली गई हैं, शीघ्र ही जमीन का मुआवजा देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कर्णप्रयाग-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण के सिलसिले में चमोली जिले के २५ ग्रामों में जमीन ली गई है, जिनमें से केवल एक ग्राम तलवाड़ी को छोड़ कर शेष सभी ग्रामों में कुल मिला कर १,४२,८२३ रुपये की धनराशि मुआवजे के रूप में अब तक वितरित की जा चुकी है । तलवाड़ी ग्राम में ८,०३७ रुपये ३४ पैसे मुआवजा वितरित किया जा रहा है, और आशा है कि शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण हो जायगा ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि तलवाड़ी गांव को मुआवजा दिया गया । अभी बहुत अधिक दिन नहीं हुए मेरे पास कुछ प्रार्थना-पत्र आये थे कि लोल्टी और थराली गांवों की जमीनें ले ली गयी पर उनकी जमीनों के मुआवजा नहीं दिया गया । क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाकर कुछ बताने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं बता दूं, प्रश्न के उत्तर में यह कह दिया गया कि उनकी अमुक सूचना है । तो फिर उस सूचना के बाद, यह प्रश्न कि आपकी सूचना भिन्न है मैं पूछने नहीं दूंगा । अगर उत्तर से, यानी प्रश्न के उत्तर से कोई असंगत तथ्य हो तो आप पूछिये । आपके पास सूचना है, वे कहते हैं कि उनके पास अन्य सूचना है । आप ऐसे तथ्य के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास करें जिससे सरकारी सूचना गलत सिद्ध हो ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

श्रीमन्, उन गांवों के लोगों के प्रार्थना-पत्र मेरे पास आये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

किनके आये हैं, उनको दिया गया या नहीं ?

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

वे प्रार्थना-पत्र मैंने सम्बन्धित विभाग को दे दिये हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास यह सूचना है कि उनको दे दिये गये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मुआवजे का प्रश्न अक्सर आया करता है । लेकिन फिर भी पहाड़ों में मुआवजे का प्रश्न विशेष है । वहां पर जब कि स्थिति संकटापन्न है, तो मैं ऐसी स्थिति जानना चाहता हूं कि वहां की जमीनें लेने के बाद भी वहां पर मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने बताया कि उनको तो दे दिये गये हैं और जहां नहीं दिया गया है वहां उनको देने जा रहे हैं ।

[८ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव, (जिला गाजीपुर)--

[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३-४--श्री कमलासिंह यादव--

[नवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९२-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५--श्री कमलासिंह यादव--

[आठवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६-८--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

[हटा दिये गये ।]

*९-१०--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

[उत्तर दिया जा चुका है ।]

पिथौरागढ़ जिल में चुंगी कर्मचारियों की ड्यूटी

*११--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि उत्तरा खंड के सीमान्त जिला पिथौरागढ़ में नदी-नालों के पुलों की चुंगियों पर रहने वाले कर्मचारियों को साल में इतवार या कोई गजटेड या लोकल छुट्टी नहीं मिलती है ? ऐसी हालत में उन छुट्टियों के बारे में क्या मंत्री जी कुछ विचार करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :--पिथौरागढ़ में जिन पुलों पर चुंगी ली जाती है, वहां प्रत्येक पुल पर ३ चुंगी क्लर्क काम करते हैं जो आठ आठ घंटे की ड्यूटी देते हैं और छुट्टियों के दिन आपस में एक दूसरे की दोहरी ड्यूटी करते रहते हैं और छुट्टी भी मनाते रहते हैं। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१२--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन कर्मचारियों को उन छुट्टियों के दौरान में काम करने की कोई स्पेशल तनख्वाह दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*१३--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वार्डर वर्क्स डिवीजन डी० डी० हट में पिछले दिनांक १ जनवरी, १९६२ के बाद कितने फोर्थ ग्रेड इम्प्लाइज नये नौकरी पर लगाये गये और कितनों को अलग किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

रायबरेली जिले में हरिजनों को सहायता

*१४--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ से लेकर१९६५ जनवरी तक जिला रायबरेली के अन्तर्गत हरिजनों के लिये मकान व उद्योग के लिये कितना रुपया सरकार ने निर्धारित किया था ? उसमें से कितना रुपया हरिजनों को दिया गया तथा कितना रुपया बच रहा है ? उस बचत का क्या कारण है ? क्या यह सच है कि हरिजनों के अतिरिक्त और लोगों को भी यह रुपया दिया गया है ? यदि हां, तो देने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

जिला राय बरेली में हरिजनों के लिये सरकार ने सन् १९६४ से लेकर १९६५जनवरी तक १८,००० रुपया तथा १५,००० रुपया क्रमशः निर्धारित किया था। उसमें से क्रमशः ६,४७९ रुपया तथा ५,१५० रुपया हरिजनों को दिया गया तथा क्रमशः ११,५२१ रुपया और ९,८५० रुपया बच रहा। बचत का कारण गृह निर्माण की सामग्री का अभाव, निर्माण कार्य में अधिक समय लगना, गृहीताओं द्वारा समय से ह्वाउचर न देना तथा ब्लाक स्तर पर क्षेत्र समिति

द्वारा अनुदान हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय में विलम्ब आदि है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक सहकारी समिति के गठन तथा निबन्धन आदि में अधिक समय का लगना है ।

हरिजनों के अतिरिक्त और लोगों को अनुदान नहीं दिया गया, प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री रतीपाल---

क्या माननीय मंत्री जो मेरी सूचना को सही मानकर कि विकास क्षेत्र राही के श्री राम भरोसे हरिजन को रुपया स्वीकृत किया गया,, उन्होंने अपना घर गिरवा लिया, लेकिन जब १० प्रतिशत उन्होंने बी० डी० ओ० को नहीं दिया, तो बी० डी० ओ० ने उसका रुपया कैंसिल कर दिया ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिन आवेदकों को रुपया दिया जाता है, या जिनको नहीं दिया जाता, उनकी सूची ब्लाक में रहती है । अगर माननीय सदस्य मुझे उनका नाम वगैरह लिख करके देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

इसमें लिखा हुआ है कि मकान के साधनों का अभाव था, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन किन साधनों का अभाव था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

गृह निर्माण में सीमेंट को सबसे अधिक आवश्यकता होती है । सदस्यों को यह विदित ही है कि सीमेंट का कितना अभाव है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

हरिजनों को जो अनुदान मिलता है वह इसलिये अधिकतर खर्च नहीं होता कि उसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि बांटने वाला प्रतिशत लेता है । क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हरिजनों को मिलने वाला अनुदान या लोन का रुपया पूरा-पूरा मिल जाया करे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसके लिये ही हमने मूल्यांकन समिति का गठन किया है । इसी कार्य के लिये ही वह दौरा कर रही है और शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करने पर विचार किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन हरिजनों को यह अनुदान मंजूर होता है, उनसे वहां के ब्लाक प्रमुख द्वारा यह बांड भरवाया जाता है, और वादा कराया जाता है कि वे मकान बनवाने के बाद तीन चार साल तक उनके यहां हलवाही करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसी प्रकार की शिकायतों के आधार पर उस समिति का गठन किया गया था ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजनों को दिये जाने वाले रुपये के बारे में समय पर निर्णय न होने के कारण भी बहुत सा रुपया लैप्स हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समय पर इसका फैसला हो जाय और रुपये का सदुपयोग हो ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जितना रुपया गृह निर्माण के लिये हरिजनों को दिया जाता है, उससे गृह निर्माण नहीं हो सकता ? तो क्या माननीय मंत्री जी उनको पैसा देने के बजाय पी० डब्लू० डी० द्वारा उनके गृहों का निर्माण करायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह तो नीति परिवर्तन का प्रश्न है । इस समय यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आज के ४–५ साल पहले यह व्यवस्था थी कि जिले के पैमाने पर हरिजन कल्याण समिति हरिजनों को पैसा देती थी, लेकिन इधर परिवर्तन करके ब्लाकों द्वारा यह रुपया दिया जा रहा है । तो क्या इसी कारण से यह रुपया खर्च नहीं हो पा रहा है ? माननीय मंत्री जी क्या अपनी इस नीति में पुनः परिवर्तन करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यही प्रश्न तो सरकार के विचाराधीन है, इस पर बहुत शीघ्र ही निर्णय हो जायगा ।

हमीरपुर जिले में होमगार्ड्स अधिकारियों की मुअत्तली

*१५—श्री डूंगरसिंह तथा श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—

क्या यह सत्य है कि हमीरपुर जिले में होम गार्ड्स के कमान्डेन्ट एडजूटेंट तथा क्वार्टर मास्टर मुअत्तल कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

हमीरपुर जिले में होम गार्ड के बटालियन कमान्डेन्ट, बटालियन सेकिन्ड-इन-कमान्ड तथा बटालियन एडजूटेंट निलम्बित कर दिये गये हैं । इस जिले में क्वार्टर मास्टर की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है । अतः उनके निलम्बित होने का प्रश्न नहीं उठता । यह निलम्बन (Suspension) महालेखाकार की आडिट पार्टी के निरीक्षण में उल्लिखित प्रशिक्षण शिविर के लेखे जोखों में गोल माल के फलस्वरूप किये गये हैं । इस सम्बन्ध में अग्रिम जांच जारी है ।

पटहेरवा थाने में श्री शिवधारी का गलत चालान

*१६—श्री कृष्ण (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि ग्राम सुल्तानपुर थाना पटहेरवा, जिला देवरिया के श्री काशी राय के यहां नवम्बर सन् १९६३ में हुई डकैती तथा कत्ल के सिलसिले में किसी ऐसे मुलजिम का चालान तथा कार्यवाही की शिनाख्त हुई जो कि घटना के पहले से जेल में था तथा घटना के बाद छूटा ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा इस सम्बन्ध में ए० डी० एम० (जे०) देवरिया के फैसले की प्रतिलिपि जिसमें मुलजिम बरी किया गया सदन की मेज पर रखाने का कष्ट करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां । अभियुक्त का चालान करने वाले सब-इन्स्पेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी । ए० डी० एम० (जे०) देवरिया के फैसल की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ९८३–९८५ पर ।)

श्री कृष्णा--

इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पढ़ने में असुविधा रही है, इसलिये स्पष्टीकरण मांगा गया है । लेकिन क्या माननीय मंत्री जो इस बात को देखते हुये कि ८-९ आदमियों को बेकसूर जेल में रखा गया और परेशान किया गया तथा उस पर सरकारी व्यय भी हुआ और जिस व्यक्ति पर डकैती और कत्ल का इलजाम लगाया गया था, वह उस समय जेल में था, तो गलत गिरफतारी करने वाले दरोगा को सरकार उस व्यक्ति के बदले में जेल भेजवाने की कृपा करेगी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

जो व्यक्ति जेल में रहा, उसको, जब जेल भेजा गया या जो अनुसंधान हो रहा था, यह बताना चाहिये था कि मैं डकैती में नहीं था, मैं वहां मौजूद नहीं था, (व्यवधान) । उस वक्त उसने नहीं बताया और जब वह शिनाख्त के लिये आया, तब भी उसने नहीं बताया, मुकदमा चलने पर उसने बताया । चूंकि उस डकैती में एक मौत भी हुई थी और किसी का नाम नहीं था, अनुसंधान में जिनके बारे में दरोगा को मालूम हुआ उन्हें पकड़ कर जेल भेज दिया और उसकी शिनाख्त कराई ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

इस जजमेंट में लिखा है कि--

The most striking feature of this case is that among the accused is included Shivdhari who was undoubtedly confined in the district Jail at the time the dacoity was committed. This was revealed when his bail application was moved and it was being considered on November 12, 1964, by Judicial Officer, Salimpur. From the jail records Shivdhari was found to have been admitted in district jail on October 25, 1963, and was transferred to Kasia lock up on December 23, 1963. The dacoity in which he is alleged to have participated was committed on the night intervening 15/16 November, 1963, and at that time he was confined in the jail.

यह फैसला २८-११-६४ का है । ५ महीने हो गये, तो अभी तक उसे मुअत्तल करके आगे कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? ऐ० डी० एम० (जे०) का फैसला यह है ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

बावजूद इन सब बातों के भी उस अदालत ने यह ठीक नहीं समझा कि उस दरोगा के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास करे । जजमेंट में एक शब्द भी दरोगा के खिलाफ नहीं लिखा गया । मुलजिम का भी फर्ज था कि वह अनुसंधान में अपने जेल में होन की बात बताता । मुअत्तल करने से पहले पुलिस रेगूलेशन के अनुसार उससे जवाब मांगना जरूरी है और वह मांगा गया है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह उस थाने के अन्तर्गत रहने वाला आदमी नहीं था । किसी दूसरे थाने का था । सस्पैंशन उसी केस में किया जाता है जिसमें प्राइमा फैसी सबूत ऐसा हो कि डिसमिस होने की सम्भावना है । इसलिये ससपैंड नहीं किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

इस केस की गम्भीरता को देखते हुये जिसमें उसे फांसी भी हो सकती थी, अब तक सरकार ने क्यों नहीं कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसकी कार्यवाही यहां तो आती नहीं है । लोअर स्टेज पर ही एस० पी० कार्यवाही करते हैं । उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जब मुलजिम जेल में था और उसके पास कोई इत्तला नहीं गई कि तुम ३९६ डकैती में नामजद हो, तो वह कैसे दरख्वास्त देता ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जब वह पकड़ा गया तो जेल से बाहर था। (शोर)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय हरगोविन्दसिंह जी अपनी गलत बयानी से सदन का वातावरण खराब कर रहे हैं । आप मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलावें ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

और मुलजिमान ने उसका नाम बताया था कि यह हमारे साथ डकैती में था और ब्लाइंड डकैती थी, इसलिये दरोगा भी मजबूर था कि उसे पकड़ कर भेजे । पकड़ते समय उसने कुछ नहीं बताया कि उस समय मैं जेल में था ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं गृह मत्री जी के साथ इस फाइल को देखूंगी और जो जरूरी कार्यवाही होगी, की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

ऐसी अनेक घटनायें हैं और पुलिस का मन बढ़ रहा है । रघुवीर राम जी का, महिलाओं का और लड़कियों के मामले आपके सामने आये ।

श्री उग्रसेन---

मैं व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये उचित होगा कि जब वह इस पर जांच करें तो हमारी बात भी सुन लें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आज तो जो उस मामले का कानूनी या फैक्चुअल आस्पैक्ट है वह बतलाने की कोशिश कर रहे थे हरगोविन्दसिंह जी। मैंने कहा कि मैं फाइल मंगा कर सारी डिटेल में उनके साथ बैठकर देखूंगी । किसी आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिये और उसे पकड़ा जाय तो बड़ी बात है । उसे जरूर देखा जायगा ।

श्री केशरीप्रसाद पान्डेय---

अध्यक्ष महोदय , यह बड़े दुख की बात है कि.....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं । इस तरह से बीच में बोलना अनुचित है ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित हो गया कि जिस डकैती में इस व्यक्ति को रखा गया उस दिन वह जेल में था और यह भी स्पष्ट हो गया कि उस दरोगा ने जो जांच और तहकीकात की वह गलत की, वह उसके गांव में भी गया होगा, उसके संबंध में जांच भी

की होगी और फिर भी यह ऐसी भयंकर भूल हुई है कि जिस वक्त आदमी जेल में था उस पर दूसरी डकैती का अभियोग लगा दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिये और यह तथ्य इतने काफी है कि उसको फौरन ससपेण्ड किया जाना चाहिये था ताकि लोगों में शासन के प्रति विश्वास पैदा हो कि अगर किसी दरोगा ने जांच में ऐसी गलती की है तो उसको बगैर सजा के नहीं छोड़ा जा सकता।

डकैती क्षेत्र, ललितपुर, में चौकी और थाने

*१७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर डकैती क्षेत्र ललितपुर सब डिवीजन (जिला झांसी) में किन-किन स्थानों पर थाने खोले जा रहे हैं और कब तक ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस क्षेत्र में कोई नया थाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

*१८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तहसील ललितपुर में ग्राम पूरा-कला में जहां पर रिपोर्टिंग चौकी है तथा ग्राम पाली में जहां चौकी है जो दोनों क्षेत्र मध्य प्रदेश सीमा से लगे हैं, वहां के निवासी कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि इन चौकियों को थाना बना दिया जाय, इन चौकियों को थाना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन चौकियों को थाना बनाने का कोई विचार नहीं है।

कानपुर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता की भूख हड़ताल

*१९—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर) तथा श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ जिला कानपुर के किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता ने वर्ष १९६४ में विधान भवन के समक्ष भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो वह भूख हड़ताल क्योंकर समाप्त हुई थी और वह अब भी हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यकर्त्ता के रूप में विभाग द्वारा नियुक्त है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां।

साथी कार्यकर्त्ताओं के कहने से समाप्त कर दिया गया।

जी हां।

*२०—श्री ज्वालाप्रसाद तथा श्री हमीद खां—

क्या उस कार्यकर्त्ता को काश्त उद्योग के लिये विभाग की ओर से हरिजन अनुदान भी दिया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस अनुदान का कहां तक सही उपयोग हो रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उस कार्यकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप से कोई अनुदान कभी भी नहीं दिया गया।

श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनके अधीनस्थ वैभागिक कार्यकर्त्ता के लिये इस तरह भूख हड़ताल करना अवैधानिक कार्य है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उसने सहकारी खेती के लिये, भूमि प्राप्त करने के हेतु भूख हड़ताल की थी लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि इस प्रकार का कार्य करना अवैधानिक है तो उसने इसके लिये लिखित रूप से खेद प्रकट किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद—

अवैधानिक कार्य मानते हुए ही क्या मंत्री जी इस पर बिचार करेंगे कि इस प्रकार के अवैधानिक कार्य करने पर किसी को सामाजिक कार्य सुपुर्द न किया जाय?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उसके बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का विचार किया गया था।

गोंडा जिले के होम गार्ड्स में बटालियन कमाण्डेंट की नियुक्तियां

*२१—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोन्डा जिले में होम गार्ड कमान्डेन्ट के पद पर १९६३ में कौन-कौन से लोग नियुक्त किये गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६३ में सर्वश्री बाबूराम तिवारी, अवध नारायण सिंह तथा दीवान सिंह, बटालियन कमान्डेन्ट होम गार्ड्स के पद पर नियुक्त किये गये।

*२२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं और अब उनमें से कुछ लोगों को फिर से नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से उन्हें सेवा से मुक्त किया गया था और किस आधार पर पुनः नियुक्त किया गया और जिनको पुनः नियुक्त किया गया है उनके नाम तथा उनके योग्यतायें क्या हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अप्रैल, १९६४, में सर्वश्री बाबूराम तिवारी तथा अवधनारायण सिंह की सेवायें उनके पर्याप्त मात्रा में समय न दे सकने के कारण, समाप्त कर दी गई थीं, पर इनसे अधिक योग्य व्यक्तियों के न मिलने के कारण, जनवरी, १९६५ में इनकी पुनः नियुक्ति उसी पद पर की गई।

सर्वश्री बाबूराम तिवारी बी० ए०, एल० एल० बी० हैं और वकालत करते हैं तथा अवध नारायण सिंह बी० ए० पास तथा पुलिस के भूतपूर्व आरक्षा अधीक्षक हैं।

*२३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सत्य है कि जिन लोगों ने इन्टरब्यू में भाग लिया था उनमें से कई रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक तथा एक्स सर्विस मैन थे मगर उनको प्राथमिकता न देकर अन्य लोगों को सरकार ने नियुक्त किया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

साक्षात्कार में सिवाय श्री अवध नारायन सिंह के कोई भी अवकाश-प्राप्त आरक्षा अधीक्षक नहीं था। सेना के केवल ३ अवकाश प्राप्त अधिकारियों ने भाग लिया परन्तु वे उपयुक्त पद के लिये उपर्युक्त नहीं पाये गये।

झांसी में श्री गंगाधर राव स्मारक तथा राज्य मन्दिर का रखरखाव

*२४—श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महारानी लक्ष्मी बाई के पूज्य पति, राजा गंगाधर राव के स्मारक स्वरूप उनकी जो छत्री झांसी में लक्ष्मी दरवाजे के बाहर स्थित है उसकी दशा बहुत ही जीर्ण हो रही है? यदि हां, तो क्या वह नजूल संपत्ति है और उसका रख-रखाव कब से नहीं किया गया है तथा उसको नष्ट भ्रष्ट होने से बचाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। यह नजूल संपत्ति है और उसका रख-रखाव अभी तक नहीं किया गया है। उसको नष्ट-भ्रष्ट होने से बचाने के लिये २,१४९.५० रु० की धनराशि की व्यवस्था महारानी लक्ष्मी बाई के लक्ष्मी जी के मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी एस्टीमेंट में सम्मिलित है जिसका कुल अनुदान २५,३१६ रु० १९६४–६५ में स्वीकृत किया गया है।

*२५—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में लक्ष्मी दरवाजे के बाहर महारानी लक्ष्मी बाई के लक्ष्मी जी के राज्य मन्दिर की अंग्रेज सरकार द्वारा उपेक्षा किये जाने के परिणामस्वरूप उसकी दशा बहुत ही जीर्ण-क्षीर्ण हो जाने के कारण सरकार ने उसकी सन् १९५६–५७, १९५७–५८ व १९५८–५९ में कुछ मरम्मत कराई थी? यदि हां, तो तीनों वर्षों में कुल कितना रुपया व्यय किया गया था?

डाक्टर सीताराम—

जी हां—सन् १९५६–५७ में ५०० रु०, १९५७–५८ में ५०० रु० तथा १९५८–५९ में १,००० रु०, अर्थात् कुल मिलाकर २,००० रु०, इस मंदिर की मरम्मत में व्यय किया गया।

*२६—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले चार वर्षों में उसकी शेष मरम्मत न कराये जाने का क्या कारण है और वह उसकी शेष मरम्मत कब तक पूरा कराने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—

उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों के विशेष जीर्णोद्धार में लगे रहने के कारण इस मंदिर की मरम्मत नहीं कराई जा सकी। वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में २५,३१६ रु० का अनुदान स्वीकृत कर इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी को दिया गया है और आशा है कि इससे मरम्मत हो सकेगी।

श्री कृष्णचन्द—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस छत्री के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अभी तक उसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की जबकि वहां के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता सरकार का ध्यान उसकी तरफ बार-बार आकृष्ट कराते रहे हैं?

डाक्टर सीताराम—

यह छत्री राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में नहीं है बल्कि यह वहां की नगर-पालिका के संरक्षण में है और वही इसकी देखरेख करती है लेकिन जब इसके विषय में शिकायत आई तो सरकार ने २१४९.५० रुपए की व्यवस्था उसकी मरम्मत के लिये कर दी है जैसा कि उत्तर में बताया गया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जिस स्थान पर यह छत्री स्थित है, में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्थान नजूल लैन्ड पर है अथवा नगरपालिका की लैन्ड पर ? यदि नजूल लैन्ड पर है तो क्यों सरकार इसका रख-रखाव नहीं करती है ?

डाक्टर सीताराम—

यह छत्री पहले नजूल की संपत्ति थी, जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर में बताया लेकिन चूंकि कई साल से यह छत्री नगरपालिका की देखरेख में है इसलिये इसकी सरकार द्वारा देखरेख का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की मरम्मत करने के लिये सरकार ने २,००० रु० स्वीकृत किये हैं। तो क्या सरकार यह देखते हुए कि यह छत्री भी ऐतिहासिक महत्व की है इस ऐतिहासिक छत्री को अपने कब्जे में लेने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जब तक यह स्टेट गवर्नमेन्ट की लिस्ट में नहीं आता, सरकार द्वारा देखरेख का प्रश्न नहीं उठता। प्रदेश में एक स्टेट आर्केलोजिकल बोर्ड है। उसमें कई विश्व-विद्यालयों के इतिहास विभाग के प्रोफेसर और डीन मेम्बर है, जैसे श्री बी० एस० अग्रवाल जो बनारस विश्वविद्यालय के डीन और हिन्दी विभाग के जो प्रोफेसर हैं वे भी उसके मेम्बर हैं। मैं इस प्रश्न को उस कमेटी के समक्ष भेज दूंगा और अगर उनकी राय होगी तो स्टेट लिस्ट में आ जायेगी।

श्री कृष्णचन्द्र—

श्रीमन्, पिछले दिनों में इसी मंदिर की व्यवस्था को देखने के लिये माननीय चतुर्भुज शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी अथवा माननीय चतुर्भुज शर्मा को यह काम सौंपा गया था, तो माननीय चतुर्भुज शर्मा ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये क्या रिपोर्ट दी, कितना तखमीना बताया है कि कम से कम इतना रुपया लगेगा ?

डाक्टर सीताराम—

इसकी इत्तला मुझे नहीं है लेकिन इसको मंगा कर देख लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मंदिर को लेने के लिये भारतीय सरकार विचार कर रही है।

श्री कृष्णचन्द—

जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि उसकी हालत खराब है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश देंगे कि उसकी पूरी जांच की जाय और उसकी मरम्मत का तखमीना बनाया जाय और इस मंदिर से जितनी संबंधित इमारतें हैं उनका भी तखमीना बनाया जाय और उसकी मरम्मत की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ की जाय ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। उसकी मरम्मत के लिये सरकार ने पुरातत्व विभाग के ओवरसियर के द्वारा तखमीना लगवाया है। उनका तखमीना २५,३१६ रु० का है जो कि मरम्मत में व्यय होगा। इसलिये सार्वजनिक विभाग के देने के लिये १९६४-६५ के बजट में प्राविधान कर दिया गया है। इसकी मरम्मत के लिये सार्वजनिक विभाग कार्यवाही कर रहा है।

श्री मैनेजरसिंह—

इस बात को देखते हुए कि महारानी लक्ष्मीबाई राज मन्दिर बहुत ही महत्व का है और आज भी जनता उसके दर्शन के लिये जाती है और उसके रख-रखाव में काफी व्यय की गुंजायश है तो सरकार ऐसा कोई उपाय करेगी कि उस मन्दिर के आस-पास किसी बड़े मेले का आयोजन करे। विजय दशमी के दिन ताकि उस मेले में जनता आये, दर्शन करे और उस मेले से जितनी आय हो उससे उस मन्दिर का रख-रखाव भी हो सके?

डाक्टर सीताराम—

यह सरकार के विचाराधीन बात नहीं है लेकिन जनता अगर वहां मेला लगाना चाहती तो कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट की तरफ से उसको सहयोग भी दिया जायगा।

चमोली जिले को बिजली

*२७—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले के लिये सरकार की ऐसी कौन-कौन सी बिजली देने की बड़ी योजनायें है जिन बड़ी योजनाओं से फैक्टरियों और विभिन्न स्तर के उद्योग धंधे चल सकें?

श्री शांति प्रपन्नशर्मा—

फैक्टरियों तथा विभिन्न स्तर के उद्योग धन्धे चलाने के लिये चमोली जिले में कोई बिजली देने की बड़ी योजना नहीं है। चमोली जिले में अनेक छोटी-छोटी बिजली देने की योजनाओं पर कार्य हो रहा है जिनसे मध्यम और कुटीर उद्योगों, तथा प्रकाश और पंखों के लिये बिजली दी जा सकेगी।

*२८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार चमोली डैम योजना के संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि उस पर कार्य चालू है कि नहीं और इस योजना पर अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है कि नहीं और कब तक इसके अन्तिम रूप से स्वीकृत होने की संभावना है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

"चमोली डाम योजना" नाम की कोई योजना नहीं है, अतः इस योजना पर अंतिम स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

इस बात को देखते हुए कि चमोली जिले में नाम मात्र को भी उद्योग धंधे नहीं हैं और वहां पर अनेक नदी, नाले और झरने बेकार पड़े हैं, सरकार कोई बड़ी योजना बिजली के संबंध में वहां चालू करने पर विचार करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बड़ी योजना तो अभी चमोली जिले में नहीं है, और न अभी कोई बड़ी योजना वहां के लिये सरकार के विचाराधीन है।

चमोली जिले में खनिज पदार्थों की खोज

*२९—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले में किन-किन खनिज पदार्थों की प्राप्ति की संभावनाएं हैं और क्या-क्या उपलब्धियां चमोली जिले में खनिज अन्वेषण करने वाले भूगर्भ इंजिनियरों को हुई हैं और इस विषय में संबंधित रिपोर्ट सरकार कब तक प्रकाशित करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक जिला चमोली में केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ है जिसके अनुसार ऐसबेस्ट्स मैग्नेसाइट, खड़ी चूना, एवं ताम्बे के भन्डार यत्र-तत्र मिलने की संभावना है। आशा की जाती है कि एतत्संबंधी रिपोर्ट १९ सितम्बर, १९६५, तक प्रकाशित की जायगी।

यू० पी० कोआपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ के सीजनल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*३०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ से संबंधित, सीजनल कर्मचारियों को जो ३८ रु० माहवारी महंगाई भत्ता देने के संबंध में १२ मई, १९६४, को आदेश हुआ था यह महंगाई कर्मचारियों को दी जा रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। यू० पी० कोआपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ के १२ मई, ६४, के आदेश का संबंध स्थायी कर्मचारियों से था न कि सीजनल कर्मचारियों से। अतः उत्तर प्रदेश गन्ना संघ से संबंधित सीजनल कर्मचारियों को ३८ रु० माहवारी महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि ये जो सीजनल कर्मचारी हैं, उनको वेतन तथा महंगाई भत्ता बहुत कम मिलता है और ३८ रुपया महंगाई भत्ता माननीय मंत्री उनको नहीं देंगे तो इस महंगाई को देखते हुए क्या कुछ और महंगाई भत्ता उनके लिये बढ़ाने की माननीय मंत्री कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

१ जनवरी, ६५, से उनकी मांग को तथा महंगाई को देखते हुए २० रुपये से बढ़ा कर २५ रुपया महंगाई कर दी गयी है।

कानपुर में औद्योगिक आस्थानों को कच्चा माल

*३१—सर्वश्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर), श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री उन पार्टियों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेंगी जिन्हें सन् १९६० में औद्योगिक आस्थान कानपुर से ६० × ४० मु० फुट के ३६ कारखानों को किस-किस उद्योग

धंधों के लगाये जाने हेतु किश्तों पर दिये थे ? और उनमें कितनों ने अब तक लैण्ड लीज डीड और हायर पर्चेज एग्रीमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तथा प्रत्येक ने भिन्न-भिन्न तारीखों में अब तक किश्तों का कितना रुपया अदा कर दिया है ?

*३२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कारखानों के मालिकों को सन् १९६० से अब तक कितना-कितना किस प्रकार का कच्चा माल दिया गया और किस-किस को किन चीजों के कितने रुपये के इंपोर्ट लाइसेंस के एसेन्शियल सार्टीफिकेट दिये गये ?

*३३—क्या सरकार उन पार्टियों के नाम बताने की कृपा करेगी कि जिन्हें निदेशक उद्योग विभाग, कानपुर ने कारखानों का रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर कच्चा माल दिये जाने में विलम्ब किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३४-३५—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[उत्तर दिया जा चुका है ।]

अमरोहा केन सोसाइटी में कांटा जांच

*३६—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमरोहा केन सोसाइटी में कितने आदमियों को कांटा चेकिंग अथारिटी लेटर दिया गया है और उनके नाम क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्तमान सीजन में गन्ना आयुक्त द्वारा अमरोहा केन सोसाइटी के २९ व्यक्तियों को कोटा जांच करने का अधिकार दिया गया है जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये हुए हैं ।

(देखिए नत्थी ग आगे पृष्ठ ९८६ पर)

*३७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री प्रदेश के समस्त विधायकगण को भी यह अधिकार देंगे कि वे गन्ना तौलने वाले कांटों का चेकिंग कर सकें ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गन्ना आयुक्त ऐसे व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के ऐसे प्रतिनिधि भी हैं, जिन्हें यह उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के नियम २९ के अधीन नियुक्त करते हैं । विधायकगण को इस संबंध में पृथक रूप से अधिकार दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*३८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या अमरोहा सोसाइटी के संबंध में किसानों की यह शिकायत प्राप्त हुई है कि वहां किसानों का गन्ना अधिक तौला जाता है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर अधिक तोला जाता है तो किसान को कोई शिकायत नहीं हो सकती ।

प्रान्तीय रक्षक दल

*३९—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ की पी० आर० डी० का पुलिस विंग, जून, १९६३, में बाकायदा पुलिस में मर्ज कर दिया गया था और वे सब अब सशस्त्र पुलिस की ड्यूटी दे रहे हैं ?

*४०—क्या यह सही है कि उपरोक्त पी० आर० डी० के आधे लोग अब भी पुलिस कांस्टेबिल का वेतन नहीं पा रहे हैं जबकि बाकायदा पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं ? यदि नहीं, किन कारणों से ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

औद्योगिक आस्थान

*४१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग निगम द्वारा पूर्वी क्षेत्रों में तीसरी योजना के अन्तर्गत जो ६१ औद्योगिक आस्थानों में ३४ औद्योगिक आस्थान स्थापित हो चुके हैं, वे कहां-कहां स्थापित हुए हैं और शेष आस्थान कहां स्थापित किए जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में किसी जगह तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत औद्योगिक आस्थान बनाने के लिए योजना नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ५१ औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जायेंगे जिनमें से ३४ स्थापित किये हुए तथा शेष स्थापित किये जाने वाले १७ औद्योगिक आस्थानों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८७ पर)

*४२—श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी राज्य के सबसे अधिक घनी आबादी के क्षेत्र, वाराणसी तहसील की गिरी हुई आर्थिक स्थिति का ध्यान रख कर इस तहसील में भी कम से कम एक औद्योगिक आस्थान यदि पूर्व योजना न हो, स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वाराणसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत काशी विद्यापीठ में स्थापित किये हुए औद्योगिक आस्थान में उत्पादन हो रहा है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एक वृहद औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया जा रहा है । उपयोक्त योजनान्तर्गत कम से कम १ औद्योगिक आस्थान की प्रत्येक जिले में स्थापित किये जाने की योजना है । हर तहसील में औद्योगिक आस्थान की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

*४३—श्री लखपतराम शर्मा—

[उत्तर दिया जा चुका है ।]

चौकीदारों का वेतन

*४४—श्री लखतपराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश व बुन्देलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के चौकीदारों की मासिक तनख्वाह कितनी दी जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि खरकपट्टी जो सदर

बाजार झांसी के समीप है वहां के चौकीदारों को ५ रु० महीना वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रदेश के सभी गांव चौकीदारों को ५ रु० मासिक वेतन दिया जाता है। अतः खरकपट्टी के गांव चौकीदारों को भी ५ रु० मासिक वेतन ठीक ही दिया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणराम शर्मा—

क्या इस महंगाई को देखते हुए सरकार विचार कर रही है कि चौकी दारों को जो ५ रु० वेतन मिलता है उसमें बढ़ोत्तरी की जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, यह तो विचाराधीन नहीं है।

कानपुर क्षेत्र में पुलिस विभाग से निकाले गये हरिजन कर्मचारी

*४५—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर पुलिस रैंज में पिछले पांच वर्षों में कितने पुलिस अधिकारी व कर्मचारी बरखास्त किये गये और इनमें से कितने व कौन-कौन हरिजन वर्ग के व्यक्ति हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस अवधि में कुल १४३ पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी बरखास्त किये गये। इनमें ६ हरिजन वर्ग के हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) कांस्टेबिल तुलसी राम,
(२) कांस्टेबिल बल्लू प्रसाद,
(३) कांस्टेबिल जगन्नाथ प्रसाद,
(४) कांस्टेबिल मुरारी लाल
(५) कांस्टेबिल बाबूलाल, और
(६) कांस्टेबिल बंशी लाल।

*४६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या झांसी के सर्किल इंसपेक्टर ने अपनी दिनांक ३० जनवरी, १९६४ की अनियमित बर्खास्तगी के विरुद्ध आई० जी, पुलिस, उत्तर प्रदेश, के यहां अपील की है ? यदि हां, तो अपील के निर्णय की अवधि क्या है और कब व क्या निर्णय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

झांसी के सर्किल इंसपेक्टर ने अपनी ३० जनवरी, १९६४, की बर्खास्तगी के विरुद्ध पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, को अपील की। अपील के निर्णय की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। अपील पर २ मार्च, १९६५ को निर्णय दिया जा चुका है जिसके फलस्वरूप उक्त सर्किल इंसपेक्टर को अपने पूर्व स्थान पर पुनः नियुक्त कर दिया गया है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६०–६२ में ३१७ हरिजन सब-इंस्पेक्टर निकाले गये थे और उनके साथ ही कानपुर रेंज के सर्वश्री किशनसिंह, मोतीराम, करणसिंह और मिट्ठनलाल आदि हरिजन सब-इंसपेक्टर्स निकाले गये थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो सूची

दी है उसमें केवल ४-५ कांस्टेबिलों को निकाला जाना बताया गया है तो इसमें सब-इंस-पेक्टरों के नाम न देने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह कानपुर रेंज का प्रश्न है। हमारे पास सूचना केवल हरिजनों के निकालने की है जो मैंने अभी पढ़ी है। माननीय सदस्य जो नाम पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि वे किस रेंज के हैं और इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि सब-इंसपेक्टरों को नियुक्त और बर्खास्त करने का अधिकार केवल आई० जी० पुलिस को है किंतु चन्द्रपाल सिंह जी को डी० आई० जी० ने निकाला और उसकी अपील आई०जी० के यहां आई ? क्या उन्हें अपील सुनने का अधिकार था जबकि उन्होंने डी० आई० जी० को अधिकार दे दिये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न दुबारा कर लें।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि सर्किल इंसपेक्टर चन्द्रपालसिंह को आई० जी० ने बहाल किया है किन्तु डी० आई० जी० द्वारा शो काज नोटिस न देने के कारण उनके विरुद्ध पुनः दफा ७ की कार्यवाही का आदेश आई० जी० ने दिया है ? यदि हां, तो शो काज नोटिस न देने की गलती करने वाले डी० आई० जी० कानपुर के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आप इतना लम्बा सवाल कर देते हैं कि जो समझ में नहीं आता है।

श्री हरगोविन्वद सिंह—

श्रीमन्, अब भी मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

तो, माननीय रघुवीरसहाय जी आप हमें लिखकर दे दीजिए; आपको जवाब दे दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

इससे पहले भी हमारे प्रश्नों के बारे में यही होता रहा, इसी प्रकार से टाला जाता रहा। इसका जवाब होना चाहिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पहले भी खारिज किये जा चुके हैं और अब कहते हैं "मेरी समझ में नहीं आता"। आपकी दया होगी तो पुनः मंजूर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

लिखकर दे दीजिए, हो जायगा।

नोट—तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[आठवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

बुन्देलखण्ड का औद्योगीकरण

*४८—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पूर्वी इलाके के लिए पटेल कमीशन की नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखंड की निर्धनता निवारणार्थ कोई इस प्रकार के प्रादेशिक कमीशन की नियुक्ति वह करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विचारार्थ विषय के अनुसार पटेल कमेटी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के केवल ४ जिलों की जांच करके तीव्र विकास के सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था । आशा यह थी कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के अन्य पिछड़े इलाकों के विकास की योजनायें बनाने में सहायता मिलेगी । बुन्देलखन्ड भी एक पिछड़ा इलाका है और यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई कमीशन नियुक्त किया जाय ।

*४९—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बुन्देलखंड के चार जिलों में यह पता करने को कि कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां चल सकते हैं और इसके लिए भी कोई प्राविधिक कमीशन की नियुक्ति पर वह विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बुन्देलखंड के चार जिलों में औद्योगीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई प्राविधिक कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री आर० एन० मेहरा को अमरीका भेजना

५०—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आर० एन० मेहरा, ज्वाइंट रिमेम्बरेंसर, को अमेरीका किस लिए भेजा गया था और वे इस समय क्या कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री आर० एन० मेहरा को, जो उस समय उप-विधि परामर्शी (Deputy Legal Remembrancer) के पद पर कार्य कर रहे थे, स्टैन्फोर्ड ला फेलोशिप के अन्तर्गत स्टेन्फोर्ड विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया अमेरीका, संवैधानिक विधि (Constitutional Law) तथा आलेखन (Drafting) के अध्ययन के लिए भेजा गया था और वे इस समय जिला तथा सेशंस जज, मुरादाबाद के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

कानपुर में श्री जगदेवसिंह की गिरफ्तारी

*५१—श्री ऊदल तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ११ फरवरी, १९६५, को कानपुर के कम्युनिस्ट नेता श्री जगदेव सिंह को किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री जगदेव सिंह को डिफेंस आफ इंडिया रुल्स, १९६२, के नियम ३० के उपनियम (१) के खंड (बी) के अन्तर्गत १२ फरवरी, १९६५, को गिरफ्तार किया गया।

पलिया, जिला खीरी, में सहकारी चीनी मिल

*५२—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा बंकटासिंह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बतायेगी कि उसके पास गन्ना उत्पादकगण पलिया का प्रार्थना-पत्र एवं गन्ना विकास संघ, गोला की वार्षिक साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पलिया, जिला खीरी में एक सहकारी चीनी मिल खोले जाने के संबंध में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक हुयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। पलिया क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल लगाने की मांग सरकार के अब भी विचाराधीन है।

गोला चीनी मिल को गन्ना सप्लाई

*५३—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सीजन में हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला, जिला खीरी, के पास कुल कितना गन्ना है, उसकी दैनिक पिराई-क्षमता के अनुसार वह अब तक कितना गन्ना पेर सकी है और कितना गन्ना शेष है और उसको वह पूरे निर्धारित सीजन में पेर सकेगी या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्तमान सीजन में निर्दिष्ट चीनी मिल के पास लगभग २४० लाख मन गन्ना पूर्ति के हेतु आंका गया था जिसमें से १० मार्च, १९६५, तक मिल द्वारा लगभग १ लाख मन दैनिक पेराई के औसत के आधार पर १३० लाख मन पेरा जा चुका है और शेष ११० लाख मन गन्ना निर्धारित सीजन में पेरे जाने की आशा की जाती है।

*५४—श्री छेदा लाल चौधरी तथा श्री बंकटासिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सीजन में अब तक मैलानी, भीरा, पलिया, जिला खीरी,गन्ना बिक्री केन्द्र से कुल कितना गन्ना हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला, द्वारा लिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेलानी क्रय केन्द्र का गन्ना इस सीजन में गोला मिल को सप्लाई नहीं किया जा रहा है। भीरा और पलिया गन्ना क्रय केन्द्रों से गोला चीनी मिल को क्रमशः १६ व ४० लाख मन गन्ना १० मार्च, १९६५ तक, सप्लाई किया गया है।

सेल्स मैन की छटनी

*५५—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को मालूम है कि उद्योग निदेशक ने हाल में कुछ सेल्स मैन, जिन्होंने विभाग में १५ साल से अधिक की सेवा कर ली थी, छटनी करके निकाल दिये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उद्योग निदेशक ने किसी ऐसे सेल्समैन को छटनी करके नहीं निकाला है जिसने १५ साल से अधिक सेवा की हो।

*५६—श्री घनश्यामदास—

ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनको कोई अन्य काम क्यों नहीं दिया जा सका ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं ।

जिला बुलन्दशहर में पुलिस

*५७—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने और कहां-कहां पुलिस स्टेशन एवं पुलिस चौकियां ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर बिजली प्राप्त है किन्तु उन स्थानों और चौकियों में बिजली नहीं है ? इसका क्या कारण है और ऐसे थानों और चौकियों को कब तक बिजली दी जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५८—श्री मुहम्मद रफी खां, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में यातायात पुलिस रखने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई जबकि जन संख्या के बढ़ जाने के कारण ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ? यातायात पुलिस को कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर ने यातायात नियंत्रण के लिये वहां की आवश्यकतानुसार १ हैड कांस्टेबिल तथा १० कांस्टेबिल लगा रखे हैं ।

फायर सर्विस

*५९—श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को फायर सर्विस के लिये काफी मात्रा में फायर इंजन दिये हैं ? यदि हां, तो कितने और इनको किन-किन जिलों में रक्खा जायेगा तथा इनको चलाने तथा देख-रेख करने हेतु कितने कारखाने तथा कितने कर्मचारियों को अब तक नौकरी में रखा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेशीय सरकार ने फायर सर्विस के लिये केन्द्रीय सरकार ने २६ फायर इंजन दिये हैं । इनको कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी में रखा गया है । इसके अतिरिक्त तीन फायर इंजन मथुरा के लिये दिये गये जिनको नगरपालिका मथुरा को सौंप दिया गया । उपरोक्त २६ फायर इंजनों की देखरेख व चलाने के लिये अब तक निम्नलिखित कर्मचारियों को नौकरी में रक्खा गया :

(१)	फायर स्टेशन आफिसर	..	२
(२)	फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर	..	१२
(३)	ड्राइवर	..	१२
(४)	लीडिंग फायरमैन	..	१२
(५)	फायरमैन	..	६७

कारखाना कोई नहीं खोला गया ।

हेड कान्स्टेबिल, रामदत्त पाठक के परिवार को सहायता

*६०—श्री सालिग्राम जैसवाल, तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार प्रश्न संख्या ५६, दिनांक ११ फरवरी, १९६५ के उत्तर के संदर्भ में बतायेगी कि ड्यूटी देते हुये मारे गये हैड कांस्टेबिल रामदत्त पाठक के परिवार वालों को कोई सहायता दी गई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मृतक रामदास पाठक के परिवार को ७५० रु० की तात्कालिक सहायता पुलिस वैनीफिट फंड से दी गई। अन्य आर्थिक सहायता दिये जाने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पटेल समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत उद्योग योजना

*६१—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी योजना में पटेल आयोग की सिफारिश के अनुसार कौन-कौन उद्योग गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर तथा देवरिया में अलग-अलग जिलेवार खोलने की बात है तथा कितने-कितने लागत के ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर तथा देवरिया जिलों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में शासन द्वारा कोई उद्योग खोलने की बात नहीं है। लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन देने हेतु उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर जो योजनायें स्वीकृत की गई हैं उनको योजनागत व्यय के अतिरिक्त धनराशियां संलग्न सूची में दिखाई गई हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना तो अभी बन रही है, अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उस योजना में इन जिलों के लिये कितना परिव्यय किया जा सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९८८ पर)

जिले के विभागों से अंग्रेजी में पत्र

*६२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि २६ जनवरी, १९६५ से सभी विभागों में हिन्दी में कार्य करने की घोषणा सरकार की तरफ से हो जाने के बावजूद भी जिले के विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के यहां से अब भी पत्र आदि अंग्रेजी में आते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिले के विभागों से, वित्तीय, कानूनी, टैक्निकल आदि कुछ मामल को छोड़ कर शेष भी पत्र अब साधारणतः हिन्दी में ही आने लगे हैं।

सतर्कता आयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मन्त्री के सुझाव

*६३—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री नन्दा ने उत्तर प्रदेश के सतर्कता अधिष्ठान के गठन पर कोई आपत्ति की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केन्द्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन के बारे में कुछ सुझाव भेजे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। उनका पूरा विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

*६४—श्री सत्यनारायण पंडेय—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के अध्यक्ष श्री मुसद्दीलाल को हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और क्या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री मुसद्दी लाल का सतर्कता आयोग अध्यक्ष के पद से सदस्य राजस्व परिषद् के पद पर प्रशासकीय कारणों से स्थानान्तरण किया गया है और इनका स्थान अभी भरा नहीं गया।

गन्ना विकास विभाग में सेवा नियम न होना

*६५—श्री कृष्णा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना व विकास विभाग सेवा नियमावली के अभाव में कार्य करता है? यदि हां, तो विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की जिम्मेदारी किस प्रकार निश्चित की जाती है?

डाक्टर सीताराम—

यह सत्य है कि गन्ना विकास विभाग की सेवा नियमावलियों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथापि आलेख्य सेवा नियमावलियां तैयार हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य होता है। कर्मचारियों के कार्यों की जिम्मेदारी साधारणतया शासन के सामान्य नियमों और शासकीय एवं विभागीय आदेशों के आधार पर निश्चित की जाती है जो समय-समय पर इस विषय में जारी होते रहते हैं।

सचिवालय में चपरासी

*६६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में वर्तमान मुख्य सचिव ने अपने कार्यकाल में कितने चपरासियों को कम किया है और कितने अधिकारियों को बढ़ाया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्तमान मुख्य सचिव के कार्यकाल में चपरासियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। अधिकारियों की संख्या में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है।

आजमगढ़ जिले में निर्माण-कार्य

*६७—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के अतरौलीया, कोपलसा तथा अहरौला ऐसे विकास खंड हैं जहां पटेल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया जा रहा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया, कोपलसा तथा अहरौला विकास खंडों में भी पटेल जांच समिति की संस्तुतियों के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है?

*६८--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने २२, २५ अगस्त, १९६४ को उन क्षेत्रों में यातायात की सुगमता के लिये कुछ पुलियों तथा कुछ सड़कों क निर्माण के लिये मुख्य मंत्री को कुछ सुझाव दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां ।

*६९--श्री बृजबिहारी--

उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये तथा दिनांक १८ फरवरी, १९६५ के प्रश्न संख्या ३१, ३२, ३३ के उत्तर में मंत्री जी द्वारा दिये हुये आश्वासन के अनुसार सरकार उक्त क्षेत्रों में उक्त निर्माण कार्यों को भी कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त निर्माण-कार्य केवल स्थानीय महत्व के हैं और उनके लिये पटेल समिति ने संस्तुति नहीं की है । १८ फरवरी, १९६५ को तारांकित प्रश्न संख्या ३१, ३२, ३३ के उत्तर में यह कहा गया था कि अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा इलाका बतायेंगे जहां पटेल समिति की संस्तुति के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो सरकार देखेगी । अतः माननीय सदस्य के २२ अगस्त, १९६५ के पत्र में उल्लिखित कार्यों को अभी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता ।

पिहानी निवासी श्री मुजतबा अली की बन्दूक की चोरी

*७०--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिहानी थाना, जिला हरदोई में पिहानी (नगरपालिका के अन्दर) और थाने के पास श्री मुजतबा हुसैन उर्फ मुज्जन साहब की तिजोरी तोड़ कर रात को चोरी हुई जिसमें उनकी लाइसेंसी बन्दूक भी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी रकम उसमें गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक १२, १३ नवम्बर १९६४ की रात्रि में श्री मुजतबा अली निवासी मुहल्ला कोर्ट, कस्बा पिहानी के मकान में चोरी हुई जिसमें एक तिजोरी तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन तिजोरी टूटी नहीं और न तिजोरी में से कोई सामान ही चोरी हुआ ? वादी के कथनानुसार उसकी एक इकनाली बन्दूक तथा अन्य ४,००० रु० मूल्य का सामान चोरी हुआ था ।

*७१--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त चोरी में दूसरे दिन ही उनकी बन्दूक उनके मकान के पीछे एक पेड़ के पास टूटी हुई पुलिस ने बरामद की और वह भी मुजतबा हुसैन तथा पुलिस कप्तान से वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मिलकर बताया कि बन्दूक बरामदी के बाद पुलिस खामोश है क्योंकि उसमें एक हवालदार की भी साजिश थी ?

*७२--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह बन्दूक किस तारीख में बरामद हुई और मालखाने में किस तारीख को जमा हुई और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस बन्दूक की बरामदी घटना के दूसरे दिन नहीं हुई बल्कि यह बन्दूक ठीक हालत में दिनांक १० फरवरी, १९६५ को सूचना मिलने पर पुलिस को गलियारा नयी बस्ती में पश्चिम में एक पेड़ के सहारे लगी प्राप्त हुई । इस घटना के सम्बन्ध में श्री मुजतबा अली पुलिस अधीक्षक से नहीं

मिले और न किसी ने हवालदार के विरुद्ध इस चोरी में साजिश का आरोप लगाया और न अन्वेषण से ही ऐसा मालूम हुआ। दिनांक १० फरवरी, १९६५ से ही बन्दूक मालखाने में दाखिल है जिस पर अन्वेषण के बाद अदालत की आज्ञा प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

बहराइच में उद्योग ऋण का वितरण

१—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर बहराइच में उद्योग विभाग द्वारा दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना किस-किस उद्योग के लिये कर्जा दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१—वांछित सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९८९–९९१ पर।)

प्रदेश के प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश के प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में डाक्टर सुरेशचन्द्र सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

"माननीय सदन,

सारे देश में जहां अन्य कुछ बातों में उत्तर प्रदेश मुख्य स्थान रखता है वहां दुर्भाग्य की बात है कि यह प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में दिन पर दिन पिछड़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण शिक्षा के क्षेत्र में दिन पर दिन बढ़ रहा राजनैतिक हस्तक्षेप रहा है। आज सबसे खराब स्थिति प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा की है जिसका संचालन जिला परिषद् क्षेत्र समितियों के लिये बनाये गये नियमों द्वारा होता है। शिक्षकों का अधिक समय शिक्षण कार्य में न लग कर जिला परिषद् अध्यक्षों के राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति में विवशता के रूप में लगता है। उसे राजनैतिक फुटबाल बना रखा है। उसे जो स्वच्छन्द रूप से शिक्षण कार्य करना चाहिये, उतना समय, सम्मान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बिरता जा रहा है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिये राज्य के मंत्रियों को सलाह देने हेतु शिक्षा विभाग की स्थायी समिति ने विगत वर्ष यह प्रस्ताव पास किया था कि शिक्षकों को स्वच्छन्द रूप से कार्य करने एवं राजनैतिक कार्यों से मुक्त करने के लिये जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति के ऐक्ट के अन्तर्गत नियमों में संशोधन कर शिक्षकों की नियुक्ति तथा ट्रांसफर का अधिकार निकाल कर सीधे राज्य सरकार के आधीन कर दिया जाय। इस बात की आज अत्यन्त आवश्यकता है कि प्रदेश में शिक्षा की बुनियाद को दृढ़ करने के लिए प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति एवं ट्रांसफर का अधिकार नियमों में संशोधन कर निकाल लिया जाय और इनका संचालन जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं निदेशक, शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य सरकार स्वयं करे ताकि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।"

श्री अध्यक्ष—

इसे याचिका समिति को निर्दिष्ट किया जाता है।

आश्वासन समिति का दूसरा विशेष प्रतिवेदन

श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली)—

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का दूसरा विशेष प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं—

"कुछ समय पूर्व समिति का एक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि जिन आश्वासनों की पूर्ति से दो विभाग सम्बन्द्ध हो जाते हैं, उनकी पूर्ति में अत्यधिक विलम्ब होता है। इसका ज्वलन्त उदाहरण यह आश्वासन है, जिससे प्रस्तुत प्रतिवेदन सम्बन्धित है।

शारदा सागर बांध के द्वितीय चरण के निर्माण में सिसैया ग्राम के थारू किसानों की भूमि अर्जित की गयी थी। इन किसानों को भूमि के बदले भूमि देने के आदेश २२ दिसम्बर, १९५६ को प्रेषित हो गये थे। जब इन किसानों को भूमि न मिल सकी तो ४ दिसम्बर, १९६२ को श्री हिम्मत सिंह ने एक प्रश्न के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और शासन ने भी प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया कि वन विभाग से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मिल जाने पर उनको दे दी जायगी। यद्यपि आश्वासन माननीय सिंचाई मन्त्री द्वारा दिया गया परन्तु इसकी पूर्ति से वन तथा राजस्व विभाग सम्बन्धित है। यह खेद का विषय है कि योजना से प्रभावित थारू किसानों को दिये जाने के लिए जब सिंचाई विभाग द्वारा भूमि "ट्रैक्टराइज" की जा रही थी, तो वन विभाग से विवाद उत्पन्न हो गया। वन विभाग उस भूमि को अपनी मानता था, जबकि राजस्व विभाग का कथन था कि उक्त भूमि उनकी है। तथ्य यह है कि वह भूमि राजस्व विभाग की है, परन्तु वन विभाग उसका रख रखाव करता है। बाद में वन विभाग ने उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया उसे रिजर्व फारेस्ट का रूप देकर सारा विवाद उत्पन्न कर दिया। समिति द्वारा लगातार हर सम्भव प्रयत्न करने के उपरान्त २५ नवम्बर, १९६४ को उक्त दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों ने मौके का संयुक्त सर्वेक्षण करा लेने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की।

तद्नुसार संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात् यह तय हो गया है कि किस ग्राम में कितनी भूमि प्रभावित थारू किसानों को दी जायगी। इसके लिए जिलाधीश, नैनीताल ने सम्भवतः शासन को लिखा भी है। समिति आशा करती है भूमि को रिलीज करने से सम्बन्धित आदेश शीघ्र ही जारी करके तथा सम्बन्धित किसानों को उसे एलाट कर तथा कब्जा दिला कर आश्वासन की पूर्ति कर दी जायगी और इसमें अब विलम्ब नहीं होगा।

अन्त में मैं इस समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं।"

विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—

एक कुछ भ्रम हो गया है आदरणीय सदस्यों को, उसका मैं निवारण कर दूं। मैंने ९तारीख निश्चित की थी मनोनयन के लिए और चूंकि ९ तारीख की अब छुट्टी हो गयी और उस दिन बैठक नहीं होगी, इसलिए लोगों को भ्रम हो गया है कि मनोनयन की तारीख में भी कोई परिवर्तन हो गया है। किन्तु उस तारीख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ९ तारीख तक मनोनयन होते रहेंगे। यह मनोनयन विभिन्न स्थायी समितियों के लिए हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं उस विषय पर आऊं तब कहियेगा। अभी तो वक्तव्य होगा।

जौनपुर जिले के ग्राम शाहपुर खेता सराय में कुछ व्यापारियों द्वारा हड्डी का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सजिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

श्री प्रेम नारायण कपूर, मैनेजर, इंडिया बोन्स प्रोडक्ट्स खेता सराय, शाहगंज ने दिनांक १८-२-६२ को जिला परिषद् को शाहपुर ग्राम खेता सराय—शाहगंज तहसील में हड्डियों को एकत्रित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा आवश्यक जांच कराए जाने के पश्चात् डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की धारा १७४ (२) (के) के अन्तर्गत बनाए गए तथा विज्ञप्ति संख्या १५२५/४/६ (९)—४९, दिनांक ११ जुलाई, १९६५ द्वारा प्रकाशित किये गये उपनियमों के अधीन उक्त फर्म को एक लाइसेन्स हड्डी गोदाम स्थापित करने के लिए स्वीकार किया गया। जिस जगह पर हड्डियों को एकत्रित करने के लिए लाइसेन्स दिया गया है वहां से विभिन्न स्थानों की दूरी इस प्रकार है :—

	लगभग फीट
कथित शंकर भगवान व हनुमान जी का मन्दिर	६३०
रेलवे स्टेशन तथा मुसाफिरखाना	६७४
रिहायशी मकान	५७५
रेलवे गोदाम	१,०००
पुरानी जिला परिषद् की सड़क	१९२

जिस स्थान को शंकर भगवान व हनुमान जी का मन्दिर कहा जाता है, वह वास्तव में पेड़ के आस-पास बना हुआ एक पुराना चबूतरा है जिस पर मूर्तियां अभी हाल ही में स्थापित की गयी हैं। इस स्थान पर शिवरात्रि को अथवा किसी अन्य पर्व पर कोई मेला नहीं लगता है और न सैकड़ों की संख्या में वहां यात्री ही एकत्र होते हैं। जहां तक पुरानी जिला परिषद् की सड़क का प्रश्न है अब वह नई सड़क बन जाने से चालू नहीं है और चकबन्दी के फलस्वरूप चक रोड में सम्मिलित कर ली गई है।

उपरोक्त उपनियमों के उपनियम २ (१) के अनुसार रिहायशी मकानों और सार्वजनिक सड़कों और रास्तों के ५०० फीट के अन्दर हड्डियों को एकत्रित करने की मनाही है। चूंकि परिषद् की पुरानी सड़क चक रोड में सम्मिलित हो जाने और नई सड़क बन जाने के कारण अब सार्वजनिक सड़क नहीं रही है और हड्डी एकत्रित करने के स्थान से रिहायशी मकानों इत्यादि की दूरी ५०० फीट से अधिक है अतएव उपनियमों के किसी प्राविधान का उल्लंधन जिला परिषद् द्वारा लाइसेन्स देने में नहीं हुआ है और फर्म का दिया गयालाइसेन्स वैध है।

हड्डी का कारखाना खोलने के लिए फर्म के मैनेजर श्री प्रेम नारायण कपूर ने कारखाने का नक्शा जिला परिषद् की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है और उस परिषद् के अभियन्ता द्वारा जांच कराई जा रही है। यह ज्ञात हुआ है कि फर्म ने इमा त सम्बन्धी कुछ कार्य बिना नक्शा स्वीकृत कराए शुरू कर दिया है। इसकी जांच भी की जा रही है। इस जांच के उपरान्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ के अन्तर्गत निर्मित तथा विज्ञप्ति संख्या ५३६/११—१७६-१९३१, दिनांक ७ मार्च, १९३५ द्वारा प्रकाशित उपनियमों के अनुसार, उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह जो आरोप लगाया गया था जिस सम्बन्ध में बयान हुआ उसमें यह था कि वहां एक शंकरजी का देवस्थान है, रहने का मकान है और मुसाफिर-

[श्री बन्धुजीत यादव]

खाना है तथा सड़क है और यह सब से घिरा हुआ है। उस स्थान के आस-पास ४-५ गांव सभाओं ने प्रस्ताव पास कर दिया है और सबने इसका विरोध किया है कि धर्मस्थान के पास यह नहीं बनना चाहिए। जो जवाब दिया गया है उससे स्पष्ट है कि १९२ से लेकर ६०० फीट तक के अन्दर यह सारे स्थान हैं। आपने तो केवल कानूनी प्राविधान का डिफेंस लिया है कि ५०० फीट के अन्दर ही हड्डी का कारखाना नहीं बन सकता और इसलिए मैं माननीय विकास मन्त्री जी से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास वहां के ५-६ गांवों के प्रस्ताव हैं, वहां इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और वहां इस पर बड़ा गहरा असन्तोष है और एतराज है उस क्षेत्र के लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि कानूनी पहलू पर न जा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए और सार्वजनिक महत्व के स्थान को भी देखते हुए सरकार क्या इसकी फिर से जांच कराएगी और खासकर जब कि वहां के लोग आल्टरनेटिव प्लेस भी देने के लिए तैयार हैं तो क्या इन सब बातों को देखते हुए सरकार इस बात पर पुनः विचार करेगी कि वहां हड्डी का कारखाना धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों के निकट न लग सके ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जांच का प्रश्न है हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जो जांच कराई गई उसको मंगाकर आपके सामने रख दिया गया कि यह जिला परिषद् के अख्तियार की बात है और जो उनके नियम बने हुए हैं उनसे उनका सम्बन्ध है। सरकार से वह बात पूछी गई तो सरकार ने जांच करायी और जो बात वहां से आई उसको आपके सामने रख दिया। हमारे यहां हस्तक्षेप का कायदा नहीं है। आप कहते हैं तो उनको दोबारा लिख देंगे कि माननीय सदस्य का ऐसा विचार है और माननीय सदस्य की ऐसी फीलिंग है। इसे वहां से हटाने की कोशिश की जाय।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिए था। इस पर प्रश्न नहीं हो सकते।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय मन्त्री जी जानते होंगे कि एक हड्डी का कारखाना बाबतपुर में बना हुआ है। जिनका यह कारखाना है वह यह नहीं चाहते हैं कि उनके आस-पास कोई दूसरा हड्डी का कारखाना बने। इसलिए वह कुछ लोगों से इस प्रकार का प्रचार करा रहे हैं कि यह कारखाना वहां न बन पाये।

श्री अध्यक्ष—

यह विवाद का प्रश्न नहीं है।

११ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

दिनांक ११ मार्च, १९६५ को श्री गणेश चन्द्र काछी द्वारा अपने तारांकित प्रश्न संख्या १ के संदर्भ में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का दिया गया उत्तर आंशिक रूप से ठीक नहीं था, सही उत्तर निम्नलिखित है :

प्रश्न	पूर्व उत्तर	संशोधित उत्तर
जिस थानेदार को कांस्टेबिल बनाया गया उसके लिए क्या इलाहाबाद के एस० एस० पी० से पूछ-ताछ की गई थी और क्या उन्होंने यह लिखा था कि उनका चाल-चलन अच्छा है और काम अच्छा है ?	जी हां, उनसे भी पूछ-ताछ की गई और जालौन के एस० पी० से भी, जहां वे थे, पूछा था। इलाहाबाद के एस० एस० पी० ने लिखा था कि वे उनका काम नहीं देख पाए और जालौन के एस० पी० ने लिखा कि उनका काम बहुत खराब है।	जी हां, उनसे भी पूछ-ताछ की गई और जालौन के एस० पी० से भी, जहां वे थे, पूछा था। इलाहाबाद के एस० एस० पी० ने लिखा था कि उस जिले में नियुक्ति के बाद से उनका काम तथा चरित्र सन्तोषजनक रहा है परन्तु इलाहाबाद में वह बहुत कम दिन रहे थे। इसलिए इस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। जालौन के एस० पी० की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें रिवर्ट (revert) कर दिया गया था, चूंकि जालौन में वह काफी समय तक रहे थे और उनका काम तथा चरित्र वहां खराब रहा था।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९२ पर)

कतिपय विषय

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, हमने भी महाधिवक्ता श्री कन्हैयालाल मिश्र के विरुद्ध एक निन्दा का प्रस्ताव दिया था ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं। उस विषय को जब मैं लूंगा तब आप कह दीजिएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

उस पर मैं कानूनी व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो स्थिति है संविधान के अनुसार उसमें इस सदन की ओर से महाधिवक्ता को यह आदेश जारी होना चाहिए कि वह अब इस राज्य के महाधिवक्ता नहीं रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दीजिएगा। मैं उसको देख लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इनको तत्काल रोक दिया जाय नहीं तो इस प्रदेश का बहुत अहित हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर कानूनी बात है तो वह हमारे और आपके कहने से तो नहीं हो जायगी। आप हमको लिखकर भेज दीजिए, उसको हम देख लेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह प्रश्न विधान परिषद् में उठ चुका है।

श्री अध्यक्ष—

यहां भी हो जायगा।

राज्य-मन्त्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)*

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

श्री दीपनारायण सिंह जी आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर विवाद बहुत हो चुका है और माननीय सदस्य व्यापक रूप से विचार भी व्यक्त कर चुके हैं। साथ ही जैसा कि हम लोगों को जानकारी है—सरकार की ओर से एक आचार संहिता भी बन गयी है जो कहां तक ठीक है वह तो दूसरी बात है, लेकिन एक कदम सरकार ने उठा लिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और जो प्रस्ताव रखने वाले हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि इस पर काफी विचार व्यक्त हो चुके हैं। इसलिए अब इसको समाप्त किया जाय और अगले प्रस्ताव पर हम लोगों को मौका दिया जाय ताकि हम उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि माननीय गुप्तार सिंह को बुला लिया गया था और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, तो वे पहले समाप्त कर दें।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं, आपको मैंने नहीं बुलाया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कल भी लिख कर दिया था और बदकिस्मती से आज उसी सम्बन्ध में विवाद के लिए प्रस्ताव भी है। मैंने एक संवैधानिक आपत्ति की थी कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें कि कोड आफ कन्डक्ट जो बना है वह संविधान की धारा और पिपुल रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट, १९५१ की तहत में बना। उसमें यह है कि केन्द्र के मन्त्रियों को प्रधान मन्त्री को और राज्य

---

*२८ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही से।

के मन्त्रियों को मुख्य मन्त्री को अपने तथा अपने परिवार की चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रति वर्ष ३१ मार्च तक दे देना होगा। श्रीमन्, ३१ मार्च बीत गया और एक भी मन्त्री ने....

श्री अध्यक्ष—

तो आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा कहना यह है कि आज तक जब एक भी मन्त्री ने अपने तथा अपने परिवार की चल व अचल सम्पत्ति का कोई ब्योरा नहीं पेश किया है तो ये मन्त्री लोग इस सदन में कैसे बैठ सकते हैं?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ जी को जो इनफार्मेशन है वह गलत है। हमने कोड आफ कन्डक्ट को एक्सेप्ट किया है और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर मन्त्रियों ने कोई ब्योरा दिया है तो उसकी घोषणा सदन में होनी चाहिए।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, कृपा करके। एक प्रश्न समाप्त होने पर ही दूसरा प्रश्न होता है। जो प्रश्न माननीय काशीनाथ जी ने रखा है वही प्रश्न माननीय दीपनारायण सिंह ने भी उठाया है। जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिखलाया है, वह नोटिफिकेशन गोपनीय है। तो एक गोपनीय परिपत्र जारी हुआ। इसका मतलब यह है कि गोपनीय रूप से मन्त्रियों को कुछ परामर्श दिया गया। कोई कानून हमें अभी तक नहीं दिखलाया गया जिस कानून के अन्तर्गत हम मन्त्रियों को मजबूर कर सकें कि उस परामर्श का पालन हो, न किसी संकल्प के अन्तर्गत इस सदन द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्ताव के अन्तर्गत ही हम मजबूर कर सकते हैं कि वे इस सदन में न बैठें। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव को मैं रूल आउट करता हूं।

(व्यवधान)

इसके ऊपर बहस नहीं होगी, आप लोग बैठ जायं।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसे सरकारी नौकर के लिए कोड आफ कन्डक्ट है कि अगर वह सरकारी नियमों का पालन न करे या उसका उल्लंघन करे तो उसे दण्ड दिया जाता है, उसी तरह से मन्त्रिमन्डल भी कांस्टीट्यूशन के अनुसार सदन के प्रति वफादार है....

श्री अध्यक्ष—

जिस चीज को मैं रूल आउट कर चुका हूं, आप उसी बात को फिर कह रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—

वह नहीं है। जिस तरह से सेन्टर में प्रेसीडेंट और राज्य में राज्यपाल उनकी सलाह से मन्त्रिमन्डल को बरखास्त कर सकता है, इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने अपने मन्त्रियों तथा स्टेट के मन्त्रियों के लिए कोड आफ कन्डक्ट कांफिडेंशियल बनाया है और उसकी घोषणा की है, और

[श्री दीपनारायणसिंह]

इसीलिए विजिलेंस कमेटीज भी बनी हैं। तो ३१ मार्च, तक सब मन्त्रियों को अपने तथा अपने परिवार की चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा दे देना चाहिए ....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप वही कह रहे हैं जो माननीय काशीनाथ जी ने कहा।

श्री दीपनारायणसिंह—

वह हाउस के प्रति जिम्मेदार हैं। आज हाउस में प्रस्ताव भी है कि वह अपने संपत्ति का लेखा जोखा पहले दे दें....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। यह बिल्कुल आटउ आफ आर्डर है और इस सम्बन्ध में मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप बैठिए।

*श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुकुट बिहारी लाल जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कारण अनेक हैं। किसी की सम्पत्ति कितनी है, कलकत्ते में कितनी है, बम्बई में कितनी है, कितनी बिक गयी, कितनी लड़कों को दे दी, इसके लिए यह बड़ा अव्यावहारिक तथा असंगत-सा प्रस्ताव है। यहां तो जितने भी मन्त्री या सदस्य हैं यदि वे अनैतिक काम करेंगे तो उनकी जांच पड़ताल कायदे से होती है। जब पंजाब के, उड़ीसा के मंत्री की जांच हो सकती है तो उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों की भी जांच हो सकती है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह बहुत ही अनियमित, अव्यावहारिक तथा असंगत प्रस्ताव है। वैसे यहां हर एक विधायक के लिए भी अपने आय-व्यय का चिट्ठा तथा सम्पत्ति का लेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव आ सकता है लेकिन कोई अपनी हर सम्पत्ति का ब्योरा देता रहें यह असम्भव है। अगर कोई गड़बड़ या आब्जेक्शन हो तो जांच की जाय, आयोग बैठाया जाय और सिद्ध होने पर आप उसे दण्ड दें, वह भले ही मन्त्री हों अथवा अन्य कोई हों, क्योंकि जायदाद तो रोज घटती बढ़ती रहती है। इसका पूरा ब्योरा देना असम्भव है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि मन्त्रिगण इस प्रदेश में या सेन्टर में कितना धन रखे हुए हैं और कितना धन रखने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। देश की आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में देश की बागडोर आयी उन लोगों के महात्मा गांधी के चेले होने के नाते, देश को उन से बड़ी-बड़ी आशायें थीं और उम्मीदें थीं, लेकिन दुःख की बात है कि १७-१८ वर्ष के अन्दर उन आशाओं पर एक के बाद एक पर पानी फिरता जा रहा है। देश के अन्दर अराजकता ही नहीं है, भुखमरी और लूटमार ही नहीं है, बल्कि यहां की हालत ऐसी होती जा रही है कि हम बाज औकात दुःख के साथ लोगों की जबान से यह भी सुनते हैं कि इस राज्य से तो अंग्रेजी राज ही बेहतर था। यह शब्द जिस समय लोग उच्चारते हैं उस समय अधिक दुःख इसलिए होता है कि हम लोगों ने ४७ के पहले जो आशायें की थीं वह एक-एक करके छिन्न-भिन्न होती जा रही हैं और इसका सब से बड़ा कारण हम लोगों में वह लोग हैं जिन्होंने उन उम्मीदों को चकनाचूर किया है। हम महसूस करते हैं कि जो बोझ इस देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी पर आया था अंग्रेजों ने जाती दफा देश के राज-काज का भार जिन लोगों के हाथ में सौंपा था, उनसे उसने जुम्मेदारी को नहीं निभाया जिस प्रकार के व्यवहार की आशायें थीं, उनसे जो उम्मीद रख कर लोग आगे चले थे,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनको लेकर पिछले सौ, २ सौ बरस के अन्दर देश की आजादी के लिये लड़ाई लड़ी गयी थी उन तमाम पर ऐसे बादल छा गये कि लोग आज कहीं भी अपने को नहीं पा रहे हैं। इन तमाम खयालात को सामने रखते हुए सिवाय इसके और कोई चारा हमारे सामने नहीं है कि हमारे वह कर्णधार चाहे वह प्रदेश के अन्दर हों या देश के अन्दर हों, उन पर एक बड़ा भारी दायित्व और जिम्मेदारी आती है कि उनके आचार, विचार, उनकी जिन्दगी, कैरेक्टर सादा हो और सादगी के साथ स्वच्छ होना चाहिये। लेकिन हम रात दिन जिस हालत को देख रहे हैं प्रदेश और देश के अन्दर, वह ऐसी है कि लोग घृणा करने लग गये हैं, उन वस्तुओं से भी कि जो सन् ४७ से पहले देश की आजादी के लिये पूज्य समझी जा रही थीं। श्रीमन्, आपको याद होगा कि किसी जगह पर खद्दरधारी आदमी एक या दो बैठते थे तो सारे इर्द गिर्द वाले समझते थे कि ये बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं। मुझे याद है, सन् ३३ की बात है, जवानी और बचपन के बीच का जमाना था, मैं जेल से छूट कर बाहर आया था और एक दूकान पर हम आपस में बेकार सी बातें कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग जो हमारे पीछे खड़े थे उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहने लगे कि या तो यह बाना छोड़ दो या यह जबान जरा बदलो, क्योंकि इस बाने के पहिनने वाले के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं मालूम होतीं। अब ऐसा वक्त आ गया कि अगर गाड़ी में कदम रखिये, किसी स्थान पर जाइये तो इस बाने को देख कर लोग यह महसूस करते हैं कि कोई चोर आ गया इस बाने में, कोई लुटेरा आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका हमारे बीच में होना हमारे लिये कोई स्वच्छ बात नहीं है। मुझे दुःख इस बात का है कि आशाएं भी हमसे बहुत थीं। हम स्वयं इस विचार को लेकर आगे बढ़ते चले आ रहे थे कि हमको देश को ऊंचा करना है।

अंग्रेजों और उनके पहले राजा नवाबों ने देश को, तनज्जुली की तरफ ढकेला जिसकी वजह से यहां भुखमरी हुई, यहां उद्योग नहीं पनप पाये और हम भिखारी जैसे बन गये। हम देश को स्वच्छ जीवन देना चाहते थे, हमने वादा किया था कि हम प्रदेश और देश को ऊंचा उठायेंगे, हमने नारा लगाया था कि हम देश को ऐसी सरकार, ऐसा राज्य देंगे जो तमाम मुसीबतों का हल तलाश करे देश को ऊंचा उठा सके। मुझे अफसोस है कि हम देश और प्रदेश के अन्दर ही बदनाम नहीं बल्कि हम अपनी इंटरनेशनल पोजीशन भी एक के बाद एक करके दिन प्रति दिन खोते चले जा रहे हैं। हमारे लिये संसार में खड़े होने के लिये कोई जगह बाकी नहीं रह गयी है। हमारी हालत यह हो गयी है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रति श्रद्धा का अभाव दिखाई देता है। इंटरनेशनल पोजीशन इस तरह से हमने लूज की है कि हमने एक के बाद एक दोस्त खोये हैं, जो अफ्रीका और एशिया के मुल्क हमारे साथ खड़े हो रहे थे वह एक के बाद एक अलग हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? आज राजनीतिज्ञों की क्या हालत है? आज वही राजनीतिज्ञ समझा जाता है जो सरकारी बेंचेज पर बैठता है, उसी की जिम्मेवारी समझी जाती है जो मिनिस्टर होता है। अगर उनका जीवन भी स्वच्छ नहीं होगा तो उनके प्रति लोगों की क्या भावना होगी। लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे और ऐसी हालत में वह दिन कभी आयेगा नहीं जब कि यह देश ऊंचा उठ पायेगा; जनता ऊंची उठ पायेगी। इस १७–१८ साल की जिन्दगी ने हमको ऐसा अन्धकार में डाल दिया है कि हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे आने वाले २०–२५ सालों में जनता का कुछ भला हो सकता है।

चीन ने हमला किया और हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग पर उसने कब्जा भी कर रखा है। ऐसी दशा में जो जागृति हमें पैदा करनी चाहिये थी जनता के अन्दर, वह भी हम पैदा नहीं कर सके हैं। भले ही हम यह कहें कि चीन ने आगे बढ़ना रोक दिया, किन्तु आज हालत यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही हमारे बार्डर्स पर अपनी ताकतें जमा करते चले जा रहे हैं। श्रीमन्, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता क्या समझती है। आज जनता दो हाथ उठाये सिर्फ भगवान की ओर ही देख रही है, सिवाये भगवान के सहारे के आज उसे कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। कम्युनिज्म आने के पहले जो हालत चाइना की थी, उसी हालत पर हम पहुंच

[श्री ब्रह्मदत्तमायर]

रहे हैं। चाइना में तो भागते समय लोगों के पास फारमोसा में ठिकाना था, और वे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई टापू भी नहीं है जहां भाग कर बैठ जायं। तिब्बत की जनता, जैसी हालत यहां की हो रही है, उसी तरह यहां की जनता पिसी हुई है। अगर हम इसे संभाल नहीं पाते तो हम किसी भी तरह दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पायेंगे और जो हमारी दुर्दशा होगी उसे श्रीमन्, आप अनुभव भी नहीं कर सकते। देश के अन्दर आज ऐसे लोग हैं जो इसी ताक में रहते हैं कि वे किसी तरह जनता पर काबू पा सकें। हर वक्त गद्दी हथियाने की ताक में ही रहते हैं। हमें गद्दीपरस्ती से उठ कर देशभक्ति की ओर आना होगा, तभी देश का भला हम कर पायेंगे।

श्रीमन्, जिस तरह से हम इलेक्शन में जीत कर आते हैं, वह भी आपको मालूम है। जिस तरह से धर्म के नाम पर, पार्टीबाजी के नाम पर, बिरादरी और रिश्तेदारी के नाम पर हम यहां जीत कर आते हैं और संगठन बनाते हैं क्या हम इससे देश का कोई भला कर सकेंगे? हम यह आशा नहीं कर सकते कि हम इस तरह से देश को कामयाबी की ओर ले जा सकेंगे। हुकूमत के जो नुमाइन्दे हैं उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपना जीवन स्वच्छ रखें। बापू का स्वच्छ जीवन हमारे सामने है। आपने देखा कि जब उनके दिल और दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपना जीवन ही बिलकुल बदल दिया और उसके बाद लाखों, करोड़ों को ही नहीं, संसार भर को उन्होंने जगाया और अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया। तो क्या वजह है कि उसी बापू का नाम लेने वाले आज इस प्रकार सज्जनता से परे हटते चले जा रहे हैं? जहां डाकू और चोरों की मदद करने वाले लोग होंगे, जो बदमाश बनाने वाले होंगे वे तो खुद ही अपनी छोटी-छोटी हुकूमतें बनाने वाले होंगे। ऐसे लोगों से हमारे देश या प्रदेश का क्या कल्याण या लाभ हो सकता है? श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो रेजोलूशन हमारे सामने है उसका मूल समर्थन सारे सदन की तरफ से ही नहीं, सारे प्रान्त की तरफ से ही नहीं, बल्कि सारे देश की तरफ से होना चाहिये।

(इस समय १२ बजकर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवरश्रीपाल सिंह पीठासीन हुए)।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन हालात की तरफ जो हमारे राजनीतिज्ञों के कारण, हमारे मिनिस्टर्स की वजह से, हमारे प्रान्त व देश के अन्दर पैदा होते चले जा रहे हैं। आप देखिये, जिला स्तर पर कमेटी बनती है लेकिन उन लोगों का समर्थन ऐसे ही लोग करते हैं जो लूट में हिस्सेदार होते हैं। छूट दी जाती है ब्लाक स्तर पर कि आप पुलिस के साथ मिलकर दलाली करिये। श्रीमन्, अगर यही आधार हमारे राजनीतिक जीवन का है तो हम कब आशा कर सकते हैं कि हम देश की सेवा कर पायेंगे? उसके लिये श्रीमन्, मैं आपके सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि जो रेजोलूशन हमारे सामने प्रस्तुत है उसका समर्थन करें क्योंकि कहीं, न कहीं जो आज नदी भ्रष्टाचार की देश में बढ़ती चली जा रही है और दिन ब दिन गहरी होती चली जा रही है, उसके लिये मजबूत बांध लगाना पड़ेगा। इसके लिये हमें कुर्बानी देनी होगी। परन्तु श्रीमन्, कहावत है कि "चैरिटी बिगिन्स एट होम"। जब तक हम अपने ही से नहीं शुरू करेंगे तब तक हम गरीबों से क्या उम्मीद कर सकते है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस रेजोलूशन को आपका समर्थन और सदन का समर्थन और उन लोगों का खासतौर पर जिनके कन्धों पर हुकुमत को चलाने का दायित्व है, समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। मैं इस रेजोलूशन का पूर्ण समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और आपके लोग जिनकी सारी जिम्मेदारी है, इस रेजोलूशन को कबूल करें और स्वच्छ जीवन की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी संपत्ति का पूर्ण ब्योरा रख दें ताकि जनता जान सके कि इनका जीवन स्वच्छ है। इनके माध्यम से जनता स्वच्छ हो और इस तरीके से जनता के सामने मिसाल बनाकर दिखाये ताकि जनता कदम ब कदम आगे बढ़े और देश का कल्याण हो।

*श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प उपस्थित है, मैं उस संकल्प का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बात सही हो सकती है और विरोधी पक्ष यह समझ सकता है और उसका हक भी है कि इस तरह के प्रस्ताव को लाकर के जनतन्त्र के अन्दर जो शासनारूढ़ दल है, उसके क्रियाकलापों का निरीक्षण करे, उसको देखे और उसके लिये अपने मौलिक सुझाव दे। लेकिन मैं श्रीमन्, महसूस करता था बैठे बैठे कि हमारे विरोधी पक्ष की तरफ से ऐसे ठोस सुझाव आवेंगे जिन सुझावों के अन्तर्गत एक स्वच्छ शासन प्रदेश के अन्दर बन सकता है और जिसके अन्दर कोई मौलिक सुधार हो सकता है। लेकिन मुझे इन सब भावनाओं की कभी उन सब भाषणों के सुनने के बाद मालूम हुई। मान्यवर, कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो और जो देश और सरकार आज स्वस्थ परम्पराओं के अन्तर्गत देश का शासन संचालित करना चाहती है उसके लिये आवश्यक है कि उसके मंत्रियों में, उसके शासक के अन्दर विरोधी पक्ष हो या जनता हो उसका विश्वास निहित हो। श्रीमन, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जहां पर यह जरूरी चीज हैं, वहां पर यह भी जरूरी है कि माननीय विपक्ष के लोग भी कुछ सुझाव दें, तो वह एक स्वस्थ परम्परा होगी। लेकिन आज जो भावना व्यक्त की जा रही है, उस भावना को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारा समाज ही भ्रष्ट हो गया है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले हों, सब एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं और इसका प्रभाव है कि समाज के अंग प्रत्यंग पर इसका असर हो रहा है। ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि जिस माहौल में कहीं भी कोई जाये तो वहां भ्रष्टाचार की बात ही सुनने को मिलती है। जिस भ्रष्टाचार की बात हम १७ सालों से करते चले आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उसने कितनी तरक्की की है ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

मैं माननीय वक्ता महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार संबंधी जो दो बही खाते प्रस्तुत किये थे, उनका क्या हुआ ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

वह तो आपको भी मालूम है। तो मैं आप से यह कहना चाहता था कि आज समाज में हमारी जो स्थिति चल रही है, ग्राम हो या शहर हो, आप कहीं भी जायें, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। लेकिन मेरा यह कहना है कि भ्रष्टाचार की बात कहकर भ्रष्टाचार का निराकरण हो सकता है, तब तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर उसका असर समाज के अन्दर जो नाना प्रकार के जीव जन्तु पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर नहीं होता, तो आपके कहने का महत्व ही क्या है ? मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि आपने इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या सुझाव दिये ?

मैंने इंग्लैन्ड के इतिहास को देखा। वहां के प्रशासन और मंत्रि मंडल के इतिहास को देखा। और मैंने यह जानने की कोशिश की कि क्या वहां पर भी भ्रष्टाचार था ? यदि था, तो उन लोगों ने उसको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये ? मैंने अमेरिका तथा कम्युनिस्ट देशों के इतिहास को भी देखने की कोशिश की। चीन के इतिहास को भी देखा जो अपने पीपुल्स डिमाक्रेसी की बात कहता है। हमने पश्चिमी देशों के इतिहास को भी देखा और पूर्वी देशों के इतिहास को भी देखा जो अभी हाल ही में आजाद हुए हैं। इन सारे इतिहासों को पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

को दूर करने के लिये कुछ मौलिक कदम उठाये थे। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वैसे मौलिक कदम वह भी उठाये। ऐसे कदम उठाये जाने पर ही देश और प्रदेश में स्वस्थ वातावरण पैदा हो सकता है।

इंग्लैण्ड में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये यही नहीं होता कि एक आदमी जो शासन के पद पर है, उसके लिये यह कहा जाय कि उसने लाखों और करोड़ों रुपया कमा लिया है, फलाने के पास जायदाद नहीं थी, जब वह सामाजिक कार्यकर्त्ता था, लेकिन आज मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के बाद उसके पास इतनी जायदाद हो गई है। अगर आप केवल ऐसा करते हैं, तो इससे देश, प्रदेश के शासन और समाज में कभी भी ऐसी अवस्था नहीं आ सकती, जो उसका निराकरण हो सके। और यह आप इससे ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि अनैतिकता और भ्रष्टाचार आदि शब्दों को कह कर आपने अब तक कितनी प्रगति की है? यह तो तभी हो सकता है, जब हम अनैतिकता की तरफ कदम न उठाकर नैतिकता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिये मैं कहता हूं कि इंग्लैन्ड में भ्रष्टाचार रोकने के लिये मंत्रियों की तनख्वाहें नियत की गईं, उनको एक अच्छे स्तर पर-लाने की कोशिश की गई। प्रशासन के विभिन्न अंगों को जीवन निर्वाह के लिये, उनकी स्थिति को देखते हुए सुविधाएं प्रदान की गईं जिससे वे अपने परिवार का ठीक तरह से पालन-पोषण करके अच्छे प्रकार से काम कर सकें। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों के अन्दर पद लोलुपता नहीं रही और अनैतिकता को बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन हमने शासन पाने के बाद यह अंकुश नहीं रखा। क्या कारण थे? इसको तो इधर और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्य जानते होंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।

चीन में भी भ्रष्टाचार था। जब पीपुल्स गवर्नमेन्ट वहां आई तो उन्होंने हर आदमी को हर सरकारी नौकर को अपनी अपनी संपत्ति बताने के लिये कहा और लोगों ने जो भी संपत्ति लिखकर दी उसको उन्होंने सही मान लिया उसके बाद जो ऐसे लोग थे, जिन्होंने चोरी करने की कोशिश की, चूंकि वहां डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी, उन्होंने इस चीज को बरदाश्त नहीं किया और १८-२० फीसदी लोगों पर मुकदमें चलाये और उनको सजायें दीं, लेकिन हमने अपने शासन में उन चीजों को नहीं अपनाया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज हमारे यहां भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से लोग जितना कमाते हैं, उससे अधिक लोगों की हविश बढ़ती जा रही है। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिये।

माननीय काशी नाथ जी ने कंफिडेंशल सकुर्लर का जिक्र किया, उसमें इसी प्रकार की भावना व्यक्त की गई है कि हर आदमी और हर मिनिस्टर ३१ मार्च तक का अपना हिसाब दे दे। कांग्रेस के संगठन में भी इसी तरह का नियम बनाया गया है कि प्रत्येक आदमी अपनी स्थिति को ठीक तरह से बताये। इससे कुछ प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिये, उतनी नहीं हुई है। आज इस प्रस्ताव में चाहे जो भावना छिपी हो, लेकिन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जब हम कदम उठायेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां केवल मंत्रि-परिषद के लोगों के भ्रष्टाचार को ही देखा जाता है। यहां कुछ ऐसी परम्परा चल गई है कि १–२ लाख रुपया कमा लिया, चाहे भ्रष्टाचार से ही कमा लिया हो, लेकिन अगर वह प्रशासन को चलाता है, तो वह ईमानदार हो गया। जब आप धन धान्य से पूर्ण हो गये, कोई ख्वाइश न रही तो आप ईमानदार हो गये। श्रीमन्, हम ही एक अफसर को ईमानदार बनाते हैं, और हम ही बेईमान बनाते हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, वे सब को आंकड़े दिया करते हैं। आज जो शासन में और समाज में एक व्यवस्था चल रही है और जिस को लेकर आज सब शासन

को और एक दूसरे को बदनाम करने को तैयार हैं, जो शासित वर्ग है वह और जिसके द्वारा सेक्रेटेरियट लेविल पर आज हुकुमत चल रही है। सब जगह बदनाम करने के लिये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उससे सारा समाज आज त्रस्त हो रहा है। एक अनैतिकता का वातावरण आज पैदा है और जिसका नतीजा यह है कि आज यह एक कठिन प्रश्न बन गया है कि ऐसे समाज को हम किस तरह से स्वस्थ कर सकते हैं और कैसे प्रशासन को स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे आप के लिये यह एक विचारणीय प्रश्न है। इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करना आवश्यक है। चाहे कोई भी शासन करे लेकिन अगर आज इस अवस्था पर कंट्रोल नहीं हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तानाशाही के ऊपर, हमारे आदेश और हुक्म चलाने वालों पर और उनके काम करने के तरीकों पर आज कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। हम कहते कुछ हैं और हमारे अधिकारी ही, देश के लोग ही हमारे आदेशों का पालन ठीक से नहीं करते। अगर आप ने इन चीजों पर फौरन कंट्रोल नहीं किया तो पीपुल्स डेमोक्रेसी की बात न रहकर वह हिटलर और नाजी पार्टी की सी चीज हो जायगी, हिटलर भी पीपुल्स डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता था लेकिन आखिर में वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सका और नाजी तानाशाह वह बन गया।

मैं सरकार से कहूंगा कि इसके लिये वह कठोर कदम उठाये ताकि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सके और उसके लिये मुनासिब तरीके अख्तयार किये जायं। मैं विरोधी बल के लोगों को भी चेतावनी दूंगा कि वह भी इस पर विचार करें कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उनको ठोस सुझाव देने चाहिये कि कैसे इस समस्या का निराकरण किया जाय जिससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो और हम जमहूरियत कायम करने का अपना मकसद पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प जो माननीय मुकुट बिहारी लाल जी ने उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब तक इस संकल्प की एक-एक लाइन के अनुसार हम नहीं चलते तब तक यह नन्दा जी का जो प्रस्ताव है या सरकार की तरफ से जो यह बिगुल भ्रष्टाचार के विरुद्ध बजाया जा रहा है यह बिलकुल निरर्थक है, बेकार है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे यह भी कहना पड़ता है, जैसा कि हमारे नरसिंह नारायण जी ने भी कहा है कि "समरथ को नहीं दोष गुसांई" और समरथ माने मंत्री जी और एम० एल० ए०। केवल मोटी-मोटी बात मैं कहूंगा,। पहले तो हम अपना आचरण सुधारें। इसका नाम है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट-आचार। आचार भ्रष्ट होने में केवल पैसे टके की ही बात नहीं होती। हमको बापू जी ने यह बताया और यही शस्त्र हमारे पास है। यही एक मंत्र बापू जी ने फूंका था कि आचार और चरित्र को बनाना। अब मिट्टी इकट्ठी होने से कोई विशेष बात नहीं होती। हड्डी जुड़ी हुई हों, खून न हो। लंगोटी लगी हो, कपड़ा न हो। गरीब हो, दुखी हो, दीन हों लेकिन चरित्र जैसी चमक उसमें हो फिर वही मनुष्य चमकेगा। उसकी चमक ही असली चमक होगी। वह लाल कभी गुदड़ी में भी नहीं छिपेगा। वह वहां भी हमेशा चमकेगा। इसको हम भूल गये, बापू जी के मरने के बाद। तब तक तो कुछ सहारा था। मैं यह नहीं कहता कि उधर के लोग भूल गये। इधर के भी हैं। वे एक दो लाख मारते हैं हम अठन्नी चवन्नी का चन्दा मार लेते हैं। उनका वारा न्यारा लाखों में मिलों, कारखानों से होता है पर हम अठन्नी चवन्नी ही मांगते हैं।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आपने भी तो कोठी बना ली है।

श्रीलखी सिंह—

जी हां, मैंने भी कोठी बनवा ली है। १९४२ की क्रांति में मेरा घर कच्चा था। मैं तो सत्याग्रही आदमी हूं। सत्य और अंहिसा का पालन करने वाला हूं। मेरे बच्चे १९४२ की क्रांति में भटकते फिरते थे। मेरे घर नहीं रहा था। मेरे झोले में मेरा घर था। एम० एल० ए० होते ही मैंने सरकार से कर्जा लिया। सरकार ने मुझे हाउसिंग स्कीम में २०,००० रुपये का कर्जा दे दिया। तो उससे मैंने एक घर बना लिया। मेरे एक लड़का है वह उसमें रहता है। जब तक कर्जा नहीं पटेगा तब तक वह सरकार की कोठी है। अगर एक किस्त भी रुक जाय तो कोठी को सरकार ले ले।

श्री जसरामसिंह—

पर जनता तो यह नहीं जानती ?

श्री लखीसिंह—

जनता जाने या न जाने, आप तो जानते हैं। इस कांग्रेस में ऐसे ही लोग चले आते हैं।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव में माननीय मुकुट बिहारी लाल द्वारा यह बात लिखी हुई है—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अपनी तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण चल तथा अचल संपत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से किया करें तथा बताया करें कि कि उक्त संपत्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई।"

मैंने तो कर दी और इसी तरह घोषणा कर दें उधर के लोग तो यह क्लेश ही कट जाय और भ्रष्टाचार मिट जाय। मुझे तो अपनी बात बतलानी है वर्ना फिर चर्चा चलेगी। फुस-फुस मेरी कोठी की बात लोग किया करते हैं और मेरी पार्टी के लोग भी किया करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं और साथी राधे श्याम जी ऐसे ही फक्कड़ थे। हम लोग एम० एल० ए० बन कर आये। मथुरा में रहने के लिये कोई जगह नहीं थी। सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर के लिये किराये पर कभी जगह नहीं मिली। किराये के लिये मकान मांगा तो जिलाधीश ने कहा कि तुम अपना मकान क्यों नहीं बना लेते हो। हाउसिंग स्कीम के मातहत सरकार कर्जा देती है, वह ले लो। हमने कहा कि हमें तो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जरूर मिलेगा अगर नियमों की पूर्ति हो जायगी। राधेश्याम तो पास नहीं हुए। उनका कागज धरा रह गया। उनके नाम जमीन नहीं थी, उनके बाप के नाम थी। मेरे नाम जमीन थी, मैंने नियमों की पूर्ति कर दी। ६ हजार से ज्यादा और १५ हजार तक की जिसकी आमदनी हो उसको यह कर्जा मिलता है। नियमों की पूर्ति हो गयी तो वह पास हो गया। ५ हजार से जमीन ली एक सीरदार से और ४ हजार एक ठेकेदार को दिये। ११ हजार से ऊपर रह गया और उसमें जो नक्शा सरकार ने दिया है मकान का वह बना नहीं। फिर जैसे ठाकुर साहब बैठे हैं किसी से ५००, किसी से ६००, किसी से ८०० रुपये कर्ज लिये और इस तरह से मैंने मकान बनाया है। मैंने तो आपको सब बतला दिया। इसी तरह से एक एक मंत्री और एक-एक सदस्य अपनी संपत्ति की घोषणा करे तब काम ठीक चलेगा वर्ना और तरह से नहीं चलेगा।

यहां से जो ३०० रुपया वेतन का मिलता है, वह बैंक के जरिये ही मिलता है लेकिन आप देखेंगे कि एक पैसा भी बैंक में नहीं रहता है। उसमें से जो कोटा होता है अपनी पार्टी को दे देता हूं। साधारण कपड़े मैं पहनता हूं। दो, तीन, कुर्ते और दो, तीन धोती रखता हूं। लेकिन दारुलशफा में क्या हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था अगर दारुल-शफा के कमरों की जांच की जाय तो अधिकतर कमरे किराये पर उठे हुए मिलेंगे। विधान सभा बन्द हो जाती है और कमरों में बिजली, पंखे धड़ाधड़ चलते रहते हैं और उसका बजट

बर असर पड़ता है। यह भष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो तो पहले अपना भ्रष्टाचार मिटाओ, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा वर्ना नहीं मिट सकता। एक लेखपाल को पकड़ लिया जाता है। बेचारे लेखपाल को मार दिया। उसने १० रुपया मारा, २० रुपया मारा या अधिक से अधिक १००, २०० रुपये मारे लेकिन मैंने कभी एस० पी० अथवा डी० एम० को मरते नहीं देखा, कमिश्नर मरते नहीं देखा। मिनिस्टर तो मरता ही नहीं। वर्तमान सरकार का मिनिस्टर तो कुर्सी को बिना राम नाम सत्य हुए छोड़ ही नहीं सकता। जब तक राम नाम सत्य न हो जाय तब तक कुर्सी से चिपका रहेगा। एक आदर्श माननीय संपूर्णानन्द जी का अवश्य रहा है।

माननीय सम्पूर्णानन्द जी का आदर्श जरूर है, चाहे वे कहीं पर हों, उन्होंने मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनकी बात हम मान लेंगे नहीं तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। श्रीमन्, हमारी लड़ाई सराकार से क्या है? यही है और अगर यह सरकार, मिनिस्टर्स और एम० एल० एज० इस पर पूरी तरह से अमल कर लें तो मजाल नहीं है कि इस प्रदेश का या इस देश का एक भी अधिकारी भ्रष्ट हो जाय। अगर हो जाय तो वह जेल के सींखचों में बंद कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो इस वक्त हाउस में प्रस्ताव पेश है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो माननीय लखीसिंह जी फरमा रहे थे कि सरकार ने हमारी मदद की, कलेक्टर ने उनको रुपया दिलवाया और उन्होंने उस रुपये से मकान बनवाया और उनको सुविधायें सरकार से हासिल हुई। लेकिन यह जाहिर है कि जो ये लोग हमेशा से सरकार का विरोध करते चले आये हैं, उन्हीं का कहना है कि सरकार कुछ कर रही है और जो अफसर हैं या सरकार है उन सभी का ये लोग विरोध करते चले आये हैं। माननीय लखीसिंह जो जो हमेशा मुखालिफत करते रहते हैं उन्होंने भी तसलीम किया है कि सरकार कुछ कर रही है और उन को भी फायदा हुआ है।

इसके साथ ही साथ यह भी अर्ज है कि मंत्री होने से पहले या एम० एल० ए० होने से पहले जो उनकी सम्पत्ति हो उसका विवरण सरकार को भेज दिया जाया करे। यह किसी हद तक बिलकुल ठीक है। लेकिन यह भी है कि जो लोग मंत्री पद संभाल लेते हैं उनको बहुत सी सहूलियतें मिल जाती हैं। जो सरकार की ओर से मिलती हैं और उनका वातावरण भी अलग हो जाता है और उनके बच्चे अगर काबिल हो जायं तो जाहिर है कि वे तरक्की करेंगे। यह कहना कि मंत्री या एम० एल० ए० भ्रष्टाचार करके रुपया फराहम करते हैं, यह गलत बात है।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार आजकल चारों तरफ फैला हुआ है और मेरा खयाल यह है कि जब से दुनिया कायम हुई है तभी से भ्रष्टाचार भी चला आ रहा है और जब तक दुनिया कायम रहेगी यह भी कायम रहेगा। इसको कोई खत्म नहीं कर पायेगा। यह भ्रष्टाचार कभी खत्म भी नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिये कदम उठाये हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, चाहे मजहबी तरीके से हों या सियासी तरीके से हों, उस दौर में भी यह रहा है। कभी यह बढ़ गया है और कभी घट गया है। ऐसी इसकी बात चली आई है।

अब सवाल यह है कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया? इस गवर्नमेंट ने यह किया कि हमारे देश में जमींदारी सिस्टम का एक मुहलक मर्ज था। इससे आग की लपट निकलती थी, गरीब आदमियों की जिन्दगियां रोंदी जाती थीं। बड़े-बड़े लोग ऐश इशरत की जिन्दगी बसर करते थे।

[श्री सईद अहमद]

हर गरीब की जिन्दगी के साथ खेलते थे और उनके साथ ज्यादती करते थे जो बयान करने से बाहर है। अगर कोई आदमी उसको देख लेता था उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और इंसान के दिल में एक दर्द पैदा होता था कि किसी तरह से इसको मदद की जाय और इसके जालिम पंजे से इसका छुटकारा कराया जाय । इस गवर्नमेंट ने इस सिस्टम में परिवर्तन करने में वह कदम उठाया कि किसी किस्म का कोई खुन खच्चर नहीं हुआ । इस परिवर्तन को जमहूरियत का इन्कलाब कहेंगे । आप लोग आये दिन सरकार की मुखालिफत करते रहें तो इसके कोई माने नहीं हैं । यह बात जाहिर है कि हिन्दुस्तान में जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनके सामने एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से हम कुर्सी को हथिया लें । वह सब भगवान और खुश नहीं हैं जो उनके चाहने से कुर्सी मिल जाय । कुर्सी में क्या रखा है अरे भाई भगवान को अपनाओ, अपने आप को सवारों, अपने आप को ठीक करो तो खुद ही भगवान मिलेगा और कुर्सी भी मिल जायेगी । उससे आप ऊंचे उठेंगे, आपकी नस्लें ऊंची उठेगी आपका देश ऊंचा उठेगा और दुनिया में भी आपका नाम रोशन होगा । लेकिन आये दिन वही भ्रष्टाचार वाली बातें हों और आप खुद अपने को न सम्हालें तो यह ठीक बात नहीं है ।

बात केवल यह थी कि मंत्री लोग मंत्रिपद का ओहदा सम्हालते समय अपनी सम्पत्ति का विवरण दें, लेकिन उसमें वही भ्रष्टाचार वाली बात आ गयी, वही भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार । ठीक है भ्रष्टाचार बुरा है, उसके लिये सीधे कहो कि उसे दूर किया जाये, लेकिन हर बात में भष्टाचार की बात कहना ठीक नहीं लगता। इसी सिलसिले में यह बात कही जाती है कि सरकार ने जो वायदे किये, वह पूरे नहीं किये। इन्सान भी बच्चा होता है पहले वह गलती करता है और उसके बाद गलती करते-करते ही वह सीखता है हर काम को और बाद में वह उसे ठीक से करने लगता है हम उसी वातावरण में चल रहे हैं, सरकार ने शासन अपने हाथ में लिया उससे कुछ गलतियां हुई और होती भी रहेंगी, लेकिन यह तय है कि सरकार बराबर सही तरफ बढ़ रही है और उसके काम अधिक से अधिक ठीक होते जा रहे हैं और वह अपने काम में सुधार करती जा रही है । एक समय आयेगा जब उसके काम बिलकुल ठीक होने लगेंगे । कोई बाप अपने बेटे को गलत रास्ते पर नहीं चला सकता है, जैसे खुदा जो होता है वह चाहता है कि हमारे बन्दे सही रास्ते पर चलें उसी प्रकार गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसके अफसरान सही रास्ते पर चलें, अच्छे काम करें, मुल्क तरक्की करे, हम आगे बढ़ें, कैसे हमारे मुल्क की माली हालत अच्छी हो। यही कोशिश बराबर सरकार किया करती है । इस सरकार ने यह कोशिश कि की गरीब जनता में हम यह चीज कैसे पैदा करें कि देश तुम्हारा है, और उसने इस चीज को पैदा किया । समाजवाद से देश में सरकार यही चीज पैदा करना चाहती है । गवर्नमेंट ने जमींदारी एबालीशन किया, जिसका पहले भी अर्ज किया, इसी चीज को लाने के लिये दूसरी बात है कोआपरेटिव सिस्टम की । आये दिन कोआपरेटिव सिस्टम का आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन इसी सिस्टम से हमने अंग्रेजों को मुल्क के बाहर निकाला और उसीसे हमारा देश तरक्की कर सकता है और इसी ढंग से गरीब आदमी यह महसूस करने लगेंगे कि यह देश अपना उनका है, यह बहार उनकी है, यह फिजां उनका है और इसका जर्रा-जर्रा उनका है। इस सिस्टम में बहुत बुराइयां बताई जाती हैं, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उसमें जो बुराइयां हैं वह चलेंगी और चलती रहेंगी, लेकिन एक दिन आयेगा यह सिस्टम ठीक हो जायगा । जमींदारी एबालीशन और कोआपरेटिव सिस्टम लाकर हमने देश की तरक्की कितनी की है, इसे आप देखिये, जमींदारी के समय में जो गरीब लोग जमींदारों द्वारा पीसेजा रहे थे, उनकी जिन्दगी से होली खेली जा रही थी उसको हमने दूर कर दिया । "एक ही शफे में खड़े हो गये महमूदो अयाज, न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज ।,' तो हमने जमींदार और किसानों को बराबर किया और कुछ धीरे-धीरे दूसरी जगह भी बराबरी लायेंगे और बन्दा और बन्दानवाज के फर्क को मिटा देंगे । लेकिन धीरे-धीरे और वह हमें करने दीजिये । कोआप-रेटिव सिस्टम से जरूरतमंदों को रुपया मिलता है, कोआपरेटिव में जिन्दगी को बसर करने वाली जो जरूरी चीजें हैं वह मुहय्या होती हैं । अभी लखी सिंह जी ने जो हाउसिंग सोसाइटी वाली बात कही, वह हाउसिंग सोसाइटियां भी कोआपरेटिव सिस्टम के अन्तर्गत हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सईद साहब, जो यह संकल्प है, उसके सम्बन्ध में भी आप कुछ निवेदन कीजिये, आप तो अलग बोल रहे हैं ।

श्री सईद अहमद--

मैं यही कहना चाहता हूं और उसी पर आ रहा हूं, चूंकि भ्रष्टाचार की बात कही गयी थी इसलिए उसके बारे में कहने लगा था ।

इस प्रस्ताव में जो सबसे बड़ी कमी है वह यही है कि इसमें इन्सान की किस्मत को बांधने की कोशिश की गयी है, किसी की किस्मत को कोई इन्सान रोक नहीं सकता । एक एम० एल० ए० बनकर भूखों मरता है और एक आदमी घास खोदते खोदते लखपती हो जाता है, छोले बेंचनेवाले लखपति हो गये और बिल्डिंग उन्होंने बना लीं। यह तो रहन-सहन का तरीका है, कोई कतरे की परवाह नहीं करता और कोई कतरा कतरा जोड़ कर बांध बना देता है उससे हम सिंचाई करते हैं। जाहिर है किसी ने मंत्रिपद संभाल लिया और कुछ रुपया फराहम करके अपने कारोबार को उसने तरक्की दे दी तो वह दे सकता है जैसे कोई नासमझ औरत घर में आ जाती है तो वह चीजों को इधर-उधर फेंकती है लकिन अगर समझदार औरत आ गयी तो वह कहती है कि खाना उस वक्त दूंगी जब सब बच्चे इकट्ठे हो जायेंगे और चीजों को करीने से संभाल कर संजोकर रखती है तो समझदार आदमी तो अपना असर रखेगा ही ।

आरोप लाना कि फलां एम० एल० ए० ने या फलां मंत्री ने रिश्वत लेकर यह तरक्की कर ली, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती और यह बात किसी हद तक नामुमकिन भी है क्योंकि आदमी किसी भी लाइन पर चाहे वह मजहबी हो, बिजनेस की हो या पालिटिक्स की हो वह अगर सीधे तरीके से चलेगा तभी वह चल पायेगा नहीं तो चल नहीं सकता । जो आदमी इबादत करता है, मन लगाकर ईश्वर की प्रार्थना करता है तो वह तरक्की करेगा, लीडर भी ठीक ढंग पर चलकर ही कोई बन सकता है, मुख्य मंत्री कोई अपने ठीक ढंग से चलने की बिना पर ही बन सकता है । इसलिये यह प्रस्ताव ठीक नहीं है और बेकार है । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

२ बजे तक मतदान तो होगा नहीं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं मंत्रियों से बात कर चुका हूं, आप इस प्रश्न को ले लीजिये और अगर विभाजन की आवश्यकता हो तो करा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

लेकिन विभाजन भी तो २ बजे के बाद ही होगा ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उसके लिये मैं उसके प्रस्ताक महोदय को धन्यवाद देता हूं । एक संशोधन इसमें यह है कि एम० एल० एज० भी अपना हिसाब दें । यह संशोधन भी बढ़िया है इसलिये कि बहुत से एम० एल० एज० इधर-उधर बैठकर अपना व्यक्तिगत लाभ करते रहते हैं ।

[श्री रक्षपालसिंह]

यह प्रस्ताव किस लिये आवश्यक है कि यह तो श्रीमन् गृह मंत्री जो ने कह दिया कि मंत्री लोग अपना हिसाब देते रहें। हमारे यहां यह हिसाब लिया जाता हो या नहीं, किसी मंत्री ने कहा कि यहां हिसाब दिया जाता हैं। श्रीमन्, यह सत्य बात है कि जिस पद पर आदमी बैठ जाता है उसका उपयोग वह व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये करता है। इसके लिये प्रदेश के मंत्रियों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह यहां कई बार लिया जा चुका है। पंजाब में कैरों, उड़ीसा में पटनायक और मित्रा का हाल देख लिया गया है, वह बात अपने प्रदेश में भी विद्यमान है और कई मंत्री महोदयों का नाम लिया जा चुका है। मैं यह कहूंगा कि अपने प्रदेश में तो एक भिन्न प्रकार की होड़ है। हमारे यहां यह गुटबन्दी है जिसमें इस बात की होड़ रहती है कि कौन मुख्य मंत्री हो। यह सिर्फ इसलिये है कि मुख्य मंत्री हो जाने के बाद अपने गुट के लोगों को अधिक लाभ पहुंचा सकेंगे और मंत्री होने के बाद अपने गुट के लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिये यह आपस की लड़ाई चल रही है। हमारे भाई गोविन्द सहाय जी और बहुगुणा जी दिल्ली जाकर यह सब कहते रहते हैं और उसका उत्तर देने के लिये यहां से मुख्य मंत्री जी या बनारसी दास जी को जाना पड़ता है। यहां पर चाहे मजदूरों की हड़ताल चलती रहे या मजदूर परेशान होते रहें लेकिन उनको वहां जाना पड़ता है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि जितनी होड़ हमारे इस प्रान्त में है उतनी होड़ किसी दूसरे प्रान्त में नहीं है।

आज शिक्षकों का आन्दोलन हुआ उनसे कहा गया कि उनको अपने सामने आदर्श रखना चाहिये और पेड़ के नीचे बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिये। जब उनसे आदर्श पर चलने की बात कही जाती है तो मंत्री महोदयों को भी उसी आदर्श पर काम करना चाहिये। अगर मंत्री महोदय का कोई आदर्श नहीं होगा तो दुनिया में दूसरे लोग कैसे आदर्श पर चल सकते हैं? जो कोई भी आदर्श का पालन नहीं कर सकता है वह कोई दूसरे को त्याग और तपस्या करने का पाठ नहीं पढ़ा सकता है। मंत्रियों के आचरण को देख कर फौज के अफसरों में पतन होता जा रहा है। एक अफसर को सरकार ने नेफा के फ्रन्ट पर भेज दिया लेकिन बाद में बीमारी का बहाना करके वहां से छुट्टी ले ली और अपने घर को वापस लौट आये। यह चीजें फौज में भी हो रही हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आज यह एक प्रकार से सर्वमान्य मान्यता हो गई है कि यदि कोई मंत्री ३ साल या ५ साल या १ साल के लिये ही बन गया, क्योंकि रोज बदली होती रहती है, तो वह अपने को स्थिर न मानकर इस बात का प्रयास करता रहता है कि जीवन भर के लिये अपना प्रबन्ध कर ले। इस प्रकार की गलत धारणा सारे समाज में आज फैल गयी है कि थोड़े दिन के लिये कोई मंत्री हो जाता है तो वह अपना जीवन भर का इन्तजाम कर लेता है। हम इस प्रस्ताव को लाकर सदन में इस बात पर इसलिये जोर देना चाहते हैं कि मंत्री महोदय सदन में हिसाब देकर एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया करें जिससे किसी प्रकार की आलोचना का अवसर उनके लिये न रह जाय। वैसे तो हमारे गृहमंत्री जी ने जो कहा है कि उसके अनुसार हमारे मंत्री महोदय हिसाब देने का काम करते हैं लेकिन वह कुछ वास्तविकता से दूर है और वह दूर होने का कारण यह है कि यह सरकार रामराज्य की स्थापना करना चाहती थी लेकिन अब वह कामराज की स्थापना की बात हो गयी है। जो कांग्रेस सरकार कभी जनता की भलाई के लिये राज्य की स्थापना करने की बात करती थी अब वह कामराज्य की स्थापना कर रही है। भोगवाद या विलास रामराज्य की जगह पर अब कामराज्य की स्थापना हो गई है और जैसा कि लखीसिंह जी ने कहा कि मंत्री को भगवान ही भले हटा दे वरना ये हट नहीं सकते हैं। कांग्रेस सरकार को यहां पर १७, १८ साल राज्य करते हो गये हैं और उसने अगर कोई बड़ा काम किया तो यह कि समाजवाद का नारा लगाने के बाद इस देश का आदमी अब भौतिकवाद की ओर अधिक बढ़ा है। आज स्थिति यह हो गई है कि सभी पैसा पाने के लिये उत्सुक हैं। मैं आपके समक्ष इसी सदन का उदाहरण देता हूं। समाजवाद के आदर्श को मानने वाले हमारे गेंदासिंह जी और रामायण राय जी, जो हमेशा विरोध में रहे हैं और कांग्रेस के विरोध में ही सारा जीवन व्यतीत किया है वह भी प्रलोभन में आकर उधर खिसक गये।

नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिये क्योंकि भ्रष्टाचार कहने से अधिक फैलता है । और कोई सदस्य इस बात को कहता तो कोई बात न थी लेकिन वह एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने यहां विरोध में रहते हुये गांजा के संबंध में बही लाकर पेश की और जानबूझ कर कहा कि मंत्री महोदय इतना पैसा खा गये हैं और उन पर कार्यवाही की जाय । मैं समझता हूं वह कार्यवाही हो गई होगी और बही भी वापस हो गई होगी परन्तु आज वही सदस्य ऐसे सदस्य हो गये हैं कि आज कहते हैं कि यहां भ्रष्टाचार नहीं है । यह सब बातें उचित नहीं हैं। आज श्रीमन्, जो यह प्रस्ताव रखा गया है वह प्रस्ताव में समझता हूं कि एक अच्छा प्रस्ताव है और उसको स्वीकर करके यह घोषणा करनी चाहिये कि आगे से ऐसा किया जायगा ताकि समाज के अन्दर मंत्रिपद के प्रति आदर की भावना पैदा हो और कांग्रेस के गलत आदर्श से जनता में भ्रष्टाचार न बढ़े ।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प सदन के समक्ष श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने पेश किया है, इस संकल्प की तो आवश्यकता थी नहीं, लेकिन जो भावनायें इस संकल्प को पेश करते हुये व्यक्त की गयीं, उनके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं । मंत्रियों के आचरण का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उच्च होना चाहिये और कोई सन्देह की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। संसार के जिन देशों ने संसदीय प्रणाली अपनायी है उन्होंने इस सिद्धान्त को माना है । लेकिन इस सिद्धान्त को कानून के जरिये कभी भी नहीं मनवाया जा सकता । यदि संसार केवल कानूनों के जरिये ही ईमानदार बनाया जा सकता तो बहुत लम्बा चौड़ा इंडियन पिनल कोड हिन्दुस्तान क अन्दर मौजूद है, यहां कोई अपराधी नहीं हो सकता था । इंडियन पिनल कोड तथा और जितने भी कानून हैं उनके होते हुये भी बराबर उनका उल्लंघन होता है । समाज के अन्दर कुछ मान्यतायें ह । उनमें एक चीज यह है कि हमारे देश के राजनीतिक जीवन में जितने भी दल हैं वे सब स्वयं ही आपस में बैठ कर अपनी आचार संहिता बनायें और उसके ऊपर अमल करें ।

जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है, हमने अपनी आचार संहिता बना रखी है और मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों ने, चाहे वे केन्द्र के हों, चाहे प्रदेश के हों, उस आचार संहिता को स्वीकार किया है । हमने भी अपने प्रदेश के अन्दर स्वीकार किया है, जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्री को अपनी चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण मुख्य मंत्री जी को प्रत्येक साल के शुरू में देना होता है । यह आचार संहिता स्वेच्छा से हमने मान ली है । तो जैसा कि मैंने अर्ज किया यह तजुर्बे की बात है, लेकिन इस तरह के संकल्प से या कानून से कभी भी आचरण का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है । अमल में देखा गया है कि जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं उनका हिसाब किताब, और बही खाता बहुत साफ होता है । इसलिये कोई कानून न बना कर समाज के अन्दर हृदय परिवर्तन करने के लिये एक ममता पैदा करने की बात है ।

श्रीमन्, मुझे माननीय मायर जी के भाषण को सुन कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते है कि आप इस कपड़े को बदल डालिये, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा नकल तो असल की हुआ करती है । अगर असल होगा नहीं तो नकल होगी किसको ? अगर असली साबुन न हो तो नकली साबुन कैसेबने ? सोने से नकल करके जो मुलम्मा की कोशिश करते हैं, तो उसका एक महत्व है । धुले हुये कपड़े का लोग आदर करते हैं लेकिन कुछ चोर लोग भी उसके अन्दर छिप जाते हैं । जो बड़ा ही गन्दा कपड़ा हो उसकी शरण में कौन जाकर छिपना चाहता है या छिपता है ? इसी प्रकार से आप देखें कि आज घी की कितनी नकल हो रही है घी का रंग निकालने की तमाम कोशिश है । नकल तो असली सिक्के की ही होती है तो नकली सिक्का बनता है । इस संसार में आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी पोशाक व अपनी शकल सूरत है लेकिन कुछ गलत लोग भी हैं जो नकल करने की कोशिश करते हैं । लेकिन इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बन रसीदास]

मतलब यह नहीं है कि साधु अपना वेश ही छोड़ दे । हमेशा आदमी सायेदार पेड़, जैसे आम और पीपल के नीचे ही बैठता है । कौन मूर्ख होगा जो कीकर के पेड़ के नीचे बैठना पसन्द करेगा । सायेदार पेड़ के नीचे ही चोर भी जाते हैं । गंगा के अन्दर ही नाला गिरता है और नदी समुद्र के अन्दर ही गिरती है लेकिन जो क्षुद्र नदी या नाला हो उसमें गंगा कैसे प्रवाहित हो सकती है ? गंगा में तो नदी नाले ही जो क्षुद्र हैं गिरते हैं । इसलिये सदाचार का जहां तक सम्बन्ध है यह किसी की मानोपली नहीं हो सकती । इस सदन के अन्दर हमें किसी दलगत राजनीति से नहीं प्रभावित होना है । यह आचार संहिता हम सब लोगों को मान्य है । लेकिन देखने में यह आया हैं कि बार-बार गांधी जी का नाम कुछ लोग लेते हैं । श्री मन्, मुझे तो संकोच होता है कि जो लोग बार बार गांधी जी का नाम लेते हैं क्या वे उनका नाम लेने के अधिकारी भी हैं और क्या उनके द्वारा उनका नाम लेना मुनासिब है ? गांधी जी ने कहा था कि चरित्र से रेडिएशन पैदा होता है प्रकाश बढ़ता है रेडिएशन से । पूर्व में सूर्य पहले निकला है, धीरे धीरे रेडिएशन से प्रकाश फैल जाता है । जब गांधी जी हिन्दुस्तान के अन्दर आये तो शान्ति निकेतन में, रवीन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में गये । सी० एफ० एंड्रूज ने कहा कि आप गांधी जी का परिचय संसार को दीजिये । गुरुदेव थोड़ा खामोश रहे । तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि मेरा बहुत दिन से प्रयास रहा कि आश्रम के अन्दर यहां विद्यार्थी और शिक्षक सब अपना कार्य करें, मैं इसके अन्दर असफल रहा हूं । गांधी जी ने कहा कि आप मुझे आश्रम का चार्ज दीजिये । उन्होंने चार्ज लिया । उन्होंने फिर कहा कि आज से रसोइयों की छट्टी और स्वयं साग काटने लगे । ऐसा मालूम होता था कि नियमानसार खाना बनने लगा । फिर उन्होंने कहा कि सफाई करने वालों की छुट्टी और खुद लेकर पहिना, झाड़ू लेकर चल पड़े । एक सप्ताह के अन्दर नियमित रूप से कार्य चलने लगा । रवीन्द्रनाथ जी ने कहा कि आज तमाम संसार अपने प्रकाश में गांधी जी को देखेगा, उनके परिचय की जरूरत नहीं है ।

इलाहाबाद के अन्दर कांग्रेस हुई । वहां पर भंगियों ने हड़ताल कर दी, गन्दगी का खतरा हुआ । गांधी जी निकल पड़े और गन्दगी वहीं पर रुक गयी । तो गांधी जी का तरीका तो स्वयं एक आदर्श उपस्थित करने का था । जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है वह अपने पर कठोरता बरतता है, दूसरों के ऊपर दया की दृष्टि रखता है । गांधी जी यह समझते थे कि आचरण को गिराने वाली कोई चीज है तो इसके विपरीत बरतना । जब मिस मेयो हिन्दुस्तान में आयी तो उसने अमरीका जाकर लिखा कि हिन्दुस्तान में देवदासियां हैं, यहां पर मंदिरों में नृत्य होता है, यहां पर बाल-विधवायें हैं, गन्दगी पायी जाती है ये सब बातें उसने "मदर इंडिया" नामक पुस्तक में लिखी । उसके बारे में गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिस मेयो हिन्दुस्तान की ड्रेन इंन्स्पेक्टर है । हिन्दुस्तान में नालियां हैं, इससे कौन इन्कार कर सकता है, लेकिन ड्राइंग रूम्स भी हैं । यह तो आदमी की दृष्टि के ऊपर है कि वह मकान के अन्दर जाकर केवल पाखाने को, ड्रेन को ही तलाश करता है, डाइनिंग रूम्स या ड्राइंग रूम्स को नहीं देखता । आज यहां एक चुनाव पद्धति की वजह से लोगों का ऐसा तरीका बन गया है कि चरित्र का वध किया जाय, जिसका नतीजा यह हो गया है जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि पानी पड़ने पर यह पता नहीं चलता कि आज क्या स्थिति है. . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता जी, क्या माननीय मंत्री जी के दिमाग में यह बात है कि अपोजीशन यहां पर ड्रेने इंस्पेक्टर का काम करता है, जैसा कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था ?

श्री अधिष्ठाता--

उग्रसेन जी, जब तक वह बैठें नहीं, कृपया आप न बोलें ।

श्री बनारसीदास---

उग्रसेन जी या विरोधीपक्ष पर किसी प्रकार का आक्षेप करने का मेरा तात्पर्य नहीं था । मैंने अर्ज किया कि यह एक ऐसा विषय है जो दलगत राजनीति से ऊपर हैं । यह जो निन्दा की प्रवृत्ति है उसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि परनिन्दा बड़ी भली लगती है और अगर बड़ाई सुनते हैं तो–

"जब काहू की सुनें बड़ाई, सांस लेय जिमि जूड़ी आयी ।
जब काहू पर होय विपत्ति, खुशी होय मानों जग नृपति ।"

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

तुलसीदास जो ने यह भी तो कहा है कि--

"निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय ।"

यानी निन्दक को पास ही रखना चाहिए ।

श्री बनारसीदास---

वह हमारा काम है । माधवप्रसाद जी जब हमारी आलोचना करते हैं तो हम उनके कृतज्ञ होते हैं क्योंकि वह हमको सतर्क रखते हैं । जो निन्दा करते हैं उनके प्रति तो हमारी सहानुभूति और दया है । क्योंकि वास्तव में वह जिस दृष्टि से देखते हैं वह नालियों की तरफ देखने वाली दृष्टि है । जो व्यक्ति पतित है वह केवल उनके भ्रष्ट आचार से फायदा उठाना चाहते हैं । समाज के अन्दर एक सुधार करना चाहते हैं । समाज के अन्दर यदि सुधार करना चाहते हैं तो बड़ी रोशनी के सामने छोटी रोशनी अपने आप फीकी पड़ जायगी । गांधी जी आये, उनको सब लोगों ने समझा, उनकी योग्यता को सबने समझा, सब लोगों ने उनको पहचाना । तो मैं यह एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं । समाज के अन्दर आंतरिक नियंत्रण से चरित्र का निर्माण होता है और बाहरी नियंत्रण से हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा होती है । इसलिए समाज के अन्दर हमको ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे लोग उच्छृंखलता के साथ हल्केपन की ओर न जायं और अपने अन्दर आंतरिक नियंत्रण को कायम रखना सीखें । जो छोटे-छोटे पत्र हैं कभी-कभी वे भी इस तरह का प्रचार करते हैं जिससे स्वस्थ वातावरण पैदा नहीं होता । जनता कभी कभी इस परेशानी में पड़ जाती है कि वह किस बात का यकीन करे किस बात का यकीन न करे । अगर हम कहते हैं कि वह चोर है, तो हमको यह भी शक होने लगता है कि कहने वाला ही तो कहीं चोर नहीं है ।

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए ।)

जहां एक बार जेब कटती है वहां हाथ जेब पर ही जाता है और यह भय लगा रहता है कि कहीं जेब काटने वाला तो नहीं है । समाज के अन्दर आपको एक वातावरण बनाना होगा, आचार संहिता से ही काम नहीं बनेगा । जरूरत इस बात की भी है कि हमको इन चीजों पर एक मत होना चाहिए । यह विषय ऐसा नहीं है कि इस पर कोई बहस हो । कोई भी, किसी भी दल का व्यक्ति क्यों न हो, उसे एक मत होना चाहिए और एक मत होकर देश के अन्दर उच्च वातावरण बनाना चाहिए । संसार के अन्दर वही आचार मान्य होता है जिससे समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है । यदि आज हमारे समाज के अन्दर इज्जत का पैमाना धनराशि हो गयी है तो कोरी बातें करने से ही, आचार संहिता से ही, काम बनने वाला नहीं है । सुन्दर शब्दों से ही वह नहीं बन सकता ।

श्रीमन्, समाजवाद के अन्दर मान्यताओं का पैमाना नहीं बदल सकता । समाज के अन्दर जब तक मालदार बनने का प्रलोभन रहेगा, जब तक यह होगा कि सफेद कपड़ा ही हमारी प्रतिष्ठा का इंडेक्स है, यह मुश्किल है । कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो , क्या वह यह पसन्द

[श्री बनारसीदास]

करता है कि उसकी लड़की की शादी किसी गरीब लड़के से हो जाय। एक शादी में किस-किस तरह की बातें होती हैं, दहेज चलता है, यह सब क्यों है ? तो हमको यह सोचना है कि किस तरह से हम समाज के अन्दर एक ऊंचा स्तर पैदा कर सकते हैं। गांधी जी हमारे बीच में आये। जैसा कि आचार्य कृपालानी जी ने कहा,उस वक्त हम लोग सोये हुए थे, हमारे बीच एक शक्ति आयी, उसने मिट्टी से शेर पैदा किए। तो गांधी जी ने क्या कोई आचार संहिता बनायी ? कोई कानून बनाया ? वे स्वयं ही एक ऐसी शक्ति थे कि जो भी उनके संपर्क में आता था उनसे प्रभावित हो जाता था। कोई भी व्यक्ति जो प्रभावशाली होगा उसका प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन जहां पर विद्वेष और निन्दा की भावना से कोई चीज पैदा होती है उसका एक ही पैमाना है। अगर दूसरे के हृदय में प्रतिहिंसा भावना पैदा हो तो समझना चाहिए कि एक दूषित मनोवृत्ति से यह आक्षेप किया गया है और जहां उसकी प्रतिक्रिया माता की मनोभावना की तरह से हो, जैसे वह अपने बच्चे का पालन करती है, तो उसमें प्रतिहिंसा नहीं होती। कभी-कभी देखने में आया है कि अगर दोष नहीं है तो दोष निकालने की कोशिश करते हैं और यह मैं समझता हूं कि हेय मनोवृत्ति है, एक कांप्लेक्स है। एक कहावत है कि हर आदमी अपने गोत्र को देख कर प्रसन्न होता है। जुआरी कहता है कि राजा नल भी जुआ खेलते थे, भंग पीने वाला कहता है कि भगवान शंकर भी भंग पीते हैं, शराबी दलील देता है कि पहले लोग सोमरस पीते थे, अगर कोई भोग विलास करना चाहता है तो कहता है कि यह तो इंद्र का जन्म-सिद्ध अधिकार था। इसी प्रकार बार बार मंत्रियों का नाम लेना भी एक फोबिया है जिसे इफीरियेरिटी कांप्लेक्स ही कह सकते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण शानदार हो तो हिमालय की चोटी पर बैठ कर कोई चीज बड़ी नहीं दिखायी पड़ेगी, नीचे की सब चीजें छोटी नजर आयेंगी। उसमें किसी विशेष व्यक्ति पर दृष्टि नहीं पड़ सकती है। इस संकल्प को पेश करके जिस भावना को पेश किया गया है इसका मैं आदर करता हूं और आवश्यकता इस बात की है कि लोग संदेह का वातावरण न पैदा करें। जहां संदेह और निन्दात्मक प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है वहां सदाचार नहीं रह सकता। वकालत का जवाब वकालत से दिया जा सकता है, किंतु लोगों को प्रभावित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। लोकमत को गलत ढंग से भी प्रभावित किया जा सकता है। चुनाव में एक बार एक वकील साहब और एक लाला साहब खड़े हुए। लाला साहब ने कहा कि मुझे चार जूते मार लो लेकिन वोट मुझे दो। लोगों ने भी सोचा कि ऐसा आदमी ही हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, भले ही उसे जूते लगा लिये जायं, वह कुछ कहेगा नहीं। दूसरे वकील साहब बड़े ईमानदार आदमी थे। लोगों को इंक्रोचमेंट के लिए परेशान करते थे। लोगों ने सोचा इनको वोट देने से क्या फायदा और वकील साहब हार गये। तो समाज में एक वातावरण पैदा करने की आवश्यता है। समाज में आज भी मालदार आदमी का बेटा शुरू से ही नेता बन जाता है। उसके पास मोटर है, कोठी है, मैं समझता हूं कि हमारा मस्तिष्क कंफ्यूजन से ऊपर रहना चाहिए। यदि गरीब लोग ज्यादा हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि हम धन को समाज में अधिक प्रतिष्ठा न दें। ऐसा होने पर धनवान व्यक्ति सहानुभूति का पात्र बन सकता है और उसे समाज की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

कुछ समय पहले इंग्लैंड में पार्लियामेंट का एक चुनाव हुआ। उसमें एक उम्मीदवार ने एक पादरी साहब से कहा कि आप अपने भाषण में इतना कह दीजिए कि जो रुपया लेकर वोट देगा वह नरक में जायगा। पादरी साहब ने इसका नतीजा देखने के लिए यह कह दिया और उसका असर लोगों पर हुआ। जनता जागृत हो गई, जनता का आचरण बना। जैसे कि इंग्लैंड के अन्दर थोड़े से अरसे में इस ओर काफी उन्नति हो गई। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक लोकमत पैदा करें। हमारे जितने कानून हैं उनसे ज्यादा मजबूत हमारे समाज के कानून हैं। आप यह समझिये कि हमारे विवाह संबंधी जो नियम हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, परन्तु उनकी जितनी मजबूती होती है उतनी हमारे कानूनों की मजबूती नहीं होती

है । हमें चाहिए कि हम आचार संहिता के अन्दर दलगत राजनीति को न रक्खें । मैं तो यह समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इसमें डिस्टिंक्शन प्राप्त करने की कोशिश भी करे, वह व्यक्ति मेरी दृष्टि के अन्दर तो केवल दया का पात्र हो सकता है । इसलिए जहां तक रेजोल्यूशन का सम्बन्ध है हम तो उसको अमल में ला रहे हैं । जहां तक इसकी स्पिरि का जो सवाल है उसके लिए किसी का है भी दावा करना मुनासिब नहीं होता । जहां तक इस रेजोल्यूशन के लैटर का सवाल है वह पूरे तरीके से अमल में है हमारे प्रदेश के अन्दर । स्पिरि का सवाल तो आचरण पर ही निर्भर करता है ।

कहा जाता है कि साहब कुछ लोग हैं जो कि कुर्सी ही खाली नहीं करना चाहते और इसके विपरीत कुछ लोग यह समझते हैं कि जन्मपत्री में ही नहीं लिखा कि खाली होने पर लाभ होने वाला भी है । आप सोचिए कि कुर्सी कोई किसी के कहने से छोड़ता है, तो इस प्रकार की चर्चा करना कहां तक ठीक है बहरहाल जो यहां पर आये हैं, हम लोगों के सामने कुछ लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, हम कुछ कार्यक्रम लेकर आये हैं । एक तरफ कभी-कभी यह भी होता है कि एक साधु ने एक आदमी से कहा कि घर छोड़ना जरूरी है, उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं । तो क्या सन्यास लेना जरूरी है मुक्ति के लिए, ——उन्होंने कहा, घर छोड़ना जरूरी है । तो साधु के पास जाकर आदमी ने पूछा कि एक जैसे दो प्रश्नों के अलग अलग उत्तर आपने दिए हैं । साधु ने कहा कि जैसे प्रश्न किये वैसे ही उत्तर दिये । इसलिए कुर्सी को न छोड़ना ही आवश्यक है । यह भी है कर्त्तव्यहीनता । पर हां, यदि कुछ पदलोलुप व्यक्ति कुर्सी के ही सहारे नंगा नाच करें, उसे मैं भीरुता और कायरता समझता हूं । मैं उसे कुर्सी का दुरुपयोग समझता हूं । दूसरी तरफ कुर्सी का छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है जब कि वह कर्त्तव्य के अनुकूल न हो । यह तो जनतंत्रीय प्रणाली में हमेशा अधिकार है कि कुर्सी हटाई जा सकती है । इसका कोई सवाल आचार संहिता से नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने देश की सेवा करे । इसलिए, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापिस ले लें क्योंकि हमारा इस पर अमल हो रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर——

श्रीमन्, जब कि जनता में संदेह पैदा हो चुका है तो आप उस संदेह को दूर करने का गाइडेंस दें और आप लीड दें ।

श्री बनारसी दास——

श्रीमन्, वे स्वयं अपने प्रश्न में स्वीकार करते हैं जो मैंने कहा । अगर वे कहते हैं कि मैं पथप्रदर्शन करूं, तो मैंने कर ही दिया । अगर वे यह समझते हैं कि मैं कर नहीं सकता तो वे खुद रास्ता दिखलायें । जिसमें शक्ति है या जो जिस पर यकीन करता है वह उसके पीछे चलेगा ।

एक सदस्य——

यह स्पष्टीकरण कर दें कि यह आचार संहिता सरकार की ओर से बनाई गई है या....

श्री उग्रसेन——

श्रीमन्, मुझे तो आज इस विषय पर बोलने में कुछ दहशत मालूम होती है और मैं अपने भाषण में २-३ मिनट से ज्यादा समय भी नहीं लूंगा । मुझे बोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी । आप मुझे बैठने को कहेंगे तो जिस समय भी आप कहेंगे बैठ जाऊंगा । मगर माननीय बनारसीदास जी के भाषण को सुनकर मुझे कुछ कहने की इच्छा हुई । उन्होंने जो कुछ आज यहां कहा है मैंने तो शायद किसी आम सभा में कहीं ऐसा भाषण सुना हो । सदन में पहले हो पहल मैंने ऐसा भाषण आज सुना है । बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही, उसका सर्टीफिकेट मैं उन्हें दे सकता हूं । चूंकि मैंने थोड़े दिन मास्टरी भी की है । अगर उनको विशेष योग्यता के नम्बर नहीं दे सकता तो ४५ फीसदी के ऊपर बिलकुल दे सकता हूं । वह भी कम नहीं है ।

[श्री उग्रसेन]

प्रश्न यह है कि माननीय बनारसीदास जी की भावनाओं के साथ हम विरोधी दलों के लोग भी अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करते हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुकुटबिहारी लाल जी भी इसमें आपत्ति नहीं करेंगे। मगर प्रश्न यह है कि हो क्या ? सभा क्या है ? जहां सत्य का मान हो उसी का नाम सभा है। संस्कृत का एक श्लोक है, मैं उसे भूल रहा हूं लेकिन उसका भाव यह है कि जब हमारी पंचायतों की बैठकें हुआ करती थीं वैदिक काल में और पौराणिक काल में, उसमें लिखा है कि विधायकों की सभा में जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाना जरूरी है तो सच बोलना चाहिए। जो सभासद विधान सभा में जाकर सच नहीं बोलता है वह महापापी है। माननीय बनारसीदास जी, प्रश्न यह है कि इस बाढ़ के जलाशय को रोके कौन। पानी का कुछ बहने का उसूल होता है। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं मगर थोड़ा सा व्यावहारिक बुद्धि से कह सकता हूं। पानी को सीधे नहीं रोका जा सकता है। उसे कुछ बांध बांध कर ही घुमाया जा सकता है या मोड़ा जा सकता है। भ्रष्टाचार को एक माननीय बनारसीदास नहीं, लाख माननीय बनारसीदास नहीं रोक सकते। एक हमारे बेचारे प्रधान मंत्री शांतिवन में चले गये। दूसरे प्रधान मंत्री आये हैं। "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा'। इस महौल को जो आज देश में बना हुआ है, किसने पैदा किया ? हमने तो कोई कुर्बानी नहीं की केवल रात में परचा बांट आये या २, ४ बार स्कूलों में हड़ताल करा दी। माननीय बनारसीदास जी, जो सबसे बड़ी गलती इस समय हमारे हुक्मरानों ने की, हम लोग बड़े उतावल थे सरकार लेने के लिए, श्रीमन्, आप भी जानते हैं, चाहे देश का बटवारा या जो कुछ भी हो जाय। १५ अगस्त, १९४७ को सारी शक्ति मंडल कांग्रेस कमेटी को दी जानी चाहिए थी। सारी शक्ति मंडल की मंडल कांग्रेस कमेटी को दे दी जाय। जिला कांग्रेस को जिले में दे दी जाय और सूबा कांग्रेस को सूबे में दे दी जाय कि वह सूबे में राज करे। हमारी डैकन क्वीन बम्बई से पूना चलती है वह छूट गई। श्रीमन्, बचपन से क्रांति का इतिहास पढ़ने का कुछ शौक रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां क्रांति होने के बाद हुकूमत जो बनती है उसमें शहीदों के या कुर्बानी करने वालों के हाथ में शक्ति नहीं दी जाती है। रूस में पीपुल्स कोड बना। चीन में जाइय तो जो पार्टी क्रांति करती है वह अपने शहीदों को इज्जत करती है। इस सरकार ने तो मुझे अफसोस है कि वह भी नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वही पुराने अफसर और वही पुराने थानेदार जो अंग्रेजों से हमें मिले थे, वही आज सक्रेटेरिएट में बड़े बड़े अफसर हैं। इन्होंने ही तो हमारे देवरिया, गोरखपुर और तमाम जगह के जनता के घर फूंके थे। जब माननीय बनारसीदास जी चुने नहीं गये तो जिला कांग्रेस कमेटी के नेता हो गये। यह सही है कि जनतंत्र में सिविल सर्विसेज का भी एक स्थान है। लेकिन यह भी सही है कि जनतंत्र अपना प्रहरी होता है। यह भी सही है कि कानून से सदाचार नहीं आ सकता। समाज की कुछ मान्यतायें होती हैं। सिसरो अपने गुरु सुकरात को जेल से छुड़ाने के लिए गया। उसने उनसे कहा कि अब यहां कोई पहरेदार नहीं है, मैंने सब को मिला लिया है, दरवाजे सब खुले हैं, आप निकल जाइये। मगर गुरु ने कहा कि अथीनिया के कानून को हम कैसे तोड़ सकते हैं।

(इस समय १ बज कर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

हमारे यहां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें कहीं गई हैं। हमारे यहां कानून को तोड़ने का भय नहीं रहा। इसलिए अच्छा हुआ कि यह प्रस्ताव या संकल्प आया कि भ्रष्टाचार क्या है, इस पर बहस हो। हमारे यहां मौन, जेठन, खनुआ में कीचड़ भरा हुआ पड़ा है। एक जज का बोर्ड बैठा दें। पटवर्धन को बैठा दें। सेठ दामोदरदास मौत की चारपाई पर पड़े हुए हैं। उग्रसेन ने भ्रष्टाचार किया कि पार्टी में नेता बन बैठे। ऐसा नहीं है। यदि गलत तौर पर पार्टी के नेता बन जाय तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही कहा जायगा कि दूसरे को पीछे ढकेल दिया। माननीय बनारसीदास जी ने तो क्या लेकिन इनके विभाग के अफसरों ने जाकर कोई कोआपरेटिव यूनियन फूंक दिया हो। हम उसे कुछ नहीं कहते हैं। मैं जानता हूं, मेरे पास ५, ५ लड़कियां हैं। जब उनकी शादी की बात करने जाता हूं तो यह सबसे बड़ी शिकायत

होती है कि यह राजनैतिक आदमी हैं यह एम० एल०ए० हैं, ये २०,००० हजार रु० तिलक में दे सकते हैं। मगर हम उस तरफ कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकते हैं। हमारा समाज गिरा हुआ है। समाज को ठीक करने के लिए आमूल परिवर्तन और कांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है इसके लिए सरकार उत्तर दे कि क्या वह कोई क्रांतिकारी कदम उठावेगी। सारा गांव अगर बाढ़ में डूब गया है, तो क्या अपने घर पर भी बांध न बांधे, इसके लिए हमें कोई मयार अपने यहां बांधना ही होगा। पुराने जमाने में जब हमारे कांग्रेस नेता टाउन हाल, वाराणसी में जाते थे, तो उनको सुनकर हमारा दिमाग बिलकुल साफ हो जाता था, और हम यह कहते थे कि हम मुल्क के लिए यह करेंगे। लेकिन क्या आप जाते हैं, तो आपकी जनता वही स्वागत करती है और उसका वही प्रभाव होता है? माननीय मंत्री जी ने यह ठीक कहा कि कुर्सी किसी को दी नहीं जाती है, वह तो ले ली जाती है। यह ठीक है कि आज हमारे अन्दर ऐसी ताकत नहीं है कि हम कुर्सी को छीन लें। लेकिन आपने अंग्रेजों के हाथ से इसको लिया, तो आपने १८ वर्षों में क्या किया? आज हिन्दुस्तान में कोई इतिहासकार हुआ ही नहीं है जिला गजेटियरों को देख लिया जाय, तो उनमें किस किस के नाम हैं? गोरखपुर में सुरेंद्र सिंह मजीठिया का नाम है, अमर शहीद बन्धूसिंह का नहीं। हजारों लोगों का नाम आज के इतिहास में नहीं है क्योंकि "जिम्मेदारी के पदों पर गद्दार बिठाये जाते हैं"।

क्या माननीय बनारसीदास ने चुनाव की आचार संहिता पर दस्तखत नहीं किये थे? लेकिन उधर के कुछ लोगों को तो टिकट नहीं मिला या कुछ लोगों को कांग्रेस में फिर से नहीं लिया गया। लेकिन इधर के कुछ बैठने वाले गेंदासिंह, रामायण राय वगैरह को क्यों ले लिया? क्या माननीय बनारसीदास जी बता सकते हैं, कि जनसंघ, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट किसी पार्टी ने ऐसी बात की जैसी कि उन्होंने माननीय गेंदा सिंह जी को अपने दल में शामिल करके की?

श्री बनारसीदास--

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एस० पी० और पी० एस० पी० उन दोनों का मिलना और अलग होना किस जनता से पूछ कर हुआ था?

श्री उग्रसेन--

इसके लिए हमारा बाकायदा जल्सा हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, और तब ऐसा हुआ। और कांफ्रेंस में बाकायदा मिले।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

आपने रिजाइन करके जनता से राय क्यों नहीं ली थी?

श्री उग्रसेन--

इसके लिए जस्टिस मुल्ला को कमीशन में बैठा दिया जाय, वे जो बात कहेंगे, उसको हम मान लेंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गई, उन्होंने कह दिया कि अब कोई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पुरानी नहीं है, इसलिए हमको झोंपड़ी दे दिया और कहा कि तुम्हारी कोई नई पार्टी होगी, चाहे बरगद ले लो या और कुछ ले लो।

जिस बात को दिमाग में रखकर और जिस सद्भावना से माननीय बनारसीदास जी ने आज एक अच्छा भाषण दिया, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे, अक्ल लगाये और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उसके बारे में कोई फैसला ले। लेकिन हमें दुख तब होता है, जब ३९६ में एक बेकसूर व्यक्ति का चालान कर दिया जाता है, जिसमें फांसी की सजा तक हो सकती है और जज और मैजिस्ट्रेट ने भी इस बात को लिखा है। लेकिन माननीय हरगोविंद सिंह जी उस दरोगा को मुअत्तल भी करना नहीं चाहते हैं। बताइये उस शिवधारी गरीब की बात कौन कहे, उसकी सुनवाई कैसे हो? चौधरी रतीपाल जी ने आज एक प्रश्न पूछा कि सुमेर हरिजन

[श्री उग्रसेन]

का घर गिरा दिया गया, अब उसका घर कैसे बने ? और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अनुदान तो कायदे कानून से मिलता है। यह हमारे अविश्वास की बात नहीं है, यह चीज तो जनता का आप में अविश्वास पैदा हो रहा है, यह बताता है। ६७ में हम लोग कम आयेंगे या बेश आयेंगे। इसमें मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जनता में आपकी साख प्रति दिन घट रही है।

आपने कहा कि हम तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन आप में और कमला पति जी में क्यों लड़ाई होती है ? माननीय बहुगुना जी दरख्वास्त देते हैं कि श्री बनारसीदास हमें जान से मरवाना चाहते हैं। हमने कहा कि बनारसीदास तो बड़े भले आदमी हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आपके यहां के ही १०० आदमी दस्तखत करके देते हैं कि श्रीमती सुचेता कृपालानी को गवर्नमेंट बड़ी गई गुजरी है। हम तो कहते हैं उनसे कि अगर आप में हिम्मत है, तो मेरे दल में आ जावो। मैं एक दिन में इस नालायक गवर्नमेंट को गिरा दूंगा। इस तरह से जब आप विरोधी पक्ष की बात करते हैं, तो आप अपने घर को क्यों नहीं देखते ?

हर दरोगा चाहता है कि हर एम० एल० ए० हमारे पास आये। हम जनता के किसी काम से उसको टेलीफून करते हैं तो वह हमारा सुनता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक माहौल बनावें, एक आदर्श पैदा करें, वैसा ही आदर्श जैसा गांधी जी ने पैदा किया था। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि बम्बई में महात्मा जी जब प्रार्थना कराते थे, मैं भी मजदूरों को लेकर वहां जाता था, और ४६, ४७, ४८ तक मुझे उनको देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्म कथा में कहा था कि जो सरकार जनता का आर्थिक, धार्मिक या राजनैतिक दृष्टि से शोषण करती है, जनता का यह कर्त्तव्य हो जाता है उसको हटा दे। इसीलिए मैं जनता को आहूत करता हूं कि वह इस सरकार को, जो इसका आर्थिक और राजनैतिक शोषण कर रही है, उतार फेंके, ताकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आशाएं पूरी हो जायं। हमारे उपनिषदों में एक वाक्य आता है—"तेन त्यक्तेन भुंजीथा . . .। हमारी पुरानी यह परंपरा रही है कि लोग राज पाट को छोड़कर और अपने ऐश्वर्य का त्याग करके आनन्द प्राप्त करते थे। मैं कहूंगा कि यह सरकार भी कुछ त्याग करना सीखे, और उससे जो जिन्दगी का मजा मिलता है, उसको उठाये,। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुकुटबिहारी लाल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी उस प्रस्ताव के बाहरी रूप को न देखें। उसकी आत्मा को देखें। शरीर पर पैजामा की जगह भले ही पैंट पहना दे।

†श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से उपनेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के भाषण को सुना और मैं उन से और उन के दल के लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि वे जरा ठंढे दिल से मुझे सुनने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंन एक तर्क यह दिया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस में क्यों चले आये। बड़ा पुराना नारा था। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नहीं बनी थी, और उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी दोनों अलग-अलग थीं, उस समय सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय उग्रसेन जी थे, और जब दोनों पार्टी बनीं, तो किस नीति के अनुसार बनी ? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि केरल के मामले को लेकर समाजवाद का हनन क्यों किया गया ? जिस कैलकुलेटेड मूव के अनुसार प्रजा सोशलिस्ट दल को तोड़ा गया और कहा गया कि प्रक्रिया-वादी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के सामने दूरी रखो और इस तरह से त्राल मेल की थ्योरी लेकर चलने वाले लोग किस तरह से कहते हैं कि कांग्रेस में जाने का हमें हक नहीं था।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

एक व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। उसका कोई अवसर नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

कलेजे पर पत्थर रखकर अब सुनें। हम हल्ले से बैठने वाले नहीं हैं, हम भी जानते हैं कि हल्ला कैसे होता है। तो यह तालमेल की नीति किस नैतिकता के आधार पर अख्तियार की गयी और किस नैतिकता के आधार पर उस पार्टी के लीडर्स आज चल २ हैं, खास तौर से मधुलिमैया साहब जो कहते हैं कि चीनी समर्थक कम्युनिस्ट ज्यादा प्रगतिशील और अच्छे हैं, उन से मिलकर लड़ने की बात के निश्चय पर कोई भी देशभक्त, राजभक्त या समाज का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति और समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाला व्यक्ति चीन समर्थक कम्युनिस्टों से ताल मेल करने की बात आज नहीं सोच सकता। तो किस नैतिकता के आधार पर आप कहते हैं कि हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के आदमी हैं? जिस एस० एस० पी० के नाम पर आप चुनाव लड़े थे, जिस एलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया और जिस झोपड़ी को गाली देकर और बदनाम कर के माननीय उग्रसेन जी और उन के दल के सदस्य चुन कर आये, उसी झोंपड़ी को वह आज सर्वप्रिय मानते हैं। यह आप की किस नीति का द्योतक है, समाजवाद की बात तो जाने दीजिये? जो उस बरगद के वृक्ष के गीत गाते थे, प्रशंसा करते थे, जिस चिन्ह पर वह जीत कर आये वह कहां गया? वह सोशलिस्ट पार्टी, वह बरगद, वह समाजवाद की थ्योरी, वह इक्वीडिस्टेंस की थ्योरी सब कुछ कहां चला गया? इस तरह से व्यक्तिवाद को प्रश्रय दिया जा रहा और राष्ट्रविरोधी नीति के द्वारा यहां हिटलरवाद और व्यक्तिवाद को देश में पनपाने की चेष्टा हो रही है। एक समाजवादी होने के नाते मैं माननीय उग्रसेन जी को याद दिलाऊंगा कि वह तो आचार्य नरेन्द्रदेव जी के बड़े भक्त रहे हैं और उनके विचारों के भी भक्त रहे हैं, तो क्या वह बता सकते हैं कि क्या उनकी यह थ्योरी उनके विचारों के अनुकूल है? जो उनके साथी हैं वह बतायें कि आज तक एस० एस० पी० का कोई कार्य क्रम है? न उनकी कोई नीति है और न कोई कोई घोषित सिद्धान्त है, न कोई पालिसी है। ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती कि जिसका कोई सिद्धान्त न हो, कोई नीति न हो, कोई कार्यक्रम न हो और जो दूसरों को शिक्षा देने में सब से आगे हो। कहा गया कि कांग्रेस के अन्दर आने का जो फैसला हुआ, उसके लिए कोई सम्मेलन नहीं हुआ, मैं याद दिलाऊंगा कि १०-११ जून को कैसरबाग बारादरी में सम्मेलन हुआ उन सोशलिस्टों का जो...

श्री बांकेलाल—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री बांकेलाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई चोर भी समाजवाद पर भाषण दे सकता है?

श्री कल्पनाथसिंह—

आप ठीक कह रहे हैं। यही मैं भी कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात नहीं है। देहात में जब पंचायत होती है और जब कोई तर्क नहीं रह जाता है तो लाठी लठौअल की बात आ जाती है। मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और सोचा और समझा जाय कि बात क्य. है कि हम ने कांग्रेस में आने का फैसला क्यों किया है।

[श्री कल्पनाथसिंह]

आज उधर यह दलील दी जाती है कि कांग्रेस में एक विचार नहीं हैं। जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बचे हुए लोगों ने यह फैसला किया कि सोशलिस्ट पार्टी के साथ ताल मेल की नीति अख्तियार करना चाहिये उसी प्रकार से कांग्रेस ने भुवनेश्वर में प्रजातंत्र समाजवाद की घोषणा करने की बात, इस मुल क में एक समाजवाद की विचार धारा और इस मुल्क में समाजवाद को पनपाने और प्रजातन्त्र को मजबूत करने का फैसला किया है।

इस मुल्क पर चाइनीज आक्रमण के समय लोगों को डिमोरैलाइज करने की कोशिश हुई। कुछ लोगों ने जानबूझ कर इस प्रकार के षड़यन्त्र किये जिस से इस मुल्क में खतरा पैदा होने लगा। इसलिए भी कांग्रेस में हम लोग शामिल हुये हैं। दूसरे इस देश में एक ही मजबूत पार्टी है, और वह है कांग्रेस पार्टी। इस लिए भी कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। मैं इस लिए कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो चाइनीज कम्युनिस्टों से ताल मेल रखने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं जो इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और उन के पीछे खड़ा होने पर मुझे भी गर्व है। इसलिए मैंने कांग्रेस में आने का फैसला किया है। रोजमर्रा यह बात कही जाती है कि इस्तीफा देकर कांग्रेस में जाना चाहिये था। अगर इस्तीफे की बात कही जाती है तो आप को भी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिये। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आये और जो कांग्रेस में आये हैं उन सारे लोगों को इस्तीफा देने का अगर सवाल हो तो दीजिये। आखिर जिस बात पर आप एतराज करते हैं जनता ने तो यह बात नहीं कही। (व्यवधान)। केवल "शास्त्री सरकार हटे" कहने से यह सरकार नहीं हट सकती। आप इसे ठंडे दिल से सोचें। जिन परिस्थितियों से आज मुल्क गुजर रहा है, उन परिस्थितियों में आप को सोचना चाहिये कि कौन सी बात कहनी चाहिये, कौन सी बात नहीं कहनी चाहिये। कौन सा काम करना चाहिये और कौन सा काम नहीं करना चाहिये। आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचें और विचार करेकि उन की नीति का जो प्रभाव था, उससे या उनकी थ्योरी से समाजवादी व्यवस्था पूर्ण होती है। इसलिए नहीं पूर्ण होती, क्योंकि वे चाइनीज कम्युनिस्टों से हाथ मिलाने की बात करते हैं, उन से ताल मेल करने की बात करते हैं। प्रजातन्त्र की व्यवस्था के विरुद्ध बातें कहने से प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं कि उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव रखा गया है जनता में बदनाम करने के लिए। ये जन प्रतिनिधि हैं, जिनका मारेल ऊंचा नहीं है। यह जो जनतांत्रिक प्रणाली है वह स्वतः इस बात को गवारा नहीं करती कि ऐसे लोगों के हाथ में शासन सूत्र रखा जाय। इस भावना को फैलाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया है और इस भावना से प्रेरित होकर ही यहां इसके समर्थन में भाषण दिये जा रहे हैं। जो इसका समर्थन कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चरित्र की बात जो यहां कही जा रही है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को, अपनी सम्बन्धियों को, अपने अगल बगल में रहने वालों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया? केवल हाउस में खड़े हो कर बात कह देना बहुत आसान है लेकिन उसको मूर्तिमान् रूप देना और उसे क्रियाशील बनाना बहुत मुश्किल है।

माननीय नेता सोशलिस्ट दल ने कहा कि सारे समाज की जड़ में कीचड़ है। हो सकता है कि सारे समाज की जड़ में कीचड़ हो लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि अगर समाज में कोई अवगुण है तो समाज सेवियों को, कार्यकर्त्ताओं को यह विचार करना चाहिये। इस पर ध्यान देना चाहिये और उनका एक संयुक्त प्रयास होना चाहिये जिस के जरिये इस बात को खत्म किया जा सके। संयुक्त प्रयास न करके, उस के लिए प्रयत्नशील न होकर केवल भाषणों से समाज का भला नहीं होने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं मौजूदा प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शान्त रहें।

†श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस चीज में कोई गड़बड़ी नहीं है यदि मन्त्री लोग अपनी सम्पत्ति का विवरण दे देते हैं। इस में आचरण पर कोई आक्रमण करने वाली बात नहीं है। मन्त्रियों की पहले जो आर्थिक स्थिति थी वह मन्त्रि-परिषद् में आने पर सुधरी, ज्यादा सुधरी या आनुपातिक दृष्टि से बढ़ी है इसी को दृष्टि में रखकर यह प्रस्ताव लाया गया है। ऐसे कई केसेज आये हैं जिनमें कई बाद विवाद हुआ और कई मन्त्रियों ने नाना प्रकार की बातें कहीं।

मैं समझता हूं कि प्रसंगवश मैं इस बात को कह रहा हूं कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर माननीय सुखाड़िया जी से यह कहा गया कि आपकी परिस्थिति चीफ मिनिस्टर होने के पहिले क्या थी और आज क्या है। इतनी सम्पत्ति आज आप के पास कहां से आयी? इस पर उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे और मेरी पत्नी ने यह रुपया कमाया है। ठीक है बिजनेस चलता है, इस में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसके आधार पर हिसाब चलता है, उसका क्या है? किस तरह से सम्पत्ति बढ़ती चली जाती है, इसको देखना होगा। एक बात यह होती है कि सत्तारूढ़ मनुष्य मद की ओर जाता है और वह इस बात की कोशिश करता है कि सत्ता का प्रयोग जितना ज्यादा हो सके वह अपने हित में हो।

बाबा साहब अम्बेदकर कहा करते थे कि "मैं और मेरा स्वार्थ, इसी में लोगों का धर्म सम्पन्न हो जाता है", ऐसा लोग समझते हैं। अपनी ही उन्नति की ओर ध्यान लगाते हैं और अपने देश की उन्नति हो यह भावना लोगों के मन से विलुप्त होती चली जा रही है। मनुष्य अधिकार प्राप्त होने पर उनका दुरुपयोग इसलिए करता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत हो जाय और अपनी सन्तान का भला हो जाय। ऐसे अधिकार द्वारा सम्पत्ति पैदा करना और देश की उन्नति का कोई ध्यान न रखना, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं।

अभी हमारे माननीय सदस्य कोशिश कर रहे थे और यह दलील दे रहे थे कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मजबूत और दृढ़ है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि यह देश व्यापी पार्टी है और, यह भी मानता हूं कि कांग्रेस को कैपिटलिस्ट्स का संरक्षण मिल रहा है और कांग्रेस की व्यक्तिगत सम्पत्ति का बढ़ावा हो रहा है। पार्टी के नाम पर नाना प्रकार की मदद इन लोगों को उन लोगों से मिलती है जो देश का शोषण करते हैं, जो समाज का शोषण करते हैं और जो गरीब व्यक्तियों का शोषण करते हैं। अगर इस पर कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वह देश में बहुत शक्ति सम्पन्न पार्टी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है।

मान्यवर, यह जो बड़े गर्व के साथ बात कही जाती है, यही प्रजातन्त्र में सब से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा वृक्ष बन जाती है जिसके साथ-साथ दूसरे वृक्ष पनपने मुश्किल हो जाते हैं तो फिर श्रीमन्, प्रजातन्त्र कहां जायेगा? आज जो उन की दशा है, जो गर्व आ चुका है, जो घमण्ड आ चुका है कि हमीं सब कुछ हैं और जैसा चाहें करें, अगर यह बात आ गयी तो फिर इस प्रजातन्त्र का क्या होगा? आज गरीबों के ऊपर लोग टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। गरीब टैक्सों के बोझ से पिसते चले जा रहे हैं। जिन आदमियों की आज सरकार में ऐप्रोच नहीं है वह अपना भला नहीं करा सकते हैं। वे आदमी जो सरकार तक पहुंच कर लेते हैं वे नाना प्रकार से धन पैदा करते हैं। अगर इसी तरह से चला तो प्रजातन्त्र का क्या होगा? कांग्रेस का यह कहना है कि हम सर्वसम्पन्न पार्टी हैं, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। प्रजातन्त्र को पनपाने के लिए सफल विरोधी दल का होना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक सफल विरोधी दल नहीं होगा तब तक प्रजातन्त्र पनप नहीं सकता है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

अमरीका में प्रजातन्त्र चल रहा है। वहां पर इस बात का खयाल रखा जाता है कि जो सुविधाएं शासक दल को प्राप्त हैं, वे ही विरोधी दलों को भी प्राप्त होनी चाहिये। जो अधिकार नेता सदन को दिये जाते हैं वे ही नेता विरोधी दल को भी दिये जाते हैं। इंग्लैण्ड में जो सुविधायें प्राइम मिनिस्टर को हैं वे ही सुविधायें नेता विरोधी दल को भी दी जाती हैं। ऐसी दशा में प्रजातन्त्र चलता है। हमने सुना है कि अमरीका में एक- एक सिनेटर के पास ३२-३२ आदमियों का स्टाफ है और एक एक सदस्य के पास ९।९ आदमियों का स्टाफ है जिससे वे अपनी कांस्टटीटुयेंसी का काम देख सके और उसका ब्योरा तैयार कर सकें। क्या आप की यह पार्टी निश्चय करेगी कि विरोधी दल के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये और उन को भी वही मान्यता मिलनी चाहिये। हमारे रिपब्लिकन पार्टी देश व्यापी है उसको आफिस तक नहीं दिया गया। क्या इस तरह से प्रजातन्त्र पनपेगा?

प्रस्ताव केवल यह है कि यह जो मन्त्रि-परिषद् के सदस्य आते हैं, वे अपनी सम्पत्ति ब्योरा हर साल दें, तो इसमें कोई हानि नहीं है, इस में कोई उनकी मानहानि नहीं है, इसमें कोई उनके ऊपर चारित्रिक दोष भी नहीं है और न किसी प्रकार का दोषोरोपण ही है। सम्पत्ति आयी, उनका कोई बिजिनेस चल रहा है तो यदि यह देश के हित के लिए ब्योरा देते हैं तो यह परम्परा बन जायेगी और शनैः शनैः प्रत्येक उत्तरदायी पद पर काम करने वाले को अपना ब्योरा देना होगा। तो हर आदमी गलत काम करने से पहले, गलत ढंग से पैसा अर्जन करने के पहले सोचेगा कि हमें देश के सामने उसका पैसा बताना होगा, इसलिए वह डरेगा और धनार्जन के लिए वह कोई गलत तरीका नहीं अपनायेगा। सही बात को कहने में, सही बात को स्वीकार करने में कोई डर और खेद नहीं होना चाहिये और यदि यह नहीं किया जाता है तो जनता अवश्य शक की निगाह से इन्हें देखती रहेगी। इसके साथ ही साथ क्रियात्मक रूप में भी इसकी एक पवित्रता है। क्रियात्मक रूप में पवित्रता यह हो सकती है कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसका कार्यान्वयन किया जाता है तो उस आधार पर हर आदमी इस बात को सोचेगा कि वह इस प्रकार का गलत काम नहीं करेगा, जिस प्रकार के गलत कार्यों के करने पर प्रजातन्त्र की पीठ में छुरा भोंका जाता है, और जैसे काम करने पर व्यक्ति विशेष का लाभ होता है और समाज का एक विशाल अंग हानि सहन करता है। प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसका मैं समथन करता हूं, भावनात्मक रूप से जितना सुन्दर है, व्यावहारिक रूप से भी उतना ही सुन्दर है, सैद्धान्तिक रूप से भी वह उतना ही सुन्दर है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैं, अब आप से थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलिये, २ मिनट अभी हैं।

श्री खेमचन्द—

वर्तमान कांग्रेस सरकार ने समाजवादी ढांचे पर समाज के निर्माण का ध्येय अपनाया है। वह सिद्धान्ततः समाजवाद की ओर जा रही है। किन्तु समाजवाद का क्या मतलब है? समाजवाद का मतलब है सम्पत्ति के मूल स्रोत मुट्ठी भर हाथों में केन्द्रित न रहकर समस्त समाज में उनका विस्तार होगा, सत्ता का आर्थिक और सामाजिक विकेन्द्रीयकरण होगा, और समाज में उत्पन्न साधनों उपभोग का सब को समान अधिकार होगा, सम्पत्ति के वितरण में आनुपातिक फर्क इतना नहीं होगा कि वह आदमी अट्टालिकाओं पर अट्टालिकाएं बनाता चला जाये और दूसरा आदमी एक झोंपड़ी के लिए तरसे, ओढ़ने और पहिनने के लिए तरसे। आज जो हमारे अन्दर वैषम्य है, एक ओर सम्पत्ति का अर्जन होता चला जा रहा है और दूसरी ओर गरीब निरन्तर गरीब होकर भुखमरी का शिकार होता जा रहा है, उसके लिए सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, वह रात्रि में फुट पाथ पर पड़ा रहता है, दाने दाने के लिए मुसीबत उठाता है। यह समाजवाद की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से समाजवाद नहीं पनप सकता।

इस तरह से समाजवाद स्वप्न ही बना रहेगा। और मन्त्रि-परिषद् के सदस्य अपनी सम्पत्ति का हिसाब किताब करते हैं तो उनकी ओर से जनता आश्वस्त होगी कि हमारे जो कर्णाधार हैं वे ईमानदार और जनसेवी हैं, जिन्हें हम ने चुनकर भेजा है वह त्यागी और देशसेवी हैं और हमारी मदद करेंगे और देश को ऊंचा उठाने योग्य हैं, वे यह सोचेंगे कि उन आदमियों के दिमाग में में कोई गलत काम करने की प्रवृत्ति नहीं जमी है। इसलिए में कहता हूं कि सिद्धान्ततः भी यह प्रस्ताव बड़ा महत्व रखता है। आप की सरकार और जो बड़े-बड़े नेता प्रशासन और समाजवाद की दुहाई देते हैं, क्योंकि उन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में बहुत आगे बढ़कर काम किया है और उन आदमियों ने देश की आजादी लाने के लिए समय दिया है, ऐसे लोगों पर त्याग की छाप लगी है और तपस्या की मुहर लगी है, उस छाप और पवित्र मुहर पर इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले कालिमा पोतना चाहते हैं, जिससे वे अपने भोग लिप्सा और अय्याशी के जीवन को भोगते रहें। वे चाहते हैं कि जनता को लूटते रहें, और उस की गाढ़ी कमाई से विलासितापूर्ण जीवन बिताते रहें, ऐसे ही लोग इस प्रस्ताव की पवित्र भावना का विरोध करते हैं। जो दूसरों को कहते हैं, वे स्वयं अपने गरेबान में मुंह डालकर देखे कि विलासिता कहां पनप रही है, वह कांग्रेस के कैम्पों में पनप रही है, जिसके पीछे त्याग और तपस्या छिपी थी, उनकी त्याग और तपस्या की धुली चादर पर आप लोग कालिख पोतते जा रहे हैं। जनता ने जिनको अब तक हीरा समझा था वह आज कांच के टुकड़े होकर छिन्न-भिन्न हो गये हैं, उन के आपसी संघर्ष, उन की पद-लोलुपता की आदतों के कारण पूरा समाज ही बदला जा रहा है और वे स्वयं उत्तरोत्तर पतन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं कारणों से आज ब्युरोक्रैसी सरकार पर हावी होती चली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय बिलकुल समाप्त हो गया, अब आप बैठ जाइये।

श्री खेमचन्द—

श्रीमन्, दो मिनट और दे दें। ब्यूरोक्रैसी का कारण यह है कि आफिस बियरर्स कितने भी हैं, उन सब को गुटबन्दी के आधार पर यहां बिठाया गया है। उनका पालिटिक्स से घनिष्ट सम्बन्ध है। कोई कांग्रेस पार्टी के गुट का है, कोई संसदीय पावर का है और उन को वहीं से गलत कामों के लिए शह मिलती है और उनके प्रभाव में आकर प्रदेश में नाना प्रकार के गलत कार्य होते हैं। इस नाते भी इस प्रस्ताव का बहुत बड़ा महत्व है और इससे बुराई को दूर करन में सहायता प्राप्त होगी। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह दख रहा हूं कि जो माननीय सदस्य खड़े हो रहे बोलने के लिये उनमें से बहुत से सदस्य जैसे माननीय जे० पी० मिश्र और माननीय लखपतराम शर्मा जी पहले इस प्रस्ताव पर बोल चुक ह।

श्री जे० पी० मिश्र--

मैंने सोचा कि शायद दोबारा मौका मिल जाय तो मैं स्थिति को और स्पष्ट कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, यहां रिकर्ड है । ऐसा नहीं हो सकता ।

*श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पक्ष और विपक्ष में अपने भाषण दिये । तीन दिनों की चर्चा में जो बात बराबर इस सम्बन्ध में कही गयी है वह आपने भी और मैंने भी काफी ध्यानपूर्वक सुनी है । मान्यवर, हमारी भावनाओं का आदर इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने पूर्णरूप से किया है और उसको पूर्णतया माना है । माननीय सुखदेव प्रसाद जी द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है । मुझे यह बहुत ठीक मालूम होता है और मैं उसे स्वीकार करता हूं । यह इसलिये भी कि पिछली आवासमंत्रणा उपसमिति के संयोजक के रूप में मुझे काम देखने का मौका मिला और मैंने देखा कि हमारे माननीय सदस्यों द्वारा भी किस प्रकार से गड़बड़ी की जाती है जो हमारे लिये अत्यन्त लज्जा की बात है और इस जनतंत्र के युग मे जनप्रतिनिधियों द्वारा होने वाले कार्यों का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । आज देश और प्रदेश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से जो आशा लगाये बैठी है उसके विपरीत जनप्रतिनिधियों के सम्बन्ध में जिस प्रकार की भावनायें देश और प्रदेश के अन्दर व्यक्त होती हैं उन से कभी-कभी सिर शर्म से झुक जाता है । जनतंत्रीय सरकार में हमारे मंत्रिगण जनतंत्र की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं । उनके द्वारा होने वाले कार्य सारे आफिसरान पर और सारी जनता पर अवश्य प्रभाव डालते हैं । जिस प्रकार का राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होती है । पिछले दिनों मान्यवर, आपने अखबारों में देखा होगा कि किस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के मंत्रियों पर लांछन लगाये जा चुके हैं और यहां पर भी स्पष्टरूप से कई मंत्रियों पर आरोप लगाये जा चुके हैं । ऐसी हालत में जनता कितना उन पर विश्वास करेगी, यह बात तो सभी लोग जानते हैं ।

एक बात और, सरकार द्वारा कही जाने वाली बार्ता में कितना विरोधाभास होता है यह तो पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से स्पष्ट हो जायगा । वह मैं पढ़े देता हूं--

"भारत सरकार ने संस्थानम् कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अपने और प्रदेशों के मंत्रियों के लिये आचरण का एक कोड बनाया है । इस कोड को उत्तर प्रदेश में स्वीकार कर लिया गया है । कोड की कापी सदन की मेज पर रख दी गयी है ।"

मान्यवर, मैं उस कोड का पहला पैरा पढ़ना चाहता हूं--

"प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री, जैसी दशा हो, अपने और अपने परिवार के लोगों के बारे में सम्पत्ति तथा देनदारी और व्यवसाय में कोई हिस्सा हो उसका ब्योरा देगा । जो ब्योरा दिया जायगा उसमें सारी अचल सम्पत्ति का विवरण होगा तथा (१) शेयरों और डिबेन्चरों (२) नकदी तथा (३) जेवरात की पूरी मालियत का करीब-करीब अन्दाजा शामिल होगा ।"

यह "संविधान, रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट, १९५१, तथा अन्य कोई लागू कानून में जो भी व्याख्यायें हैं उनका अनुसरण करने के अलावा मंत्रिपद का भार संभालने के पहले, हर व्यक्ति लिखकर देगा" ।

भारत सरकार ने भी हमारी भावनाओं को मान लिया है । तब मेरी समझ में बात नहीं आती कि उत्तर प्रदेश सरकार को मेरी बात मानने में आपत्ति क्या हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसम कोई कठिनाई नहीं मालूम होती है। इन बातों के साथ में अपने इस संकल्प को सदन के समक्ष रखता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय मुकुट बिहारी लाल का जो प्रस्ताव है उसमें उन्होंने यह लिखा है कि "राज्य के मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अपनी तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से किया करें तथा बताया करें.....।"

कांग्रस हाईकमाण्ड का एक फैसला है और उस फैसले के मुताबिक असेम्बली के मम्बरों को भी अपना सालाना हिसाब देना पड़ता है। तो मुझे यह कहना है कि यह प्रस्ताव इर्रीलिवेन्ट है। माननीय मुकुट बिहारी लाल जी को जानकारी नहीं है इसलिये यह प्रस्ताव लाये हैं। मैं इसलिये यह समझता हूं कि आप उनको मशविरा दें कि वह इसको वापस कर लें क्योंकि हाईकमाण्ड के फैसले के मुताबिक सालाना हिसाब दिया जाता है।

*श्री बनारसीदास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर सदन में काफी विचार हुआ और काफी सदस्यों ने अपने विचार इस पर व्यक्ति किये। माननीय मुकुट बिहारी लाल जी ने स्वयं आचार संहिता का जिक्र किया है जिसको हमारे प्रदेश की मंत्रिपरिषद् ने स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि यदि यह सदन इस संकल्प को स्वीकार भी कर ले तो इस से क्या अन्तर पड़ेगा और इस संकल्प को मानने के बाद किस प्रकार उस पर अमल होगा? मैंने निवेदन किया कि इस पर स्वयं अमल करना चाहिये। उसका एक ही तरीका है और वह यह है कि जिस तरह से हमने अपने लिये आचार संहिता को माना है उसी तरह से मुकुट बिहारी लाल जी भी अपने दल के लिय बनायें और दूसरे दल वाले भी अपने लिय बनायें और सब उस पर अमल करने लगें तो उस पर अमल होगा, वरना यह जो संकल्प है यह संकल्प कागजात पर ही रह जायगा क्योंकि संविधान के आर्टिकिल १९ के मुताबिक हम किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं लगा सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आचार संहिता जबरदस्ती नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम स्वयं हृदय से उसको ग्राह्य न समझें। हमारे दल ने और मंत्रि-परिषद् ने उसको हृदय से स्वीकार किया है और उसका नियंत्रण और उसको कार्यान्वित करने का भार हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री पर है और मुख्य मंत्री के ऊपर जहां तक सम्बन्ध है उनके ऊपर प्रधान मंत्री का है। इसलिये मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं जाकर सीमा होगी। तो जब हमने इस प्रस्ताव पर शुरू से अमल किया तो जैसा कि माननीय जे० पी० मिश्र ने कहा, यह प्रस्ताव रिडेन्डेन्ट है। इस संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। असल सवाल यह है कि इस संकल्प में जिन भावनाओं को व्यक्त किया गया है हम उसके लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करें लेकिन जब इस प्रकार की आचार संहिता के सम्बन्ध में संकल्प पेश हो तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हम शब्दों के द्वारा ही, न कि अमल के द्वारा इसको यहां पर पेश करते हैं। आचार संहिता ऐसी चीज नहीं है जो बदल सके। मैं सदन में इस आचार संहिता के विषय में देख रहा था कि जो लोग आचार संहिता की बात कर रहे थे वे ही आचार संहिता का जनाजा इस सदन में निकाल रहे थे। यानी जो लोग अभी सदन में बता रहे थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि मानों यहां पर वाक्युद्ध के बाद दूसरा युद्ध होने वाला है। तो यहां पर जरा संजीदगी के साथ बात कहने की आवश्यकता है। मैं समझ नहीं पाया लेकिन खेमचन्द जी ऐसे मालूम होते थे कि वह बुद्ध भगवान का प्रवचन कर रहे हों। कुछ लोग तो ऐसे मालूम पड़े कि शंकराचार्य का प्रवचन करने जा रहे हैं। जो लोग यहां पर विरोध पक्ष में बैठे हैं ऐसा मालूम पड़ता था कि उनको बिलकुल शंकराचार्य का स्थान प्राप्त हो गया और प्रत्येक व्यक्ति सुन्दर प्रवचन करने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

लिये बुद्ध बन गया और इस थ्योरी में बदल गया कि जो पार्टी जितनी कम है उतना ही उसको बुद्ध बनाने का अधिकार अधिक है । और उसी सिद्धान्त को माना जाय तो समझ में नहीं आता कि कहां का त्याग है और कहां की तपस्या है ।

श्रीमन्, माननीय खेमचन्द जी की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ । आज रिपब्लिकन पार्टी जिस तरह के कार्य मुल्क के अन्दर कर रही है उसको सभी जानते हैं। जो रिपब्लिकन् पार्टी साम्प्रदायिकता की बात करे, जिस पार्टी के लोगों का नारा यह हो कि "मुस्लिम जाटव भाई-भाई, दीगर कौम कहां से आयी", वे आज लोगों को देश भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने मुल्क की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने खून बहाये और अपना सब कुछ त्याग किया । जो सफेद कपड़ा है उस पर जरा भी दाग पड़ जाय तो चिन्ता यह होती है कि कहां से साबुन पायें कि उसको साफ करें। लेकिन जो चादर बिल्कुल काली हो उस पर कौन-सा काष्टिक सोडा काम देगा ? जैसा कि मैंने पहले कहा —मैं उग्रसेन जी से सहमत हूं कि यह कोई एकाधिकार नहीं है । इसलिये कि जो अच्छा होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा चरित्रवान होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक विनम्र हुआ करता है । मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसे साधु पुरुष की छत्रछाया में रह कर भी लोग कैसे इस तरह की बातें कह दिया करते हैं जो नहीं कहना चाहिये । मालूम होता है कि सत्संग होता ही नहीं है या होता है तो उसमें कुछ फर्क है जिसकी वजह से यह चीज है जिसमें सुधार होना चाहिये । उनकी छाया मात्र से और दर्शनमात्र से ही तथा उनके भाषण को रोज सुनने का सौभाग्य मिलने पर भी अगर भ्रष्टाचार अभी तक नहीं मिटता, तो मालूम पड़ता है कि संत्संग ठीक से हो नहीं पाता है । वरना दर्शन मात्र से ही कुछ असर पड़ना चाहिये था ।

इसलिये जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है , मैं माननीय शारदा भक्त सिंह जी से कहूंगा कि यह कोई जनसंघ की नीति के अनुसार नहीं है और यह हमारी नीति के विरुद्ध नहीं है । अगर वे महसूस करते हैं कि हम उस पर अमल करें और आज उस पर अमल नहीं करते हैं, तो इसका कोई जवाब हो नहीं सकता और इसकी कोई हद नहीं हो सकती । माननीय उग्रसेन जी ने बतलाया कि भ्रष्टाचार तो गंगोत्री और जमनोत्री तक है । अगर ऐसी बात है तो उग्रसेन जी चलें, हम सब मिल कर वहां से एक दूसरी ही गंगा बहाकर लाने का प्रयास करें ताकि अपने आप गोमती भी ठीक हो जाय । माननीय उग्रसेन जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की मौलिक जिम्मेदारी हम पर है । यह सही है कि जब कोई क्रांति होती है तो उसमें त्यागी और तपस्वी का आदर होता है लेकिन मालूम होता है कि माननीय उग्रसेन जी स्लिटिंग पर्सनेलिटी की तरह से बात करते हैं । एक तरफ तो वे जनतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसके विपरीत कहते हैं। स्वराज्य आया तो यह केवल कांग्रेस के लिये नहीं आया, बल्कि तमाम देश के लिये आया । बहुत मामूली आदमी भी जो इस मुल्क के अन्दर रहता है, इसका फायदा उठाता है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बलिया में कुछ जलाने वाले लोग रह गये हैं । तो मैं कहता हूं कि बलिया वाली बात हो या जो भी हो, डिक्टेटरशिप की बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन या तो आप अपनी भाषा के अन्दर सुधार कीजिये या जनतंत्र की बात न कीजिये । जनतंत्र का मतलब यह है कि संसदीय प्रणाली के मुताबिक सारे देश का शासन हो । बर्मा में जब क्रांति हुई तो रिवोल्यूशनरी कौंसिल बनी, रूस में जब पर्जिग हुई तो गद्दार लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और वहां जनतंत्र के बजाय डिक्टेटरशिप बनी। इसका क्या मतलब है ? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे नियम बना दिये जायं कि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाने से रोका जा सके ? जिस आदमी ने देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, आज हमारे संविधान ने अगर देश में सब लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है और अगर उसके मातहत उसमें योन्यता है तो क्या हम उसको अपने देश का सेनापति होने से रोक सकते हैं ? उग्रसेन जी का कहना है कि क्रांति विफल हुई है क्योंकि शहीदों का आदर

नहीं किया गया और प्रतिक्रियावादी आ गये। यह मैं समझता हूं कि सही नहीं है। हम तो अपनी कुरबानी के बल पर आये हैं। स्वराज्य हमने तमाम मुल्क के लिये प्राप्त किया है। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज्य प्राप्त करने के माने हैं गलती करने का अधिकार प्राप्त करना। इस स्वराज्य का ही फल है कि लोग बड़े कुशल वक्ता बन गये, उपदेशक बन गये। देश में भले ही किसी और दिशा में प्रगति हुई हो अथवा न हुई हो, लेकिन आलोचना, क्रिटिसिज्म आदि के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। यह भी जनता की एक कामयाबी है। जब हम शुरू में इस सदन में लड़ रहे थे तो हमारे नेता हुकुमसिंह जी बैठे हैं, अंग्रेजों के मुकाबिले में १७७ में कौंसिल में हम लोग केवल १७ की तादाद में पहुंचे थे। उस समय भी देश में प्रतिक्रियावादी लोग थे। इस मुल्क में हमने जब आजादी हासिल की तब भी हमारे इन बेंचेज पर चौधरी खलीकुज्जमा जैसे लोग बैठते थे जिन्होंने इस देश का विभाजन कराया। यहीं पर वह भी चुन कर आये थे। ऐसे लोग भी थे जो देश में अंग्रेजी राज्य कायम रखना चाहते थे। ब्रिटिश इंडिया एसोशियेशन के लोग यहां बैठते थे जो अंग्रेजों को ही अपना सब कुछ समझते थे। तो हमने जद्दोजहद के बाद आजादी हासिल की और उसकी आधारशीला गणतंत्र पर रखी। अगर इसमें आचार का सवाल है तो उसको हम बना सकते हैं। इसके लिये श्रीमन्, जब हम आचार संहिता की बात करें, जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ, तो गंभीरता के साथ हम इन प्रश्नों को प्रतिपादन करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। अगर वास्तव में इस संकल्प का मंशा है कि इस पर अमल किया जाय तो पहले अच्छा वातावरण पैदा किया जा सकता है और आज इस पर आलरेडी अमल हो रहा है। मैं इसकी स्पिरिट से सहमत हूं, लेकिन चूंकि इसे रिडेंडेन्ट समझता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुकुट बिहारी लाल जी अपने इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मुकुट बिहारी लाल जी ने अभी कहा भी कि आचार संहिता आपने स्वीकार की है। अभी जो उत्तर पढ़ कर सुनाया गया उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो आचार संहिता स्वीकार की है उसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। तो क्या जो आचार संहिता स्वीकार की गयी है वह क्या मंत्रियों के लिये ही स्वीकार की गयी है या आचार संहिता हाईकमान्ड द्वारा केवल आपकी पार्टी के लिये स्वीकार की गयी है ?

श्री बनारसीदास—

हाई कमान्ड ने भी स्वीकार की है और मंत्रियों के लिये केन्द्रीय मंत्री परिषद् ने स्वीकार की है। लेकिन जैसा कि इंगलैंड में साइमन ने उसको एक प्रिंसिपुल माना है, जो संहिता आज हमारे सामने है, वह भी उसी तरह से है। उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की है और चीफ मिनिस्टर की है। लेकिन यह कोई कानून की शक्ल में नहीं है। इसका जो निर्णय किया गया है वह केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने किया है, हमारे मंत्रिमंडल ने किया है और साथ ही साथ कांग्रेस हाईकमान्ड ने भी किया है और उस निर्णय के अनुसार हमारे दल का प्रत्येक सदस्य अपने आय-व्यय का हिसाब अपने दल को उपस्थित करता है। तो दोनों तरफ से हमारा निर्णय है और मंत्रिपरिषद् का भी निर्णय है और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् का भी निर्णय है।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री मुकुटबिहारीलाल से) क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल—

सरकार ने जब इसको स्वीकार किया है तो वापस लेने की क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले संशोधन पेश कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं—

"साथ ही इस सदन का यह भी निश्चित मत है कि चूंकि राज्य के मंत्रि-परिषद् का निर्माण राज्य के विधान मंडल के सदस्यों से होता है, इसलिये राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के भी पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के बारे में उनके सदस्य चुने जाने के पहले और पांच साल के बाद सरकारी तौर पर जांच कराकर सदन की मेज पर रखा जाया करे और अनुचित रूप से सम्पत्ति प्राप्त करने वाले विधायकों व मंत्रियों को आगामी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाय । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्य इस पद पर नियुक्त होते समय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अपनी तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की सम्पूर्ण चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से किया करें तथा बताया करें कि उक्त सम्पत्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३८,

विपक्ष में—६७ ।)

चकबन्दी से बची ग्राम सभा की भूमि को वितरित करने में बरती गयी अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं माननीय हरिनाथ तिवारी जी को इसे पेश करने के लिये अधिकृत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप मौजूद हैं तो आपको ही पेश करना चाहिये या जो और ५ हैं उनको, आप किसी दूसरे को यह अधिकार नहीं दे सकते ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि"इस सदन का यह निश्चित मत है कि अधिकतम जोतसीमा आरोपण अधिनियम, १९६१ एवं चकबन्दी से बची तथा ग्राम सभा की भूमि को भूमिहीनों के नाम पर वितरण करने में बरती गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के लिये सरकार एक आयोग की अविलम्ब स्थापना कर ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कि बची भूमि भूमिहीनों को ही मिले एवं जो भूमि अनधिकृत रूप से वितरित की जा चुकी है उसे वापस ले कर पुनः भूमिहीनों में ही वितरित किया जाय "।

श्रीमन्, अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और अपने प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो देहात में रहते हैं और जिनकी जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, साल भर में केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वो फसलें ही पैदा कर पाते हैं, उस से वे अपना पेट नहीं भर पाते, एक तरफ तो यह चीज है, दूसरी तरफ यह कि बहुत सी भूमि ऐसी है जो प्रयोग में नहीं आती। इसमें शक नहीं कि सरकार ने एक अधिक-तब जोत सीमा आरोपण विधेयक पास किया है, लेकिन उससे जो भूमि निकली उसकी आज स्थिति क्या है? देखना यह है कि वह भूमिहीनों को मिली या नहीं। देखना यह भी है कि जो सरप्लस लैंड घोषित हुई वह किस प्रकार से वितरित की जाती है। जो तरीका ऐसी भूमि के वितरण का आपने निकाला है वह इतना दोषपूर्ण है कि उसके जरिये भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पाती है। जो अतिरिक्त भूमि घोषित होती है उसको बांटने का अधिकार सरकार ने कलेक्टर को दे रखा है। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर को और फिर उसने कानूनगो या यह अधिकार दे रखा है। यह क्या करते हैं? यह उस भूमि के वितरण के लिये एक तिथि मुकर्रर करते हैं। उस तिथि को उसी व्यक्ति को बुलाते हैं जिसको इन्हें जमीन को देना होता है। उसके बाद यह लिख दिया जाता है कि "उस तारीख को केवल वही व्यक्ति आया और कोई हाजिर नहं हुआ।" जिसको बुलाते हैं उसी की हाजरी दिखाते हैं। कानूनगो पहले से ही जिसको देना चाहते हैं उससे रुपया लेकर पहले से तय कर लेते हैं। तो कानूनगो की मर्जी से इस जमीन का वितरण होता है।

इस कानून में एक और दोष है। कानूनगो ही ऐसी जमीन का लगान फिक्स करते हैं। साधारण जमीन का जो रेट होता है वह इनसे नहीं लिया जाता। यह हैरीडटिरी रेट का दुगना लगान फिक्स कर देते हैं जिसे कि वह बेचारा गरीब किसान दे नहीं पाता है। लोग रुपया देकर कानूनगो को या तहसीलदार को सन्तुष्ट कर देते हैं और यह भी कह देते हैं कि ऐसे समय में भूमि का प्रबन्ध करिये कि कोई आ न सके। यह भ्रष्टाचार का साधन हो जाता है। भमिहीनों को इस तरह से भूमि नहीं मिल पाती है। अगर आपकी नीयत थी कि भूमिहीनों को भूमि देते तो आपको चाहिए था कि इसका लगान वही कर देते जितना अगल-बगल की जमीनों का होता है। दूसरी बात यह है कि चकबन्दी में से जो भूमि निकल जाती है वह भूमि भी ग्राम सभा को सुपुर्द कर दी जाती है। ग्राम सभा के लोग, सभापति या उससे सम्बन्धित व्यक्ति यह भी करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि दी जानी चाहिए वह उसके लिए नहीं दी जाती है। इसका कारण यह है श्रीमन्, कि ग्राम सभा में ऐसा कानून नहीं कि भूमि जिस उद्देश्य के लिए दी गई है, अगर उसका इस्तेमाल उसी के लिए नहीं किया जावेगा तो वह भूमि भूमिहीनों के नाम कर दी जावेगी। सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए आयी भूमि भी अपने भाई, भतीजों के इस्तेमाल के लिए दे देते हैं।

इसके अलावा, श्रीमन्, ऐसी भूमि जो जमींदारी अबालिशन के बाद ग्राम सभा को मिल गई है, हालांकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु ऐसी भूमि काफी एकड़ों में पड़ी हुई है, उसकी दशा क्या है? यहां पंचायत राज ऐक्ट या लैंड लाज ऐक्ट के बारे में बहस हो रही थी, उसको आपने सुना होगा। वह ग्राम सभा को इसलिए निहित की गई कि उसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए हो। परन्तु श्रीमन्, ग्राम सभा के जो सभापति हैं, उन के लिए इसका भी कोई नियन्त्रण नहीं। भूमि को जब वे बिडिंग (नीलामी) करते हैं तो वे ऐसी तिथि मुकर्रर कर देते हैं कि उस वक्त कोई आदमी ऐसा न हो, जिसको भूमि की जरूरत हो। मेरा तजुर्बा यह है कि गांव के गरीब या भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भूमि कब बटने वाली है। जब उसकी मियाद खत्म हो जाती है तब पता चलता है कि वह भूमि ऐसे लोगों को मिल गई जिनके पास भूमि पहले से ही थी। भूमिहीनों की परिभाषा सभापति स्वयं अपने से ही बनाते हैं। उनको कोई जांच करने के लिए नहीं है, न कोई ऐसी विधि है कि हमारे पास कोई कागज हैं या नहीं, नोटिस घूमी या नहीं या ऐसी फेहरिस्त है या नहीं। वह स्वेच्छा से जो चाहे कर डालता है। वह भूमिहीनों को नहीं बताता। दूसरा दोष यह है कि जब भूमिहीनों को बगैर सूचन दिए हुए तिथि मुकर्रर कर दी जाती है और बाद में जब वे लड़ते हैं तो कोई कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं कि वह भूमि जिनको दी जा चुकी है उनसे वापस भी हो सके। सभापति पैसा खा लेते हैं, इसलिए कोई गुंजायश नहीं रह जाती। आपका भी अनुभव है। जब

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

आप वकालत करते थे तब ग्राम सभायें रहीं न होंगी। उन भूमिहीनों की बात कोई अदालत नहीं सुनती। गांव सभा का जो रजिस्टर सम्पत्ति का तैयार होता है उसमें भी श्रीमन्, इसका इन्दराज रहता है।

मैंने नमूने के लिए दो दरख्वास्तें बस्ती जिले के कलेक्टर को दीं। एक गांव सुनखर और दूसरा गांव गोनहा की। इन गांवों में ग्राम समाज की इतनी सम्पत्ति पड़ी हुई है कि जो बांटी नहीं जा रही है। दूसरे ही लोग जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं। गांवों में ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जिनके पास भूमि नहीं है। श्रीमन्, मैंने अपने हाथ से दरख्वास्तें दीं परन्तु मुझे आज तक सूचना नहीं मिली। गांव के लोग हमें कहते हैं कि जिनके पास भूमि पहले से ही है वे ही जोत रहे हैं। हम किस तरह पब्लिक का प्रतिनिधित्व करें। इसलिए श्रीमन्, ऐसी कोई विधि निकालें कि भूमिहीनों को जमीन मिले। कलेक्टर भी हमारी नहीं सुनता। उस दिन जब हमने मन्त्री जी कहा, तो मन्त्री जी ने कहा कि हम कलेक्टर को आदेश दे देंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमने खुद अपने हाथों से दरख्वास्त दी, दो वर्ष हो गये और अभी तक उसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली। बस पटवारी वहां से लिख देता है कि उस पर इसका नहीं फलां शख्स का कब्जा है, और आपके अधिकारी, उसको दाखिल दफ्तर कर देते हैं। यह क्यों नहीं देखा जाता है कि जिस समय गांव समाज की स्थापना हुई थी, तब इन्दराज क्या था, और अब क्या है और जिस काम को करने की सरकार की मंशा थी, वह सरकार की मंशा पूरी हुई है या नहीं हुई है? इतना भ्रष्टाचार पैदा हो गया है कि इसमें गांव सभापति पैसा लेता है, पटवारी पैसा लेता है, सेक्रेटरी पैसा लेता है। दूसरा जमींदारों का तबका ही पैदा हो गया है। सरकार के पास यह बातें आती हैं, या नहीं, यह तो मालूम नहीं। पचासों बीघा जमीन पड़ी हुई है, और कागजात में वह जिमन ९ में ही दिखाई जाती है, लेकिन उस पर कब्जा दूसरे ही लोगों का है। यह किसका दोष है? इसके लिए जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में कोई स्पष्ट चीज नहीं है। ग्राम समाज मैनुअल में एक क्लाज आपने रख दिया है कि एक गांव समाज की भूमि का एक डेफिनिट परसेंटेज उठा दिया जायगा, लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ और अगर पालन होता है, तो उसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया गैर जाब्ता-तौर पर।

गांवों में ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जो मछली मारने का, नाव चलाने का, चटाई बनाने का और सिंघाड़े पैदा करने का पेशा करते थे। टेनेन्सी ऐक्ट में सिंघाड़े के तालों को "लैंड" की संज्ञा (तारीफ) में रखा गया था, लेकिन अब आपने उसको लैंड की परिभाषा से निकाल दिया है। अब वह ग्राम सभा की सम्पत्ति हो गई है। अब न तो आप उस गरीब को जमीन दे पाते हैं, और न इन तालाबों को ही भूमि की परिभाषा में ला पाते हैं। इस बेचारे गरीब को वह ताल नहीं मिल पाता क्योंकि वहां का प्रधान या तो सिंघाड़ा खुद बैठा लेता है, या दस रुपए का दिखाकर २००—३०० रुपये का उसको बेच देता है। अब अगर यह २०० रुपया वह गरीब पाता, तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता। लेकिन उसको मिल नहीं पाता है। इस बात को कोई देखने वाला नहीं है।

इसके अलावा सीलिंग ऐक्ट के अन्दर हमको कितनी जमीन मिली, उसमें से कितनी वितरित हुई और अगर गलत वितरित हुई तो कैसे हुई, इस सबका एकाउन्ट रहना चाहिए। लेकिन इसका कोई भी एकाउन्ट लेने वाला नहीं है। सरकार की मंशा कुछ भी अच्छी या बुरी रही हो, लेकिन यह निश्चित है कि वह जमीन भी भूमिहीनों को मिल नहीं पाई है। इसलिए यह एक ऐसा संकल्प सदन के सामने रखा गया है, जिसकी आज अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार को सोचना चाहिए कि सचमुच अगर ऐसी चीज है, तो सरकार को चाहिए कि इस संकल्प को वह स्वीकार कर ले और जो बहुत बड़ी समस्या गांवों में फैली हुई है, कि भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल पाती है, वह दूर हो जाय और आज जो गांवों के लोग गांव छोड़-छोड़ कर बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य नगरों में भागते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से गांव उजड़ रहे हैं, वे गांवों से बाहर न जाकर गांवों की ओर आकृष्ट हों।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

संकल्प की चतुर्थ पंक्ति में "एवं भ्रष्टाचार की जांच" को हटाकर उसकी जगह "को दूर करने" कर दिया जाय तथा चौथी एवं पांचवीं पंक्ति से "एक आयोग की अविलम्ब स्थापना कर" को संकल्प से निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन के बाद संकल्प का यह रूप हो जायगा—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६१ एवं चकबन्दी से बची तथा ग्राम सभा की भूमि को भूमिहीनों के नाम पर वितरण करने में बरती गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे किससे कि बची भूमि भूमिहीनों को ही मिले। एवं जो भूमि अनधिकृत रूप से वितरित की जा चुकी है, उसे वापस लेकर पुनः भूमिहीनों में ही वितरित किया जाय।"

मान्यवर, इस संशोधन को मैं इसलिए रख रहा हूं कि उधर के माननीय सदस्य ने एक आयोग की स्थापना की मांग अपने संकल्प में की है। मान्यवर, आयोग की स्थापना जब की जाती है, तो उसका मतलब यह होता है कि उस मामले को बहुत दिनों तक के लिए लटका दिया गया। कई सालों तक वह चीज रुक जाती है और नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

यह बात सच है कि भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल पाती है। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में जो व्यवस्था की गई है, उससे सरकार की मंशा यह थी कि जो ऐसे लोग देहात में रहते हैं जिनके पास अपनी भमि नहीं है, और खेती का काम करते हैं, उनको गांव समाज की भूमि खेती करने के लिए दी जाय। लेकिन गांवों में अक्सर यह देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों को भूमि नहीं मिल पा रही है। गांव सभा को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन गांव सभा का प्रधान तथा उसके कुछ मेम्बर गड़बड़ कर देते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भूमि हीन शब्द का जो वे लोग गलत अर्थ निकालते हैं, उसको ठीक कर दिया जाय। जैसे प्रधान है, अगर उसके नाम ५० एकड़ जमीन है और अगर उसकी स्त्री या लड़के के नाम नहीं है, तो उनको भूमिहीन की संज्ञा देकर जमीन दे देते हैं या अन्य अपने किसी सम्बन्धी के नाम कर देते हैं। सरकार इसमें ऐसी कोई व्यवस्था करे कि वे अपने परिवार वालों को कोई भूमि न दे सकें। मेरा तो यह सुझाव है कि गांव समाजों के प्रधानों से भूमि वितरण का अधिकार ले ही लिया जाय और गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में रखे और जिसको मुनासिब समझे उसको दे, चाहे सार्वजनिक कामों के लिए दी जाय या भूमिहीनों को दी जाय। सरकार की मंशा तो यह थी कि हरिजनों को अधिक से अधिक भूमि मिले लेकिन हरिजनों को कहीं भी भूमि नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं हरिजनों को जिनके पास खेत नहीं हैं और आबादी जिनकी बढ़ रही है, उनको मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं मिल पा रही है। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, वह प्रधान को पैसा देकर तय कर लेते हैं और केवल दिखाने के लिए बैठक की जाती है और उनको भूमिहीन बनाकर जमीन दे दी जाती है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रधानों के द्वारा जमीन वितरण का अधिकार तुरन्त ही ले लिया जाय और सरकार उस जमीन को वितरित करे।

इसी प्रकार से चकबन्दी में भी जमीन निकलती है। चकबन्दी में ऐसा नियम रखा गया है कि ५ प्रतिशत भूमि सार्वजनिक कामों के लिए निकाली जाती है, जैसे हरिजनों की आबादी के लिए, खलिहानों के लिए, स्कूल के लिए, सड़कों के लिए आदि-आदि। इस भूमि का प्रबन्ध भी ग्राम सभाओं को करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन उसमें भी बड़ी गड़बड़ी होती है, जिन

[श्री माताप्रसाद]

को जमीन मिलनी चाहिए, जो वास्तविक उसके हकदार हैं उनको वह नहीं मिलती। अपने अधिकारियों से आप चकबन्दी कराते हैं तो ज्यादा अच्छा हो कि जिनको मौके पर वह समझें कि वह सचमुच भूमिहीन हैं उनको ही वह जमीन दें या उसको उस वक्त सुरक्षित रखें और एस० डी० ओ० या आपके कोई अन्य अधिकारी हों, जिनकी आज्ञा के बिना वह जमीन वितरित न की जाय जो प्रधान वितरित करते हैं।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के कारण जो जमीन निकली उसके सम्बन्ध में भी मेरा कहना यह है कि अव्वल तो भूमि की यह अधिकतम सीमा कम की जाय और कुछ लोगों के पास जो ज्यादा जमीन है और जो उस पर अच्छी तरह से स्वयं खेती नहीं करते, उनसे कुछ जमीन निकाल कर इन भूमिहीनों को दी जाय। कई लाख एकड़ जमीन निकली है लेकिन बड़े दुख की बात है कि वह जमीन हरिजनों या भूमिहीनों को नहीं मिली जिनको कि उसकी जरूरत थी। सरकार चाहती है कि खेती की पैदावार बढ़े और इसके लिए यह जरूरी है कि सीलिंग की सीमा और कम की जाय। भूमि की सीमा २० एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। आबादी हमारे सूबे में बराबर बढ़ रही है। जापान में साढ़े ७ एकड़ से अधिक खेती किसी के पास नहीं है और वहां पर औसत जोत ४ एकड़ की है और उसी पर बड़ी से बड़ी खेती होती है। मैं चाहूंगा कि जितनी जमीन किसान स्वयं जोत सकें उसके पास केवल उतनी ही रहने देना चाहिए आज बहुत से हम जैसे लोग अपने को किसान कहते हैं लेकिन स्वयं वह खेती नहीं करते, वह मजदूरों का भरोसा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पचासों एकड़ भूमि है लेकिन वह खेती नहीं करते। उन के पढ़े लड़के भी ५०—६० रुपए की नौकरी करना पसन्द करते हैं लेकिन खेती करना पसन्द नहीं करते। वह मजदूर लगाते हैं और मजदूरों को चूंकि उचित मजदूरी नहीं मिलती इसलिए वह भी खेत पर मन लगाकर काम नहीं करते और नतीजा यह होता है कि खेती की पैदावार घटती है। ऐसी अवस्था में जमीन केवल उन्हीं के पास रहने दी जाय जो वाकई स्वयं खेती करते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे खेती की पैदावार आपके यहां नहीं बढ़ सकती। जिनके पास जमीन ज्यादा है वह अपनी ४—६ एकड़ जमीन पर कुछ उल्टी सीधी चीज छींट कर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उसको खुद जोत नहीं सकते और शिकमी पर भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वह समझते हैं कि शिकमी पर या अधिया पर अगर उठावेंगे तो जमीन निकल जायगी। ऐसी दशा में उस जमीन पर न वह खुद ही कुछ करते हैं और न दूसरों को ही कुछ करने देते हैं। इसलिए ऐसा निश्चित नियम कोई मन्त्री जी बनायें कि एक औसत पैदावार का स्टैंडर्ड वह बना दें कि कम से कम ८ मन बीघा हर किसान को पैदा करना होगा और अगर ३ साल तक लगातार कोई इतनी औसत पैदावार किसी खेत पर न कर सके तो उसका खेत मुआवजा देकर उससे छीन लिया जाय और वह जमीन ऐसे लोगों को दे दी जाय जो ज्यादा पैदावार उस पर कर सकते हैं और भूमिहीन हैं। उनको आप प्रोत्साहन दें, इससे वह लोग जो आज अच्छी खेती नहीं करते वह भी अधिक पैदावार करने के लिए मजबूर होंगे और अगर वह फिर भी नहीं कर सकेंगे तो खेत पर अधिक मेहनत करने वालों को खेत मिल जायगा। बिना इस सिद्धांत को अपनाए खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी।

एक बात मुझे और कहनी है कि जो लेखपालों के लिए मन्त्री जी ने आदेश की व्यवस्था की है कि खाना कैफियत में अब वह इन्दराज नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि वह अब भी ऐसा करते हैं। मेरी प्रार्थना मन्त्री जी से है कि वह ऐसी व्यवस्था कर दें कि अगर लेखपाल के लिए हर काश्तकार को हर साल इन्तखाब देना अनिवार्य कर दिया जाय तो एक बहुत बड़ा झगड़ा दूर हो जायगा। माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि स्टाफ रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं सुझाव देता हूं कि एक रुपया या २ रुपया प्रति इंतखाब लगा दें। पटवारी लिख देते हैं और किसान को वह नहीं मालूम होता है। जिस तरह से आप लगान लेते हैं, उसी तरह से लेखपालों को इन्तखाब देने का खर्च वसूल करने का अधिकार दे दें। तो जो गड़बड़ियां आजकल लेखपाल करते ह, वे गड़बड़ियां न होने पावें।

अन्त में मैं इस प्रस्ताव का, जिस रूप में वह है, उसका विरोध करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से असरकारी प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "चकबन्दी से बची" व "तथा ग्राम सभा की भूमि" के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"व भूदान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त"।

संकल्प की पांचवीं पंक्ति में "बची भूमि" के स्थान पर "उक्त भूमि" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह जो संशोधन मैंने आपके समक्ष पेश किया है वह इसलिए किया है कि प्रस्ताव में वर्णित तीन प्रकार से जमीन बचती है। एक अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत बच जाती है, एक चकबन्दी में बची भूमि आती है और तीसरी गांव सभा की जमीन है। इस संशोधन में मैंने वह जमीन भी रखी है जो भूमि भूदान के अन्तर्गत प्राप्त की जाय और जो भूमिहीन या हरिजन हैं, उन्हें वह दे दी जाय। आज जिले-जिले में भूदान समितियां बनी हुई हैं, उनके खाते हैं। हर गांव में जो जमीनें नहीं दी गयी हैं इसमें शामिल किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वह जमीन जिस कार्य के लिए प्रारम्भिक रूप से ली गयी है उसी काम में आ रही है या नहीं और उसका वितरण भी ठीक प्रकार से होना चाहिए, जो भूदान के खाते में शामिल है।

दूसरा संशोधन जो है वह केवल शाब्दिक है। वह मैंने इसलिए रखा है कि ४ प्रकार की जमीनें हैं। पहली वह जमीन है जो अधिकतम जोत सीमा से बची है, दूसरी चकबन्दी से बची, तीसरी भूदान अधिनियम से बची और चौथी ग्राम सभा की भूमि। इस प्रकार का संशोधन करके चारों प्रकार की भूमि आ जायेगी। तो यह केवल शाब्दिक संशोधन है।

मैं इन संशोधनों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपने प्रस्तावक महोदय को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके द्वारा जो प्रदेश की लगभग दो करोड़ हरिजन जनता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। दूसरे लोगों की भी इसमें विभिन्न समस्यायें शामिल हैं। अनियमितताएं हुई हैं, उनकी ओर भी ध्यान देने के लिए एक आयोग की अविलम्ब स्थापना के लिए माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव रखा है। मेरा भी यही मत है कि जब तक यह जांच नहीं हो जायगी उस समय तक जमीनें लौटायी नहीं जा सकती हैं। आप जांच करते हैं दरख्वास्त देने पर तो वह ठीक नहीं होगा। आयुक्त होगा तो वह ठीक से जांच कर सकेगा और ऐसे सुझाव दे सकेगा कि पट्टे देने में जो अनियमितताएं होती हैं वे न हो सकें।

इस संबंध में मैं दो एक बातों का उल्लेख कर दूं। श्रीमन्, यह निर्विवाद सत्य है कि जमींदारी एबोलीशन में पट्टा देने में प्राथमिकता की जो व्यवस्था है कि जमीन किसको दी जायगी, उसका पालन नहीं हुआ है। तमाम स्थानों पर प्रधान के स्वयं के स्वार्थ हैं। कहीं तो अपने रिश्तेदारों को जमीन देना चाहते हैं और कहीं जो लोग हरिजन वर्ग के नहीं हैं लेकिन पैसे वाले हैं और प्रधान जी को पैसा दे कर ले सकते हैं वहां प्रधान पैसा अर्जित करना चाहते हैं। कहीं कुछ जमीन बंगाल से आये हुए शरणार्थी को चली गयी, तो वह अच्छे काम में ही दी गयी। लेकिन सीलिंग ऐक्ट के जरिये जो जमीन मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली, उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। पट्टे लिखने में गड़बड़ी की जाती है। कहीं कहीं एजेंडे पर और कार्यवाही रजिस्ट्रर पर दोनों के लिये दस्तखत एक साथ करा लिये जाते हैं और आगे जिस रोज मीटिंग होती है तो कह दिया जाता है

[श्री रक्षपाल सिंह]

कि आज मीटिंग नहीं होगी, लेखपाल नहीं आये हैं। इस प्रकार लोगों के सामने कोई कार्यवाही नहीं होती। मेम्बरों को पता नहीं चल पाता कि क्या कार्यवाही हुई थोड़े से ही गांव समाज होंगे जहां मैनेजर सिंह एम० एल० ए० जैसे प्रधान बन गये होंगे। अधिकांश गांव समाज में ऐसी स्थिति है कि लेखपाल और प्रधान मिल गये और जिस प्रकार चाहा कार्यवाही की। मुनादी करने का प्राविजन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी स्थिति में यह देखने की बात है कि जहां तक प्रदेश के अन्दर हरिजनों का सवाल है, जिनको जमीन मिलनी चाहिये सीलिंग ऐक्ट के मातहत, वह क्यों नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो गांव समाज की जमीन है और चकबन्दी से जो जमीन मिली है वह भी हरिजनों तथा भूमिहीनों को नहीं मिल पा रही है। होता यह है कि फतेहपुर जिले के परगना इकदिला के ग्राम बरौलिया से चकबन्दी से बची जमीन जो ग्राम समाज की जमीन थी उसे किसी ने अपने खाते में दर्ज करा लिया। खाते का टोटल नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार लेखपाल से जो लोग बाअसर होते हैं अपने खाते में ग्राम समाज की जमीन दर्ज करा लेते हैं और यह प्रक्रिया वहां चल रही है। वह भी प्रक्रिया चल रही है कि पट्टा तो नहीं लिखा, लेकिन बयान दे दिया गया और एक्स-पार्टी केस तय करा लिया। इससे भी हरिजनों को जमीन नहीं मिल पाती है। इसके अलावा चकबन्दी से जो जमीन बचती है तो चकबन्दी अधिकारी से मिल कर अपने चक के बगल में जमीन छुड़वा लो और बात में मेढ़ बढ़ा कर उसे जोत लो। इस तरह की जमीन एक जगह न होने के कारण किसी को दी भी नहीं जा सकती क्योंकि वह छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। चकबन्दी आपरेशन खत्म होते ही क्योंकि वह जमीन एक जगह नहीं होती है और छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी होती है, होशियार लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और हरिजन उससे महरूम रह जाते हैं। तो यह बड़ा सुन्दर प्रस्ताव है। जांच करने के लिये आयोग की नियुक्ति हो जानी चाहिये ताकि हरिजन और भूमिहीन जो गिरे हुए लोग हैं उनको जमीन मिल सके और जीविकोपार्जन का साधन उनको प्राप्त हो सके। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी यह प्रस्ताव पढ़ा होगा और इसके पीछे बड़ी पवित्र भावनायें प्रस्तुत की गईं और बड़े बड़े योग्य लोगों के जरिये से पेश की गईं। जो बातें मुझे सुनने को मिलीं उससे मुझे भ्रांति पैदा हो गई है। मैं आपके द्वारा इस सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि प्रधान के मुताल्लिक जो भाषा इस सदन में प्रयोग की गई और उसके संबंध में जो भाव और बिचार माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये उनसे मुझे बड़ा क्षोभ और खेद हुआ। प्रजातंत्र प्रणाली में, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर उत्तर प्रदेश में और देश में पंचायत राज की स्थापना की गई। उसका मुख्य अंग गांव सभा का प्रधान है। गांव सभा के प्रधान के खिलाफ माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो विचार व्यक्त किये उनसे मुझे बड़ा खेद हुआ प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों में विश्वास करने वाले लोगों की जबान से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिये था कि प्रधान पैसे खा लेता है और जमीन नहीं देता है। कानूनगो तक की तो मैं सफाई पेश करना नहीं चाहता हूं। यह सदन वोटों के आधार पर बना हुआ है। जिस भाषा का प्रयोग इस सदन में चुने हुए गांव सभा के प्रधान के लिये हुआ अगर ग्राम सभाओं में भी उसी भाषा का प्रयोग किया जायगा तो मान्यवर, ४३१ सदस्यों के हृदय में कितना आघात पहुंचेगा।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ग्राम सभायें ट्रेनिंग ग्राउन्ड्स हैं। अगर उनसे कहीं पर कोई अनियमितता हो गई है या कोई गलती हो गई है और वे पढ़े लिखे प्रधान से अगर कोई गलती हो गई है चाहे वह उसकी अनभिज्ञता के कारण हो गई हो या उसके पक्षपात के कारण हो गई

है तो उसकी दुरुस्ती के लिये जो उपाय बताये गये हैं ग्राम पंचायत राज्य के कानून में उनका उपयोग करना चाहिये । हमें इसको वैधानिक प्रणाली तक ही सीमित रखना चाहिये लेकिन, श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि आज जो इस तरह के अनर्गल लान्छन माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये हैं या अनर्गल प्रलाप किया गया है वह मेरी समझ में तो नहीं आ पाया ।

मान्यवर, जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है कि इस प्रदेश के लिये एक आयोग बनाया जाय, जिससे कि बची हुई भूमि भूमिहीनों को ही मिल सके वहां पर आपके भाव और आपकी भाषा यदि ऐसी रहे कि "हर जगह अनियमितता होती है, हर जगह भ्रष्टाचार होता है", तो, श्रीमन्, ५० साल में भी यह आयोग इन सब भ्रष्टाचार और तथाकथित अनियमितताओं का इलाज नहीं कर पायेगा । इस प्रस्ताव के द्वारा की गयी यह मांग ऐसी मांग है, जिसकी कि पूर्ति किसी कीमत पर भी संभव नहीं है और न हो सकती है। "इस भ्रष्टाचार और इस अनियमितता की जांच के लिये एक आयोग पूरे उत्तर प्रदेश में बिठाया जाये", श्रीमन्, कितनी असम्भव बात को संभव बनाने का इस प्रस्ताव के जरिये प्रयत्न किया गया है ! मैं मानता हूं यह बात कि कुछ गलतियां हुईं और बहुत सी गलतियां दुरुस्त हुईं । जहां पर गल्तियां हुईं वहां पर सरकार और सरकार के अधिकारियों ने इन गल्तियों को दुरुस्त किया । यह हो सकता है कि कुछ ऐसी जमीनें बंट गयी हों, जो गलत हों, तो उसके लिये श्रीमन्, कुछ विधान है। विधान सभा में आप बैठे हैं और सारा कार्य विधान के अन्तर्गत ही हम लोग करते है। अगर विधान के अन्तर्गत कोई और रास्ता नहीं है तो आप इस किस्म से आयोग बनायें, उसकी जांच करने के लिये और उसकी अनियमितता को दूर करने के लिये । यदि सरकार और विधान सभा पुराने कानून को बदल कर, पुरानी बातों को समाप्त कर, जो इसी सदन से कानून पास हुए हैं, उन्हीं के मातहत ग्राम पंचायतें काम करती हैं तो आप अपने ही कानून को उलट दें और आप अपने ही कानून को समाप्त कर दें तभी यह संभव हो सकता है, अन्यथा यह किसी कीमत पर संभव भी नहीं है। तो जो आयोग की बात है वह किसी कीमत पर भी संभव नहीं है और न आयोग की स्थापना हो सकती है और न होने की आवश्यकता है।

गलतियां हैं चकबन्दी के संबंध में । श्रीमन्, जो जमीनें सार्वजनिक उपयोग के लिये छांटी गईं उनके लिये आप ही ने कानून पास किया है कि यदि १० फीसदी से अधिक भूमि ग्राम सभा के पास हो तो वह भूमि भूमिहीनों में वितरित की जाये। ऐसी हजारों ग्राम सभाएं हैं, जिनके पास १० फीसदी से कम भूमि है, तो जिनके पास १० फीसदी से कम भूमि है, वहां तो यह प्रस्ताव बेमानी है, इसका कोई असर भी नहीं हो सकता है । उन ग्राम सभाओं की बात जरूर है, जिनके पास १० फीसदी से सरप्लस भूमि है। ऐसी ग्राम सभाओं में भूमि के वितरण के लिये निश्चित और स्पष्ट कानून बने हुए हैं और उन सारे प्रोसीजरों को पूरा करने के बाद पट्टा फाइनल रूप से लिखा जाता है । यदि इस पर किसी को आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मियाद के अन्दर दाखिल कर सकता है और वह दूर की जा सकती है और दूर की जाती है । किन्तु मियाद के बाद उस पर आपत्ति करना गलत है । जब समय व्यतीत हो चुका हो तो दुरुस्ती नहीं हो सकती । आगे भूमि के वितरण के संबंध में आप चाहे जो भी राय बनायें, चाहे जो भी कानून बनायें वह उचित होगा, लेकिन जो हो चुका है और जिसकी मियाद हो चुकी है, उसकी कोई समरी इन्क्वायरी नहीं हो सकती है और यदि आप कोई आयोग नियुक्त करेंगे तो उसको कानून की शक्ति भी देनी होगी और यह रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जायगा ।

श्रीमन्, कुछ बातें माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कही कि लेखपाल कब्जा लिखता है । इसी सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी ने पिछले साल एक नियम बनाकर दिया कि लेखपाल

[श्री जे० पी० मिश्र]

को कब्जा लिखने का कोई हक नहीं है, जो भी कब्जा लिखा जायगा वह कानूनगो के जरिये से मौके की जांच करके लिखा जाएगा और उसी समय माननीय राजस्व मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि अगर यह एक्सपेरिमेन्ट भी कामयाब नहीं होगा तो हम दूसरा तरीका निकालेंगे कि कानूनगो के हाथ से भी वह अधिकार ले लिये जा और कोई नया तरीका सोचा जाय।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, समय हो गया ? अभी तो हमने थोड़ा ही समय लिया है। श्रीमन्, कोई कानूनगो की जो बात माधव प्रसाद जी ने कही उसके लिये माननीय राजस्व मंत्री को वे इस बात से इम्प्रेस कर दें कि कानूनगो द्वारा गलत इन्दराज हुए हैं और तहकीकात में यह बात सिद्ध होगी तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के महान तजुर्बेकार राजस्व मंत्री विरोधी दल की इस राय को स्वीकार करने में नहीं हिचकेंगे। माननीय माधव प्रसाद जी जानते हैं और आप स्वयं श्रीमन्, अच्छे नेता हैं, आपको भी पता होगा कि जिस तरह से अन-अथराइज्ड तरीके से भूमि पर कब्जे किये गये उत्तर प्रदेश के हर जिले में और वह जमीन बेदखल हुई और वह ग्राम समाजों को लौटी और उसके बाद भूमिहीन लोगों को जिस प्रकार वितरित हुई वह किसी से छिपा नहीं है।

आखिरी बात, माननीय माधव प्रसाद जी स्वयं जन प्रतिनिधि हैं, तमाम सदस्य स्वयं जन प्रतिनिधि हैं तो आम तौर पर यह घोषणा कर देना कि सभी जगह गलतियां है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा धब्बा हमारे जन प्रतिनिधियों के ऊपर पहले है, सरकार के ऊपर बाद में है। इस प्रकार के प्रस्ताव के ऊपर सदन में बहस ही नहीं होती तो ज्यादा उचित होता। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक पद्धतियों के द्वारा चुने गये लोगों के लिये यह प्रस्ताव कलंकमय है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरे बिचार में यह संकल्प बहुत पुनीत है, यह निर्विवाद है। आज जो आर्थिक संकट है इस प्रदेश पर वह इसी कारण से है। हमारे प्रदेश में अर्से से यह बिचार हो रहा था कि किस तरह से भूमिहीनों को भूमि दी जाय। प्रवध रेंट ऐक्ट पास हुआ जिसमें कुछ काश्तकारों के लिये सीमा हुई कि इतने दिनों तक के लिये काश्तकारी रख सकता है। उसके बाद यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट आया जिसमें स्थायित्व दिया गया काश्तकारों को। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट आया जिसमें कि वह काश्तकार हमेशा के लिये काश्तकार रहा। उसके बाद अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक आया और जो जमीन पंचायत राज ऐक्ट में ग्राम सभा के पास आयी उसके लिये भी यह नियम बन गया कि वह उन लोगों को दी जायगी जो भूमिहीन हैं। हमारे पूर्ववक्ता श्री माता प्रसाद जी ने भी समर्थन किया कि भूमिहीनों को जमीन नहीं दी जाती है चाहे वह ग्रामसभा की बची हो या अधिकतम जोत सीमा आरोपण से बची हो या अन्य रूप से बची हो। माननीय रक्षपाल सिंह जी ने कहा कि भूमिदान से जो जमीन मिली है वह भूमिहीनों को नहीं मिल पायी है। यही कारण है कि आज खाद्य समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है। माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि जमीन जो अधिकतर लोगों के पास है बड़ी सीमा की है, वह जोत नहीं पाते और परती पड़ी रह जाती है। इसके लिये लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया । उसमें भी इस पर बहस हुई कि जिनके पास ज्यादा भूमि है वह किस प्रकार से सब-लेटिंग करें "विद रिस्ट्रिक्शंस", या जो भी नियम बनाये जायं उनके अन्दर लेकिन जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीनें देनी होंगी ।

हमारे मित्र मिश्र जी अपना भाषण देकर प्रधानों की वकालत करके चले गये, जिनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं । हो सकता है हमारे मिश्र जी भी उसी के शिकार हों या ग्राम प्रधानों से मिलकर कुछ जमीन ले ली हो जिसके कारण यहां पर उनकी वकालत करते हैं । ग्राम प्रधानों के विषय में कोई दो मत नहीं हैं कि जितनी भी भूमि गांव सभा की होती है वह अपने नियंत्रण में करके अपने रिश्तेदार, बाल बच्चे या लड़की औरत के नाम कर लेते हैं या दूसरे को दे देते हैं, इस कंडीशन के साथ कि नाम तो तुम्हारा रहेगा लेकिन जमीन हम जोत लेंगे । तो यह मौलिक संकल्प बड़ी समस्या के सम्बंध में है । इस पर कोई आयोग हर गांव के विषय में बैठाया जाय कि जो गांव सभा की जमीन या अधिकतम सीमा आरोपण से जमीन बची हो या प्रधान से मिली हो या ग्राम सभा से मिली हो इस सब को देखे । इसकी एक सूची तैयार हो कि कितनी भूमि ग्राम सभा की बची हुई थी और कितनी किसानों को दी गई । अगर इसकी जांच होगी तो यह एक अच्छा कदम होगा । आज हालत यह है कि जितनी भूमि बची वह भूमिहीनों को नहीं दी गई । अगर दी गई होती तो आज जो भूमिहीन लोग गांव से भाग रहे हैं और गांव में नहीं रहना चाहते है, वे वहां से न भागते । वे आज वहां पर नहीं रहना चाहते । उनको भोजन नहीं मिलता है । २ आने में कैसे मजदूर अपना पेट पाल सकता है ? उनको रोक नहीं सकते हैं । वह शहर की तरफ भागते है और यहां पर फुटपाथ पर पड़े रहते है। अगर वह बची हुई भूमि उनको दी जाय तो वह गांव में बसे रहेंगे और उनको यह सन्तोष रहेगा कि गांव में थोड़ी सी जमीन पर गुजारा करके वह अपनी जिन्दगी बिता सकता है।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प बहुत सही है । चकबन्दी में भी बहुत सी भूमि कुछ प्रतिशत के हिसाब से काट ली जाती है । उसकी कुछ मात्रा फिक्स है, ५, ७ या ८ फीसदी वह भूमि काट ली जाती है । उसकी सूची तैयार नहीं करते । वह ग्राम सभा में वेस्ट होनी चाहिये, लेकिन वह सूची तैयार नहीं करते हैं । वह यह करते हैं कि अधिकारी लोग जिनसे पैसा पा जाते हैं उनके चक में लगा देते है । उसकी सूची तैयार न करके उनसे पैसा ले लेते है और उनके चक में वह मिला देते है। वह उनके चकमें जुड़ जाती है । इसके अलावा विशेषकर जितनी चकबन्दी की भूमि बची हुई है उसकी अलग से सूची तैयार होनी चाहिये । हर गांव में अलग से सूची होनी चाहिये और उस सूची में से चकबन्दी की जमीन किसी को दें या उसके बाद किसी को वितरण करें, कुछ अस्पताल को देते हैं, कुछ स्कूल को देते है, उसके बाद भी बचती है तो उसकी सूची होनी चाहिये । जो होशियार प्रधान हैं जिनकी वकालत मिश्र जी ने की है वह जानते हैं कि वह अपने किसी अन्य साथी के नाम लिखी रहती है। उसके लिये भी बहुत आवश्यक है कि वह एक सूची बनकर आयोग के सामने आये । एक सूची इसी तरह से भूमिहीनों की रहे । सरकार के पास बहुत बड़ी फौज ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० की है । वह क्या करते हैं ? वह जीप में घूमते रहते हैं । वह हर गांव की सूची बना सकते है। कि कितने भूमिहीन है । जो जमीन बचती है उसको भूमिहीन लोगों में वितरित की जाय, ग्राम सभा के सभापति के ऊपर । उनको न छोड़ा जाय। वह अपनी लिस्ट बनाते है और एक रेजोलूशन पास कर लेते हैं । वह आखिरी होता है। इस तरह से वह अपनी मनमानी करते हैं । जिन पर दस्तखत करा लिया वही उनका रेजोलूशन हो गया । इससे न्याय की बात नहीं बनती है। जमींदारी आपने तोड़ी लेकिन बड़े जमींदार तैयार हो गये, प्रधान, जिनकी वकालत हमारे मिश्रा जी कर रहे थे । उनके खिलाफ भी एक पर्चा निकला है क्योंकि उन्होंने भी कुछ जमीन हड़प ली है । जहां अनियमित रूप से प्रधान जमीन ले लेते हैं वहां वकील उनका साथ नहीं देते है । वकील तो यही कोशिश करता है कि जो जमीन

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

अनियमित रूप से निकल गयी है वह उसके पास वापस आ जाय। तो जहां पर भूमिहीनों की सूची बनायी जायगी वहां यह निर्देश होगा कि बची हुई जमीन भूमिहीनों को दी जाय। इसके लिये कुछ नियम बना दिये जायं और दो चार छः बीघे की कुछ मात्रा तय कर दी जाय। इससे एक तो उनके रहने का एक साधन हो जायगा, वे रोजगार या मजदूरी भी कर सकेंगे, गांव भी बसे रहेंगे और उनकी जीविका का एक साधन हो जायगा। इन सब बातों को देखते हुए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं कि यह बहुत उचित होगा कि एक आयोग बनाया जाय जो इन सारी बातों की पूरी जांच करे।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध दो तीन आधारों पर करता हूं। पहला तो यह कि इस संकल्प को अगर उसी रूप में मान लिया जाय तो उसका क्या स्थायी प्रभाव पड़ेगा, दूसरे यह कि संकल्प के मसविदाकारों का आशय क्या है और तीसरे यह कि संकल्प की भाषा क्या है। संकल्प की भाषा से यह स्पष्ट है कि जो गांव समाज की जमीन है या जो सीलिंग के बाद की जमीन है, उस संबंध में जो अनियमितता और भ्रष्टाचार है उसकी जांच के लिये एक आयोग बनाया जाय और बाकी जमीन भूमिहीनों को दी जाय।

प्रथम बात तो यह है कि जमींदारी उन्मूलन कानून की कुछ धारायें ऐसी हैं जिनके कारण उन धाराओं के प्रतिकूल अगर प्रधान या गांव समाज आचरण करता है तो उसे कार्यवाही करने का अधिकार है, बेदखल करने का अधिकार है। अगर किसी प्रधान ने अपने गलत आदमी को जमीन दी, जिसके पास जमीन है और उसे जमीन वह नहीं मिलनी चाहिये, उस पर उसे कार्यवाही करने का अधिकार है।

दूसरी बात यह है कि आयोग की स्थापना कुछ ईश्यूज के ऊपर होती है जिनके ऊपर आयोग कुछ सिफारिशें करता है। क्या आप समझते हैं कि जमींदारी उन्मूलन की वजह से जो जमीन बची या सीलिंग कानून से जो जमीन बची उसे भूमिहीनों को देने में जो भ्रष्टाचार व अनियमितता हो रही है उसको कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में जो कुछ आज अधिकारी करते हैं, उसके रिकमेन्डेशन से उस कानून में कुछ परिवर्तन होगा? आयोग की जो रचना होती है वह किसी ईश्यू को लेकर होती है और वह एक जुडिशियल बाडी के तौर पर होता है। जो उसकी सीमा है उसी के अन्दर वह रह कर काम करता है, उसके बाहर वह नहीं जा सकता। जैसे लेबर कानून के संबंध में कोई आयोग हो, या किसी और विशेष पुलिस कानून के संबंध में कोई आयोग की बात हो, तो उसका आशय यह है कि हमारे सामने स्पेसिफिक ईश्यूज हों, जिन के मातहत आयोग बने, और तब कार्यवाही हो। मैं समझता हूं कि इन दोनों कानूनों से काफी अच्छा काम हुआ है। किन्तु हर एक गांव समाज अपने में एक समस्या है। उनमें तमाम अनियमिततायें हैं, कुछ कार्यवाहियां हैं और इस प्रकार प्रदेश भर में हजारों गांव समाज और हजारों व्यक्ति इस से प्रभावित हैं, उनके बुनियादी अधिकार प्रभावित हैं। तो आयोग कौन-कौन से ईश्यूज पर जांच करेगा? इस लिए मैं आयोग की रचना की बात को बिलकुल विधान के बिपरीत, रिडेडेंट, समझता हूं। यह समझता हूं कि उसका कुछ महत्व नहीं है।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि..

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आपने क्या कह दिया? आपने तो गाली दे दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेचनराम—

मैं तो, श्रीमन्, अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी बात में मैं इसकी भाषा को लेता हूं। संकल्प का आशय यह है कि जो गांव समाज की भूमि है उसका वितरण किया जाय और सीलिंग कानून का पूरा उपयोग किया जाय। अगर आप सही तौर पर भूमिहीनों को जमीन दिलाना चाहते हैं और उत्पादन के साधनों पर समाज का, समाज की शक्तियों का अधिकार रखना चाहते हैं तो इस संकल्प को और अधिक व्यापक होना चाहिये। इस के सम्बन्ध में कई विधेयक आने चाहिये और जो मौजूदा विधेयक हैं, उनमें संशोधन होने चाहिये। इसकी भाषा देखने से पता लगता है कि इसका भाव बड़ा संकुचित है। हमारी सरकार सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है। इसके लिए ही जमींदारी अधिनियम में व्यवस्था की गयी है और यदि हम इस संकल्प द्वारा पारित कर दें कि सारे प्रदेश के कृषक सहकारी खेती करेंगे तो वास्तविक रूप में भूमिहीनों को फायदा हो सकता है। लेकिन हम जो ऐसा नहीं कर सके इसका का एक कारण है। वह एक बड़ी क्रान्तिकारी बात है। जो संविधान की मंशा है और जो हमारा अन्ततोगत्वा उद्देश्य है वह यह है कि हम बड़े-बड़े कारखानों द्वारा अपना उत्पादन बढ़ायें, और उन में काफी लोग देश के लग जायं, उसके बाद जो बचे खुचे लोग हैं वे सहकारी ढंग से खेती करने में लग जायं। यह हमारी नीति है। अगर यह संकल्प सहकारी खेती के सम्बन्ध में होता या सीलिंग कानून में इस के द्वारा परिवर्तन लाने की बात होती तो ठीक होता। सीलिंग कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हलवाहे को ही असली किसान मान लिया जाय तो इन्दराज के आधार पर जो किसान बने हुये हैं उन को समाप्त करने की बात इस प्रदेश में होनी चाहिये थी। लेकिन इसमें भावना तो यह है कि हम इस प्रस्ताव को लाकर काश्तकारों की, मजदूरों की, भूमिहीनों की सहानुभूति प्राप्त कर लें। इसको पेश किया और एक भाषण दे दिया। एक जेब में प्रस्ताव रखा और दूसरी में समाजवादी व्यवस्था की बहुत सी बातें और जहां चाहा तथा जैसा चाहा उसका उपयोग किया। जिस संस्था ने इसका प्रतिपादन किया है उसका ध्येय श्रमिक का उद्धार करने का नहीं है। यदि यह प्रवृत्ति उस में होती तो इस संकल्प का कलेवर और विशाल होना चाहिये था।

एक साहब ने कहा कि गांव समाज की पड़ी हुई भूमि भूमिहीनों को दी जाय। हमारी प्रवृत्ति पंचायत राज की ओर है। उसमें देश के अन्दर एक नया नेतृत्व पैदा हो रहा है और उस से देश में एक शक्ति जागृत होगी। इस तरह से हमारी सारी की सारी शक्ति एक तरफ बढ़ रही है। हमने जमींदारी उन्मूलन किया और बिचौलिया को हटा दिया। और जमीन का भार गांव समाज को सौंपा। एक गांव के लोगों को जमात को ताकत मिली। अगर हम उस कानून द्वारा प्राप्त अधिकार को एक कलेक्टर या किसी अफसर को देते हैं और फिर यदि पक्षपात होता है तो हम क्या शिकायत कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, पक्षपात है? वह तो होना ही है। तो हमें इस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि क्या भूमिहीनों को जमीन बांट दी गयी? तो हम जो कहते हैं कि पंचायत राज से हटाकर व्यक्ति को दे दीजिये या अफसरों को, यह बिलकुल गलत दिशा है। हो सकता है कि ५ वर्ष में नहीं तो १० वर्ष में वह स्थिति हमारे समाने आये कि किसान-मजदूर का नेतृत्व हमारे सामने आये और हमारी क्रान्तिकारी ताकतें और देश को बढ़ाने वाली ताकतें सामने आयें और प्रधान या गजेटड वर्ग का व्यक्ति भ्रष्टाचार न करने पाये। अगर हम उसके सम्बन्ध में कोई संकल्प लायें तो कोई बात हो सकती है। लेकिन अगर यह मतलब है कि हम संकल्प भूमिहीनों के सम्बन्ध में इसलिए लाये हैं कि भूमिहीनों की सहानुभूति प्राप्त करें तो उससे कोई मतलब हल नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि भूमिहीनों की जमीनों के सम्बन्ध में, इस व्यवस्था के बारे में जिस प्रकार से संकल्प लाये हैं उसके पास होने से कोई फायदा नहीं पहुंचता। आवश्यकता यह है कि हम जमींदारी उन्मूलन कानून में परिवर्तन लावें। इस संकल्प से कोई वैधानिक प्रभाव नहीं

[श्री बेचनराम]

पड़ता। हम चाहते हैं कि सीलिंग कानून में परिवर्तन लावें जो कि इतना व्यापक और बड़ी सीमा वाला बानाया गया है कि हमें उस सीलिंग को कम करना होगा ताकि जमीन का उचित बटवारा हो सके। अगर जमीन का बटवारा नहीं कराते हैं तो सरकारी आन्दोलन के बारे में हम क्यों नहीं जनमत तैयार करते हैं ? साथ ही सहकारी खेती के सम्बन्ध में जो हमारा तजुर्बा है कि जबरन सहकारी खेती नहीं बल्कि उचित रूप से सहकारी खेती करायी जाय, इस बारे में कोई कार्यवाही करें, तो इस प्रकार के संकल्पों से कुछ लाभ हो सकता है। इस लिए यह संकल्प अपनी जगह पर कोई अर्थ नहीं रखता।

जहां तक उस में संशोधनों की बात है, अब बुनियादी संकल्प में त्रुटियां हैं तो संशोधनों को भी वैधानिक त्रुटियों के कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता और न उनकी उपयोगिता रहती है। इसलिए मै इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करना चाहता हूं। पूर्व वक्ता, माननीय बेचनराम जी, ने कहा कि न तो आयोग की उपयोगिता है और न वैधानिक ही कोई मान्यता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा कर के इस संकल्प को एक बार और पढ़ें और मनन करे। इस का केवल उद्देश्य यह है कि सरकार एक आयोग की नियुक्ति करे और इस प्रदेश में अधिकतम, जोत-सीमा, चकबन्दी आदि से गांव समाज को प्राप्त हुई उस भूमि के वितरण हुई में अनियमितताओं की जांच करें, उस के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दी जाय। दोनों पक्ष के लोग यह मानते हैं कि अनियमिततायें हुई हैं, गड़बड़ी हुई है। उसी के लिए यह मांग की गयी है कि एक आयोग की स्थापना की जाय जो इसकी जांच करके अपनी सिफारिश करे ताकि सरकार उस पर कार्यवाही करे और ऐसी व्यवस्था करे जिस से यह अनियमितताएं दूर हों और जो इस प्रकार अनियमित रूप से भूमि वितरित की गयी हो वह रद की जाय।

जमींदारी उन्मूलन कानून में भी संशोधन किया गया। उसमें उसकी आवश्यकता को महसूस किया गया और इसीलिए संशोधन लाया गया। इस सम्बन्ध में भी अगर सरकार समझती है कि कोई अनियमतता हुई है तो वह संशोधन ला सकती है। उसी को पहल करने के लिए यह संकल्प लाया गया है और माननीय बेचनराम जी को उसकी उपयोगिता को समझना चाहिये।

एक बात और इस आदरणीय सदन के सामने लाना चाहता हूं। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि प्रधान लोग अनियमितायें करते हैं। कुछ साथियों ने कहा कि वे रुपया भी लेते हैं। यह भी कहा गया कि प्रधान लोग हर मामले में पैसा लेते हैं। श्रीमन्, इन शिकायतों में कुछ तथ्य भी है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रधान इतने गिरे हुये हैं। हमारे प्रदेश में आज ७२ हजार प्रधान हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रधानों के लिए ऐसा न कहिये।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं स्वयं भी प्रधान हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि आज भी हमारे यह प्रधान लोग राजनीति में रहने वाले सफेदपोश लोगों से कहीं अधिक बेहतर हैं और कहीं अधिक ईमानदार हैं। हमारे प्रदेश के प्रधान बड़ी समझदारी से काम करते हैं। मैं बलिया जिले के एक मौजे का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अधोषोझुआ प्रधान ने, जो पिछड़े वर्ग का था, दफा

२२६ के एक केस में सही गवाही दी जो कुछ बड़े लोगों के खिलाफ पड़ी। उस ने जो बयान दिया वह बड़े लोगों के खिलाफ था। इसलिए एक दिन शाम को ही उन लोगों ने प्रधान को स्टेशन से ही पकड़ कर उसको टांग कर ले गये, मारते ले गये और सारी रात उसकी पिटाई हुई। जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गयी, पुलिस ढूंढती रही और सुबह फिर प्रधान को खेत में फेंक दिया गया। श्रीमन्, एक प्रधान चांददियर गांव सभा के हैं। उसने ईमानदारी से काम किया। उससे पहिले जो भाड़ ५०० रुपये में नीलाम होती थी वह १,२०० रु० और १,५०० रु० में हुई। गांव के जिन प्रभावशाली व्यक्तियों को पहिले पैसा मिलता था, उन को वर्तमान प्रधान से नहीं मिला। लोगों ने बी० डी० ओ० से मिलकर इस बात का प्रोपैगेन्डा किया कि इस प्रधान ने ५०० रु० की गड़बड़ी कर ली है। बी० डी० ओ० ने कहा कि अगर प्रधान ५०० रु० दे दें तो मामला खत्म कर दिया जायेगा। मैंने प्रधान भाई को बुलाया। संयोगवश हमारी आदरणीया मुख्य मन्त्री जी भी उन दिनों बलिया जाने वाली थीं। जब वहां यह पता चला कि अब तो मामला मुख्य मन्त्री की नोटिस में आ जायगा, तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि गलती हो गयी है, छोटी सी यह बात मुख्य मन्त्री जी को आप न बताइये। मैं ने भी सोचा और बाद में उस मामले को नहीं ले गये। परन्तु सरकारी पक्ष के लोग चाहते हैं कि ये सब जांच सरकारी अधिकारियों से हों। वही कहावत है कि 'चोर चोर मौसेरे भाई'। मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इस बात की जांच करायें।

इसके अलावा, रेलवे की पटरी की जमीन जो अधिकारियों द्वारा वहां दी गयी है, उसको मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। बलिया से जो लाइन छपरा जाती है, उससे लगी जमीन को जिलाधीश ने ही बांटा। इन जिलाधीशों पर ही यह सरकार चल रही है। जिलाधीश न कोई मुअत्तल हुआ, उन्होंने कितने ही पाप किये, कितनी ही रिश्वत ली। जिलाधीश ने पांच पांच एकड़ जमीन को भाइयों को दे दीं, जबकि उस के पास पहिले से ही जमीन है। क्या प्रधान भी इतना अन्याय करता? प्रधान करता तो दो-दो एकड़ पांच को देता। दस एकड़ एक को हो न देता। उपाध्यक्ष महोदय, चांददियरा और बधियापुर में ऐसे लोगों को जमीन दी गयी जो सीमेंट के स्टाकिस्ट थे और जो लाखों रुपयों का ठेका करते थे। उनके नामों से पहिले की बहुत सी भूमि है। इन को न देकर उन के बेटे के नाम से दी गयी। बाप के नाम से साथ आज भी पचास एकड़ है। मैं, श्रीमन्, पूछता हूं कि आप अधिकतम जोत सीमा का कैसे निर्धारण कर पाते हैं। हमारे जिले के एक बहुत बड़े किसान हैं। उनके पास कितने ही एकड़ सीलिंग से ऊपर जमीन निकली है। दो भाई हैं बाप अभी मरे हैं कानून के बाद। अभी भी उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। उन्होंने दो कोल्ड स्टोरेज कायम किये हैं। लाखों की कोठी बलिया में बनवा दी और आज भी जमीन बेचते चले जा रहे हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

हमारे जिले में एक आदमी के पास दो हजार एकड़ जमीन निकली।

श्री मैनेजरसिंह--

बहराइच में निकल गई तो क्या बात है? मैं कहता हूं कि बलिया की जांच करा ल। यह हालत है इस कानून की।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बहराइच और बलिया दोनों की निकल जावेगी।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, चकबन्दी में भी ग्राम समाज को भूमि मिली है । पंचायतों और प्रधानों की परवाह न करके लोगों ने कब्जा कर लिया है जमीनों पर। आपकी नपुंसक मशीनरी में क्षमता नहीं कि वह उनसे जमीन वापस ले लें। अगर प्रधान आदि दरख्वास्त भी दें तो कोई सुनवाई नहीं होती है । आज भ्रष्टाचार इस हद तक फैल गया है कि आपके बड़े बड़े पी० सी० एस० आफिसर्स जिनके कारण सेक्रेटेरियट या सचिवालय चल रहा है, वे भी रिश्वत लेने में संकोच नहीं करते हैं । जो अनियमितताये उनके ऊपर हुई हैं । उनका अन्त तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री लोग शहरों में नजूल की जमीन अपने नाम से लेंगे और बड़े-बड़े फार्म लेंगे । परसों ही आदरणीय तिवारीजी ने माननीय हरगोविन्दसिंह के फार्म का जिक्र किया था जो बाराबंकी जिले में पक्की सड़क और रेलवे के बीच में है । जब तक हम सार्वजनिक जीवन के लोग ऐसा करेंगे तब तक यह राज्य चलने वाला नहीं है और अनियमितायें दूर नहीं होंगीं । सार्बजनिक जीवन के लोग अपना व्यक्तिगत चरित्र ठीक करें । मैं एक अफसर के यहां मिलने के लिये गया । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन बड़ी खूबसूरत कोठी थी । पूछने पर मालूम हुआ कि किसी सेक्रेटेरियट के सेक्रेटरी की है। तो जब तक यह ऊपर का तबका गड़बड़ी करता रहेगा, भूमिहीनों को जमीन गावों में नहीं मिल सकती है और प्रधानों की हिम्मत नहीं है कि उन्हें जमीन दिला सकें ।

आपके माल विभाग का कागज बिलकुल दुरुस्त नहीं है। इस बात को सरकार भी स्वीकार करेगी, चूंकि चकबन्दी के दौरान में बहुत अधिक अशुद्धियां दुरुस्त हुई हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के माल विभाग में ८० फीसदी इन्दराजात गलत हैं । इसका यह नतीजा हुआ है कि हमारे एक साथी हैं कांग्रेस के पक्ष के, राम प्यारे जी, दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, उनके क्षेत्र में मैं गया था । मुझे मालूम हुआ कि वहां बहुत सी ऐसी जमीन रेहन्ड में ले ली गई जिस पर ६०, ७० साल के किसान कविज थे, लेकिन उनका नाम कागज में दर्ज नहीं था । इसलिये उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

रिहन्द की जमीन का ३० लाख रुपया मुआवजा दिया गया है ।

श्री मैनेजरसिंह--

लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काश्तकार बाकी रह गये जिनको मुआवज नहीं मिला है, चूंकि उनका नाम आपके कागजात में दर्ज नहीं था । लेकिन उनका कब्जा ६०, ८० साल से उस जमीन पर था और वे बाप दादे के जमाने से उस जमीन पर काश्त करते चले आ रहे थे । आप इसकी तहकीकात करावें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस कागज में दुरस्ती होनी चाहिये। यह संकल्प सीधा सादा है, आयोग के द्वारा आप इसकी जांच करायें और वह आयोग जो रिपोर्ट दे, उस पर आप कोई कदम उठायें । हम सरकार को बल देने के लिये ही यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव की भाषा बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ी । हो सकता है कि प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य पवित्र हो, लेकिन श्रीमन् में स्पष्टोक्ति के लिये क्षमा चाहूंगा कि उन्होंने जिस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें केवल सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने की भावना ही परिलक्षित होती है । मैं इस बात को नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा और उसके उदाहरण उनके सामने न होंगे, लेकिन श्रीमन्, आजकल सस्ती लोकप्रियता को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राप्त करने के लिये और जनता को प्रसन्न करने के लिये ऐसे उत्तेजक प्रस्ताव लाये जाते हैं, इस विचार से कि जनमत उनके पक्ष में हो, और समाज में उनको भी एक स्थान प्राप्त हो। मैं आप से क्षमा चाहूंगा कि मैं इस प्रस्ताव के पीछे इसी भावना को पाता हूं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जमींदारी उनमूलन ऐक्ट के अन्दर ऐसी दफायें हैं, जिनमें ऐसे आदेश दिये गये हैं कि अगर कोई बंजर जमीन है या अन्य प्रकार की ही जमीन है, और काबिल जरायत है तो वह भूमिहीनों को दी जाय। जमींदारी उमूलन के बाद जो ऐसी जमीन थी, वह भूमिहीनों को दी भी गई। यह हो सकता है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हों जहां पर भूमिहीनों की उपेक्षा करके वह जमीन भूमि वालों को भी दे दी गई हो, लेकिन जिस कानून के अधीन हम यह काम करते हैं, उसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि गांव सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि यदि कोई ऐसा पट्टा हो जाता है कि जो भूमिहीनों को न मिलकर भूमि वालों को मिल गया है, तो वह आपत्ति कर सकते हैं। जिले जिले में अनेक अधिकारी नियुक्त हैं। वे अधिकारी उन सब बातों की देख रेख रखते हैं, शिकायतों की जांच करते हैं और जांच करने के बाद उन दोषों को दूर करते हैं।

इसी प्रकार से जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्दर जमीन मिली है, उसके बारे में भी ऐक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि वह जमीन भूमिहीनों को दी जाय। मेरी नोटिस में ऐसे उदाहरण नहीं आये जहां इस अधिकार की अवहेलना की गई हो। हो सकता है कि प्रस्तावक महोदय या मैनेजरसिंह जी के पास ऐसे उदाहरण हों। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बलिया की बेकायदगियों की जांच करने के लिये किसी विशिष्ट अधिकारी को नियुक्त कर दें।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

यह बलिया का ही सवाल नहीं है, यह तो सारे सूबे में ही है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

आयोग की मांग देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है, आयोग का स्कोप क्या होगा, उसमें कितना व्यय होगा, तथा वह किस प्रकार के जांच करेगा, उसकी सम्भावित प्रतिक्रियायें क्या होंगीं। जब आयोग की स्थापना होगी, तो उसको बहुत बड़ा स्टाफ चाहिये, बहुत बड़ी धनराशि उसके लिये आवश्यक होगी। वह कहां-कहां का दौरा करेगा, यह भी सोचना पड़ेगा। प्रत्येक तहसील के हैडक्वार्टर पर जांच करने जायगा या प्रत्येक गांव में जायगा। वह यह कैसे मालूम करेगा कि यह जमीन भूमिहीन को न दी जाकर भूमिवाले को दी गई है?

जहां तक चकबन्दी से प्राप्त हुई जमीन का संबंध है, उसमें तो पूरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ए० सी० ओ० पहले तय करता है, उसके बाद एतराज सुनता है, उसके बाद चक बांटे जाते हैं, उसके बाद सी० ओ० आपत्तियां सुनता है, उसके पश्चात् एस० ओ० सी० के यहां अपील होती है, और उसके बाद भी डाइरेक्टर तक जा सकते हैं। इस पर भी यह धारणा बनी रहना कि गड़बड़ी होती है, भूमिहीनों को नहीं मिलती, भूमिवालों को मिल जाती है, एक अजीब सी बात है। क्या आपकी यह जो सारी न्याय प्रणाली है, यह सब लोग बेईमान हैं? क्या उनमें ईमानदारी की भावना नहीं है? इस प्रकार की बातें कहना अपने आप की स्वंय निन्दा करना है। हम जिम्मेदार आदमी हैं। यह सदन सारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। हां, माननीय सदस्य भी अपना सम्मान रखते हैं, इसलिये हमें जो बातें कहनी चाहिये, वह सोच समझ करके जिम्मेदारी से ही कहनी चाहिये।

मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव से यही सिद्ध हो जाता है कि हमें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। आज आयोग की मांग करके हमने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हम इसके द्वारा अपना सेल्फ-कंडेम्नेशन ही कर रहे हैं। आज प्रधान लोग भी जनता के ही चुने हुये हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि बहुत से ऐसे प्रधान होंगे जिन्होंने गलती की होगी। लेकिन,

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

श्रीमन्, प्रजातंत्र प्रणाली में उस अन्याय से त्राण पाने के लिये एक तरीका होता है। हम कलेक्टर के यहां जाने की दरख्वास्त दे सकते हैं, और कार्यवाही करके उसको मुअत्तल करा सकते हैं। यह बात दूसरी है कि हमारे विरोधी पक्ष के मित्र, जैसी कि उनकी आदत है, एक उत्तेजित वायुमंडल को पदा करके केवल कुछ लोगों को प्रसन्न ही करना चाहते हों। जब आयोग स्थापित होगा, तो वह क्या तरीका अपनायेगा ? क्या गांव गांव में वह मनादी करायेगा या खतौनी खसरा को देख कर वह अपना कोई रास्ता बनायेगा ? वह यह कैसे मालूम करेगा कि कौन भूमिहीन है और कौन भूमि वाला है ? अतः अव्यावहारिक होने के कारण मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि और प्रस्तावक महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें, इस बात को सोचकर कि उसका परिणाम क्या होगा, व्यावहारिक रूप भी उसका हो सकेगा या वह केवल काल्पनिक संसार में ही विचरने के समान होगा।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, जब हमारे माननीय बुजुर्ग साथी ने कहा कि यह प्रस्ताव जो आया है उसके अन्दर कुछ सस्ता राजनैतिक नारा है। क्या कोई जमीन ऐसी है जो इस सीलिंग या इस जमींदारी खात्मे से भूमिहीनों को मिली हो या उनके पास आयी हो ? मेरा ऐसा खयाल है कि ५ या ६ लाख एकड़ भूमि आयी होगी। इसके अलावा देश और प्रदेश में एक भूदान की योजना आयी। उससे भी जमीन मिली, लेकिन समस्या इससे भी हल नहीं हो सकती। सीलिंग से और चकबन्दी से जमीनों को तोड़ तोड़ कर उन आदमियों में अपने पास रख लिया है और अब वह उनसे नहीं निलकती है। इस प्रकार से वह जमीन उन लोगों के पास नहीं आयी जिनको उसकी जरूरत थी। आपके सूबे की ८ करोड़ की आबादी है। रूस को छोड़कर, समस्त यूरोप के अन्दर कोई भी इतना बड़ा मुल्क नहीं जो कि आपके सूबे से बड़ा हो। इस आबादी में से ३० फीसदी अछूतों की या और दूसरों लोगों की है, जिनके पास जमीन नहीं है। इस समय ४ १/२ करोड़ एकड़ भूमि खेती के अन्दर है। इसमें से अब मुश्किल से ५-६ लाख एकड़ भूमि आयी है। प्रदेश में ३० प्रतिशत लोग वे हैं जो बेकार फौज के रूप में है। वे ऐसे इन्सान हैं जो आज कम से कम ६-७ घंटे काम करके इस पृथ्वी में से अनाज निकाल सकते हैं पर उनके सामने न तो जमीन ही है और न कोई जरिया ही है। अगर आप उस मेहनतकश फौज के लिये जमीन दें, और साधन दें तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे सामने अनाज की समस्या आयी है, हल हो जाय। लेकिन आप सोचें कि जमीन कितनी है ? समझ में नहीं आता कि इस सरकार की क्या पालिसी है। इसकी आर्थिक नीति क्या है ? इस सरकार की अब भी मिक्सड इकोनामी है। यह अब भी करोड़पतियों की तरह से राज्य को चलाना चाहती है। आज आज भी सूबे के अन्दर कोठियों के अन्दर इतनी बड़ी जमीनें पड़ी हैं जो बड़े झाड़े काश्तकारों के पास भी नहीं है। अगर यह सरकार समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखती है तो लाजमी हो जाता है कि जितनी भी भूमि बचे उसे यह सरकार भूमिहीनों या हरिजनों में वितरित करे। लेकिन अगर कोई संकल्प विरोधी पक्ष की ओर से आता है तो उसे यह सरकार सुनने को तैयार ही नहीं होती है। इस सरकार का दृष्टिकोण भी साफ नहीं है। आप उसी दलदल में प्रदेश को रखना चाहते हैं। अगर आप समाजवाद के पक्षपाती हैं तो आप सूबे के हर व्यक्ति को साधन देने की कृपा करें। आज इतना बड़ा सम जभूमिहीनों और बेकारो की हालत में बैठा हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप प्रदेश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो जमीनों को बांटियें, जमीनों को ज्यादा से जायदा दीजिये और तभी मुझे आशा है कि इस प्रदेश की जनता में कोई विश्वास आयेगा कि इस सरकार का कोई कदम समाजवाद की तरफ है। प्रगतिशील समाज के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर कृषि की यह तस्वीर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि २०० रुपया फी एकड़ भी आमदनी नहीं है जबकि ४ हजार रुपया एक एकड़ से आमदनी हो सकती है । ऐसा इसलिये है कि वहां न पानी है, न मेहनत है और न खाद है । इस तरह यह जमीन ऊसर है । जितनी बेकार जमीनें हैं वे सब अछूतों को दे दी गयी हैं । इस संकल्प का मंशा यह है कि मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा जमीनें भूमिहीनों को बांट कर गरीब किसानों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करें ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को पढ़ कर मुझे ऐसा लगा कि हमारे विरोधी भाई, और खास कर नेता विरोधी दल जो हैं, बड़े धोखे में आ गये। इसलिये कि उनकी तरफसे जो भी इस तरह के कटमोशन अथवा संशोधन आया करते थे उनमें इस बात की झलक होती थी कि सरकार अमुक लोगों की उन्नति नहीं करना चाहती और हमेंशा वह जनता एवं किसानों के हक में बात रखते थे। लेकिन इस प्रस्ताव के अन्दर वे बिलकुल फंस गये हैं । उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे प्रदेश में ७२८८ गांव सभायें हैं, उन पर यह एक सीधा आरोप है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं । अब तक तो सरकार की आलोचना होती थी लेकिन अब प्रदेश की ७२८८ गांव सभाओं की आलोचना उन्होंने की और उनके ईमान पर शुबहा किया। इससे किसान यही सोचेगा कि विरोधी दल के जो सदस्य हैं वे तो आलोचना के इतने आदी हैं कि अब उनको इतना भी खयाल नहीं रहता कि किसकी आलोचना करनी चाहिये और किसकी नहीं करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जमींदारी एवालीशन ऐक्ट बना है उसके अन्दर धारा १६८ ऐसी है जिसके मातहत गांव सभाओं के फैसले के विरुद्ध गांव का कोई भी आदमी अपील कर सकता है और उस फैसले को रद्द करा सकता है । दूसरे इसके साथ यह भी है कि गांव सभा के चुनाव में हरिजनों की खास तौर से सीटें भी सुरक्षित रखी गयीं, उनके प्रतिनिधि इस प्रकार उस गांव समाज की बैठकों में बैठते हैं । जिस वक्त किसी भूमि का ऐलान होता है कि फलां भूमि पटटे पर दी जायगी तो सारे गांव समाज के सदस्य उसमें बैठ कर विचार करते हैं कि अमुक जमीन चरागाह तो नहीं है, सुरक्षित तो नहीं है, तालाब तो नहीं है या किसी की व्यक्तिगत भूमि तो नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने के उपरान्त उस भूमि का पट्टा दिया जाता है और फिर जितनी दरख्वास्तें आती हैं उस भूमि के लिये उनमें से किन के पास भूमि है और किन के पास भूमि नहीं है, इस पर भी विचार किया जाता है ।

मेरे क्षेत्र में एक गांव है उरवा डालौन। उसमें १७० बीघे का एक टुकड़ा है जिस पर पुराने संबंधित जमींदार इधर उधर पेड़ लगा कर बाग लगाना चाहते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बाग कानून में जमीन नहीं आई इसलिये वह नहीं लिखी गई । इसका नतीजा यह हुआ कि वह गांव समाज की जमीन रह गई । इसके बाद पुराने जमींदार ने उनको बुलाया और कहा कि इस पर १० हजार रुपया जमा हो चुका है और ५० हजार रुपया हमें मिलना चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने उसका नाम क्या बताया, वह सुन नहीं पाये । कृपया फिर से बता दें ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

उसका नाम उरवा डालौन है । उनको बड़ा ध्यान रहता है, क्योंकि वह उनसे संबंधित हैं । गांव सभापतियों की इतनी बड़ी तादाद है । एक मिसाल के तौर पर कहता हूं कि उनमें न चरित्र की कोई बुराई है और न ईमान की बुराई है । उसको दस हजार रुपये का लालच दिया गया था कि तुम्हें हिस्सा दिया जायगा । लेकिन उसने इंकार कर दिया । उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वेजनाथसिंह वैद्य]

अधिकारियों और कारिन्दों के द्वारा दबाया गया लेकिन फिर भी वह उनके काबू में नहीं आये और आज भी वह जमीन पड़ी हुई है । वह जमीन अब किसी तरह से गांव समाज के पास नहीं जा सकती है ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने भाइयों से जरूर कहूंगा कि उनको इस संकल्प से धोखा हुआ है। उन्होंने इस बात की कोशिश की थी, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि, ये लोग चीप पापुलेरिटी प्राप्त करना चाहते हैं । कौन सी बात ऐसी कही जाय जिससे सरकार बदनाम हो और विरोधी दल मशहूर हो । लेकिन आज इसमें ये लोग चूक गये हैं । ये लोग फंस गये हैं । अगर किसान सुनेगा तो कहेगा कि ये लोग यहां तक उतर आये हैं कि इनको विरोधी दलों के थोड़े से लोगों को छोड़ कर प्रदेश के सारे लोग बेईमान दिखाई पड़ रहे हैं । उनकी तीन तीन साल की सारी कमाई समाप्त हो गई है । इस लिये हमने कहा कि इनको धोखा हुआ है ।

श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि राजस्व मंत्री और उनके सभा सचिव, शास्त्री जी, ये लोग अपने विभाग के प्रति जागरूक रहते हैं और हमेशा शिकायतों पर बड़ा ध्यान देते हैं और यह कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ हो । इनके अधिकारी भी इंसाफ करने की कोशिश करते हैं । मैं चैलेंज करता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता एक भी मिसाल बता दें कि उन्होंने किसी गांव की कोई शिकायत भेजी हो और वह सुनी न गई हो । यह संकल्प बिलकुल निर्मूल और निराधार है । यह कपोल कल्पित और फर्जी है और इसका कोई मूल्य नहीं है । मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे मित्र इसको वापस ले लें ।

*कुंवर श्रीपालसिंह---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले बोलना नहीं चाहता था परन्तु भाई वैजनाथ सिंह जी के बोलने के बाद मुझे प्रेरणा इस लिये मिली कि कभी-कभी तो वे सही बात सोच लिया करें । उन्होंने कहा कि ७२ हजार गांव सभाओं के प्रधान के खिलाफ यह संकल्प है । उसमें कहा गया है कि जहां अनियमिततायें हैं, वहां हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह सारी गांव सभाओं से संबंधित नहीं है । यह चीज बहुत उम्दा है ।

एक चीज की ओर ठाकुर साहब तथा पालीवाल जी ने वकालत की कि कानून बने हुये हैं और उनके आधार पर सारा काम चल रहा है । कानून तो सबके लिये बने हुये हैं । संविधान में यह लिखा है कि १५ साल के बाद हिन्दी ही रह जायगी मगर क्या हुआ इस कानून का ? परिस्थिति जहां जिस स्थान पर थी आज उस स्थान से भी नीचे उसका गिरा दिया गया है और संविधान में अब संशोधन करने का भी प्रयास किया जा रहा ह । मानता हूं कि कानून सब बने हैं, हम लोग ४३१ आदमी यहां जब भी साल में दो चार महीने बैठते हैं तो कानून बनाने के अतिरिक्त करते ही क्या हैं । कानून प्रोडक्शन की फैक्टरी खुली हुई है । जिस तरीके से कानपुर के मिलों में कपड़ा बनता है उसी तरीके से हम यहां कानून बनाते हैं । कानून तो बहुत अधिक है, मगर सवाल यह है कि उन कानूनों का प्रयोग किस ढंग से हो रहा है, यह असली चीज है । सीलिंग का कानून बना । अच्छी जमीन अगर कहीं से निकली तो वह सीलिंग ऐक्ट से ही निकली है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कहां निकल पायी उससे ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

जहां भी निकली है जैसे आपके यहां ही २ हजार एकड़ निकली है । बलिया में बिलकुल नहीं निकल पायी, माननीय मैनेजरसिंह के लोगों ने दबाकर रख लिया । तो जहां कहीं भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकली तो सीलिंग से वरना जितनी जमीन ग्राम सभा की है जो भूमिदान से मिली उसमें तो "मरी बछिया बभने के नाम", जो किसी काम की जमीन नहीं थी वह सब उसमें आ गयी। अब जैसा बैजनाथसिंह जी ने कहा, बाज-बाज ग्राम प्रधान जरूर ऐसे थे कि वे क्या करें, कौन चीज बांटें ? जमीन जो आयी वह ऐसी कि पानी ऊपर बह रहा है और नीचे जमीन है। अब उसको कैसे बांट दें। सारी की सारी जमीन वैसी हो सो बात नहीं है। लेकिन अनियमितायें हो गयी हैं यह सही है चाहे कुछ हद तक ही हों।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय श्रीपालसिंह, क्या आप ज्यादा टाइम लेंगे ? जरा औपचारिक काम हैं इसलिये आप अगले दिन बोल लीजियेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---

ठीक है, फिर बोल लूंगा।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को सदन में पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें शब्द "आवास एवं विकास" आये हैं। इसके अर्थ क्या हैं इसको जरा मंत्री जी समझा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यानी आवास का डेवलपमेंट और डेवलपमेंट भी।

कुंवर श्रीपालसिंह---

"एवं" शब्द का अर्थ "और नहीं है" कोष देख लीजिये, उस तरह का है। जरा समझा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९९३-१०५५ पर)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और सोमवार, १९ अप्रैल को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर सोमवार, १९ अप्रैल, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ अप्रैल, १९६५।

नत्थी 'क'

[नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०२ पर]

जौनपुर जन पद में उद्योग लघु प्रसार योजना के अन्तर्गत १९५८–५९ से १९६२–६३ तक की अवधि में लघु उद्योगों के लिए दिए गए धन का विवरण

वर्ष	स्वीकृत धन	वितरित धन	धन जिसे वसूल करने हेतु आज्ञा दी गई	धनराशि जो इस प्रकार वसूल हुई
१	२	३	४	५
१९५८–५९ ..	९५,५००	८०,५००	५६,०८४.५९	१८,७३०.२५
१९५९–६० ..	१,२०,५००	१,२०,५००	६१,०००.००	१९,६४५.९७
१९६०–६१ ..	१,६९,३००	१,६९,३००	८१,५००	३८,०२२.४६
१९६१–६२ ..	१,४८,१५०	१,४८,१५०	८८,५००	२८,७१८.५८
१९६२–६३ ..	२,२३,०००	२,२३,०००	९९,५००	८,७५८.३४
योग ..	७,५६,४५०	७,४१,४५०	३,८६,५८४.५९	१,०३,८७५.६०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०८ पर)

IN THE COURT OF SRI N. P. PANDE, ADDITIONAL D. M. (JUDICIAL), DEORIA

CASE NO. 197 OF 1964

STATE Vs. PRABHUNATH, (2) BIDESHI, (3) SHEODHARI, (4) LACHMAN, (5) SUMER, (6) THAG, (7) JAMUNA AND (8) BANSHI U/S. 396 I.P.C.

P. S. PATHERWA

Copy of order

The accused mentioned above have been challaned through charge sheet dated September 29,1964 for an offence punishable under Section 396 of the Indian Penal Code in connexion with a dacoity with murder committed on the night intervening November 15/16, 1963 in the house of Kashi of village Sultanpur, thana Patherwa, district Deoria. The charge sheet was received in court on October 5, 1964. In connexion with this very crime one Ram Naresh was committed by me and tried earlier by the court of Session in S. T. no. 23 of 1964 which ended in acquittal. In the present case the prosecution examined 5 witnesses, namely, P. W. 1 Kashi Ram P. W. 2, Benga, P. W. 3, Jamuna, P. W. 4, Singhasan and P. W. 5 Bhudur Ram. The evidence against individual accused consists of test identification. Banshi, Lakshman, Jamuna and Thag were put up for test identification at district Jail Deoria on September 4, 1964. Bideshari, Sumer and Sheodhari were put up for test identification on September 15, 1964. Prabhunath's test identification was held at Gopalganj, Bihar State on September 18, 1964. Thus identifications were held about 10 months after the occurrence.

2. The most striking feature of this case is that among the accused is included Sheodhari who was undoubtedly confined in the district jail at the time the dacoity was committed. This was revealed when Sheodhari's bail application was being considered on November 12, 1964 by Judicial Officer, Salempur. From the Jail records Sheo Dhari was found to have been admitted in district Jail on October 25, 1963, and was transferred to Kasia lock-up on December 23, 1963. The dacoity in which he is alleged to have participated was committed on the night intervening November 15/16, 1963 and at that time he was confined in the jail. He was arrested on September 4, 1964 and his test identification was held on September 15, 1964. Strangely enough he was identified by two witnesses Lachman and Benga. The learned A. P. P. frankly conceded that the investigating agency was placed on a wrong track in suspecting Sheodhari. In view of Jail record showing his confinement in jail at the time of dacoity the case against him falls to the ground. It may be mentioned that Benga did not identify him in court probably because he had no courage now to implicate Sheodhari who is found to have been in Jail at the relevant time. It was useless to examine Lachman who has identified only one accused Sheodhari. There is, therefore, no case against Sheodhari and he is discharged.

3. Banshi has been identified by only one witness Kashi. One identification is insufficient even to frame a charge. Moreover, Kashi made one mistake in Court in omitting Lachman whom he had picked up in Jail. Thus the only identifiifying witness became unreliable. Banshi is also entitled to be discharged.

4. Lachman was identified in jail by three witnesses Kashi, Singhasan and Neur. Kashi and Singhasan both omitted him in court. Neur has not been examined and his sole identification is insufficient to make out any case against him. He is also discharged.

5. Jamuna and Sumer have been identified by only one witness Kashi. They are also discharged for the reasons already indicated in connexion with evidence against Banshi.

6. Thag has been identified by two witnesses Kashi and Jamuna. Kashi is unreliable for several reasons. He made mistake in court by omitting Lachman. He committed one mistake as noted in the identification memo dated September 15, 1964. Thag is also discharged.

7. Prabhunath—was identified at sub-jail Gopalganj by two witnesses Benga and Muttur. Benga is most unreliable because he identified Sheodhari who obviously cannot be connected with this dacoity. This witness has now grown wiser and he omitted Sheodhari when exmined in Court. No reliance can, therefore, be placed in Benga's identification. Muttur committed mistakes in the test identifications held in district jail, a few days before the test identification at sub-jail Gopalganj. There is evidence to show that these identifying witnesses attended the court at Gopalganj on September 3, 1964 when Prabhunath was brought to court. An application was presented on Prabhunath's behalf alleging that the prosecution witnesses who had gone there for identifying him were roaming in court. The identification was not held on that date. It was held two weeks later. This is sufficient to discard the evidence against Prabhunath. He is also discharged.

8. Bideshi was identified by five witnesses, Kashi, Lalbachan, Jamuna, Singhasan and Benga of whom all except Lalbachan has been examined before me. Kashi is unreliable because he omitted Lachman in court and also committed mistakes at the time of test identification as noted in the memo dated September 15, 1964. Singhasan is also unreliable because he omitted Lachman in court. Benga is also not entitled to credit because he omitted Sheodhari and committed two mistakes at the times of test identification as noted in the memo dated September 4, 1964. Benga's Statement is worthless firstly because he tried to implicate Shco Dhari by identifying him in jail. Now he has not courage to stick to his performance in view of the clear evidence that Sheodhari was not among the dacoits. The prosecution is, therefore, left with only two witnesses against Bideshi. They are Lal Bachan and Jamuna of whom only Jamuna has so far been examined. It is to be kept in mind that in connexion with this very dacoity one Ram Naresh was tried earlier in S. T. no. 23 of 1964 decided on September 1, 1964. Ram Naresh had been identified by 4 witnesses but his case ended in acquittal. Concerning the question of light the learned judge held that the evidence was highly suspicious. Three sources of light were asserted to be present but the finding of the Sessions court was against the prosecution. The theory of burning of straw was disbelieved and doubt was entertained regarding alleged presence of lighted lantern in the osara of the complainant.

The story that the villagers flashed torches was also not accepted. Whatever distinguishing feature might have been in the case against Ram Naresh the question of light is similar in the case decided earlier and in he case pending before me. It is obvious that there is not even remote postsibility of the case ending in conviction against Bideshi. The evidence is, therefore, wholly insufficient to make out *prima facie* case. Being fully aware of the limitations law imposes on committing Magistrate to assess the evidence I am of firm opinion that this is a case of practically no evidence and it will be waste of public time and money if a case like this was mechanically sent to the court of Session.

9. The result is that all the accused are hereby discharged.

(Sd.) N. P. PANDE,
Additional District Magistrate (Judicial)
Deoria.

November 28, 1964.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१७ पर ।)

अवैतनिक गन्ना निरीक्षकों की सूची

अवैतनिक गन्ना निरीक्षकों के नाम		केन्द्र के नाम
१—श्री वीरेन्द्र कुमार टंडन	..	अमरोहा गेट, कैलसा रजबपुर
२—श्री शिव सहाय सिंह	..	अमरोहा गेट, हकीमपुर गेट
३—श्री ठाकुर दास	..	कैलसा, हकीमपुर गेट
४—श्री राम दास	..	गजरौला, शेरपुर, धनौरा
५—श्री रसुद्दीन	..	धनौरा, बचरान, गजरौला
६—श्री उत्तम सिंह	..	कफूरपुर, मनकपुर, रजबपुर
७—श्री चन्द्रदत्त त्यागी	..	गजरौला, हसनपुर, मुकरी
८—श्री राम कुमार वेद	..	अमरोहा गेट, मतीपुर मुकरी
९—श्री चन्द्रपाल सिंह	..	झनकपुरी, रजबपुर, कफूरपुर
१०—श्री जमील अहमद	..	कफूरपुर, अमरोहा गेट, बानपुर
११—श्री मुहम्मद यासीन	..	अमरोहा गेट दिदौली, लोदीपुर
१२—श्री अब्दुल सलाम	..	अमरोहा गेट, दिदौली, हकीमपुर
१३—श्री जगन्नाथ सिंह	..	दिदौली, लोदीपुर, रजबपुर
१४—श्री महेन्द्र सिंह	..	कुमुराला, कफूरपुर, बानपुर
१५—श्री पृथ्वी पाल सिंह	..	गजरौला, शेरपुर, धनौरा
१६—श्री गनपत सिंह	..	मुकरी, चांदपुर, बागरपुर
१७—श्री चन्द्र पाल सिंह	..	धक्का, हल्दौर, दिदौली
१८—श्री शिव चरन लाल	..	मुकरी, पैगम्बरपुर, कालाखेरा
१९—श्री कैलाश कुमार	..	रजबपुर, बुढ़ानपुर, मतीपुर
२०—श्री विक्रम सिंह	..	बुढ़ानपुर
२१—श्री दयाराम गुप्ता	..	बुढ़ानपुर
२२—श्री प्रताप सिंह	..	पिपलसाना
२३—श्री राजेन्द्र सिंह	..	मुन्डापान्डी
२४—श्री मोहन सिंह	..	पिपलसाना, मुन्डापान्डी
२५—श्री दुष्यन्त वीर सिंह	..	पिपलसाना
२६—श्री धर्मवीर सिंह	..	पिपलसाना
२७—श्री राम सिंह	..	दिलारी
२८—श्री टिक्कम सिंह	..	मुन्डापान्डी, दलपतपुर
२९—श्री नानू सिंह	..	मुन्डापान्डी, दलपतपुर ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

सूची

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत स्थापित किए गये औद्योगिक आस्थानों के नाम	तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शेष स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक आस्थानों के नाम
१—मेरठ	२—अलीगढ़
३—लखनऊ	४—वाराणसी
५—गोरखपुर	६—मिर्जापुर
७—बरेली	८—आजमगढ़
९—मुरादाबाद	१०—उन्नाव
११—खैराबाद	१२—फर्रुखाबाद
१३—चौहरपुर (देहरादून) ।	१४—गोलागोकरन-नाथ (लखीम-पुर-खीरी) ।
१५—सुल्तानपुर	१६—नगीना (बिजनौर) ।
१७—जसवन्त नगर (इटावा) ।	१८—बांदा
१९—सलेमपुर (देवरिया) ।	२०—बहराइच
२१—उरई (जालौन)	२२—बीकापुर (फैजाबाद)
२३—ललितपुर (झांसी)	२४—ललौरीखेरा (पीलीभीत)
२५—फूलपुर (इलाहाबाद) ।	२६—घोसी (आजमगढ़) ।
२७—जोया (मुरादा-बाद) ।	२८—खुर्जा
२९—श्याम मण्डी (बुलन्दशहर) ।	३०—महोबा (हमीरपुर) ।
३१—भोजीपुरा (बरेली)	३२—फिरोजाबाद
३३—रामपुर, तथा	३४—मुजफ्फरनगर ।
	१—देहरादून
	२—रुड़की
	३—हाथरस (अलीगढ़)
	४—लखीमपुर-खीरी
	५—शाहजहांपुर
	६—बाराबंकी
	७—मैनपुरी
	८—मथुरा
	९—फैजाबाद
	१०—अतरौली (अलीगढ़) ।
	११—मटाट (गोरखपुर)
	१२—जौनपुर
	१३—रुद्रपुर (नैनीताल)
	१४—गोबर्धन (मथुरा)
	१५—चन्द्रावल (लखनऊ)
	१६—ज्वालापुर (सहारनपुर) ।
	१७—आगरा (लेदर) ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२४ पर।)

योजना का नाम	संभावित अतिरिक्त जिलेवार परिव्यय १९६४–६५ व १९६५–६६ (लाख रुपयों में)				
	आजमगढ़	गाजीपुर	जौनपुर	देवरिया	योग
१	२	३	४	५	६
१—ऋण तथा अनुदान योजना	१.८००	१.७५०	१.७५०	१.७५०	७.०५०
२—प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम (पुन–स्संगठन और प्रसार) ..	१.२००	१.२००	१.२००	१.२००	४.८००
३—खंड प्रसार अधिकारियों (उद्योग) के लिए योजना ..	०.१०३	०.१३०	०.१३०	०.१३०	०.५२०
४—नए औद्योगिक आस्थानों की स्थापना	०.२००	०.२००	०.२००	..	०.८००
५—हस्त शिल्प सहकारी समितियों के विकास की योजना ..	०.०४०	०.०४०	०.०४०	०.०३८	०.१५८
६—ग्राम उद्योगों के लिए सहकारी कर्मचारिवर्ग ..	०.०४५	०.०४५	०.०४५	०.०४५	०.१८०
७—उद्योग निदेशक के लिए अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग ..	*१.२३५	०.१६१	०.१६१	०.१६१	१.७१८
८—हस्तकरघा समितियों को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण देने की योजना	१२.१३१	२.५००	१.५००	१.७५०	१७.८८१
९—बहु उद्देशीय मिकैनिकल वर्कशाप तथा टेस्टिंग यूनिट की स्थापना की योजना				२.२५०	२.२५०
१०—पाइलट वर्कशाप सेंटर के विस्तार की योजना (आजमगढ़) ..	१.६२३	..	..	..	१.६२३
११—सामान्य सुविधा केन्द्र, जूता निर्माण के लिए (देवरिया)				१.१९५	१.१९५
योग ..	१८.४०४	५.८२६	५.४२६	८.५१९	३८.१७५

*इसमें कानपुर के मुख्यालय के कुछ कर्मचारिवर्ग का परिव्यय भी सम्मिलित है।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२७ पर।)

उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें शहर बहराइच में द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ऋण वितरित किया गया

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में

क्रम-संख्या	ऋण प्राप्त कर्त्ता का नाम	धनराशि	उद्योग जिसके हेतु ऋण दिया गया
१	२	३	४
		रु०	
१	श्री महादेव प्रसाद, मो० टावनी बाजार	५,०००	ट्यूब वैल पार्ट्स
२	श्री रईस अहमद, मो० नाजिरपुरा	३,०००	लोहे के बक्से
३	श्री नूर मोहम्मद, मो० धनकुट्टीपुरा	१,०००	साबुन निर्माण
४	श्री मोतीलाल अग्रवाल, मो० मीराखेलपुरा।	१,०००	स्नो, ट्वायलेट, टूथ पेस्ट
५	श्री अब्दुल अहद, मो० मवेतीपुरा	२,०००	लोहे के बक्से
६	श्री अब्दुल हलीम खां, मो० काजीपुरा	१,०००	चमड़ा पकाई
७	श्री अजीज उल्ला, काजीपुरा, बहराइच	४,०००	साबुन उद्योग
८	श्री शमसुलद्दीन, दरगाह शरीफ	४,०००	मोर्लडिग वर्क उद्योग
९	श्री कंधाइ लाल, चौक बाजार ..	१,०००	जूता उद्योग
१०	श्री अन्नु उर्फ नसीम, मीरा खेलेपुरा, बहराइच।	१,०००	फर्नीचर उद्योग
११	श्री मंजूर अली, मो० गुदरी ..	५००	जिल्दसाजी
१२	श्री राजकुमार, मो० गुदरी ..	२,५००	मोमबत्ती, वासलिन
१३	श्री मो० सुलेमान, काजीपुरा	५००	टाफी चाकलेट, उद्योग
१४	श्री फैयाजअली खां, नजीरपुरा ..	४,५००	सिलाई मशीन पार्ट्स उद्योग
१५	श्री हाजी अब्दुल खालिक, मो० गुदरी, बहराइच	२,०००	कसीदा एवं ड्रेसेज उद्योग
१६	श्री भग्गू खां, मो० गुदरी ..	४,५००	फर्नीचर उद्योग
१७	श्री नन्हू प्रसाद, मो० छिक्कीपुरा	१,५००	रबर स्टाम्प
१८	श्री मोहम्मद रज्जाक, बड़ीहाट	२,०००	नमदा उद्योग
१९	श्री मोहम्मद यासीन खां, बड़ीहाट	३,०००	होल्डाल एवं थैले निर्माण
२०	श्री भारत प्रसाद मिश्रा, मीरा खेलेपुरा, बहराइच।	३,०००	सोने चांदी के गहने बनाने
२१	श्री अब्दुल अजीज, नजीरपुर	१,५००	स्टील ट्रंक उद्योग
२२	श्री श्रीराम, कानूनगोपुरा	८००	जूता उद्योग
२३	श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल, मो० काजीपुरा	१५,०००	लकड़ी की बिजली की वस्तुयें निर्माण करना।
२४	श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, मो० ब्राह्मनीपुरा, बहराइच।	३,०००	प्लास्टिक उद्योग

क्रम-संख्या	ऋण प्राप्त कर्त्ता का नाम	धनराशि	उद्योग के हेतु ऋण दिया गया
१	२	३	४
		रु०	
२५—श्री इन्तियाज अली, गुदरी	..	८००	बेंत तथा बांस उद्योग
२६—श्री अब्दुल रऊफ खान, बड़ी हाट, बहराइच।	..	२०००,	स्टील बक्स उद्योग
२७—श्री गनेश शंकर, काजीपुरा	..	७,७००	कृषि यन्त्र उद्योग
२८—श्री हशमत अली खान	..	५००	बेंत उद्योग
२९—श्री मोहम्मद रज्जाक खान		२,०००	नमदा उद्योग
३०—श्री लक्ष्मन सिंह, मीरा खेलपुरा, बहराइच		२,०००	इन्जीनियरिंग उद्योग
३१—श्री मिश्री लाल साहू, काजीपुरा		८,०००	कृषि यन्त्र
३२—श्री राधेश्याम टिकरीवाल	..	८,५००	कृषि यंत्र
तृतीय पंचवर्षीय योजना—			
३३—श्री चिरंजीव लाल, मातनहेलिया, मु० गुलाम अलीपुरा।		८,०००	कृषि यंत्र उद्योग
३४—श्री जादूराम, छावनी बाजार	..	८,०००	मशीनरी पार्ट्स उद्योग
३५—श्री इकरामुलहक, चांदपुरा	..	१,५००]	सींग कंघी उद्योग
३६—श्री शमसुद्दीन, दरगाह रोड	..	५,०००	इंजीनियरिंग उद्योग
३७—श्री गिरजाशंकर, बहराइच	..	१,०००	पीतल सील उद्योग
३८—श्री मोतीलाल अग्रवाल, बहराइच		२,०००	स्नो, पेस्ट उद्योग
३९—श्री यस० यस० विनोद, बहराइच	..	३,५००	साइकिल पार्ट्स
४०—श्री इन्द्र देव शर्मा, बहराइच सिटी	..	५,०००	जनरल इंजीनियरिंग
४१—श्री नरेन्द्रसिंह, बहराइच सिटी	..	४,०००	फोटो माउन्ट
४२—श्री सतीश चन्द्र सक्सेना, बहराइच	..	४,०००	फाउन्टेनपेन
४३—श्री दीवान चन्द्र, बहराइच		२,०००	मुरब्बा उद्योग
४४—श्री छोटेलाल, बहराइच सिटी	..	५००	टायर सोल चप्पल
४५—श्री अब्दुल लतीफ, बहराइच	..	५,०००	फर्नीचर उद्योग
४६—श्री श्रीराम, कानूनगोपुरा	..	५००	चर्म उद्योग (जूता)
४७—श्री इशमत अली, बहराइच स्टेट बैंक के पास		५००	बेंत बांस उद्योग
४८—श्री कन्धाई लाल, मंसूरगंज, बहराइच	..	५००	चर्म उद्योग
४९—श्री मोहम्मद सरवर, चांदपुरा	..	५,०००	फर्नीचर उद्योग
५०—श्री इस्लाम उल्ला खां, चांदपुरा	..	१,०००	फर्नीचर उद्योग
५१—श्री फैयाज अली खां, नाजिरपुरा	..	२,०००	सिलाई मशीन पार्ट्स

ऋण-संख्या	ऋण प्राप्त कर्त्ता का नाम	धनराशि	उद्योग के हेतु ऋण दिया गया
१	२	३	४
५२—श्री सन्त राम शुक्ल, छोटी हाट ..		४,०००	पैकिंग केसेज
५३—श्री द्वारिका प्रसाद कैथानिया, स्टेशन रोड, बहराइच ।		५,०००	पैकिंग केसेज
५४—श्री चिरौंजीलाल मतनहेलिया, गुलामअली पुरा ।		७,०००	कृषि यंत्र
५५—श्री गुलाम अहमद, मो० गुलामअलीपुरा, बहराइच ।		६,०००	चमड़े का सूटकेस उद्योग
५६—श्री वृन्दावन बिहारी, काजीपुरा ..		५,०००	कार्ड बोर्ड उद्योग
५७—श्री सज्जाद अली, चांदपुरा ..		४,०००	चलनी उद्योग
५८—श्री हरिकरन नाथ महेन्द्र, गुदरी		६,०००	ट्यूब वैल पार्ट्स निर्माण
५९—श्री महेश कुमार मायर, चौक ..		२,०००	चश्मे के शीशे
६०—श्री मुन्नालाल, मीराखेलपुरा ..		५,०००	स्टील फर्नीचर
६१—श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल, गुदरी ..		५,०००	उडेन फर्नीचर
६२—श्री देवदत्त शर्मा, गुदरी ..		२,०००	टाइप फाउन्ड्री
६३—श्री अजमत अली, चांदपुरा ..		७,०००	उडेन खिलौने ऐन्ड फर्नीचर
६४—श्री राम दुलार सोनार, नजीरपुरा		५,०००	तार पत्ता (चांदी के जेवरात)
६५—श्री इम्तियाज अली, बहराइच		५००	बेंत बांस उद्योग
६६—श्री हाजी गुलाम मोहम्मद, मो० बशीरगंज		१,५००	चाकू, कैंची एवं उस्तरे निर्माण करना ।
६७—श्री चुन्नी लाल, मो० गुदरी ..		३००	चांदी के जेवरात निर्माण करना
६८—श्री रिक्खीराम गुप्ता, मो० बशीरगंज		२,०००	तदैव
६९—श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, मो० ब्राह्मणीपुरा ।		३,५००	आयुर्वेदिक औषधियां निर्माण हेतु ।
७०—श्री द्वारिका प्रसाद, मो० मन्सूरगंज		५००	चमड़े के जूते निर्माण हेतु
७१—श्री कैलाश नाथ मोदी, मो० घमनी बाजार		४,०००	चाक सेलर पैंसिल निर्माण करना
७२—मेसर्स हरबंस लाल हीरालाल बहराइच		३०,०००	सेफ्टी मैचेज ।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९३१ पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ४थे गुरुवार के लिए (श्री गणेशचन्द्र काछी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
१—क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद जिले के कई पी० टी० सी० पास अस्थायी थानेदार को १९६१ में एस० एस० पी०, इलाहाबाद के यह लिखने पर कि इन का काम व चरित्र खराब नहीं है, फिर भी डी० आई० जी, कानपुर ने सन् १९६१ में तनज्जुल करकें कांस्टेबिल तथा हेड कांस्टेबिल बना दिया ? यदि हां, तो क्यों, और क्या सरकार उनको पुनः थानेदार के स्थान पर नियुक्त करके स्थायी करने के लिए पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?	१—जी नहीं । इलाहाबाद जिले के पी० टी० सी० पास अस्थायी थानेदारों में से केवल एक थानेदार को सन् १९६१ ई० में डी० आई० जी०, कानपुर ने उनका काम तथा चरित्र खराब होने के कारण कांस्टेबिल के पद पर वापस कर दिया । इनको पुनः थानेदार के स्थान पर नियुक्त करके स्थायी करने का कोई विचार नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह,
गृह मंत्री ।

नत्थी "ञ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ९८१ पर।)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

धाराओं का क्रम

अध्याय १

प्रारम्भिक

धारा		पृष्ठ
१	संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ	१
२	परिभाषायें	२–२

अध्याय २

परिषद् की स्थापना और कार्य-संचालन

३	परिषद् का संघटन	२–३
४	अध्यक्ष या सदस्य, आदि होने के लिये अनर्हतायें	३–४
५	अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल	४
६	अध्यक्ष पद के संबंध में व्यवस्था	४
७	आवास आयुक्त के संबंध में व्यवस्था	५
८	अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति	५
९	इकाइयां	५
१०	आवास समितियां	५–६
११	आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण	६
१२	अधिकारियों का प्रतिनिधान	६
१३	स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता ..	६
१४	अनौपचारिकता, रिक्ति, आदि के कारण किये गये कार्य अवैध नहीं होंगे	७

अध्याय ३

परिषद् के कृत्य और अधिकार

१५	परिषद् के कृत्य	७–८
१६	परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनायी जायगी ..	८
१७	विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायगी ..	८–९
१८	आवास और सुधार योजनाओं के प्रकार	९–१०
१९	गृहस्थान योजना	१०
२०	मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना	१०–११
२१	पुनर्वास योजना	११
२२	सड़क योजना	११–१२

	पृष्ठ
२३—भावी सड़क योजना	१२–१३
२४—प्रसार योजना	१३–१४
२५—भूमि विकास योजना	१४
२६—बाजार योजना	१४
२७—बाढ़ योजना	१४–१५
२८—आवास एवं सुधार योजनाओं के लिये नोटिस	१५
२९—प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस ..	१६
३०—आपत्तियां	१६
३१—योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति	१६
३२—योजना का प्रारम्भ	१७
३३—योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन	१७–१८
३४—योजना का निष्पादन	१८
३५—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के लिये प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्बन्धन	१८
३६—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में विशेष अधिकार	१८–२०
३७—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध	२०–२२
३८—स्थानीय प्राधिकरण में निहित भवन या भूमि का परिषद् को संक्रमण ..	२२–२३
३९—योजना के प्रयोजन के लिये गैर सरकारी सड़क या स्क्वायर का परिषद् को संक्रमण	२३–२४
४०—परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत	२४
४१—सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकरण को संक्रमण ..	२४
४२—सड़क पर निर्माण कार्य की अवधि में प्रबन्ध	२४–२५
४३—सार्वजनिक सड़क या स्क्वायर बन्द करने का अधिकार	२५
४४—अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव	२५–२६
४५—योजना या प्रबन्ध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण	२६
४६—दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार	२६
४७—परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन	२६–२७
४८—पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय	२७
४९—परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार	२७–२८

अध्याय ४

आसुधार शुल्क

धारा — पृष्ठ

५०—आसुधार शुल्क के सम्बन्ध में घोषणा २८
५१—आसुधार शुल्क का निर्धारण २८–२९
५२—मांग की नोटिस २९
५३—भूमि पर प्रभार के रूप में आसुधार शुल्क २९–३०
५४—मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क, आदि का वसूल किया जाना ३०

अध्याय ५

सम्पत्ति, संविदा और वित्त

५५—भूमि अर्जन करने का अधिकार ३०
५६—अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार .. ३०
५७—संविदा, आदि करने और उनका सम्पादन करने का अधिकार .. ३१
५८—वित्तीय सम्बन्ध ३१
५९—ऋण-पत्र ३१–३२
६०—ऋण का प्रतिदान ३२
६१—सरकार द्वारा अनुदान और ऋण ३२
६२—सम्पत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ३२–३३
६३—लेखे और लेखा-परीक्षा ३३

अध्याय ६

न्यायाधिकरण

६४—न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघटन ३३–३४
६५—विचाराधीन वादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण ३४
६६—न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना ३४–३५
६७—न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध .. ३५

अध्याय ७

परिषद् के भू-गृहादि से बेदखली और किराए तथा क्षति मूल्य की वसूली

६८—यू० पी० कंट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन ऐक्ट संख्या ३, १९४७ का अपवर्जन .. ३५
६९—बेदखली और किराये आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया .. ३५–५७
७०—अपील ३७–३८
७१—वेतन मजदूरियों से कटौतियां कराके किराये की वसूली ३८
७२—न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक ३८

अध्याय ८

अपराध और शास्तियां

पृष्ठ

७३—योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिये शास्ति .. ३८

७४—ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति ३८–३९

७५—परिषद् के साथ ठेके, आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति .. ३९

७६—अन्य मामलों में शास्ति ३९

७७—अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व ३९

७८—कम्पनियों द्वारा अपराध ३९–४०

७९—प्रक्रिया ४०

८०—पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य ४०

८१—अपराधों का अभिसंधान करना ४०–४१

अध्याय ९

विविध

८२—प्रतिकूल निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार .. ४१

८३—स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन .. ४१

८४—प्रवेश करने का अधिकार ४१–४२

८५—प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य अधिकार ४२

८६—अध्यक्ष, आदि लोक सेवक समझे जायेंगे ४२

८७—सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण ४२

८८—वाद और विधिक कार्यवाहियां ४२–४३

८९—परिषद् के लेखों को सिद्धि करने की रीति ४३

९०—स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा परिषद् को कर-निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियां दी जायेंगी ४३

९१—देयों और शास्तियों को वसूली की रीति ४३

अध्याय १०

वाह्य नियन्त्रण

९२—परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारणों पर राज्य सरकार का नियंत्रण .. ४३–४४

९३—परिषद् का विघटन ४४

अध्याय ११

नियम और विनियम

९४—नियम बनाने का अधिकार ४४–४७

९५—विनियम बनाने का अधिकार ४७–४८

अध्याय १२

निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध

९६—निरसन और अपवाद ४८
९७—इन्वूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम ४८–५०
९८—कठिनाइयां दूर करने का अधिकार ५०

अनुसूची ५१–५२
उद्देश्य और कारण ५३

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम १९६५, कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे क्षेत्र में और ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

२—परिभाषाएं—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ख) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है, जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रचलित किया जाय ;

(ग) "आसुधार शुल्क" का तात्पर्य अध्याय ४ के अधीन लगाये जाने वाले शुल्क से है;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "परिषद् के भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो परिषद् का हो, या उसमें निहित हो अथवा परिषद् द्वारा पट्टे पर लिया गया हो या परिषद् को सौंपा गया हो, या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में हो ;

(च) "भवन" का तात्पर्य गृह, बाह्य गृह, अस्तबल, सायबान, झोपड़ी या अन्य बाड़े अथवा संरचना से है चाहे वह पत्थर, ईंटों, लकड़ी,

मिट्टी, धातु या किसी अन्य पदार्थ का बना हो और चाहे वह मानव निवास के लिये अथवा अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, कुर्सी, जीना, दरवाजे की सीढ़ी अथवा दीवाल भी है जिसमें गृह से असम्बद्ध किसी बागीचे की या कृषि भूमि की सीमा भित्ति से भिन्न अहाते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा अन्य वहनीय अस्थायी आश्रय नहीं है ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

(छ) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३ के अधीन नगर के रूप में संगठित किसी स्थानीय क्षेत्र से है ;

(ज) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि मे होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध या भूमि से सम्बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से बद्ध वस्तुयें भी हैं;

(झ) "महायोजना" का तात्पर्य तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन तैयार की गई महायोजना से है ;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ञ) "नगरपालिका" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा २ के खंड (९) में यथा परिभाषित "म्यूनिसिपैलिटी" से है ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(ट) "नगर महापालिका" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ४ के अधीन स्थापित नगरमहापालिका से है ;

(ठ) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भवन या भवन के किसी भाग से है और इसके अन्तर्गत--

(१) ऐसे भवन या उसके भाग से संलग्न कोई बागीचा, मैदान, भूमि और बाह्य-गृह भी हैं; तथा

(२) ऐसे भवन या उसके भाग में और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगायी गयी फिटिंगे भी हैं ;

(ड) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

(ढ) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के सभी या किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करे;

(ण) "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(त) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(थ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(द) "कस्बा" का तात्पर्य किसी नगर या नगरपालिका से भिन्न किसी नागर-क्षेत्र से है;

(ध) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य धारा ६४ के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है; और

(न) "इकाई" का तात्पर्य धारा ९ के अधीन स्थापित आवास इकाई से है ।

अध्याय २

परिषद् की स्थापना और कार्य संचालन

३—परिषद् का संघठन—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एक परिषद् स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् कहलायेगी ।

(२) परिषद् उपर्युक्त नाम से, शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उस को एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह सम्पत्ति का अर्जन करने, धारण करने और निस्तारण करने तथा संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के सभी आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होगी ।

(३) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ तथा लोकल अथारिटीज लोन्स एक्ट, १९१४ और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए परिषद् को स्थानीय प्राधिकरण समझा जायगा। ऐक्ट संख्या १, १८९४ ऐक्ट संख्या ९, १९१४

(४) परिषद् का प्रधान कार्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर होगा तथा प्रत्येक इकाई के मुख्यालय पर भी एक कार्यालय होगा और ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे या जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय ।

(५) परिषद् में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच अशासकीय सदस्य जिनमें से एक किसी नगर महापालिका का नगर प्रमुख होगा और यथाशक्य, कम से कम एक ख्याति प्राप्त वास्तुविद या अभियन्ता होगा;

(ख) सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(ग) सचिव, निवास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(घ) सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन; यदि वह निवास विभाग का सचिव नियुक्त न किया गया हो;

(ङ) मुख्य अभियन्ता , नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(च) मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन; और

(छ) आवास आयुक्त, पदेन, यदि वह अध्यक्ष नियुक्त न किया जाय ।

(६) उपधारा (५) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उस बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(७) अध्यक्ष की नियुक्ति और उपधारा (५) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट सदस्यों का नामनिर्देशन गजट में विज्ञापित किया जायगा ।

४—अध्यक्ष या सदस्य, आदि होने के लिए अनर्हताएं—कोई भी व्यक्ति परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्ध दोष हो;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो;

(घ) धारा ६ और ७ में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो;

(ङ) स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उस की ओर से किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उस की ओर से किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्हित नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका कि वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी है, निम्नलिखित में कोई अंश या स्वत्व है:—

(१) किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देना या उसके विनिमय अथवा उसके लिए किये गये किसी अनुबन्ध;

(२) धनराशि के ऋण के लिए किसी अनुबन्ध या केवल धनराशि के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति;

(३) किसी समाचार-पत्र जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो;

(४) किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य की परिषद् को किसी ऐसी वस्तु की यदा-कदा बिक्री, जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करता हो।

स्पष्टीकरण: किसी व्यक्ति का, किसी ऐसी अन्य कम्पनी में जिसका परिषद् में अंश या स्वत्व हो, केवल अंशधारी होने के कारण परिषद के साथ या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर सें किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व नहीं समझा जायगा।

५—अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल—(१) परिषद् का अध्यक्ष, यदि वह आवास आयुक्त न हो, या कोई अशासकीय सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसका कार्यालय पहले ही समाप्त न कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नगर प्रमुख की दशा में, सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल तब समाप्त हो जायगा जब वह नगर प्रमुख के पद पर न रह जाय।

(२) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वयं लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

६—अध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था —(१) अध्यक्ष को, यदि वह आवास आयुक्त न हो, ऐसा पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायगा जो नियत किया जाय ।

(२) जब कभी किसी कारण से अध्यक्ष पद की अस्थायी रिक्ति हो तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी रिक्ति की अवधि में अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और उस व्यक्ति को तदर्थ निश्चित किया गया पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष समझा जायगा।

७—आवास आयुक्त के सम्बन्ध में व्यवस्था—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आवास आयुक्त होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी ।

(२) आवास आयुक्त की सेवा संबंधी शर्तें वही होंगी जो नियत की जायें। उसे पारिश्रमिक परिषद् की विधि से दिया जायगा।

(३) राज्य सरकार, आवास आयुक्त को, उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है ।

(४) राज्य सरकार, आवास आयुक्त को तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्राधिकारी के किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए भी प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है ।

८—अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति —(१) परिषद् अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि पांच सौ रुपया से अधिक प्रारम्भिक मासिक वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की नियुक्ति और सेवा की शर्तें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगी जो राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपधारा (२) में उल्लिखित सेवकों की दशा में ऐसा परामर्श आवश्यक न होगा ।

(२) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी सेवक को अपने अधीन किसी पद पर सहमत शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त कर सकती है ।

९—इकाइयां—(१) परिषद् संकल्प द्वारा किसी नगर के लिए और, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य क्षेत्र में अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के निमित्त उस क्षेत्र के लिए आवास इकाई स्थापित कर सकती है ।

(२) प्रत्येक इकाई परिषद् के अधिष्ठान का भाग होगी और उसमें वे अधिकारी तथा सेवक होंगे जो परिषद् द्वारा आवश्यक समझे जायें ।

(३) प्रत्येक इकाई एक अधिकारी के प्रभार में होगी जो आवास आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जो उसे धारा १२ के अधीन प्रतिनिहित किये जायें।

(४) जहां तक संभव हो और नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक इकाई की आय तथा व्यय का लेखा पृथक रूप से रखा जायगा और किसी एक इकाई की बचतें केवल उसी क्षेत्र पर व्यय की जायेंगी जिससे वह इकाई सम्बन्धित हो।

१०--आवास समितियां--(१) राज्य सरकार किसी इकाई के लिए स्थानीय परामर्शदात्री समिति संघटित कर सकती है जो आवास समिति कहलायेगी और उसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य ऐसे सदस्य और ऐसी शर्तों पर होंगे जो नियत किये जायें।

(२) (क) किसी नगर की दशा में, उस नगरमहापालिका का नगर प्रमुख;

(ख) किसी नगरपालिका की दशा में उस नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट;

(ग) किसी अन्य क्षेत्र की दशा में, ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वार नाम निर्दिष्ट किया जाय:

आवास समिति का अध्यक्ष होगा।

(३) परिषद् सम्बद्ध आवास समिति से उन विषयों पर परामर्श करेगी जो नियत किये जायें और किसी अन्य विषय पर भी वह परामर्श कर सकती है।

११--आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण--इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आवास आयुक्त परिषद् के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

१२--अधिकारों का प्रतिनिधान--(१) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के जिनमें स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी सम्मिलित है, और जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, अधीन रहते हुए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों का तथा कर्तव्यों का प्रतिनिहित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, अधीन रहते हुए--

(क) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अधीन परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य कोई अधिकार आवास आयुक्त या किसी आवास समिति द्वारा या परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगा।

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अधीन आवास आयुक्त द्वारा प्रयोक्तव्य कोई अधिकार, परिषद् के किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगा जो निर्दिष्ट किया जाय।

१३--स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता- परिषद् या किसी आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य--

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा ४ के खन्ड (ङ) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक रूप से काम किया हो जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो,

धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् आवास समिति या समिति की ऐसे मामले से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(२) यदि परिषद्, आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी भी योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो कोई स्वत्व हो, तो वह परिषद्, आवास समिति या समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाय।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) की कोई बात परिषद्, आवास समिति या समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

१४—अनौपचारिकता, रिक्ति, आदि के कारण किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे—परिषद्, किसी आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अवैध न होगी :—

(क) परिषद्, आवास समिति या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई दोष होने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई दोष या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसी कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता होने, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो ।

अध्याय ३

परिषद् के कृत्य और अधिकार

१५—परिषद् के कृत्य—इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) आवास और सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं को बनाना और उन्हें निष्पादित करना;

(ख) राज्य में विभिन्न आवास सम्बन्धी कार्यकलापों की योजना बनाना और उन्हें समन्वित करना तथा राज्य में आवास और सुधार योजनाओं का शीघ्र तथा कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित या साहाय्यित आवास और सुधार योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राविधिक परामर्श देने की व्यवस्था करना और उनकी परिनिरीक्षा करना;

(घ) राज्य सरकार की ऐसी अचल सम्पत्तियों का प्रबन्ध हाथ में लेना जो इस प्रयोजन के लिए उसे संक्रमित की जायें या सौंपी जायें;

(ङ) परिषद् के या परिषद् के नियन्त्रण और प्रबन्ध में सौंपे गए राज्य सरकार के प्लाटों, भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों का अनुरक्षण, उपयोग, प्रदेशन, पट्टे पर देना या अन्य प्रकार से संक्रमण;

(च) भवनों के शीघ्र निर्माण और उनके व्यय को कम करने के लिए अन्वेषण-कार्य को बढ़ावा देना ;

(छ) सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में निर्माण-कार्य निष्पादित करना;

(ज) इमारती सामानों के निर्माण, बिक्री, स्टाक-संचयन और सम्भरण के लिए वर्कशाप और स्टोर्स संघटित करना और उन्हें चलाना;

(झ) इमारती सामानों के उत्पादन का समन्वय, सरलीकरण और स्तरीकरण करना तथा संरचनात्मक भागों की पूर्व गढ़ाई और बड़े पैमाने पर उनके उत्पादन को प्रोत्साहित तथा संघटित करना;

(ञ) किसी नगर, नरगपालिका, कस्बा या ग्राम में और उसके आस-पास की जनता को गमनागमन की सुविधा देने के लिए किसी परिवहन सेवा की स्थापना, उसका अनुरक्षण और परिचालन करना, सड़कों और पुलों को बनाना, चौड़ा करना, सुदृढ़ बनाना या उनका अन्य प्रकार से सुधार करना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए दूसरों को वित्तीय सहायता देना;

(ट) किसी सम्पत्ति की जांच, परीक्षा या सर्वेक्षण करना या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा की गयी ऐसी जांच, परीक्षा या सर्वेक्षण के व्यय को देना;

(ठ) भवन सम्बन्धी निर्माण-कार्यों को विनियमित करना;

(ड) मलिन बस्तियों का सुधार और निपातन;

(ढ) नव विकसित क्षेत्रों में सड़क, विद्युत्, स्वच्छता, जल-सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(ण) उपरिलिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए चल तथा अचल सम्पत्ति अर्जित करना;

(त) उपरिलिखित किन्ही भी प्रयोजनों के लिए बाजार से ऋण लेना, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों से अनुदान और ऋण लेना, तथा स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य सार्वजनिक निगमों, आवास सहकारी समितियों और अन्य व्यक्तियों को अनुदान तथा ऋण देना;

(थ) आसुधार शुल्क लगाना;

(द) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी अन्य दायित्व को पूरा करना; और

(ध) ऊपर निर्दिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अन्य समस्त आवश्यक कार्यों को करना।

१६—परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनायी जायगी—(१) परिषद् स्वतः अथवा स्थानीय प्राधिकरण के कहने पर आवास या सुधार योजना बना सकती है और राज्य सरकार के ऐसा निदेश देने पर अवश्य बनाएगी।

(२) स्थानीय प्राधिकरण के कहने पर किसी आवास या सुधार योजना को बनाने से और उसका निष्पादन करने से परिषद् इन्कार कर सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसी योजना अनावश्यक है अथवा व्यवहार्य नहीं है या ऐसी योजना को बनाने और उसका निष्पादन करने के लिए उसके पास निधि नहीं है और इस प्रकार अस्वीकार करने की सूचना वह उक्त प्राधिकरण को देगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन परिषद् की अस्वीकृति से क्षुब्ध कोई स्थानीय प्राधिकरण सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दो मास के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जो उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे आदेशों का पालन करेगी।

१७—विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायगी—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आवास या सुधार योजना में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) योजना के लिए आवश्यक अथवा उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनर्वितरण;

(घ) मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त निवास-स्थानों या निवास-स्थानों के भागों की घेराबन्दी करना या उन्हें गिराना;

(ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवनों या भवनों के भागों को गिराना;

(च) भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे पर देना या विनिमय;

(ज) मार्गों, सड़कों, पीछे की गलियों, पुलों, पुलियों या नदी के पक्के पथों का निर्माण या उनमें परिवर्तन;

(झ) योजना में सम्मिलित सड़कों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण या रोशनी की व्यवस्था;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुए क्षेत्र के लाभार्थ विद्यालयों, पार्कों, तैरने के तालाबों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों, और उप-मार्गों की व्यवस्था;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल-सम्भरण के अन्य स्रोतों तथा साधनों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचने या दूषित होने से बचाना भी है ;

(ठ) किसी भी वर्ग के निवासियों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था;

(ड) संचार और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था;

(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और आंकड़े एकत्रित करना;

(ण) बाजारों, व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थलों, बगीचों, खेल के मैदानों और वनरोपण के लिए भूमि का सुधार विकास या आरक्षण;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में उपाहार गृहों, दूकानों, बाजारों इंधन के डिपो, धुलाई-गृहों, बाल काटने की दूकानों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था;

(थ) योजना के प्रयोजनों के लिए अग्रिम ऋण; और

(द) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई योजना, यथाशक्य, तत्समय प्रचलित महायोजना के, यदि कोई हो, अनुरूप होगी।

१८—आवास और सुधार योजनाओं के प्रकार—(१) आवास या सुधार योजना निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक प्रकार की होगी, अथवा उसमें ऐसे दो या अधिक प्रकारों का सम्मिश्रण होगा या उसमें उनकी विशेष बातें होंगी अर्थात्—

(क) गृह स्थान योजना;

(ख) मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना;

(ग) पुनर्वास योजना;

(घ) सड़क योजना;

(ङ) भावी सड़क योजना;

(च) प्रसार योजना;

(छ) भूमि विकास योजना;

(ज) बाजार योजना;

(झ) बाढ़ योजना।

(२) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर, जो वह, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, आरोपित करना उचित समझे, परिषद् को उपधारा (१) में अनिर्दिष्ट प्रकार की किसी आवास या सुधार योजना को हाथ में लेने का निदेश दे सकती है।

१९—गृह-स्थान योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में गृह-स्थान की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक है तो परिषद् गृह स्थान योजना बना सकती है ।

(२) ऐसी योजना में उस क्षेत्र के विन्यास का उल्लेख होगा जहां पर गृहों का निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह-निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(३) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार बनाए गए किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है जिसमें क्रय-विक्रय के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

(४) परिषद् उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

२०—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना—(१) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि—

(क) किसी क्षेत्र में, निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत अथवा संभाव्य कोई भवन मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है, या

(ख) किसी क्षेत्र में—

(१) सड़कों, भवनों अथवा भवनों के समूहों की संकीर्णता, समीपता या दोषपूर्ण व्यवस्था अथवा प्ररचना या दशा होने, या

(२) अति घनी आबादी होने, या

(३) प्रकाश, वायु, वातायन या यथोचित सुविधाओं का अभाव होने, या

(४) कोई अन्य स्वच्छता सम्बन्धी दोष होने,

से उस क्षेत्र के अथवा पास-पड़ोस के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार संकट में पड़ने की सम्भावना है तो परिषद् उस क्षेत्र के सम्बन्ध में मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना बना सकती है।

(२) ऐसी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, गलियों और खुले स्थानों तथा अन्य सुविधाओं के लिए स्थलों का आरक्षण तथा निर्माण और उनके लिए व्यवस्था तथा वर्तमान मार्गों, सड़कों, गलियों, खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं में परिवर्तन;

(ख) क्षेत्र के स्थलों का पुनर्विन्यास;

(ग) परिषद् द्वारा क्षेत्र में स्थित किसी स्थल या भवन का अर्जन;

(घ) क्षेत्र में भूमियों और भवनों के सम्बन्ध में सुधार कार्य करना और उनका अनुरक्षण करना;

(ङ) क्षेत्र में भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण को या परिवर्तन को अथवा परिवर्द्धन को विनियमित करना;

(च) क्षेत्र के स्थलों पर विद्यमान और उनके उपबन्धों में परिवर्तन करना या उन्हें गिराना;

(छ) क्षेत्र के स्थलों पर गृहों तथा अन्य भवनों का निर्माण;

(ज) योजना के अनुसार विद्यमान भवनों का निर्माण करने या उनमें परिवर्तन करने अथवा नए भवनों का निर्माण करने के लिए स्वामियों को सहायता देने के उद्देश्य से उन्हें ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अग्रिम धन देना जिनकी व्यवस्था योजना के अन्तर्गत,की जाय।

२१—पुनर्वास योजना—जब कभी परिषद् की यह राय हो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए गृह-स्थान की व्यवस्था करना आवश्यक है—

(क) जो इस अधिनियम के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से विस्थापित हो गए हों अथवा जिनके विस्थापित होने की सम्भावना हो, या

(ख) जिन्हें किसी क्षेत्र की घनी आबादी को कम करने के लिये उस क्षेत्र से हटाना आवश्यक हो,

तो परिषद ऐसे निवास-स्थानों और दूकानों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिये अथवा मार्गों, सड़कों और खुले स्थानों के सहित, जो आवश्यक समझे जायें, ऐसे खुले प्लाटों की व्यवस्था करने के लिये पुनर्वास योजना बना सकती है।

२२—सड़क योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि—

(क) भवन निर्माण के स्थलों की व्यवस्था करने, या

(ख) दोषपूर्ण वातायन को ठीक करने , या

(ग) नये संचार साधन स्थापित करने अथवा विद्यमान संचार साधनों और यातायात की सुविधाओं में सुधार करने, या

(घ) मलवाहन के लिये अच्छी सुविधायें देने, के लिये किसी क्षेत्र में नई सड़कें बनाना या वर्तमान सड़कों में (जिसमें पुल पक्का नदी पथ और पुलिया भी सम्मिलित हैं) परिवर्तन करना इष्टकर है, तो परिषद् ऐसे क्षेत्र के लिये सड़क योजना बना सकती है।

(२) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ऐसी योजना में निम्न-लिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) किसी ऐसी भूमि का अर्जन, जो परिषद् की राय में योजना के लिये आवश्यक हो ;

(ख) इस प्रकार अर्जित की गयी सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास, जिसमें परिषद् द्वारा या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है तथा सड़कों और जनमार्गों का विन्यास, निर्माण और परिवर्तन;

(ग) इस प्रकार विन्यासित, निर्मित या परिवर्तित सड़कों तथा जन-मार्गों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण और रोशनी की व्यवस्था;

(घ) योजना के प्रयोजनों के लिये परिषद् में निहित, या उसके द्वारा अर्जित किसी भूमि का सुधार अथवा उसकी सतह को ऊंचा या नीचा करना; और

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिये अपेक्षाकृत अच्छे वातायन के निमित्त खुले स्थानों की व्यवस्था।

२३—भावी सड़क योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी सड़क को, उसके विद्यमान संरेखण का परिवर्तन करके भविष्य में चौड़ा करने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावित उन्नत संरेखण के भीतर आने वाली सभी या किसी सम्पत्ति को तुरन्त अर्जित करना आवश्यक नहीं है तो परिषद् एक भावी सड़क योजना बना सकती है, जिसमें सड़क के दोनों ओर

का संरेखण निर्धारित किया जायगा, और उस योजना को निष्पादित करने के लिये कालावधि निर्दिष्ट होगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कालावधि परिषद् द्वारा उस बढ़ायी गयी अवधि को, यदि कोई हो, सम्मिलित करके, किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक के बीस वर्ष से अधिक न होगी ।

(२) ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था की जायगी, अर्थात्—

(क) योजना के निष्पादन के लिए कालावधि के भीतर निर्धारित सड़क-संरेखण के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण किसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का अर्जन;

(ख) परिषद् या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभी अथवा किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास जिसमें भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है; तथा सड़क का निर्माण व संरेखण; और

(ग) इस प्रकार निर्मित या परिवर्तित सड़कों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण और रोशनी की व्यवस्था ।

(३) ऐसी योजना प्रचलित हो जाने के बाद—

(क) परिषद् की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई व्यक्ति योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर, किसी भवन का इस प्रकार निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे कि निर्धारित संरेखण में कोई अतिक्रमण हो जाय;

(ख) यदि परिषद् सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर स्थित किसी सम्पत्ति का अर्जन न कर सके या उसके अर्जन के लिये कार्यवाही न कर सके, तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी, उक्त योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर, या उसके बाद तीन वर्ष के भीतर किसी समय परिषद् को इस बात का नोटिस दे सकता है कि नोटिस के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसी सम्पत्ति का अर्जन करे अथवा अर्जन के लिये कार्यवाही करे, और तदुपरान्त परिषद् उस सम्पत्ति को अनुबन्ध द्वारा अर्जित करेगी, अथवा खण्ड (ग) के अधीन नोटिस द्वारा ऐसी कार्यवाही करेगी और तदनुसार उक्त सम्पत्ति का अर्जन करेगी, और यदि परिषद् ऐसा न कर सके तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित प्रतिकर का भुगतान करेगी;

(ग) सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर आने वाली किसी सम्पत्ति का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करने के पूर्व परिषद्—(१) ऐसी किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जिसके लिये उसे खण्ड (ख) के अधीन नोटिस मिला हो, पन्द्रह दिन का नोटिस; और (२) अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में छः मास का नोटिस, ऐसी सम्पत्ति के स्वामी को उस सम्पत्ति का अर्जन करने के अभिप्राय का देगी;

(घ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ या किसी ऐसे अन्य अधिनियम में, जिससे किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस धारा के अधीन कोई योजना विज्ञापित की गयी हो, स्थानीय प्राधिकरण का संघटन किया गया हो, किसी बात के होते हुये भी, ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर सड़क के

उ० प्र० अधिनि
संख्या २, १९
यू० पी० ऐ
संख्या २, १९
उ० प्र० अधिनि
संख्या ३३, १९

किसी संरेखण को निर्धारित या नियत करने का अधिकार न होगा और ऐसी सीमाओं के भीतर पहले से निर्धारित या नियत किया गया कोई ऐसा संरेखण प्रभावी नहीं रहेगा ।

२४—प्रसार योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी नगर, कस्बा या ग्राम का भविष्य में प्रसार या विकास करने पर नियंत्रण और उसकी व्यवस्था करना इष्टकर है, तो परिषद् प्रसार योजना बना सकती है और उक्त योजना के निष्पादन के लिये समय सीमा निर्दिष्ट करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय सीमा, जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी समय सीमा, यदि कोई हो, भी है, किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी ।

(२) ऐसी योजना किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में बनायी जा सकती है जो पूर्णतः नगर, नगरपालिका, कस्बा या ग्राम की सीमाओं के भीतर हो या ऐसी सीमाओं के अंशतः भीतर और अंशतः बाहर हो ।

(३) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिये उसके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायगा ।

(४) ऐसी किसी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्, परिषद् की पूर्व-लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा ।

(५) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त क्षेत्र में अपनी भूमि पर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन करने की अनुज्ञा देने से परिषद् इन्कार करे, और इस प्रकार की अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उस भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही न करे तो परिषद् उस व्यक्ति को, ऐसी अस्वीकृति के परिणामस्वरूप हुई किसी क्षति के लिये ऐसा प्रतिकर देगी जो इस अधिनियम और नियमों के अधीन अवधारित किया जाय ।

२५—भूमि विकास योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षत्र में भवन-निर्माण के लिये स्थलों की व्यवस्था करना इष्टकर है तो परिषद् भूमि विकास योजना बना सकती है ।

(२) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिये उसके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायगा ।

(३) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिये परिषद् मार्गों, सड़कों, खुले स्थानों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है ।

(४) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिषद् भवन-निर्माण के स्थलों को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है जिसमें क्रय-विक्रय के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है ।

२६—बाजार योजना—(१) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में, क्रय-विक्रय, दूकानों से सामान खरीदने या वाणिज्य की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं या उत्पादकों, बैंकरों, व्यापारियों, व्यावसायिक वर्ग के सदस्यों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों या वादार्थियों के लिये विद्यमान बाजार या व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक अधिष्ठान असुविधाजनक है, या विद्यमान बाजारों अथवा वाणिज्यिक या व्यावसायिक केन्द्रों में अन्यथा सुधार या परिवर्तन करना अथवा उन्हें गिराना या किसी क्षेत्र में नये बाजारों अथवा केन्द्रों का विन्यास करना इष्टकर है, तो परिषद् उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये बाजार योजना बना सकती है ।

(२) बाजार योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) मंडियों, दूकानों, स्टालों, गोदामों, उपाहारगृहों, सिनेमाओं, वाणिज्यिक गृहों, व्यावसायिक कार्यालयों, पेट्रोल पम्पों, यांत्रिक सेवा और मरम्मत करने के स्टेशनों, धुलाई-गृहों, बाल-काटने की दूकानों तथा अन्य अपेक्षित भवनों और संरचनाओं का निर्माण;

(ख) मार्गों, सड़कों, गलियों, पार्श्व पथों, पार्कों और मोटर गाड़ियां खड़ी करने के स्थलों का बनाना, जल-सम्भरण, बस के अड्डों तथा साइकिल और अन्य गाड़ियों के अड्डों तथा अन्य सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था;

(ग) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का परिषद् द्वारा अर्जन; और

(घ) परिषद् द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को किसी बाजार का पूर्णतः या प्रबन्ध करने के लिये, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर संक्रमण जिन पर वह स्थानीय प्राधिकरण सहमत हो ।

२७—बाढ़ योजना—(१) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र पर किसी नदी या नाले में बाढ़ आ जाने अथवा पानी इकट्ठा हो जाने के कारण प्रभाव पड़ा है अथवा उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो परिषद् उस क्षेत्र के लिये बाढ़ योजना बना सकती है ।

(२) बाढ़ योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) किसी ऐसी नदी या नाले के जल-प्रवाह को रोकने या सीमित करने के लिये बांध, तटबन्ध, तथा संरचनाओं का निर्माण ;

(ख) ऐसे गृहों और आवश्यक संपूर्ति अधिष्ठानों की रक्षा के लिये, जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो, संरचनाओं का निर्माण ;

(ग) बाढ़ से क्षतिग्रस्त गृहों की मरम्मत या पुनर्निर्माण ;

(घ) संचित जल की निकासी के लिये नालियों और निर्गम मार्गों का निर्माण ;

(ङ) किसी क्षेत्र की सतह ऊंची करना ;

(च) किसी क्षेत्र में स्थलों का पुनर्विन्यास ;

(छ) किसी नदी या नाले से मिट्टी आदि निकालना ;

(ज) योजना के लिये आवश्यक किसी क्षेत्र का अर्जन ;

(झ) किसी बाढ़ग्रस्त अथवा संकटापन्न स्थान के निवासियों को हटाना और उनके लिये वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करना।

२८--आवास एवं सुधार योजनाओं के लिये नोटिस--(१) जब कोई आवास या सुधार योजना बना ली जाय तो परिषद् इस आशय का एक नोटिस तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेंगी--

(क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं,

(ख) दिनांक, समय और स्थान या स्थानों का उल्लेख, जहां पर क्षेत्र का नक्शा योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि और उस भूमि के ब्योरे जिसके संबंध में आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, देखे जा सकते हैं, और

(ग) दिनांक जब तक कि योजना के संबंध में आपत्तियां की जा सकती हैं।

(२) परिषद्--

(क) उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक (१) गजट में, और (२) ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार पत्र होगा, प्रकाशित करायेगा जिनका इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचलन हो, और

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों को भेजेगा जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो।

(३) आवास आयुक्त उपधारा (१) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट किसी लेख्य की प्रतिलिपि किसी भी प्रार्थी को ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर दिलायेगा जिसकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाय।

२९--प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस--किसी आवास या सुधार योजना के संबंध में धारा २८ के अधीन किसी नोटिस के पहली बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर, परिषद् ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नोटिस तामील करेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जायगा कि परिषद् योजना के निष्पादन के लिये किसी निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का अथवा आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करती है।

३०--आपत्तियां--(१) स्थानीय प्राधिकरण जिसे धारा २८ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गयी हो, ऐसी प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(२) कोई व्यक्ति जिस पर धारा २९ के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीन दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसकी परिषद् पर्याप्त कारण से अनुमति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन अथवा आसुधार शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध परिषद् को लिखित आपत्ति कर सकता है।

(३) कोई अन्य व्यक्ति भी धारा २८ के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

३१—योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति—(१) उपयुंक्त उपबन्धों के अनुपरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद् या तो उस योजना का परित्याग कर सकती है, या यदि योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक व्यय न बैठता हो तो उसका परिष्कार कर सकती है अथवा उसे स्वीकृत कर सकती है, और यदि योजना पर बीस लाख रुपए से अधिक व्यय बैठता हो तो उसे ऐसे परिष्कारों के साथ, यदि कोई हो, जिसका परिषद् सुझाव दे, स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है ।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी योजना को परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है, अथवा उसे पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकती है ।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गयी कोई योजना परिषद् द्वारा परिष्कृत कर दी जाय तो वह धारा २८ के अनुसार पुनः प्रकाशित की जायगी —

(क) यदि परिष्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्ग्रस्त हो, या

(ख) यदि परिषद् की राय में परिष्कार इतने पर्याप्त महत्व का हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो,

और ऐसा पुनः प्रकाशन हो जाने पर धारा २९ और ३० में नियत प्रक्रिया का जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायगा मानो कि पुनः प्रकाशन धारा २८ के अधीन किया गया मूल प्रकाशन हो ।

३२—योजना का प्रारम्भ—(१) जब कभी परिषद् या राज्य सरकार किसी आवास या सुधार योजना को स्वीकृत करे, तो उसे गजट में विज्ञापित किया जायगा ।

(२) किसी योजना के संबंध में उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि योजना यथाविधि बनायी और स्वीकृत की गयी है ।

(३) परिषद् की किसी आवास या सुधार योजना की स्वीकृति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति या कोई स्थानीय प्राधिकरण जिसने धारा ३० के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की हों, उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील के परिणाम-स्वरूप राज्य सरकार योजना को निरस्त कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे तो, निरसन या परिवर्तन गजट में विज्ञापित किया जायगा ।

(५) (क) यदि योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाय तो वह उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से प्रचलित होगी;

(ख) यदि योजना परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाय तो :

(१) जब उपधारा (३) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गयी हो, तो उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर ; और

(२) जब अपील प्रस्तुत की गयी हो और अपील पर योजना परिवर्तन सहित अथवा परिवर्तन रहित बनी रहे तो, वह उस अपील पर निर्णय के दिनांक से प्रचलित होगी ।

३३---योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन---(१) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात् किन्तु उसके पूर्णरूप से निष्पादित किये जाने के पूर्व किसी समय, परिषद् उसमें परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे निरस्त कर सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि---

(क) यदि किसी परिवर्तन से किसी योजना के निष्पादन के संबंध में अनुमानित शुद्ध व्यय इस प्रतिशत से अधिक बढ़ने की सम्भावना हो अथवा किसी परिवर्तित योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक व्यय होने की संभावना हो तो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

(ख) यदि किसी परिवर्तन में किसी ऐसी भूमि का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबन्ध से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो या किसी परिवर्तन के कारण किसी ऐसी भूमि, जिस पर योजना के अन्तर्गत कोई अ.सुधार शुल्क का भुगतान देय न हो, पर ऐसा शुल्क देय हो जाय तो इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित परिवर्तन के विरुद्ध आपत्तियां करने का अवसर दिये बिना परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

(ग) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना बीस लाख रुपये से अधिक लागत की कोई योजना परिवर्तित या निरस्त नहीं की जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी योजना में किया गया कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में विज्ञाप्ति किया जायगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले से की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल, प्रभाव न पड़ेगा ।

३४---योजना का निष्पादन---(१) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने पर उसके निष्पादन के लिये परिषद्---

(क) भावी सड़क योजना या प्रसार योजना की दशा में योजना में निर्दिष्ट या उसके द्वारा बढ़ायी गयी समय की अवधि के भीतर, और

(ख) किसी अन्य प्रकार की योजना की दशा में, यथाशक्य शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

(२) उपधारा (१) की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह परिषद् को किसी योजना के निष्पादन में राज्य सरकार के अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकरण एजेन्सी को उस सरकार या प्राधिकरण की सहमति से लगाने से निषिद्ध करती है ।

३५—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्बन्धन— (१) यदि मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में धारा २८ के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो, तो कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त, परिष्कृत या स्वीकृत न कर दी जाय, किन्तु यदि योजना प्रचलित हो गयी हो तो, उसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर, योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन अथवा अन्य रूप से किसी भूमि का योजना के विरुद्ध व ऐसी शर्तों व प्रतिबन्धों के प्रतिकूल जिन्हें आवास आयुक्त, तदर्थ अनुज्ञा के लिये प्रार्थना दिये जाने पर, आदेश द्वारा आरोपित करे, विकास न करेगा।

(२) आवास आयुक्त के उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा न देने अथवा शर्त या प्रतिबन्ध आरोपित करने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, परिषद् को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

३६—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में विशेष अधिकार—

(१) किसी मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के प्रचलित होने के पश्चात् किसी भी समय आवास आयुक्त, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में :—

(क) किसी भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें इस बात की अपेक्षा की जाय कि वह पैंतालीस दिन से अधिक ऐसे उचित समय के भीतर, जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाय, भवन या भूमि में नोटिस में निर्दिष्ट कोई सुधार करे, और चूक करने की दिशा में, उन समस्त या किन्हीं बातों को, जो नोटिस के द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अभिकरण से करा सकता है जिसे उसने तदर्थ निर्दिष्ट किया हो।

(ख) किसी ऐसे भवन के स्वामी पर, जो उसकी राय में मानव निवास के लिये उपयुक्त न हो और जो उचित व्यय करके भी इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने के योग्य न हो, और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके बारे में आवास आयुक्त को जानकारी हो कि उसका भवन में कोई स्वत्व है, चाहे वह पट्टेदार, बंधकी या अन्य रूप से हो, नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे निर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि भवन गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय और उन व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वामी को यह निदेश देगा कि वह भवन खाली होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति दी जाय, उसे गिरा दे, और चूक करने की दशा में, उसे ऐसे अभिकरण द्वारा गिरवा दे जिसे उसने तदर्थ निर्दिष्ट किया हो,

(ग) खंड (क) और (ख) में उलिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, किसी भवन या भूमि के अध्यासी पर इस आशय का नोटिस तामील कर सकता है कि वह उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, उसे खाली कर दे तथा चूक करने की दशा में उक्त भवन या भूमि को खाली करा सकता है, और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है।

(२) यदि आवास आयुक्त उपधारा (१) के अधीन कोई सुधार कार्य कराये तो उस पर किया गया, व्यय, जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक, ऐसी दर से ब्याज सम्मिलित है, जो नियत की जाय, आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायगा, और परिषद् उसे, यथास्थिति, भवन या भूमि के स्वामी से, ऐसी किश्तों में, जो नियत की जाय, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी का दायित्व, आवास आयुक्त का यह समाधान कर लेने पर—

(क) कि वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से केवल अभिकर्त्ता या न्यासी के रूप में भवन या भूमि का किराया ले रहा है, और

(ख) उस अन्य व्यक्ति की ओर से उसके पास सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है,

अभिकर्त्ता या न्यासी के रूप में उसके हाथ में कुल धनराशि तक सीमित होगा ।

(३) यदि आवास आयुक्त उपधारा (१) के अधीन किसी भवन को गिरवा दे तो गिराने के व्यय की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति इमारती समान की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से, यदि कोई हो, होगयी समझी जायगी । इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त धनराशि के शेष का भुगतान, यदि कोई हो, भवन गिराने और उसके इमारती सामान की बिक्री में हुए व्यय को, जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायगा, काटने के पश्चात् स्वामी को कर दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी बिक्री से पूर्व इमारती सामान को या उसके किसी भाग को हटाना चाहे तो वह आवास आयुक्त को, अनुमत समय के भीतर, भवन को गिराने के समस्त व्यय का भुगतान करके उसे उठा सकता है ।

(४) यदि उपधार (१) के अधीन किसी भवन में कोई सुधार कार्य किया गया हो और वह परिषद् द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो तो परिषद् ऐसे अनुरक्षण के व्यय को जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायगा, भवन के अध्यासी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी ।

(५) यदि एक से अधिक व्यक्ति भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी हों या उनका पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप में भवन में स्वत्व हो तो, आवास आयुक्त उपधारा (२), उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन अवधारित व्यय के संबंध में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को अवधारित कर सकता है ।

(६) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी भवन को खाली करने का आदेश दिया गया हो, तो आवास आयुक्त, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक गृह-स्थान देगा ।

(७) उपधारा (२), उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन व्यय की धनराशि के अवधारण अथवा उपधारा (५) के अधीन अभिभाजन के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, न्यायाधिकरण को उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, अपील कर सकता है, और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पदों "अध्यासी", "स्वामी" और "सुधार कार्य" के वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ की धारा २ के

खंड (च), (छ) और (ठ) में उनके लिये दिये गये हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खंड (ठ) में शब्द "सक्षम प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "आवास आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जायगा और पद "उचित व्यय" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में उसके लिये दिया गया हो ।

३७—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध—(१) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना प्रचलित हो, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना :—

(क) क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये कोई डिग्री या आदेश प्राप्त करने के निमित्त न तो कोई वाद संस्थित करेगा और न कोई कार्यवाही करेगा, या

(ख) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए योजना प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किसी वाद या की गयी किसी कार्यवाही में कोई डिक्री या आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो ऐसी डिक्री या आदेश निष्पादित न करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात सरकार, परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार की किसी विधि के अधीन बेदखली पर अथवा उसके संबंध में लागू न होगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने में, नियत प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा;

अर्थात—

(क) यदि किरायेदार बेदखल कर दिया जाय तो क्या उसे ऐसा वैकल्पिक गृह-स्थान उपलब्ध हो सकेगा जो उसके सामर्थ्य के भीतर हो;

(ख) क्या बेदखली उस क्षेत्र में मलिन बस्ती के सुधार अथवा निपातन के हित में है;

(ग) ऐसी अन्य बातें, यदि कोई हों, जो नियत की जायें ।

(३) नियत प्राधिकारी के उपधारा (१) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने अथवा न देने के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, न्यायाधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

(४) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का काबिज किरायेदार किसी भवन को इस आधार पर खाली कर दे अथवा उससे बेदखल कर दिया जाय कि उसकी आवश्यकता कोई सुधार-कार्य करने अथवा भवन को गिराने और उसका पुनर्निर्माण करने के प्रयोजनार्थ है तो, किरायेदार, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, नियत प्राधिकारी के पास यह घोषणा कर सकता है कि यथास्थिति, भवन में सुधार कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात् उस भवन का बकाया उसे फिर से दे दिया जाय ।

(५) ऐसी घोषणा प्राप्त होने पर नियत प्राधिकारी आदेश द्वारा भवन के स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, भवन के सुधार-कार्य अथवा उसके पुनर्निर्माण की योजनायें और उसके व्यय के अनुमान तथा ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक हों, प्रस्तुत करे और प्रस्तुत की गयी, ऐसी योजनाओं तथा अनुमानों और विवरणों, यदि कोई हो, के आधार पर तथा उपधारा (८) के उपबन्धों को ध्यान में रख कर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अस्थायी रूप से ऐसा किराया अवधारित करेगा जो किरायेदार द्वारा देय होगा यदि उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे भवन का दखल फिर से दिया गया हो ।

(६) उपधारा (५) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराये की सूचना नियत रीति से किरायेदार तथा स्वामी को दी जायगी ।

(७) यदि किरायेदार ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् नियत प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, यह सूचित कर दे कि जब उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाय तो, वह स्वामी को, जब तक कि उपधारा (८) के अधीन अंतिम रूप से किराया अवधारित न हो जाय, उपधारा (५) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराया देगा तो नियत प्राधिकारी स्वामी को यह निदेश देगा कि वह, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात्, किरायेदार को उस भवन का दखल दे दे, और स्वामी ऐसे निदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगा ।

(८) यदि कोई ऐसा भवन, उपधारा (७) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में किसी किरायेदार को किराये पर दे दिया जाय तो किरायेदार उस क्षेत्र में प्रचलित किराये के नियंत्रण से सम्बद्ध किसी विधि के होते हुए भी, स्वामी को ऐसा किराया देने का भागी होगा जो, यथास्थिति, भवन में सुधार कार्य अथवा उसका पुनर्निर्माण पूरा हो जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसकी अनुमति पर्याप्त कारण बताये जाने पर दी जाय, नियत प्राधिकारी को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा अंतिम रूप से अवधारित किया जाय, जो निम्नलिखित होगा:—

(क) यदि भवन के संबंध में कोई सुधार-कार्य किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो निम्नलिखित धनराशियों के योग के बराबर हो, अथवा—

(१) वार्षिक किराया जो किरायेदार, सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ भवन को खाली करने के ठीक पूर्व, दे रहा था,

(२) सुधार-कार्य के व्यय का छः प्रतिशत; और

(३) उस धनराशि का छः प्रतिशत जो किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जिसे उक्त सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ अर्जित किया गया हो, देय प्रतिकर के बराबर हो;

(ख) यदि भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो तो वार्षिक किराया जो भवन के पुनर्निर्माण के व्यय के तथा जिस भूमि पर भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो, उसके मूल्य के योग के आठ प्रतिशत के बराबर हो ।

स्पष्टीकरण—

इस उपधारा के प्रयाजनों के लिये, भूमि के संबंध में देय प्रतिकर के बराबर धनराशि को भूमि का मूल्य समझा जायगा, यदि वह भूमि परिषद् द्वारा धारा ५५ के अधीन अर्जित की गयी हो और भवन में सुधार कार्य या उसका पुनर्निर्माण प्रारम्भ करने का दिनांक वह दिनांक हो जिसके संबंध में उक्त धारा ५५ द्वारा यथापरिष्कृत लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ के अधीन भूमि का बाजार मूल्य निर्णीत किया गया हो ।

(९) उपधारा (८) के अधीन किराये के अवधारण से क्षुब्ध कोई पक्ष, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

(१०) जब उपधारा (८) के अधीन अथवा उपधारा (९) के अधीन अपील पर किराया अंतिम रूप से अवधारित कर दिया जाय तो ऐसे अवधारण के पूर्व किरायेदार द्वारा भुगतान की गयी किराये की धनराशि का समायोजन इस प्रकार अंतिम रूप से अवधारित किराये में कर दिया जायगा और यदि इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि, अंतिम रूप से अवधारित किराये से कम हो, या उससे अधिक हो तो किरायेदार, यथास्थिति, कमी को पूरा करेगा, अथवा धनराशि की वापसी का हकदार होगा ।

३८—स्थानीय प्राधिकरण में निहित भवन या भूमि का परिषद को संक्रमण—

(१) जब कभी किसी आवास या सुधार योजना में समाविष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरण में निहित कोई भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका कोई भाग आये, तो परिषद् उस स्थानीय प्राधिकरण को नोटिस देगी, और तदुपरान्त वह भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका भाग परिषद् में निहित हो जायगा ।

(२) उपधारा (१)के अधीन नोटिस देते समय, यदि परिषद् यह घोषणा करे कि, यथास्थिति, ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग परिषद् द्वारा केवल तब तक के लिए रखा जायगा, जब तक कि वह धारा ४१ के अधीन सड़क या खुले स्थान, या उनके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकरण को पुर्नानिहित न कर दिया जाय तो सिवाय उक्त भूमि पर स्थित भवनों के संबंध में यदि कोई हों, कोई प्रतिकर परिषद् द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को देय नहीं होगा ।

(३) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, यदि उपधारा (१) के अधीन कोई भूमि या भवन परिषद् में निहित हो, तो परिषद् स्थानीय प्राधिकरण को प्रतिकर स्वरूप, उस भूमि या भवन अथवा दोनों, जैसी भी दशा हो के बाजार मूल्य, जो योजना के प्रचलित होने के दिनांक पर हो, के बराबर धन-राशि का भुगतान करेगी ।

(४) यदि उपधारा (२) के अधीन की गयी घोषणा के पश्चात्, भूमि स्थानीय प्राधिकरण में पुर्नानिहित न की जाय, तो परिषद् उस भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को प्रतिकर का भुग-तान करेगी ।

(५) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई भवन, भूमि या सड़क अथवा उनका कोई भाग योजना के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है अथवा नहीं, या इस धारा के अधीन प्रतिकर देय है अथवा नहीं, या ऐसे प्रतिकर की धनराशि ठीक है या नहीं, तो वह मामला राज्य सरकार को अभिविष्ट किया जायगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

३९—योजना के प्रयोजन के लिये गैर सरकारी सड़क या स्क्वायर का परिषद् को संक्रमण—(१) जब कभी कोई ऐसी गैर सरकारी सड़क या स्क्वायर या उनके किसी भाग की, जिस पर जनसाधारण या जनसाधारण के किसी भाग को आने-जाने या उसका उपयोग करने का अधिकार हो और जो परिषद् या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित न हो, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यकता हो तो, ऐसी सड़क या स्क्वायर अथवा उनके भाग पर या उनके निकट के प्रमुख स्थान पर, परिषद् एक नोटिस चिपकवायेगी जिस पर आवास आयुक्त के हस्ताक्षर होंगे और जिसमें—

(क) उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिये ऐसी सड़क, स्क्वायर या उनका भाग अपेक्षित हो, और

(ख) यह घोषणा होगी कि परिषद्, नोटिस में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात्, ऐसी सड़क, स्क्वायर या उनके भाग का प्रभार, उनके स्वामी से ले लेगी,

और साथ ही साथ ऐसे नोटिस की एक प्रतिलिपि उस सड़क या स्क्वायर या उनके भाग के स्वामी को भेजेगी ।

(२) नोटिस में तदर्थ निर्दिष्ट दिनांक के पूर्वलिखित रूप में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, परिषद् ऐसी सड़क या स्क्वायर या उनके भाग को अपने प्रभार में ले सकती है और तदुपरान्त वह परिषद् में निहित हो जायगी ।

(३) जब परिषद् उपधारा (२) के अधीन अपने में निहित किसी गैर-सरकारी सड़क या स्क्वायर या उनके भाग में परिवर्तन करे अथवा उसे बन्द कर दे तो वह उस पर अपना अधिकार निहित होने के दिनांक को बाजार मूल्य के आधार पर अवधारित प्रतिकर का भुगतान उसके पूर्व स्वामी को करेगी ।

(४) यदि ऐसी सड़क, या स्क्वायर या उनके भाग में परिवर्तन करने अथवा उसे बन्द करने से, उससे संलग्न सम्पत्ति के स्वामियों को, अथवा पास पड़ोस के निवासियों को क्षति पहुंचे या सारवान असुविधा हो तो उन व्यक्तियों के उपयोग के लिये, जो किसी सम्पत्ति या स्थान पर प्रवेश करने के साधन स्वरूप ऐसी सड़क या स्क्वायर अथवा उनके भाग का उपयोग करने के हकदार थे, परिषद् तुरन्त अन्य उचित साधन की व्यवस्था करेगी, और यदि प्रवेश करने के ऐसे साधनों से ऐसी क्षति या असुविधा के लिये किसी ऐसे स्वामी अथवा निवासी की पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होती तो परिषद् उसे धन के रूप में समुचित प्रतिकर भी देगी ।

४०—परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत—जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क पर सार्वजनिक यातायात के लिये उद्योग करने की अनुज्ञा दे तो वह सड़क की मरम्मत करके अच्छी दशा में रखेगी और उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिये सभी आवश्यक कार्य करेगी ।

४१—सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकरण को संक्रमण—(१) परिषद् अपने द्वारा विन्यासित या परिवर्तित और अपने में निहित किसी सड़क को ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को, जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थित हो, एक मास का नोटिस देने के पश्चात् सौंप सकती है, जब योजना में व्यवस्थित रीति से—

(क) ऐसी सड़क, यथास्थिति समतल और पक्की बना दी जाय,

(ख) ऐसी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दी जाय, और

(ग) ऐसी सड़क पर जल, नालियों और मलनालियों (sewers) की व्यवस्था कर दी जाय ।

(२) जब किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा वायु संचालन या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गयी हो, तो परिषद् यह संकल्प कर सकती है कि योजना पूरी हो जाने पर ऐसा स्थान सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण को संक्रमित कर दिया और तदुपरान्त ऐसे प्राधिकरण को संकल्प की सूचना दी जायगी ।

(३) स्थानीय प्राधिकरण उपधारा (३) के अधीन नोटिस की प्राप्ति पर परिषद् को आपत्ति कर सकता है या परिषद् से यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे खुले स्थान का इस प्रकार संक्रमण किये जाने के पूर्व वह ऐसे स्थान को घेर दे, समतल और दूर्वायुक्त बना दे, नाली की व्यवस्था और भूमि का विन्यास कर दे तथा वहां पर पद-मार्ग और रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दे । परिषद् ऐसी आपत्तियों तथा अपेक्षाओं पर विचार करेगी और तब उस प्रस्ताव की पुनः अभिपुष्टि या परिष्कार करने के लिये अन्तिम संकल्प पारित करेगी ।

(४) यथास्थिति, नोटिस की अवधि की समाप्ति पर या अन्तिम संकल्प के अनुसार ऐसी सड़क या खुला स्थान स्थानीय प्राधिकरण में निहित होगा, और तत्पश्चात् उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जायगी ।

(५) यदि इस धारा में अभिदिष्ट किसी मामले के संबंध में परिषद् और स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा परिषद् और स्थानीय प्राधिकरण पर बन्धनकारी होगा ।

४२—सड़क पर निर्माण-कार्य की अवधि में प्रबन्ध—(१) जब परिषद् द्वारा अपने में निहित किसी सड़क पर कोई निर्माण-कार्य, जो वैधतः किया जा सकता है, निष्पादित किया जा रहा हो तो, वह यह निदेश दे सकती है कि ऐसे निर्माण-कार्य के दौरान में वह सड़क सामान्य अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के यातायात के लिये पूर्णतः अथवा अंशतः बन्द रहेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, जहां तक उचित रूप से व्यवहार्य हो:

(क) यातायात के रास्ते का या उसे दूसरी ओर मोड़ने के लिये,

(ख) ऐसे सभी भू-गृहादि तक पहुंचने के लिये, जहां पहले ऐसी सड़क से प्रवेश किया जाता था, और

(ग) किसी जलोत्सारण, जल-सम्भरण या रोशनी के साधन क लिये जिस पर निर्माण-कार्य के निष्पादन के कारण बाधा पड़ती हो, पर्याप्त व्यवस्था करेगी ।

(२) कोई ऐसा निदेश दे दिये जाने पर परिषद् सड़क के प्रमुख स्थान पर या उसके निकट एक ऐसा आदेश चिपकायेगी जिसमें इस प्रकार निदेशित सीमा तक यातायात का निषेध दिया होगा, और सड़क के आर-पार या उस पर ऐसी छड़ें, जंजीरें अथवा खम्भे लगवायेगी जिन्हें वह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित समझे ।

४३—सार्वजनिक सड़क या स्क्वायर बन्द करने का अधिकार—(१) परिषद्—

(क) अपने में निहित किसी सड़क या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, व्यपवर्तन कर सकती है, जन-साधारण के प्रयोग के लिये समाप्त अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है; या

(ख) अपने में निहित किसी स्क्वायर या उसके भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिये समाप्त, अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है।

(२) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क या स्क्वायर अथवा उसके किसी भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिये समाप्त कर दे अथवा उसे स्थायी रूप से बन्द कर दे तो, वह किसी ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार समाप्त या बन्द किये जाने के कारण हुई विशेष क्षति के लिये ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो नियमों के अनुसार अवधारित किया जाय।

(३) जब परिषद् में निहित कोई सड़क या स्क्वायर अथवा उसका कोई भाग उपधारा (१) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय तो, परिषद् उसका उतना भाग, जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेच या पट्टे पर दे सकती है।

४४—अन्य स्थानीय प्राधिकारिणों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव—(१) यदि धारा २८ के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में आवास या सुधार योजना का कोई नोटिस प्रकाशित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन बनायी गयी किसी ऐसी योजना के, जिसके अन्तर्गत वही क्षेत्र अथवा उसका भाग आता हो, संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही, चाहे वह विज्ञप्ति जारी करने, विचार करने, स्वीकृति देने, परित्याग करने अथवा अन्य रूप में हो, नहीं की जानी चाहिये तो वह सम्बद्ध महापालिका को लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि योजना के संबंध में इस प्रकार आगे की कार्यवाही नहीं की जायेगी अथवा उसके संबंध में आगे की कार्यवाही ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए की जायेगी जो निर्दिष्ट की जाय और यह भी कि योजना अथवा उसके ऐसे भाग से, जो निर्दिष्ट किया जाय, सम्बद्ध आगे की कार्यवाहियां, यदि कोई हों, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी, और तदुपरान्त परिषद्, यथास्थिति, योजना अथवा उसके भाग के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अनुसार उस प्रक्रम से करेगी जिस पर उसे वह संक्रमित की गयी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् यदि उचित समझे तो उक्त अधिनियम के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन उक्त उपाय या कार्यवाही को नये सिरे से कर सकती है।

(२) यदि धारा २८ के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो तो कोई भी नगर महापालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण जिसका योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र पर अधिकारक्षेत्र हो राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र में किसी सम्पत्ति का निस्तारण नहीं करेगा और न किसी सम्पत्ति पर या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि सम्पत्ति के प्रकार में कोई परिवर्तन हो जाय और न ऐसी सम्पत्ति के संबंध में कोई विन्यास या सुधार करेगा और न उस सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचायेगा।

(३) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम और उक्त अधिनियम के अधीन परस्पर विरोधी या परस्पर व्याप्त योजनाओं के बीच समायोजन की व्यवस्था कर सकती है :

स्पष्टीकरण— सन्देह होने की दशा में पद "इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य ऐसे उपबन्ध से है जिसे राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिये सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट करे ।

४५—योजना या प्रबंध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण—राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी या अपने में निहित अथवा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ के अधीन अर्जित किसी भूमि को चाहे वह उसके सीधे प्रबन्ध में हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में हो, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर, (जिसमें निर्दिष्ट आकस्मिकता के होने पर सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण करने की शर्त भी सम्मिलित है) जो सरकार आरोपित करना उचित समझे, परिषद् को संक्रमित कर सकती है ।

४६—दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार—राज्य सरकार के अनुरोध पर या, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, परिषद् किसी आवास या अन्य भवन परियोजना के निष्पादन का काम ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो सहमत हो, हाथ में ले सकती है ।

४७—परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन—(१) राज्य सरकार के उपधारा (२) के अधीन अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन ऐसी, शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो उसके और उस स्थानीय प्राधिकरण के बीच सहमत हों, अपने हाथ में ले सकती है और तत्पश्चात् परिषद् ऐसी योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानो वह इस अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (५) के अधीन प्रचलित हुई हो ।

(२) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन स्वीकृत या आंशिक रूप से निष्पादित किसी सुधार योजना में आगे की कार्यवाही परिषद् द्वारा की जानी चाहिये तो वह संबद्ध नगरपालिका को लिखित आपत्ति करने का अवसर देने के पश्चात् निदेश दे सकती है कि किसी ऐसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन उसको, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर जो वह उचित समझे, संक्रमित कर दिया जाय, और तत्पश्चात् वह उस योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानो वह इस अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (५) के अधीन प्रचलित हुई हो ।

(३) जब कभी उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन परिषद् द्वारा किसी योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन अपने हाथ में लिया जाय तो उसको ऐसी योजना के संबध में आसुधार शुल्क लगाने का वही अधिकार होगा मानो उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन बनायी और स्वीकृत की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी योजना की दशा में धारा ५० में अभिदिष्ट घोषणा नोटिस द्वारा की जायगी जो गजट में और ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायगा जिनका इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचलन

हो और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों को भेजी जायगी जिसके अधिकारक्षेत्र के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो। तदुपरान्त धारा २९ और ३० के उपबन्ध, जहां तक उनका संबंध आसुधार शुल्क लगाने के प्रस्तावों से है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और परिषद् उक्त उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को परित्यक्त कर सकती है या उसे परिष्कृत कर सकती है या उसकी पुष्टि कर सकती है।

(४) जब कभी उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन परिषद् को संक्रमित किया जाय तो नगर महापालिका द्वारा या उसके विरुद्ध उस योजना से संम्बंद्ध विचाराधीन कोई विधिक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कोई कार्यवाही भी है, परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रक्खी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

४८—पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय—परिषद् अपने द्वारा बनायी गयी किसी आवास या सुधार योजना अथवा अपने हाथ में लिये गये किसी निर्माण-कार्य के व्यय में ऐसी दरों पर, जो वह निश्चित करें, पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय सम्मिलित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गयी दर, योजना या निर्माण-कार्य के अन्य व्यय के साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगी।

४९—परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार—(१) इस अध्याय के उपर्युक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसी आवास या सुधार योजना, जिसे परिषद् द्वारा बनाने का प्रस्ताव हो या जो उसके द्वारा बनायी गयी हो अथवा निष्पादित की जा रही हो, के संबंध में किसी समय परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है तथा किसी ऐसी योजना को परिष्कृत या यह रद्द कर सकती है अथवा फिर से विचार करने के लिये परिषद् को लौटा सकती है या यह निदेश दे सकती है कि योजना ऐसे परिष्कारों के साथ निष्पादित की जाय जो निर्दिष्ट किये जायें अथवा ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी परिष्कार में किसी ऐसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबन्ध से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, या किसी परिष्कार के कारण किसी ऐसी भूमि पर आसुधार शुल्क देय हो जाय जिस पर मूल योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा शुल्क देय न हो तो, इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित परिष्कारों के विरुद्ध आपत्तियां करने का अवसर दिये बिना परिष्कार नहीं किये जायेंगे।

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन आदेश देने तक किसी ऐसी योजना का निष्पादन रोक सकती है।

(३) किसी योजना में उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक परिष्कार गजट में विज्ञापित किया जायगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा, किन्तु किसी ऐसे परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय ४

आसुधार शुल्क

५०—आसुधार शुल्क के संबंध में घोषणा—(१) जब परिषद् की राय में, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न हो, मूल्य बढ़ जायगा तो, परिषद् योजना बनाते समय यह घोषणा कर सकती है कि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क देय होगा ।

(२) मूल्य में ऐसी वृद्धि वह धनराशि होगी जितनी धनराशि योजना का निष्पादन पूरा हो जाने पर भूमि का मूल्य, जिसका अनुमान इस आधार पर लगाया जायगा मानो उक्त भूमि पर भवन न हों, योजना के निष्पादन के पूर्व उक्त भूमि के मूल्य से, जिसका अनुमान भी उसी रीति से लगाया जायगा, बढ़ जाय; और आसुधार शुल्क, मूल्य में ऐसी वृद्धि का एक तिहाई होगा ।

(३) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से यह घोषणा कर सकती है कि ऐसा आसुधार शुल्क किसी ऐसी भूमि के संबंध में भी देय होगा जो योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित न हो, किन्तु उस क्षेत्र से संलग्न हो, यदि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जायगी ।

५१—आसुधार शुल्क का निर्धारण—(१) जब परिषद् को यह प्रतीत हो कि योजना में इतनी काफी प्रगति हो गयी है जिससे कि आसुधार शुल्क की धनराशि अवधारित की जा सके तो, परिषद् तदर्थ संकल्प पारित करके यह घोषणा करेगी कि उक्त शुल्क अवधारित करने के लिये योजना का निष्पादन पूरा हो गया समझा जायगा और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिस पर धारा २९ के अधीन नोटिस तामील किया गया हो अथवा ऐसे व्यक्ति के स्वत्व के उत्तराधिकारी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का लिखित नोटिस देगी कि परिषद् द्वारा ५० के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में देय आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है ।

(२) ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद् उसके द्वारा देय आसुधार शुल्क की धनराशि नियत रीति से निर्धारित करेगी, और उस पर शुल्क निर्धारण आदेश की एक प्रतिलिपि तामील करेगी ।

(३) उपधारा (२) के अधीन किया गया शुल्क निर्धारण, उपधारा (४) के अधीन अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(४) उपधारा (२) के अधीन शुल्क लगाने अथवा उसके निर्धारण के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है ।

(५) न्यायाधिकरण, पक्षों को नियत रीति से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

(६) न्यायाधिकरण, अपील पर निर्णय होने तक, ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

५२—मांग का नोटिस—(१) जब धारा ५१ के अधीन आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित हो जाय तो, परिषद् नोटिस देकर करदाता से यह अपेक्षा करेगी कि वह इस प्रकार निर्धारित आसुधार शुल्क का भुगतान, दस से अनधिक, ऐसी वार्षिक किस्तों में, और उन दिनांकों तक कर दे जो तदर्थ निश्चित किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि करदाता किसी भी समय आसुधार शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि अथवा उस समय देय शेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर सकता है और ऐसी दशा में उसे ऐसी छूट दी जा सकती है जो नियत की जाय।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन निश्चित दिनांक तक आसुधार शुल्क की किसी किस्त का भुगतान न किया जाय तो, करदाता द्वारा उस दिनांक से छः प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से, जो नियत की जाय, ब्याज देय होगा और वह आसुधार शुल्क का भाग समझा जायगा ।

५३—भूमि पर प्रभार के रूप में आसुधार शुल्क—(१) किसी भूमि के संबंध में आसुधार शुल्क का देनदार कोई व्यक्ति, परिषद् को उसका भुगतान करने के बजाय, किसी भी समय, स्वेच्छा से, परिषद् के साथ ऐसा अनुबन्ध कर सकता है जिसमें, यथास्थिति, आसुधार शुल्क या उसके शेष का भुगतान ऐसी भूमि में उसके स्वत्व पर प्रभार के रूप में बकाया छोड़ दिया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह निरन्तर ऐसी धनराशि पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक भुगतान करेगा ।

(३) आसुधार शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रत्येक भुगतान, जिसमें उपधारा (१) में अभिविष्ट वार्षिक भुगतान भी शामिल है, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के स्वत्व पर प्रथम प्रभार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि पर राज्य सरकार को देय मालगुजारी का, यदि कोई हो, भुगतान पहले किया जायगा।

(३) यदि उपधारा (१) के अनुसरण में निष्पादित अनुबन्ध के अधीन देय ब्याज की किसी किस्त का भुगतान नियत दिनांक को या ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, न किया जाय तो, यथास्थिति , आसुधार शुल्क या उसका शेष ऐसी किस्त के साथ ही उस दिनांक को देय हो जायगा ।

(४) उपधारा (१) के अनुसरण में अनुबन्ध हो जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान जिसके लिये प्रभार सृजित किया गया हो, उस दिनांक तक देय ब्याज सहित कर सकता है ।

५४—मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क आदि का वसूल किया जाना—इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि के संबंध में आसुधार शुल्क या वसूली के दिनांक तक उस पर देय किसी ब्याज के रूप में दी जाने वाली समस्त धनराशियां परिषद् द्वारा उक्त व्यक्ति या उसके स्वत्व-उत्तराधिकारी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

अध्याय ५

संम्पत्ति संविदा, और वित्त

ऐक्ट संख्या १, १८९४ ।

५५—भूमि अर्जित करने का अधिकार—(१) इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा अपेक्षित कोई भूमि या उसमें कोई स्वत्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट,

१८९४ के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया जा सकता है और वह ऐक्ट इस प्रयोजन के लिये इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन होगा ।

(२) यदि किसी भूमि की, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन आसुधार शुल्क लगाया गया हो, बाद में इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो तो इस प्रकार शुल्क लगाये जाने के कारण वह लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन भूमि का अर्जन करने में बाधा पड़ना न समझा जायगा । ऐक्ट संख्या १, १८९४

५६—अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार—ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें, परिषद्—

(१) किसी व्यक्ति के साथ अनुबन्ध करके, इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये अपने द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी स्वत्व को खरीद सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा उ[illegible]नियम कर सकती है ; या

(२) अपने में निहित अथवा अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि का प्रतिधारण कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसका विनिमय कर सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा अन्यथा उसका निस्तारण कर सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिये अर्जित किसी भूमि की बिक्री, विनिमय, पट्टे द्वारा या अन्य प्रकार से संक्रमण करने में, उस सीमा तक और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अधिमान उन व्यक्तियों को दिया जायगा जिनकी भूमि ऐसी योजना के लिये अर्जित की गयी हो ।

५७—संविदा, आदि करने और उसका सम्पादन करने का अधिकार—(१) परिषद् की ओर से सम्पत्ति की प्रत्येक संविदा या हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जायगा जो नियत की जायें ।

(२) इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी अनुबन्ध या संलेख का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे अनुबन्ध संलेख के निबन्धन से सम्बद्ध कि कार्यवाहियों में अथवा हस्ताक्षर करने के लिये किसी निबन्धन कार्यालय में स्वयं अथवा एजेन्ट द्वारा उपस्थित रहे, जैसा कि उक्त ऐक्ट की धारा ५८ में व्यवस्थित है : ऐक्ट संख्या १६, १९०८

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धन अधिकारी, जिसे ऐसा संलेख प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझे तो संलेख के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे आवास आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को भेज सकता है, और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर वह, उस संलेख को निबद्ध करेगा ।

५८—वित्तीय उपबन्ध—(१) परिषद् की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी ।

(२) परिषद् की निधि स्टेट बैंक आफ इंडिया या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में अथवा किसी अनुसूचित बैंक में रक्खी जायगी:

ऐक्ट संख्या २, १८८२

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात परिषद् को ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी ऐसे भाग का जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजन करने से रोकने वाली न समझी जायगी ।

(३) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है ।

(४) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें, परिषद किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह-निर्माण के लिये ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे, ऋण और अग्रिम धन दे सकती है ।

५९—ऋण-पत्र—(१) परिषद समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसी धनराशियों के लिये और ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर जो नियत किये जायें, ऋण-पत्र जारी कर सकती है ।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये किन्हीं भी ऋण-पत्रों के मूलधन और व्याज अथवा मूलधन या व्याज के भुगतान की ऐसी रीति से जो वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जब तक कि ऐसी कोई प्रत्याभूतियां प्रचलित रहें, प्रत्येक वर्ष बजट के सत्र में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में दी गयी प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हो, एक विवरण-पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हों, एक अद्यावधिक लेखा रक्खेगी जिनका भुगतान किन्हो ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण राज्य के राजस्व से किया गया हो अथवा जिनका भुगतान इस प्रकार दी गयी किसी धनराशि का प्रतिदान करने के निमित्त राज्य के राजस्व में किया गया हो ।

(३) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किये गये ऋणपत्र ऐसी रीति से जारी किये जायेंगे, संक्रमित किये जायेंगे, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा जो नियत की जाय ।

६०—ऋण का प्रतिदान—(१) परिषद्, अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के लिये ऐसी रीति से निक्षेप निधि स्थापित करेगी जो नियत की जाय ।

(२) प्रत्येक ऐसी निक्षेप निधि का अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय ।

(३) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिये, जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी हो, नियत रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाय तो अवश्य सृजन करेगी ।

६१—सरकार द्वारा अनुदान और ऋण—राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, परिषद् को अनुदान अथवा ऋण दे सकती है।

६२—सम्पत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क—(१) अचल सम्पत्ति के संक्रमण के किसी विलेख-पत्र पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ द्वारा आरोपित शुल्क, ऐसे क्षेत्र के, जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में संक्रमित सम्पत्ति के मूल्य पर, अथवा भोग बन्धक की दशा में संलेख द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा: एक्ट संख्या २, १८९९

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपरोलिखित प्रतिशत को पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

(२) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली सभी वसूलियां प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हों, काटने के पश्चात् सरकार द्वारा केवल परिषद् को अथवा, परिषद और यथास्थिति, नगर महापालिका या नगरपालिका बोर्ड को ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर ऐसी रीति से तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायें, अवधारित किया जाय, प्रदिष्ट और भुगतान की जायेंगी।

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की धारा २७ इस प्रकार पढ़ी जायगी मानों उसमें विशेष रूप से यह अपेक्षा की गयी हो उसमें अभिदिष्ट विवरण—

(क) उस क्षेत्र के, जहां यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) उस क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति, के सम्बन्ध में पृथक रूप से दिये जायें।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प, १८९९ की धारा ६४ इस प्रकार पढ़ी और समझी जायगी मानों उसमें परिषद् तथा राज्य सरकार दोनों का अभिदेश किया गया हो। ऐक्ट संख्या २, १८९९

(५) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ की उपधारा (२) के खंड (छ) और धारा १९१ के, तथा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८ के खंड (१३-बी) तथा धारा १२८-ए के उपबन्ध, उस सीमा तक जहां तक इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे इस धारा के उपबन्ध अभिभावी होंगे। उ०प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ यू०पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

६३—लेखे और लेखा-परीक्षा—(१) परिषद् वित्तीय वर्ष के दौरान के अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का विवरण-पत्र अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र, जैसी भी दशा हो, तथा उसके सम्बन्ध में वित्तीय अनुमान उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान में किसी भी समय तैयार कर सकती है, और उनको ऐसी रीति से तथा ऐसे दिनांक तक जो नियत किये जायें, राज्य सरकार को उसके पूर्व अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी।

(२) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखे रखेगी और पक्का चिट्ठा तैयार करेगी जो नियत किये जायें।

(३) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा-परीक्षक द्वारा एसी रीति से और ऐसे समयों पर की जायगी, जो नियत किये जायें, और इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने के ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जो नियत किये जायें।

(४) लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे अनुदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे, और परिषद् ऐसे अनुदेशों का पालन करेगी ।

(५) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (४) के अधीन प्राप्त परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) परिषद् के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी ।

अध्याय ६

न्यायाधिकरण

६४—न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघठन—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक या अधिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन परिषद् के लिये भूमि का अर्जन करने के अभिदेश में न्यायालय के कृत्यों का सम्पादन;

(ख) विवाद की दशा में और नियत रीति से अभिदेश किये जाने पर, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन परिषद द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण;

(ग) आसुधार शुल्क लगाने या उसके निर्धारण से सम्बद्ध अपीलों पर निर्णय;

(घ) धारा ३६ तथा ३७ और अध्याय ७ के अधीन अपीलों पर निर्णय; और

(ङ) ऐसे अन्य विषयों का, जो नियत किये जायें, निर्णय ।

(२) न्यायाधिकरण ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

(३) न्यायाधिरण में एक दीवानी न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न होगा ।

स्पष्टीकरण—पद "जिला न्यायाधीश" के अन्तर्गत कोई अपर जिला न्यायाधीश भी है ।

ऐक्ट संख्या ६, १९०८
ऐक्ट संख्या ५, १८९८
ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(४) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, न्यायाधिकरण को वही प्रतिकर प्राप्त होंगे, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन दीवानी न्यायालय में निहित हों, वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त कोड में निर्धारित हों, और कोड आफ क्रीमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ४८० और ४८२ के अर्थ में उसे दीवानी न्यायालय समझा जायगा, और न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी

(५) न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जायगा, जो नियत किया जाय ।

(६) न्यायाधिरण , राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सका है जिन्हें वह अपने कार्य-संचालन के लिये आवश्यक समझे, और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों का पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो नियत की जायें ।

(७) न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों को देय पारिश्रमिक परिषद की निधि से दिया जायगा ।

६५—विचाराधीन वादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन किसी सुधार योजना के सम्बन्ध में महापालिका के लिये भूमि का अर्जन करने के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई वाद जो इस अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) या धारा ४७ की उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन परिषद को संक्रमित किया जाय, ऐसे संक्रमण पर धारा ६४ के अधीन संघटित ऐसे न्यायाधिकरण को संक्रमित हो जायगा जिसका उक्त नगर के सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र हो और तदुपरान्त उक्त न्यायाधिकरण उस प्रक्रम से आगे की कार्यवाही करेगा जिस पर उसे इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया गया हो । उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

६६—न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना—(१) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन भूमि के अर्जन से सम्बद्ध वाद में न्यायाधिकरण का कोई अभिनिर्णय, उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायालय का अभिनिर्णय समझा जायगा और उक्त ऐक्ट की धारा ५४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा । ऐक्ट संख्या १, १८९४

(२) न्यायाधिकरण का इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य निर्णय अन्तिम होगा ।

६७—न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध—(१) धन का भुगतान करने के लिये, कब्जा देने के लिये या किसी संरचना (structure) को हटाने के लिये न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी अभिनिर्णय या अन्य आदेश को, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा २ के क्रमशः खंड (२) और खंड (९) के अर्थ में डिक्री, और ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के कारणों के कथन को निर्णय समझा जायगा । ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(२) प्रत्येक ऐसे अभिनिर्णय या आदेश में प्रत्येक पक्ष द्वारा किये गये व्ययों की धनराशि का तथा किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में उनका भुगतान किया जायगा, इसका भी उल्लेख होगा ।

(३) न्यायाधिकरण के अभिनिर्णय या आदेश पर कोई स्टाम्प शुल्क भारणीय नहीं होगा, और अभिनिर्णय या आदेश के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क पाने का हकदार होगा ।

(४) उपधारा (२) में अभिदिष्ट कोई अभिनिर्णय या आदेश ऐसा न्यायालय द्वारा निम्पादित किया जा सकेगा जो नियत किया जाय ।

अध्याय ७

परिषद् के भू-गृहादों से बेदखली और किराये तथा क्षति मूल्य की वसूली

ऐक्ट, संख्या ३, १९४७

६८—यू० पी० कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन ऐक्ट संख्या ३, १९४७ का अपवर्जन—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ के उपबन्ध परिषद द्वारा किराये पर दिये गये वास-स्थान पर लागू न होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसे वास-स्थान से बेदखल करने की अनुमति नहीं देगी जो उसके कब्जे में परिषद् द्वारा अर्जन करने के पहले से हो, किन्तु ऐसा उक्त ऐक्ट या धारा ६९ के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

ऐक्ट संख्या ४, १८८२ ऐक्ट संख्या ५, १९०८

६९—बेदखली और किराये, आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया—(१) ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८२२, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि—

(क) परिषद् के किसी भूगृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति ने—

(१) ऐसे भूगृहादि के सम्बन्ध में अपने द्वारा कानूनी तौर से देय किराया कम से कम तीन महीने तक नहीं दिया है; या

(२) परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना उक्त सम्पूर्ण भूगृहादि या उसके भाग को फिर से किराये पर दे दिया है; या

(३) स्पष्ट या अन्तर्निहित किन्हीं भी ऐसी शर्तों का, जिनके अधीन वह ऐसे भूगृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, उलंघन करके अन्यथा कार्य किया है;

(ख) किसी व्यक्ति का परिषद् के किसी भूगृहादि पर अनधिकृत रूप से कब्जा है,

तो नियत प्राधिकारी एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से एक लिखित नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें, वह उस व्यक्ति से, यदि कोई हो, जो सम्पूर्ण भूगृहादि या उसके किसी भाग पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत है और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसका उस पर कब्जा हो, यह कारण बताने की लिये कहेगा कि क्यों न बेदखली और बकाया किराया तथा क्षतिमूल्य की, यदि कोई हो, वसूली के लिये आदेश जारी किया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस में निम्नलिखित बातें दी होंगी—

(क) कारण, जिनके आधार पर बेदखली या बकाया किराया या क्षति मूल्य की वसूली के लिये आदेश देने का प्रस्ताव है; और

(ख) दिनांक ,जब तक प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जाय, ऐसा दिनांक नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन पूर्व न होगा, किन्तु नियत प्राधिकारी, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, नोटिस में या अन्यथा दावा की गयी धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे अतिरिक्त समय दे सकता है।

(३) नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन नोटिस, परिषद् के भूगृहादि के बाह्य द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, तामील करायेगा, और इसके बाद नोटिस समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को यथोचित रूप से दिया गया समझा जायेगा ।

(४) यदि नियत प्राधिकारी को यह ज्ञात हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति का परिषद के भूगृहादि पर कब्जा है, तो, उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज कर अथवा उसे देकर या ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, उस पर तामील करायेगा ।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण और उसके समर्थन में किसी साक्ष, जो वह प्रस्तुत करे, पर विचार करने के पश्चात और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (१) में उल्लिखित कोई परिस्थिति विद्यमान है, अथवा नोटिस जारी किये जाने के दिनांक को विद्यमान थी तो वह, उक्त प्रयोजन के लिये किये जाने वाले दिनांक को, कारणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश दे सकता है जिसमें यह निदेश दिया जायगा कि परिषद के भूगृहादि उन समस्त व्यक्तियों द्वारा खाली कर दिये जायें जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर कब्जा हो और यह भी आदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति किराये या क्षतिमूल्य की ऐसी बकाया धनराशि का भुगतान करे जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय ।

(६) यदि वह व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) या उप खंड (३) के अधीन कारण बताने के लिये कहा गया हो, अनुमत समय के भीतर परिषद् को छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित बकाया किराये और ऐसे व्ययों का, जो नियत किये जायें, भुगतान कर दे या, यथास्थिति, नियत प्राधिकारी के सन्तोषानुसार उन शर्तों के, जिनका उसने उल्लंघन किया हो, भंग करने के परिहार कर दे, तो नियत प्राधिकारी उपधारा (५) के अधीन ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय नोटिस को खारिज कर देगा, और तदुपरान्त ऐसा व्यक्ति उन्हीं शर्तों पर भूगृहादि धारण करता रहेगा, जिन पर वह ऐसा नोटिस उस पर तामील किये जाने के ठीक पूर्व उन्हें धारण करता था ।

(७) इस अध्याय के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हों, अर्थात्— ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायं,

और कोड आफ क्रिमनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ४८० और ४८२ के अर्थ में वह दीवानी न्यायालय समझा जायगा और ऐसी जांच में कोई कार्यवाही, इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी । ऐक्ट संख्या ५, १८९८

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(८) यदि कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन या ऐसे अधिकस मय के भीतर, जिसकी नियत प्राधिकारी अनुमति दे, उपधारा (५) के अधीन बेदखली के आदेश का पालन करने से इन्कार करता है अथवा पालन नहीं करता है, तो नियत प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस परिषद के भूगृहादि से बेदखल कर सकता है, और उसका कब्जा ले सकता है, और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो ।

(९) किराया या क्षतिमूल्य का कोई बकाया जिसका उपधारा (५) के अधीन भुगतान करने का आदेश दिया गया हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे व्यक्ति का परिषद् के किसी भूगृहादि पर कब्जा, जो उस प्राधिकार के, जिसके अधीन उसे भूगृहादि पर कब्जा करने की अनुमति दी गयी थी, यथोचित रूप से समाप्त होने के पश्चात् भी जारी रहे, "अनधिकृत कब्जा समझा जायगा" ।

७०---अपील---(१) नियत प्राधिकारी के धारा ६९ की उपधारा (५) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील दायर कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी नियत समय के भीतर पर्याप्त कारण से अपील न दायर कर सका ।

(२) यदि नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गयी हो तो न्यायाधिकरण उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, रोक सकता है ।

(३) न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के अधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा वाद को नियत प्राधिकारी के पास प्रति प्रेषित कर सकता है ।

७१---वेतन या मजदूरियों से कटौतियां करके किराये की वसूली---(१) यदि परिषद् का कोई भूगृहादि किसी ऐसे व्यक्ति को किराये पर दिया जाय जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी कारखाने या औद्योगिक अधिष्ठान में सेवायोजित हो, तो वह परिषद् के पक्ष में एक अनुबन्ध ऐसे प्रपत्र में निष्पादित कर सकता है जो नियत किया जाय, और उसमें इस बात की व्यवस्था होगी कि राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य सेवायोजक, जैसी भी दशा हो, जिसके द्वारा वह सेवायोजित हो, उसे देय वेतन या मजदूरी से ऐसी धनराशि, जो अनुबन्ध में निर्दिष्ट की जाय, काटने के लिये और इस प्रकार काटी गयी धनराशि के परिषद् को, ऐसे भूगृहादि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय किराये के निस्तारण के रूप में भुगतान करने के लिये सक्षम होगा ।

(२) ऐसा अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य सेवायोजक, जैसी भी दशा हो, यदि परिषद् द्वारा लिखित रूप में अपेक्षा की जाय, तो कर्मचारी के वेतन या मजदूरी से अनुबन्ध के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का भुगतान परिषद् को करेगा ।

स्पष्टीकरण:—पद "कारखाना" और "औद्योगिक अधिष्ठान" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में क्रमश: पद "factory" और "industrial establishment" के लिये दिये गये हों। ऐक्ट संख्या ४, १९३६

७२—न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक—नियत प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के किसी ऐसे आदेश पर, जो इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करके दिया गया हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायगी।

अध्याय ८

अपराध और शास्तियां

७३—योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिये शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा २३ की उपधारा (३) के खण्ड (क), धारा २४ की उपधारा (४), या धारा ३५ के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भवन का निर्माण, या पुनर्निर्माण करे, या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करे तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

७४—ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिह्न हटाने के लिये शास्ति—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ परिषद् ने ठेका किया हो, अपने कर्त्तव्य अथवा किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रुकावट डाले अथवा व्यथित करे जिसे वह इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के आधार पर या उसके परिणाम स्वरूप करने के लिये अधिकृत अथवा जिसकी उससे इस प्रकार अपेक्षा की गयी हो ; या

(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजन के लिये लगाये गये किसी ऐसे चिन्ह को हटाये जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक हो तो, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

७५—परिषद् के साथ ठेके आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति—यदि परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या सेवायोजन में अर्थ–संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश अथवा स्वत्व अर्जित करे, जो ऐसा अंश या स्वत्व न हो, जो अध्यक्ष अथवा सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित न करता हो, या

यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या, जहां तक इसका संबंध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर, किसी सेवायोजन में, धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (१) या (२) में उल्लिखत अंश या स्वत्व

से भिन्न, अर्थ-संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे, तो, उसे साधारण कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक का हो सकता है, या अर्थदण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

७६---अन्य मामलों में शास्ति---यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या किसी नियम अथवा विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो उसे, यदि ऐसे उल्लंघन के लिये कोई अन्य शास्ति की व्यवस्था न की गयी हो, अर्थ दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो उसे अतिरिक्त अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्ध दोष ठहराये जाने के पश्चात् उलंघन जारी रहे, पचीस रुपये तक हो सकता है ।

७७---अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व---(१) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया जाय, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहरानेवाला न्यायालय, परिषद् द्वारा तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, तुरन्त ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये कार्य से हुई क्षति के लिये, जिसके संबंध में वह सिद्ध-दोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करे ।

(२) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी कारण पर विचार करेगा और, ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जो वह अवधारित करे, भुगतान परिषद् को किया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन भुगतान किये जाने के लिये निदेशक प्रतिकर की धनराशि अर्थ-दण्ड के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

७८---कम्पनियों द्वारा अपराध---(१) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करनेवाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके दोषी प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसे ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा में दी गयी किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा :

(२) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई ऐसा अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये---

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी हैं ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझेदार से है।

७९—प्रक्रिया—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद न किया जाय अथवा उसे सूचना प्राप्त न हो।

(२) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

८०—पुलिस अधिकारियों के कर्त्तव्य—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित तथा प्रचलित करने के लिये आवास आयुक्त को सहयोग दे ;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के विरुद्ध किये जाने वाले अथवा किये गये किसी अपराध की कोई सूचना, जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अविलम्ब दे; तथा

(ग) आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दे जिसकी वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन अपने में निहित किसी अधिकार का विधि संगत प्रयोग करने के लिये उससे अपेक्षा करे।

८१—अपराधों का अभिसंधान करना—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभिसन्धान, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात् आवास आयुक्त द्वारा या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों पर जो, यथास्थिति, आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जा सकता है।

अध्याय ९

विविध

८२—अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार—(१) आवास आयुक्त नोटिस देकर धारा ७३ में अभिदिष्ट भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे भवन का आगे निर्माण करना रोक दे और उसमें ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायें, परिवर्तन करे, या उसे गिरा दे।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाय तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में यथास्थिति, परिवर्तन करा सकता है अथवा उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में जो व्यय हुआ हो उसे वह उसके स्वामी से ऐसी रीति से वसूल कर सकता है जो नियत की जाय।

८३—स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन—राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके संबंध में आवास या सुधार योजना, प्रचलित हो, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि उस अवधि में

जिसमें योजना प्रचलित रहे, ऐसे अधिकार और कृत्य जो किसी स्थानीय प्राधिकरण या उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उस अधिनियम के अधीन जिसके द्वारा ऐसा स्थानीय प्राधिकरण संचालित हो प्रयोग्य हों, ऐसे निबन्धनों तथा परिष्कार के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, यथास्थिति, परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा प्रयुक्त तथा संपादित किये जायेंगे ।

८४—प्रवेश करने का अधिकार—(१) आवास आयुक्त या उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना किसी भूमि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने ;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने ;

(ङ) चिन्ह बनाकर और खाइयां काकटर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने; या

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस प्रकार प्रवेश न किया जायगा ;

(ख) किसी निवास गृह या स्थान में उस पर काबिज व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की चौबीस घंटे से कम की सूचना पर, बिना उसकी सहमति के प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(ग) गृह के किसी भाग पर काबिज महिलाओं को हटने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायगी ; और

(घ) जिस भूगृहादि में प्रवेश किया जाय उसके काबिजों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का जहां तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायगा ।

(२) जब कभी आवास आयुक्त या उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो, वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय-उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाले क्षति, यदि कोई हो, कि पूर्ति करेगा या भुगतान के लिये प्रस्तुत करेगा ; और यदि इस प्रकार भुगतान की गयी अथवा प्रस्तुत धनराशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद हो तो वह, विवाद को तुरन्त परिषद् को अभिदिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।

८५—प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य अधिकार—किसी ऐसे मामले में, जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो, परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति को समुचित प्रतिकर का भुगतान कर सकती है, जिसे परिषद् या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक में इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निहित किसी अधिकार का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुंची हो ।

८६—अध्यक्ष, आदि लोक-सेवक समझे जायेंगे—आवास आयुक्त, अध्यक्ष, परिषद् के समस्त सदस्य, अधिकारी और सेवक, इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों के सदस्य, न्यायाधिकरण, नियत प्राधिकारी तथा समस्त अन्य व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने का कार्य सौंपा गया हो, इंडियन पिनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक-सेवक समझे जायेंगे ।

८७—सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण—कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् अथवा उसकी किसी समिति, आवास आयुक्त या राज्य सरकार अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो । ऐक्ट संख्या ४५, १८६० ।

८८—वाद और विधिक कार्यवाहियां—(१) आवास आयुक्त, परिषद् की ओर से और उसके नियन्त्रण के अधीन रहते हुये—

(क) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को संस्थित कर सकता है अथवा उनका प्रतिवाद कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है; और

(ख) किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके संबंध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है ।

(२) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अधीन की गयी अथवा किये गये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्यवाही के संबंध में परिषद् या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा, जब तक कि, यथास्थिति, परिषद्, आवास आयुक्त या ऐसे अधिकारी अथवा सेवक को ऐसे लिखित नोटिस देने अथवा उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गयी हो, जिसमें वाद-कारण, इच्छुक वादी का नाम और निवास-स्थान, तथा अनुतोष जिसका वह दावा करे, का उल्लेख होगा और वादपत्र में यह भी लिखा जायगा कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है अथवा छोड़ दिया गया है ।

८९—परिषद् के लेख्यों को सिद्ध करने की रीति—(१) परिषद् के कब्जे की किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या कोई रसीद, प्रार्थना पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथावत् प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी, जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता ।

(२) परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें परिषद् एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा आदेश देना आवश्यक न समझे ।

९०—स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा परिषद् को कर-निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियां दी जायेंगीं—स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य का कार्यकारी अधिकारी, आवास आयुक्त के अनुरोध पर, उसे स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर निर्धारण की सूची की प्रतिलिपि अथवा उसका उद्धरण देगा ।

९१—देयों और शास्तियों की वसूली की रीति—इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति के अतिरिक्त शास्ति, क्षति मूल्य, कर या शुल्क के रूप में देय कोई धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकने योग्य हो, अथवा किराये या अधिमूल्य के कारण अथवा गृह-निर्माण या सुधार के लिये परिषद् द्वारा दिये गये ऋण, अथवा क्रय-विक्रय पर बेचे गये गृहों के मूल्य के रूप में परिषद् को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

अध्याय १०
वाह्य नियन्त्रण

९२—परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों पर राज्य सरकार का नियन्त्रण—

(१) परिषद्—

(क) राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन और विवरणियां, ऐसे प्रपत्रों में और ऐसे अन्तरालों पर प्रस्तुत करेगी जो नियत किये जायें ;

(ख) राज्य सरकार को परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी विषय के संबंध में ऐसे लेख्य, विवरणियां, विवरण–पत्र अनुमान प्रस्तुत करेगी या अन्य सूचना देगी जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाय ।

(२) राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों; और तदुपरान्त परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे ।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में, परिषद् को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त आवश्यक या इष्टकर हों; और तदुपरान्त स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्त्तव्व होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।

९३—परिषद् का विघटन—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में असफल रही है अथवा किसी अन्य कारण से परिषद् को कायम रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय ।

(२) परिषद् के विघटन के संबंध में उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर—

(क) परिषद् का अध्यक्ष और समस्त सदस्य विघटन के दिनांक से अपने पदों को रिक्त कर देंगे ;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य जिनका, प्रयोग तथा सम्पादन परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जाय, विघटन के दिनांक से, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तथा सम्पादित किये जायेंगे जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे ।

(ग) परिषद् में निहित निधि तथा अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगीं; और

(घ) समस्त दायित्व, जो परिषद् के विरुद्ध विधितः विद्यमान हों, या प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक परिषद् की निधि और संपत्तियां उसमें निहित हों ।

(३) इस धारा की किसी बात से धारा ५९ की उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण-पत्रों के संबंध में उसके दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय ११

नियम और विनियम

९४—नियम बनाने का अधिकार—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक और परिषद् तथा आवास समितियों के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों;

(ख) आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें ;

(ग) इकाइयों की आय तथा व्यय के लेखे रखने की रीति, जिसके अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के बीच सामान्य आय और व्यय का विभाजन भी है ;

(घ) आवास समितियों का संघटन और वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिनके अनुसार उसके सदस्य पद धारण करेंगे ;

(ङ) विषय जिन पर परिषद् आवास समिति से परामर्श करेगी ;

(च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखना;

(छ) धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन परिषद् द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान ;

(ज) आवास या सुधार योजना में व्यवस्थित किये जाने वाले विषय;

(झ) धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (ख), धारा २४ की उपधारा (५) और धारा ४३ की उपधारा (२) के अधीन परिषद् द्वारा प्रतिकर का अवधारण और भुगतान और उसके संबंध में विवाद की दशा में न्यायाधिकरण को अभिदेश करने की प्रक्रिया;

(ञ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, तथा व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों जिन पर धारा २९ के अधीन नोटिस तामील किया जायगा;

(ट) वे बातें जिन पर धारा ३७ की उपधारा (२) के अधीन विचार किया जायगा, वह समय जिसके भीतर उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन घोषणा की जा सकेगी उपधारा (५) के अधीन योजनायें, अनुमान तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा उपधारा (७) के अधीन सूचना दी जा सकेगी और रीति जिसके अनुसार उपधारा (६) के अधीन सूचना दी जायगी;

(ठ) धारा ३५ की उपधारा (२), धारा ३६ की उपधारा (७) और धारा ५१ की उपधारा (४) के अधीन अपीलों के लिये अवधि;

(ड) ब्याज की दर जिस पर और किस्तें जिनमें धारा ३६ की उपधारा (२) के अधीन सुधार के व्ययों को वसूल किया जायगा;

(ढ) रीति जिसके अनुसार और सीमा जहां तक, धारा ३६ की उपधारा (६) के अधीन वैकल्पिक गृह-स्थान अर्पित किया जायगा,

(ण) न्यायाधिकरण और नियत प्राधिकारी द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) धारा ५१ की उपधारा (२) के अधीन आसुधार शुल्क निर्धारित करने की रीति;

(थ) धारा ५२ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अनुमत छूट तथा उपधारा (२) के अधीन देय ब्याज की दर;

(द) धारा ५३ की उपधारा (३) के अधीन किसी किस्त का भुगतान करने के लिये अनुग्रह अवधि;

(ध) शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए परिषद् अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित कर सकती है;

(न) वह सीमा जहां तक और वह रीति जिसके अनुसार अनुबन्धि द्वारा भूमि का निस्तारण करते समय उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायगा जिनकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिये अर्जित की गयी हो;

(प) परिषद् की ओर से संविदाओं और हस्तांतरण-पत्रों का निष्पादन करने के लिये प्राधिकारी और उनके निष्पादन करने की रीति ;

(फ) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये, परिषद् ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है ;

(ब) परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और रीति जिसके अनुसार ऐसे ऋण-पत्र जारी व संक्रमित किये जायेंगे, तथा उनके संबंध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा;

(भ) शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए परिषद् ऋण और अग्रिम धन दे सकती है ;

(म) निक्षेप निधि की स्थापना, अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग, तथा धारा ६० की उपधारा (३) के अधीन न्यास का सृजन;

(य) रीति और सिद्धांत जिनके अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की शुद्ध वसूलियां धारा ६२ की उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद् और नगरमहापालिका या नगरपालिका बोर्ड को प्रदिष्ट की जायेंगी अथवा दी जायेंगी;

(कक) परिषद् के कार्यकलापों के कार्य-क्रम के विवरण-पत्र तथा अनुपूरक विवरण-पत्र और उनके संबंध में वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करने की रीति और दिनांक जब तक वे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;

(खख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार परिषद् का पक्का-चिट्ठा और उसके लेखे तैयार किये या रखे जायेंगे;

(गग) लेखा-परीक्षकों की अर्हतायें या विशिष्टियां, लेखा-परीक्षा करने की रीति और उसके अन्तराल, लेख्यों का अधियाचन करने और सूचना मांगने के संबंध में लेखा-परीक्षकों के अधिकार, तथा वे विषय जिनके संबंध में वे लेख्य प्रस्तुत किये जाने और सूचना दी जाने की अपेक्षा करें;

(घघ) परिषद् के लेखे को प्रकाशित करने की रीति ;

(ङङ) विषय जिनका निर्णय न्यायाधिकरण धारा ६४ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन कर सकता है;

(चच) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें;

(छछ) न्यायालय जो धारा ६७ की उपधारा (४) के अधीन न्यायाधिकरण के किसी अभिनिर्णय या आदेश का निष्पादन करेगा;

(जज) धारा ६९ की उपधारा (६) के अधीन कार्यवाहियों में देय व्यय;

(झझ) विषय, जिनके संबंध में नियत प्राधिकारी को, धारा ६९ की उपधारा (७) के अधीन दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे ;

(ञञ) धारा ७१ के अधीन अनुबन्ध का प्रपत्र ;

(टट) रीति, जिसके अनुसार धारा ८२ की उपधारा (२) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा परिवर्तन करने या गिराने के व्यय वसूल किये जा सकते हैं;

(ठठ) प्रपत्र जिनमें और अन्तराल जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विवरणियां और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे;

(डड) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उनको तामील करने की रीति;

(ढढ) कोई विषय जिसके लिये धारा ९५ के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जाय ;

(णण) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन नियम बनाये जायें अथवा बनाये जा सकते हैं ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

९५—विनियम बनाने का अधिकार—(१) परिषद् गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है—

(क) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों का समय तथा स्थान और उनको बुलाने की रीति तथा उनका प्रास्थगन और स्थगन ;

(ख) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों की प्रक्रिया और कार्य संचालन ;

(ग) समितियों की नियुक्ति, उनका संघटन और प्रक्रिया ;

(घ) आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान ;

(ङ) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्य;

(च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा की शरतें ;

(छ) निर्माण-कार्यों के लिए योजनायें और अनुमान तैयार करना ;

(ज) आय-व्ययक तथा अनुमान तैयार करना;

(झ) वह प्राधिकार, जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है ;

(ञ) सार्वजनिक नोटिसों के प्रकाशन की रीति ;

(ट) नोटिसों, बिलों तथा अन्य लेख्यों पर आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मोहर लगाना ;

(ठ) परिषद् द्वारा जारी किये गये लेख्यों, अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिये देय शुल्क;

(ङ) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और प्रदेशन,

(ढ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हो अथवा की जाय ।

(२) यदि कोई विनियम, किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम, चाहे वह विनियम के पहले बनाया गया हो अथवा बाद में, अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा ।

अध्याय १२

निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध

९६—निरसन और अपवाद—इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९, यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, १९२० और १९४८ ई० का यूनाइटेड प्रॉविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट उस क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में निरस्त हो जायेंगे और किसी अन्य प्रचलित विधि में यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अधीन संघटित किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के चेयरमैन का समस्त उल्लेख उस क्षेत्र के संबंध में क्रमशः परिषद् और आवास आयुक्त के संबंध में उल्लेख समझा जायगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९
यू० पी० ऐक्ट संख्या २०, १९२०
संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७, १९४८ ई०

(२) इस अधिनियम के अधीन मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ ऐसी योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में निरस्त हो जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १८, १९६२

(३) इस अधिनियम के अधीन भावी सड़क योजना, प्रसार योजना या मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८, ऐसी योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में निरस्त हो जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

९७—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम—(१) इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उस क्षेत्र या उसके भाग के लिये संघटित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विघटित हो जायगा और उसकी समस्त परिसंपत्तियां तथा दायित्व परिषद् को संक्रमित और उसमें निहित हो जायेंगी ।

(२) किसी भूमि के संबंध में आसुधार कर जिसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नियत दिनांक के ठीक पूर्व लगाने, निर्धारित या वसूल करने का हकदार रहा हो, परिषद् द्वारा लगाया, निर्धारित अथवा वसूल किया जा सकता है मानों वह इस अधिनियम के अधीन लगाये जाने योग्य कोई आसुधार शुल्क हो ।

(३) यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अधीन प्रत्येक योजना और उससे सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां, जिसके अन्तर्गत आसुधार कर लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने की कार्यवाहियां, भी हैं, जो नियत दिनांक को विचाराधीन हों, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी जो इस अधिनियम के तदनुरूप उपलब्धों के अनुसार योजना अथवा उसके निष्पादन या उससे सम्बद्ध आसुधार कर लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने के संबंध में आगे की कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगी, जिस पर वह उसे संक्रमित की गयी हों;

यू० पी० ऐक्ट ८, १९१९

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, यदि उचित समझे तो उक्त ऐक्ट के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन नये सिरे से उपाय या कार्यवाही कर सकती है ।

स्पष्टीकरण—सन्देह होने की दशा में, पद-"इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य उस उपबन्ध से है जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिये तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट किया जाय ।

(४) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की जाय, किसी भी प्रकार की सभी संविदायें, अनुबन्ध तथा अन्य संलेख जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान हों, अथवा प्रभावी हों, और जिनमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक पक्ष हो अथवा जो ऐसे ट्रस्ट के पक्ष में हों, यथास्थिति, परिषद् के विरुद्ध या पक्ष में प्रचलित और प्रभावी होंगे और उन्हें प्रचलित किया जा सकता है या उन पर कार्यवाही की जा सकती है मानों इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बजाय परिषद् उनमें एक पक्ष रहा हो अथवा मानों वे परिषद् के पक्ष में किये गये हों ।

(५) यदि नियत दिनांक को किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही विचाराधीन हो तो उसे परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विधिक कार्यवाही" के अन्तर्गत लैंड एक्वाजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कोई कार्यवाही भी सम्मिलित है ।

(६) किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी, नियत दिनांक को और उसी दिनांक से, परिषद् का कर्मचारी हो जायगा तथा उसी कार्यकाल के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और आनुतोषिक यदि कोई हो, तथा अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा जो वह नियत दिनांक को धारण किये होता, यदि वह अधिनियम प्रचलित न हुआ होता, और वह तब तक इस प्रकार पद धारण करता रहेगा जब तक कि परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक, शर्तों तथा प्रतिबन्धों में यथोचित रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय ।

(७) यदि नियत दिनांक के ठीक पूर्व किसी व्यक्ति का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का पूर्णकालिक कर्मचारी होने अथवा न होने या उसके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के संबंध में कोई विवाद उठे तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

(८) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के किसी कर्मचारी की सेवायें परिषद् को संक्रमित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(९) यदि किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की हो तो नियत दिनांक को किसी ऐसी निधि में जमा धनराशियां, ऐसी निधि की अन्य परिसंपत्तियों सहित, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी और उसमें निहित हो जायेंगी ।

९८—कठिनाइयां दूर करने का अधिकार—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में निर्दिष्ट अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से, जो कि नियत दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो ।

(३) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश नियत दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायगा ।

(४) उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश, यथासंभव शीघ्र, राज्य-विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

अनुसूची

[धारा ५५ देखिये]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ (जिसे आगे "उक्त ऐक्ट" कहा गया है) में परिष्कार । ऐक्ट संख्या १, १८९४

उक्त ऐक्ट की धारा ३ का संशोधन

१—उक्त ऐक्ट की धारा ३ के खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये गये समझे जायें, अर्थात्—

(झ) "स्थानीय प्राधिकरण" के अन्तर्गत परिषद् भी है;

(ञ) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् है ।"

इस अधिनियम की धारा २३, २८, ३२ और ३३ के अधीन नोटिसों का प्रभाव

२—(१) इस अधिनियम की धारा २८ के अधीन किसी आवास या सुधार योजना का सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशित नोटिस, उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सम्बद्ध स्थल तथा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा ४ या ६ के अधीन पहले घोषणा की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित हो ।

(२) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दिशा में इस अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (ग) के अधीन किया गया नोटिस और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) या उपधारा (४), जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त ऐक्ट की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी, तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि अंतिम उल्लिखित धारा के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित न हो ।

(३) ऐसे मामले में जिसमें उप पैरा (१) या उपपैरा (२) लागू होता हो, इस अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (२) के अधीन या धारा ४९ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति का, जिसमें अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा में परिष्कार करना अन्तर्ग्रस्त हो यह प्रभाव होगा कि उससे उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति और धारा ६ के अधीन घोषणा तदनुरूप परिष्कृत हो जायगी, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार का मूल विज्ञप्ति या घोषणा के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

उक्त ऐक्ट में नयी धारा १७-ए का बढ़ाया जाना

३--उक्त ऐक्ट की धारा १७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी गयी समझी जाय, अर्थात्---

भूमि का परिषद् को संक्रमण

"१७-क-धारा १६ या १७ में अभिविष्ट प्रत्येक वाद में कलेक्टर अर्जन के व्यय भुगतान किये जाने पर भूमि का भार आवास आयुक्त अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप देगा और तदुपरान्त भूमि परिषद् में उसके (परिषद् के) इस दायित्व के अधीन रहते हुये निहित हो जायगी कि वह किसी अग्रेतर व्यय का भुगतान करे जो उसके अर्जन के कारण पड़े"

उक्त ऐक्ट की धारा २३ का संशोधन

४--उक्त ऐक्ट की धारा २३ में---

(१) प्रथमतः खंड के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायगा:---

"स्पष्टीकरण---जब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन आवास अथवा सुधार योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जाय तो उपयुक्त किसी भी मामले में बाजार-मूल्य का अवधारण करने में, यदि उक्त अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (क), धारा २४ की उपधारा (४) या धारा ३५ के उपबन्धों का उलंघन करके किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन किया गया हो तो ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण परिवर्द्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हो जाने वाली वृद्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया जायगा:

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) बढ़ा दी जाय अर्थात्---

(२) न्यायालय प्रत्येक मामले में अनिवार्य अर्जन को ध्यान में रखते हुये भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर व्यवस्थित है, ऐसे बाजार मूल्य का १५ प्रतिशत प्रतिकर दिलाने का अभिनिर्णय देगा ।

उक्त ऐक्ट की धारा ४९ का संशोधन

५---उक्त ऐक्ट की धारा ४९ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी-उपधारा बढ़ा दी गयी समझी जाय, अर्थात्

"(१-क) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये भूमि को किसी मकान का भाग समझा जायगा जिस पर उक्त मकान स्थित हो तथा जो उससे संलग्न हो तथा जो मकान उपभोग तथा प्रयोग करने के न्यायोचित रूप से अपेक्षित हो ।"

उद्देश्य और कारण

ग्रामीण क्षेत्रों से नागर क्षेत्रों में लोगों के प्रवास करने, विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यं के बढ़ते हुए प्रभाव के फलस्वरूप तथा अन्य कई कारणों से इस राज्य के नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। किन्तु नगरों की तेजी से बढ़ती हुई इस जनसंख्या के अनुरूप नये मकानों का निर्माण तथा उनका सुनियोजित विकास नहीं हुआ है। इस दिशा में जो प्रयास राज्य सरकार, नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों, विकास परिषद् (डेवलपमेंट बोर्ड) तथा अन्य छोटी स्थानीय निकायों ने किये हैं उनमें प्रभावपूर्ण समन्वय तथा नियंत्रण न होने से वांछित सफलता नहीं मिली है : उक्त स्थानीय निकायों के संसाधन तथा उनका ज्ञान सीमित होने से और कुछ अन्य कारणों से भी वे मकानों की कमी को दूर करने तथा भूमि का आवश्यक विकास कार्य आरम्भ करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। इस राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास कार्य के लिये काफी गुंजाइश है, किन्तु वे अब भी वैसे ही पड़े हैं जैसे वे लगभग दस वर्ष पहले थे। तेजी से बढ़ने वाले प्रायः समस्त नागर क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों को, जहां विकास कार्यं के लिए गुंजाइश है, आवास तथा विकास समस्या को हल करने के लिए अब यह नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है कि पूरे राज्य के लिए आवास एवं विकास परिषद् नामक एक स्वशासित केन्द्रीय निकाय बनाया जाय। तदनुसार, "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक" नामक एक व्यापक विधेयक राज्य में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन तथा कार्य करने की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। यह विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जा रहा है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ में राज्य की संहत निधि पर विशेष रूप से कोई व्यय भारित नहीं है। फिर भी, इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें, कुछ सीमा तक राज्य की संहत निधि से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यय हो सकता है। संगत खण्डों का उल्लेख नीचे किया गया है—

खण्ड ५९—इस खण्ड का सम्बन्ध परिषदों के राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर और उसके पूर्व अनुमोदन से ऋण-पत्रों को जारी करने के प्राधिकार से है। चूंकि परिषद राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर ऋण-पत्रों को जारी करेगी, इसलिए इस खण्ड के अधीन राज्य की संहत निधि से व्यय उस दशा में हो सकता है जब कभी कोई प्रत्याभूति वापस ली जाय और उस सीमा तक परिषद् किसी ऋण-पत्रों या किन्हीं ऋण-पत्रों (मूलधन तथा ब्याज दोनों) के सम्बन्ध में देय किसी ऐसी धनराशि को भुगतान न कर सके, जिसे इस समय अवधारित नहीं किया जा सकता।

खण्ड ६१—इस खण्ड के अनुसार राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे, विधेयक में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, परिषद् को अनुदान अथवा ऋण दे सकती है। इस उपबन्ध से राज्य की संहत निधि में से व्यय हो सकता है, क्योंकि इसमें ऋण के अतिरिक्त अनुदान भी हैं। इस खण्ड का मूल आशय यह है कि भारत सरकार से विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त ऋण तथा राज्य सहायता परिषद् को विशिष्ट शर्तों पर दी जायगी। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भ में परिषद् को ऋण की आवश्यकता हो सकती है जिससे कि वह अपना कार्य प्रारम्भ कर सके।

खण्ड ६२—इस खण्ड का सम्बन्ध अचल सम्पत्ति के संक्रमण के किसी विलेख-पत्र पर परिषद् द्वारा २ प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क (जो सरकार की पूर्व स्वीकृति से पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है) लगाने से है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह भी व्यवस्था है कि उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली सभी वसूलियां प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हों, काटने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा केवल परिषद् को अथवा, परिषद् और यथा-स्थिति, नगर महापालिका या नगरपालिका बोर्ड को ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर ऐसी रीति से तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायें, अवधारित किया जाय, प्रदिष्ट और भुगतान की जायगी। प्रासंगिक व्यय जो सरकार द्वारा किए जायं, काट लिए जायेंगे, इसलिए इस उपबन्ध से राज्य की संहत निधि में से कोई व्यय नहीं हो सकता है।

खण्ड ९१—इसका सम्बन्ध देयों और शास्तियों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली की रीति से है। परिषद् के इस दायित्व को पूरा करने में, राज्य के सरकारी सेवकों को जो देयों आदि की वसूली में सामान्यतया लगे हों, परिषद् की देयों तथा शास्तियों की वसूली के लिए समय देना होगा, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से यह मतलब है कि राज्य की संहत निधि में से कुछ व्यय होगा। ऐसा अपेक्षित है कि सरकार वसूल की गयी धनराशि परिषद् को देने के पूर्व उसमें से वसूली व्यय काट लेगी।

खण्ड ९३—इस खण्ड में परिषद् का विघटन करने की व्यवस्था है। इस खण्ड के उप-खण्ड (२) (घ) के अनुसार, समस्त दायित्व जो परिषद् के विघटन के समय उसके विरुद्ध विधितः विद्यमान हों या प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक प्रवर्तनीय किए जा सकते हैं जिस सीमा तक ऐसे विघटन पर परिषद् की निधि तथा सम्पत्तियां सरकार में निहित हों। इस प्रकार यहां राज्य सरकार का वैधिक दायित्व होगा, यद्यपि इससे राज्य की संहत निधि से कोई व्यय होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि दायित्व परिषद् की निधि और सम्पत्तियों की सीमा तक सीमित होगा।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है।

२—खण्ड ९८ के उपखण्ड (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सीमित अवधि के लिए विधेयक के, जैसा कि वह विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित किया जाय, उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त आदेश जारी करें। इस खण्ड के उप-खण्ड (४) के अधीन प्रत्येक ऐसे आदेश को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखना अपेक्षित होगा।

३—खण्ड ९४ में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यतया विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, और विशेषतया उसके उपखण्ड (२) में दी गयी कतिपय बातों के लिए नियम बनाये। ये नियम विधेयक में, जैसा कि वह विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों का उचित ध्यान रखते हुए उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त बनाये जायेंगे। विधान मण्डल को इन नियमों का परीक्षण और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि इस खण्ड के उप-खण्ड (३) में इस बात की व्यवस्था की जारही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल १४ दिन की अवधि के लिए रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहेंगे जिन्हें करने के लिए विधान मण्डल के दोनों सदन सहमत हों।

४—उपर्युक्त खण्डों के अतिरिक्त, विधेयक में ऐसे भी कुछ अन्य खण्ड हैं जिनमें प्रतिनिहित विधायन की विशिष्ट प्रस्थापनायें हैं, जिन्हें खण्ड ९४ (२) में दिया गया है। उन्हें नीचे स्पष्ट किया जाता है—

खण्ड ६—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा पारिश्रमिक नियत करे जो अध्यक्ष को, यदि वह आवास आयुक्त न हो, दिया जा सके।

खण्ड ७ (२)—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवास आयुक्त की सेवा सम्बन्धी शर्तें नियत करे।

खण्ड १० (१)—इस खण्ड के उप-खण्ड (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवास समिति के अध्यक्ष को छोड़ कर उसके सदस्यों की संख्या, तथा ऐसी शर्तें नियत करे जिन पर वे नियुक्त किये जायें।

(२) इस खण्ड के उप खण्ड (३) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे विषयों को नियत करे जिन पर परिषद् आवास समिति से परामर्श करेगी।

खण्ड १७—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस खण्ड के उप-खण्ड (क) से (थ) में निर्दिष्ट विषयों के अलावा ऐसे विषयों को नियत करे जिनकी किसी आवास या सुधार योजना में व्यवस्था की जाय।

खण्ड २९—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा प्रपत्र और रीति नियत करे जिसमें, व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर तथा जिसके अनुसार परिषद् किसी आवास या सुधार योजना के सम्बन्ध में खण्ड २८ के अधीन नोटिस तामील करे।

खण्ड ३५ (२)—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय नियत करे जिसके भीतर आवास आयुक्त के उप खण्ड (१) के अधीन अनुज्ञा न देने अथवा शर्तें या प्रतिबन्ध आरोपित करने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति परिषद् को अपील कर सके।

खण्ड ३६—(१) उप खण्ड (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ब्याज की दर नियत करे, जो आवास आयुक्त खण्ड ३६ के उप खण्ड (ग) के अधीन कराये गये किसी सुधार कार्य पर किये गये व्यय पर ऐसे व्यय की मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक, वसूल कर सके, और ऐसी किस्तें भी, जिनमें परिषद् द्वारा वह वसूल किया जा सके।

(२) उप खण्ड (६) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति तथा सीमा नियत करे जिसके अनुसार तथा जहाँ तक, आवास आयुक्त किसी भवन के ऐसे काबिज को अस्थायी वैकल्पिक गृह-स्थान दे, जिसे खण्ड ३६ के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में उक्त भवन खाली करने का आदेश किया जाय।

(३) उप खण्ड (७) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी अवधि नियत करे जिसके भीतर उप खण्ड (२), (३), (४) या (५) के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सके।

खण्ड ३७—(१) उप खण्ड (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी प्रक्रिया नियत करे जिसका अनुसरण खण्ड ३७ के उप खण्ड (१) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा किया जाय।

(२) उप खण्ड (२) (ग) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उप खण्ड २ (क) और (ख) में उल्लिखित बातों से भिन्न ऐसी बातें नियत करे जिसे नियत प्राधिकारी उप खण्ड (१) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने के समय ध्यान में रक्खे।

(३) उप खण्ड (३) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय नियत करे जिसके भीतर नियत प्राधिकारी के उप खण्ड (१) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सके।

(४) उप खण्ड (४) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय नियत करे जिसके भीतर, कोई सुधार-कार्य करने के अथवा भवन को गिराने और उसका पुनर्निर्माण करने के प्रयोजनार्थ लिये गये भवन से बेदखल किया गया किराएदार यह घोषणा कर सके कि यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात् उस भवन का दखल उसे फिर से दे दिया जाय।

(५) उप खण्ड (५) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय नियत करे जिसके भीतर नियत प्राधिकारी भवन के स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि वह नियत प्राधिकारी को योजनायें आदि प्रस्तुत करे।

(६) उप खण्ड (६) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार उप खण्ड (५) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराए की सूचना किराएदार तथा स्वामी को दी जायेगी।

(७) उप खण्ड (६) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय नियत करे जिसके भीतर उप खण्ड (८) के अधीन किराए के अवधारण से क्षुब्ध पक्ष न्यायाधिकरण को अपील कर सके।

खण्ड ५१—(१) उप खण्ड (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार परिषद् किसी व्यक्ति द्वारा देय आसुधार शुल्क अवधारित करे।

(२) उप खण्ड (४) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय जिसके भीतर तथा ऐसी रीति जिसके अनुसार उप खण्ड (२) के अधीन परिषद् के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण को अपील कर सके, नियत करे।

खण्ड ५२—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी छूट नियत करे जो किसी भी समय आसुधार शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि अथवा देय शेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर दी जा सके।

खण्ड ५३—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उप खण्ड (१) के अधीन ब्याज की किस्त का भुगतान करने के लिए अनुग्रह अवधि नियत करे।

खण्ड ५६—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सीमा तथा रीति नियत करे, जहां तक और जिसके अनुसार उन व्यक्तियों को, जिनकी विधेयक के अधीन भूमि अर्जित की गयी हो, इस प्रकार अर्जित किसी भूमि की बिक्री, विनिमय, पट्टे पर देकर या अन्य प्रकार से अधिमान दिया जा सके।

खण्ड ५७—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा प्राधिकारी जिसके द्वारा तथा ऐसी रीति जिनके अनुसार परिषद् की ओर से संविदा या हस्तान्तरण पत्र निष्पादित किया जा सके, नियत करे।

खण्ड ५८—(३) सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी शर्तों तथा परिसीमनों को नियत करे जिनके अधीन रहते हुए, परिषद् अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर ऋण ले सके अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सके।

खण्ड ५९—(१) उप खण्ड (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी धनराशि तथा शर्तें और प्रतिबन्ध नियत करे, जिसके लिए तथा जिन पर परिषद् ऋण-पत्र जारी कर सके।

(२) उप खण्ड (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार उप खण्ड (१) के अधीन जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे।

(३) उप खण्ड (३) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार परिषद् द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र, जारी किये जा सकें, संक्रमित किए जा सकें, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके अथवा उनका मोचन किया जा सके।

खण्ड ६०—(१) उप खण्ड (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार परिषद् अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के लिए निक्षेप निधि स्थापित करे।

(२) उप खण्ड (३) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये न्यास का सृजन करे।

खण्ड ६२—(२) सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति तथा सिद्धान्त नियत करे जिसके अनुसार राज्य सरकार सम्पत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वृद्धि परिषद् और, यथास्थिति, नगर महापालिका या नगरपालिका बोर्ड को प्रविष्ट कर सके।

खण्ड ६३—(१) उप खण्ड (१) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति जिसके अनुसार तथा दिनांक जिसके भीतर परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगी, नियत करे।

(२) उप खण्ड (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार परिषद् अपने लेखे रखेगी और पक्का चिट्ठा तैयार करेगी, नियत करे।

(३) उप खण्ड (३) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे लेखा-परीक्षक जिनके द्वारा, रीति जिसके अनुसार तथा अन्तराल जिसके भीतर परिषद् की लेखा-परीक्षा की जायगी, नियत करे। इसमें सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे विषयों को नियत करे जिनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों द्वारा अपेक्षित लेख्य प्रस्तुत किए जायें और सूचना दी जाय।

(४) उप खण्ड (५) (ख) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह परिषद् के लेखों को प्रकाशित करने की रीति नियत करे।

खण्ड ६४–(१) खण्ड (१) के उप खण्ड (ख) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार कोई विवाद न्यायाधिकरण को अवधारण के लिए अभिदिष्ट किया जा सके।

(२) उपखण्ड (१) (ङ) में सरकार को उप खण्ड (१) (क) से (घ) तक में निदिष्ट विषयों के अतिरिक्त ऐसे विषयों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसका निर्णय न्यायाधिकरण कर सके।

(३) उप खण्ड (५) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा पारिश्रमिक नियत करे जो न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी को दिया जायगा।

(४) उप खण्ड (६) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्यायाधिकरण के कार्य-संचालन के लिए उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों तथा सेवकों के लिए पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तें नियत करे।

खण्ड ६७—सरकार को ऐसा न्यायालय नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके द्वारा न्यायाधिकरण का कोई अभिनिर्णय या आदेश निष्पादित किया जा सकेगा।

खण्ड ६९ —(१) उप खण्ड (३) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार नियत प्राधिकारी उप खण्ड (१) के अधीन नोटिस को भूगृहादि के वाह्य द्वार पर या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर चिपकवायेगा।

(२) उप खण्ड (४) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर या देकर तामील करने से भिन्न कोई अन्य रीति नियत करे, जिसके अनुसार नियत प्राधिकारी खण्ड (३) के अधीन नोटिस की प्रतिलिपि तामील करायेगा।

(३) उप खण्ड (७) (ग) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उप खण्ड (७) (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट विषयों के अलावा ऐसे विषय नियत करे जिनके सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी को, अध्याय ७ के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन दीवानी न्यायालय के अधिकार हों।

खण्ड ७१—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा प्रपत्र नियत करे, जिसमें कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी कारखाने या औद्योगिक अधिष्ठान में सेवायोजित हो, परिषद् के किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में, जो ऐसे व्यक्ति को किराए पर दिया जाय, अनुबन्ध निष्पादित कर सके।

खण्ड ८२—उप खण्ड (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार उप खण्ड (१) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा जारी किये गये नोटिस का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप किसी भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने पर होने वाले व्यय को वह वसूल कर सके।

खण्ड ९२—सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे प्रतिवेदन तथा विवरणियां जिन्हें परिषद् सरकार को प्रस्तुत करेगी, और ऐसे प्रपत्र जिनमें तथा अन्तराल जिन पर, वे प्रस्तुत किये जायेंगे, नियत करे।

प्रतिनिहित विधायन की ये सभी प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३३ एल० बी०—१९६५—८८२।